महानगर नई दिल्ली बुधवार 12 जून, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

पत्रकार की तत्काल रिहाई का आदेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार प्रशांत कनौजिया को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पवित्र है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। इस दौरान पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। कनौजिया को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

शीर्ष अदालत ने योगी के बारे में प्रशांत की पोस्ट के लिए उसकी आलोचना भी की और कहा कि वह इससे सहमत नहीं है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह पत्रकार को जमानत दे रही है क्योंकि वह शासन द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने की कार्रवाई को अस्वीकार करती है। पीठ ने कहा– एक नागरिक की स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। यह संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार है और शासन द्वारा इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। कनौजिया ने कथित रूप से एक वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर साझा किया था, जिसमें लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर कुछ मीडिया संगठनों के संवाददाताओं के सामने एक महिला बात कर रही थी और उसका दावा था कि उसने योगी आदित्यनाथ के पास शादी का प्रस्ताव भेजा था।

इसके बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक सब इंसपेक्टर ने शुक्रवार की रात कनौजिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया बाकी पेज 8 पर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से समझौता नहीं किया जा सकता

पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी

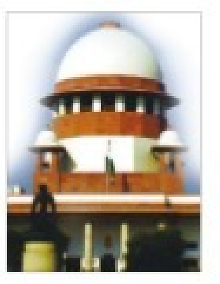

टीवी चैनल का एंकर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टीवी पर चर्चा के दौरान कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी करने के मामले में एंकर अंशुल कौशिक को सोमवार देर शाम नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह तीसरी गिरफ्तारी है।

पश्चिमी विक्षोभ दिलाएगा दिल्ली को गरमी से राहत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जून।

भीषण गरमी से झुलस रही दिल्ली में मौसम का मिजाज अगले 24 घंटों में बदलने के संकेत हैं। जम्मू-कश्मीर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से उत्तर की ओर चली दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के साझा असर की वजह से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सहित समूचे पश्चिमी भारत में भीषण गरमी से राहत मिलने की उम्मीद है।

पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सोमवार को अब तक का सर्वाधिक 48 डिग्री और राजस्थान के चुरु में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। मंगलवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई और बादलों की मौजूदगी से तीखी धूप से भी कुछ राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में राजधानी और आसपास के लोगों को गरमी से और राहत मिलने की संभावना है।

भारतीय मौसम विभाग के उत्तर क्षेत्र की पूर्वानुमान इकाई के प्रमुख वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर रहा है। इसकी वजह से 48 घंटों तक जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए इसका असर उत्तर के मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट के रूप में दिखेगा।

उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित उत्तर-पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों के तापमान में मंगलवार से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के दिल्ली स्थित सफदरजंग केंद्र ने इलाके का औसत अधिकतम तापमान सोमवार को 46 डिग्री की तुलना में मंगलवार को 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिक बाकी पेज 8 पर

शिमला में मंगलवार को बारिश से अपने को बचाने के लिए पर्यटकों ने छाते खोल लिए।

हल्की बूंदाबांदी और बादलों की मौजूगी से मिले संकेत

चार डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है पारा

जम्मू-कश्मीर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय

“अरब सागर से चली दक्षिण-पश्चिमी हवाएं भी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में नमी लेकर आ रही हैं।”
-कुलदीप श्रीवास्तव, मौसम विभाग के वैज्ञानिक

चक्रवात ‘वायु’

गुजरात में सेना सतर्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात तूफान ‘वायु’ के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की। इस तूफान के 13 जून को गुजरात के तटवर्ती पोरबंदर और कच्छ क्षेत्र में पहुंचने की आशंका है। इस तूफान की आहट को देखते हुए केंद्र सरकार ने गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना, थल सेना और वायु सेना की इकाइयां निगरानी के लिए तैनात कर दी हैं।

सौराष्ट्र और कच्छ में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को सतर्क कर दिया गया है। अरब सागर के मध्य पूर्वी क्षेत्र में पिछले दो दिनों से बने हवा के कम दबाव की स्थिति गहराने के कारण उत्पन्न चक्रवात ‘वायु’ मंगलवार को महाराष्ट्र से उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ा। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान के गंभीर रूप धारण करने की संभावना जताते हुए कहा कि उत्तर की ओर बढ़ता बाकी पेज 8 पर

गृह मंत्री की बैठक में हालात की समीक्षा, सैन्य एवं तटरक्षक बल हाई अलर्ट पर

चक्रवात ‘वायु’ के कल पोरबंदर और कच्छ क्षेत्र में पहुंचने की आशंका

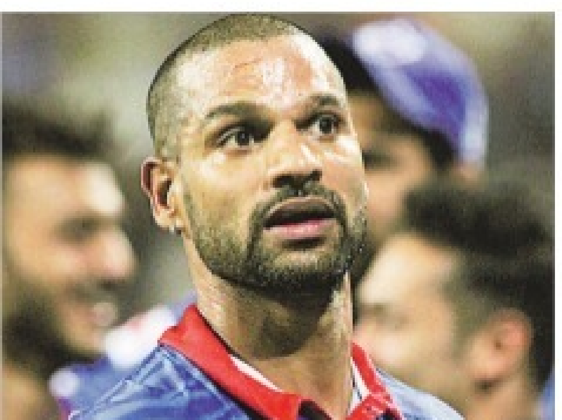

तीन मैचों से बाहर हो सकते हैं धवन !

फार्म में चल रहे भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बाएं हाथ में हेअरलाइन फैक्चर के कारण मंगलवार को विश्व कप के कम से कम तीन मैचों से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के तीसरे मैच से पहले यह टीम के लिए झटका है लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनके चोट से उबरने की संभावना है और यही कारण है कि टीम प्रबंधन ने उनके विकल्प की मांग नहीं की है। खबर पेज 15 पर

अरुणाचल प्रदेश के सियांग में मिला लापता विमान का मलबा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

भारतीय वायुसेना के लापता विमान एएन-32 का मलबा अरुणाचल के सियांग जिले में देखा गया है। पता चलने के बावजूद दुर्घटनास्थल तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण है। उस इलाके में घने जंगल हैं और वहां तक पहुंचना काफी कठिन है। ऐसे में मलबे वाली जगह पर वायुसेना के कमांडो को हेलिकॉप्टर से उतारा जाएगा और जमीन के रास्ते बचाव दल को वहां तक पहुंचने में दो दिन लगेंगे। आठ दिन पहले लापता हुआ वायुसेना के विमान मलबा अरुणाचल प्रदेश में लिपो से 16 किलोमीटर उत्तर में मिला है। मलबे का पता लगने के बाद वायुसेना ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा, ‘खोज अभियान में जुटे वायुसेना एमआइ-17 हेलिकॉप्टर ने आज (मंगलवार) टाटो के उत्तर-पूर्व और लिपो के उत्तर में 16 किलोमीटर की दूरी पर करीब 12 हजार फुट की ऊंचाई पर विमान के मलबे का पता लगाया।

विमान में सवार लोगों के बारे में पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। अभियान आगे बढ़ने पर आगे की जानकारी दी जाएगी।’

यह विमान असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद बाकी पेज 8 पर

मुश्किल मिशन

अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में किसी विमान हादसे के बाद यहां की घाटियां किसी विमान के मलबे को तलाश करना ऐसा मिशन बन जाता है, जिसके पूरा होने में कई बार सालों लग जाते हैं।

शोपियां में मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए

श्रीनगर, 11 जून (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ‘‘इस्लामिक स्टेट (आईएस) की विचारधारा से प्रेरित’’ दो स्थानीय आतंकवादी मारे गए।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने शोपियां के अवनीरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद मंगलवार तड़के इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि आंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी के बाद तलाश अभियान मुठभेड़ में बदल गया। प्रवक्ता ने कहा, ‘सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद हुआ है।’ पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मारे गए आतंकियों की पहचान कुलगाम निवासी सायर अहमद बट और अवनीरा निवासी शाकिर अहमद वाघे के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस के रिकार्ड के अनुसार मारे गए दोनों आतंकवादी आईएस की विचारधारा से प्रेरित थे और उनकी तलाश की जा रही थी।

आतंकियों के साथ मुठभेड़

श्रीनगर, 11 जून (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई।

पुलिस प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यह मुठभेड़ तलाशी अभियान के दौरान शुरू हो गई।

आरटीजीएस, एनईएफटी से पैसा भेजना एक जुलाई से सस्ता

मुंबई, 11 जून (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए पैसा स्थानांतरित करने का शुल्क एक जुलाई से समाप्त करने की घोषणा की है। धन स्थानांतरण के ये लोकप्रिय माध्यम हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह लाभ उसी दिन से अपने ग्राहकों को दें।

रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) बड़ी राशियों को एक खाते से दूसरे खाते में तत्काल स्थानांतरण करने की सुविधा हैं। इसी तरह एनईएफटी के जरिए दो लाख रुपए तक की राशि का त्वरित अंतरण किया जा सकता बाकी पेज 8 पर

बंगाल को बदनाम करने की साजिश : ममता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल को बदनाम करने की साजिश कर रही है।

कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा में अब तक 10 लोग मारे गए हैं। लेकिन इनमें भाजपा के सिर्फ दो और तृणमूल कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। सभी मामलों में भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों का हाथ है। जबकि, केंद्र सरकार यह जाहिर कर रही है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हिंसा फैला रही है। मंगलवार को कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम में बनर्जी केंद्र सरकार और भाजपा पर बाकी पेज 8 पर

हिंसा में तीन मारे गए

पश्चिम बंगाल में सोमवार रात से अभी तक हुई हिंसा की दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोग मारे गए हैं और तृणमूल कांग्रेस तथा भाजपा इन हत्याओं का दोष एक-दूसरे के सिर मढ़ रही हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कानकिनारा में सोमवार देर रात बम से हुए हमले में दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए।

नोएडा में चौकी प्रभारी समेत 15 गिरफ्तार | **भंडाफोड़** | पकड़े गए लोगों में दो युवतियां भी

पुलिस के संरक्षण में ‘मोहपाश’ का खेल

आशीष दुबे
नोएडा, 11 जून।

सड़क किनारे खड़ी अकेली युवती को लिफ्ट देना खतरनाक भी साबित हो सकता है। नोएडा पुलिस ने मंगलवार को एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से कार चालक को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूलता था। पूरा गिरोह एक सब इंस्पेक्टर (चौकी प्रभारी) अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर संचालित कर रहा था। जिसमें दो महिला समेत अन्य लोग शामिल हैं।

गिरोह में शामिल युवतियां सूनसान सड़क के किनारे खड़े होकर कार चालकों से लिफ्ट लेती थीं। कार जैसे ही पुलिस की पीसीआर के पास पहुंचती थी, तो कार में बैठी युवती चिल्लाने लगती थी कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। इसके बाद फिल्मी किरदारों की तरह पीसीआर पर तैनात पुलिसकर्मी कार चालक को चौकी लेकर पहुंचते थे। जहां युवती अपने गिरोह में शामिल दूसरे लोगों को बुला लेती बाकी पेज 8 पर

- दो युवती समेत चार पुलिस कर्मी गिरोह में शामिल
- चौकी प्रभारी था गिरोह का सरगना, छह महीने से चल रहा था वसूली धंधा
- वसूली में होती थी सबकी हिस्सेदारी
- अब तक 20 लोगों को दे चुके थे झांसा

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Satish Aneja S/O Kishan Lal Aneja,R/O D-225, G.F., Near-Mother Pride School, Anand Vihar, Delhi-110092.changed my name to Satish Kumar Aneja. 0040498890-6

I,Rajan Sharma,S/o-Sh. Janardan Lal Sharma,R/o-H.No.E-15,New Seelam pur, Delhi-53,declare that Rajan Sharma and Raju both of names are mine and same person. 0040498877-2

I, Prabhjot Singh Shera S/o Sh. Sirjinder Singh Shera R/o-C-503/1, Upper Ground Floor, J.V.T.S. Gardens, Chhattarpur Extension, New Delhi-110074, inform that Prabhjot Singh and Prabhjot Singh Shera is one and same person. 0040498877-3

I,Pooja Madan D/o Harish Kumar Arora R/o-43, Tirupati Appartments, Ward No.1, Desu Road, Mehrauli, Delhi-110030,have changed my name to Pooja Arora for all purposes 0040498794-5

I,Leela Vati W/o Arun Patwal R/o-A-2/190, JanakPuri, ND-58,have Changed my name to Leela Patwal after marriage for all future purposes. 0040498794-3

I Harpreet Kaur W/O-Gurpreet Singh residing at DELHI-91, TAGORE, GARDEN, NEW DELHI-110027, have changed the name of my minor son GUR-VANSH SINGH ARORA PRABH-JEE @ GURVANSH SINGH ARORA aged 11 Years and 4 Months and he shall here-after be known as GURVANSH SINGH. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040498867-2

I,ASHU BANSEL S/O-Naresh Kumar Bansal R/O-B-11, STREET.NO.2,Arjun Gali, Shahdara,North East Delhi-110094,have changed my name TO ASHU BANSAL for all future purposes. 0040498829-1

I, Varindepreet Singh Kamboj S/O, Gurbux Singh R/O S-8, GF Janta Market, Rajouri Garden, ND-27 have changed my name to Varinder Preet Singh Kamboj. 0040498895-4

I, UMA W/O BHIM SINGH R/O-G-13, EAST-OF-KAILASH, NEW DELHI-110065.have change my name to UMA DEVI for all future purposes. 0040498848-2

I, Taranjit Singh S/O Hemat Singh R/O 20a/29, IInd Floor, Tilak Nagar, New Delhi-110018. Have Changed My Name To Taranji. 0040498844-5

I, Tabassum D/O Fazar Mdsekh Abbassi R/O I-68, Anand Vas, Shakurpur, Delhi-34 Changed My Name To Tabassum Shekhabbassi. 0040498890-2

I, Suchit Chawla D/o Narinder Singh Chawla R/o R-904, New Rajinder Nagar, New Delhi, have changed my name to Suchit Kaur Chawla. 0040498819-1

I, Stephan S/o Harrison R/o Flat No.8, UGF, Swastik Residency, Nebsarai, New Delhi-110068 have changed my name to Stephen Harrison. 0040498848-4

I, Steena Xavier D/o C. P. Xavier, R/o, B-242, UGF, Green Fields Colony, Faridabad, Haryana-121010, have changed my name from Steena Xavier to Cristien Mascarenhas for all future purposes. 0040498799-1

I, Srinivasan Sivaraman S/o S Sivaraman R/O C004, Hamilton Heights, Espire tow-ers, Sector 37, Faridabad 121003, changed my name to S Srinivasan. 0040498895-2

I, Shivani Nigam W/o, Rupesh Kumar Bhatt R/o 1/248, Vikrant Khand, Gomti Nagar, Lucknow, U.P. 226010 have changed my name to Shivani Bhatt for all purposes. 0040498838-2

I, Sarita Gaur W/o Manoj Kumar R/o Asha Ram Chopal 256, Ram Pura, Tri Nagar Delhi-110035 have changed my name from Sarita Rani to Sarita Gaur for all puropes. 0040498844-6

I, Sanvi Mishra, W/O Pramod Kumar Mishra R/O.H.No.99-C, Second-Floor, Lig-Flats, Motia-Khan, Pahar-Ganj, Delhi-110055,Have Changed My Minor Daughter's(DOB-01.10.2012) Name From Zara To Zara Mishra For All Purposes. 0040498875-8

I, Sandhaya Sharma /Sandhiya Sharma w/o Vikas Sharma residing H.No. 232, Second Floor, Near Dwarka More Metro Station, Vipin Garden Uttam Nagar, Delhi, have changed my name to Sandhya Sharma for all purposes. 0040498804-1

I Amandeep S/O Avtar Singh R/O 117-B, 2nd Floor, Sultanpur Extn, Delhi-30 Have Changed Name To Amandeep Singh. 0040498844-4

I hitherto known as Pradyume Kumar alias Pradyune Kumar, S/o Suresh Kumar, R/o H. No. 1602, Gali No. 53/2, Molarband Ext., Badarpur, Jaitpur, New Delhi-110044, have changed my name and shall hereafter be known as Pradyum. 0070659825-1

व्यक्तिगत

I, Saddam Khan S/O Hasib Khan R/O B-298, Sangam-Park Near-Rana Partap Bagh Delhi-110007 have changed my name from Mohd. Saddam to Saddam Khan for all purposes. 0040498859-1

I, Ritu Bajaj D/O Brijmohan Bajaj W/O Chander Shekhar R/O-T-5, First Floor, Naveen Shahdara, Delhi-110032.have changed my name to Ritu for all purposes 0040498844-9

I, Reshma Sandip Mohite spouse of Sandip Mohite, Resident of Lapatalwadi, Tal Purandhar, Dist. Pune-412312, have changed my name from Reshma Mohite to Reshma Sandip Mohite, vide affidavit dated 10/6/2019 before Delhi High Court. 0040498833-1

I, Ravinder Singh R/o C-60, Shubham Enclave, Paschim Vihar, Delhi-110063 have changed my daughter name from Mahima to Mahima Kaur for all future purposes. 0040498806-1

I, Ranvir Singh Hunjun S/o Shri Gurbachan Singh R/o - House No. I-192 , DDA Flats , Naraina Vihar, New Delhi-110028, have changed my name to Ranvir Singh for all future purpose. 0040498805-1

I, Ram Kumar S/o Balu R/o H.No.D-806, Shiv-Vihar, Vikasnagar, Uttamnagar, N.Delhi-59, that my name and my father name has been wrongly written as RAM KUMAR BELDAR and BALU BELDAR in my educational documents and BALU KUMAR in my adhaar card.The actual name of mine and my father are RAM KUMAR AND BALU. 0040498875-10

I, Rakhsana Begum W/O Abdul Majeed R/O A-6/42, Dda Flats, Inderlok Delhi-35, Changed My Name To Ruksana. 0040498890-3

I, Rajinder Singh S/O Daya Kishan R/O H.No-22/6, Devi Lal Nagar, Gurgaon Haryana-122001 have Changed My Name To Rajender Singh. 0040498848-3

I, Rajeev Kumar S/O Ravi Dutt Sharma R/O-42, Shamsabad-Road, Oposit-G.R.Hospital, Rajrai-More, Maruti-Vihar Colony, Agra-282001.have changed my name to Rajeev Kumar Sharma. 0040498848-5

I, Pushpa Devi W/O Narender Singh Bisht R/O 266-P/27, Ward No.2, Garhwal Colony, Mahrauli, New Delhi-110030 have changed my name to Pushpa Bisht for all future purposes. 0040498828-1

I, Preeti Agnihotri W/o Rajiv Dogra R/o B-23/160-161 Outside Pahari Gate Batala Gurdaspur, Punjab-143505 have changed my name to Preeti Permanently. 0040498811-1

I, Praveen Goyal S/o Tirath Ram Goel R/o B-34, Mohan Park, Naveen Shahdara, Delhi-110032.have changed my name to Praveen Kumar Goyal. 0040498875-4

I, Prashant Samarwal, R/o H No.12, Gali No.20, Bhagwati Garden Extn., Jain Road, Dwarka Mode, Uttam Nagar, New Delhi, have changed my Minor Child's name from Divyam to Divyam Samarwal. 0070659851-1

I, Rakesh Kumar Jain S/o Shakhar Chand Jain R/o 292 Shanti Kunj A-5B SFS Flats Paschim Vihar Delhi-110063 changed my name to Rakesh Jain. 0040498844-1

I, Prashant Kumar Jangir, S/o Mr. Om Prakash Jangid, R/o H.No.12, Gali No.20, Bhagwati Garden Extn., Jain Road, Dwarka Mode, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed to Prashant Samarwal. 0070659852-1

I, Pooja Gupta W/o Manoj Kumar Aggarwal R/o D-1108, Street no.17, Khajoorikhas, Delhi-110094, have changed my name to Pooja Aggarwal. 0040498848-8

I, Nobo Kumar Das S/o Manik Kumar Dass R/o,B-465, J.J. Colony, Raghubir-Nagar, N. Delhi-27 changed my name to Nobo Kumar Dass. 0040498875-2

I, Naveen s/o rajvir tewatia r/o hno 26 sec 8 faridabad have add surname to naveen tewa-tia for all 0040498901-4

I, Mubassir Khan S/O Mejraduddin Khan, R/O-A-105, 3rd Floor, A-Block, Jawahar Park, Khanpur, New Delhi-110062.Changed My Name To Mobbashir Khan. 0040498901-3

I, Mohan Kumar S/o Sudhir Kumar Jain R/o-X/1239, Gali No.1, Rajgarh Colony, Gandhi-Nagar, Delhi-110031.have changed my name to Mohan Jain. 0040498875-3

I, Meenakshi w/o Mr. Rajender Singh R/O 496A/9, Shivpuri, Opp. Sector-7, Gurugram,-122001, Haryana, have changed my name to Meenakshi Bisht in future for all purposes. 0040498707-1

I, Pranay Kumar R/o H. No.1179, Proper SOS Kanjhawala Road, Village-Bawana, Delhi-110039 have changed my minor daughter name from Sana to Sana Biswas for all future purposes. 0040498803-1

I, Naresh Kumar S/o Sher Chand R/o 1B-WH-29 NIT Faridabad have changed my name to Naresh Kumar Gulati 0040498794-1

I, Kawaljeet W/o Baljeet Singh R/o A-71/72 UFF, Abchal Nagar Nilothi Extn. New Delhi-41, have changed my name to Kawaljeet Kaur 0040498846-2

I, Manorama Devi W/o Shri Satish Chander Kargeti R/o H. No.421, Sector-4, R. K. Puram, New Delhi-110022 have changed my name to Manorama Kargeti for all purposes. 0040498813-1

I, Manoj Pandey, S/o Sh. Daya Kishan R/o-House No.592A, Gali No.1, Pratap Vihar Part-2, Kirari Suleman Nagar, North-West, Delhi, informs that my father's name has been wrongly printed as Daya Kishan Pandey in my 10th & 12th Certificate. His actual name is Daya Kishan, which may be amended accordingly. 0040498821-1

I, Manoj Kumar S/o Ram Kishan Aggarwal R/o D-1108, Street no.17, Khajoorikhas, Delhi-110094, have changed my name to Manoj Kumar Aggarwal. 0040498848-6

I, Manisha Pranav Shanker W/O Pranav Shanker R/o J-1403, Prateek Laurel, Sector-120,Noida,U.P.-201301 have changed my name to Manisha Shanker permanently. 0040498877-1

I, Mahi Mishra S/o Santosh Kumar Tripathi R/o Flat No.120, Block-C, Manav Apartment, Sec-9, Rohini, Delhi-85, have changed my name to Mahi Tripathi for all purposes. 0040498891-1

I, M.K.Gupta(mahesh Kumar Gupta) S/O, C.M Gupta(chhid-da mal Gupta) R/o-SE-142/A, Shastri Nagar Ghaziabad have changed my name to M.K.Goel(mahesh kumar Goel) S/O C.M Goel(Chhidda mal Goel) 0040498794-4

I, Laxmi Jangra W/O Kumar Gautam R/O-325, Sfs Flats, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-009 Changed My Name To Laxmi Devi. 0040498890-1

I, Lakshaya Agrawal, S/O Sanjeev Gupta R/O F-43, Rbi-Officers Colony, Poorvi-Marg, Vasant Vihar, Delhi-110057, Changed My Name To Lakshya Agrawal. 0040498901-2

I, Kusum Goyal W/O Deepak Jindal R/O-3, 1st Floor, PKT-12, Sec-24, Rohini, Delhi-110085. have changed my name to Pratiksha Jindal. 0040498848-1

I, Disha d/o Manoj Kumar Lakra r/o 709 Village Mundka, Delhi-110041, have changed my name to DISHA LAKRA permanently. 0040498798-1

I, Kum. Pramila Yadav W/o Sunny Yadav R/o C-303A Sushant Lok Phase-I Gurgaon Haryana-122009 changed my name to Pramila Yadav. 0040498875-5

I, Kuldeep S/o Sh. Roop Chand R/o H.No. 18/15, Gali No.21, A-2 Block, West Sant Nagar, Burari, Delhi-110084, inform hereby that I have changed my name from Kuldeep Kaushal to Kuldeep forever. 0040498845-1

I, Khushboo Minglani D/o Mahender Kumar Minglani R/o-D-251-252 Bodhmath-Mandir Gandhi-Vihar Delhi-110009.inform that my name and my Father name has been wrongly mentioned Khushbhu Minglani and father name Mahender Minglani in my Documents but correct name is Khushboo Minglani and Mahender Kumar Minglani. 0040498844-7

I, Kasturi Lal Bhoondpal S/o Sohan Lal R/O H.No.-284, Ward No.-10, Arya Nagar Kartarpur (Rural), Jalandhar, Punjab-144801 have changed my name to Kasturi Lal. 0040498875-9

I, Kamleshwari Devi/ Kamleshwari Devi Tiwari W/O Vinod Kumar R/O-V-29, Sector-C, Bhagwati-Vihar, Utram-Nagar, Delhi-110059. Have Changed My Name To Manorama Devi. 0040498848-10

I, Jyotsana Nagpal W/o Amit Kapoor R/o-H-5, Street No.8, East Chander Nagar, Delhi-110051. have changed my name to Jyotsna Kapoor. 0040498875-7

I, Jasdeep S/o Kawal Nain Singh R/o-206,Sandal-A, Sultanpur City, Wazirabad Road Sahibabad, Ghaziabad U.P.-201005 have changed my name to Jasdeep Singh for all purposes 0040498844-8

I, Jai Bharti Nautiyal W/o Yogesh Bhatt R/o H.No.774 Parvatiya Colony,N.I.T. Faridabad,Haryana,121005,ha ve changed my name to Jaya Bhatt. 0050149936-1

I, Harvinder Saini s/o Sumer Singh r/o House no-511, Near Saini Chopal, Mundka, Delhi-110041, have changed my name to HARVINDER SINGH permanently. 0040498812-1

I, Gurpreet Singh Arora S/O Joginder Singh R/O-DE-91,Tagore Garden,New Delhi-110027,Have Changed My Name To Gurpreet Singh For All Future Purposes. 0040498829-2

I Sai Ganesh Parichha Alias Abhijeet Parichha S/O Ram Sankar Parichha R/O 9444, Multani-Dhanda Paharganj, New Delhi-110055,Have Changed My Name To Abhijeet Parichha. 0040498848-9

I Jyoti Gandhi W/O Anil Ahuja R/o 387 Sector-11-D Faridabad Haryana have Changed my Name to Manisha Ahuja 0040498794-2

I Awatar Singh S/O Pritam Singh R/O 117-B, 2nd Floor, Sultanpur Extn, Delhi-30 Have Changed Name To Avtar Singh. 0040498844-3

व्यक्तिगत

I, Devender Singh Narula S/O Prithmi Singh Narula, R/O BI-59, L-Block, Hari Nagar, N. Delhi-110064,Changed My Name To Devinder Singh. 0040498901-1

I, Desh Raj S/o Tara Chand R/o L-2/18-B, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my name as Desraj Garg for all record and future purposes. Desh Raj and Desraj Garg is one and same person. 0040498801-1

I, Chander Shekher S/o Har Bhagwan R/o:134, Atulya Apartments, Sector-18B, Dwarka, New Delhi-75. Have Changed My Name to Chander Shekhar. 0040498875-1

I, Bhawna Nagi W/O Sumit Malik R/O-C-49, Parwana Road, Old-Govindpura, Near Gurudwara, Krishna-Nagar, Delhi-110051, changed my name to Preeti Malik. 0040498890-5

I, Anil Kumar Sabharwal R/O 510, Block-2, Express Garden, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201014, informs that in my son Anurag Sabharwal's 10th class certificate my name has been wrongly written as Anil Sabharwal instead of Anil Kumar Sabharwal, which may be amended accordingly. 0040498800-1

I, Amita Mehra W/O, Mukesh Panchal R/o Rz-50 Sayed Village Paschim Vihar New Delhi 110087, have changed my name to Amita Panchal for all purposes. 0040498870-1

I, Amit Kumar Verma, S/o Om Parkash, R/o. A-154, Hari Nagar, Clock Tower, Delhi-110064, have changed my name to Amit Verma. 0040498808-1

I, Akshay Goel S/O Om Parkash Goel R/O A-681, Shastri Nagar, Delhi-110052 have changed my nameto Akshay Kumar Goel 0070659842-1

I, Achint Kaur Gambhir D/O, Harneet Singh Gambhir R/O A-95, Dayanand Colony, Lajpat Nagar 4, New Delhi - 110024, have changed my name to Achint Kaur for all purposes. 0040498898-1

I, Abhishek Kumar Singh S/o Arun Singh R/o A-1/128 First Floor Paschim-Vihar Delhi-63 changed my name to Abhishek Kumar. 0040498875-6

I, Abdul Majid S/O Abdul Rahim R/O A-6/42, Dda-Flats, Inderlok Delhi -35, Changed My Name To Abdul Majeed 0040498890-4

I Vikram Choudhary S/O Arjun Choudhary R/O C-1, Shubham Enclave, Paschim Vihar, New Delhi-110063 Have Changed my Name to Vikram Singh. 0040498848-7

I Sharda Sharma W/O Ram Sarup R/O C-202, Udyog Vihar, Sector-22, Plot 20-12 Dwarka ND-77 have changed my name to Sharda Devi. 0040498846-1

I Service No 13758331Y Rank Hav Thakur Dass Verma R/O Vill Baddu PO Goela Teh-Kasauli Dist Solan HP-173236 I Have Changed My Daughter Name In My Service Record From Astha Verma To Aastha Verma And MY Daughter Correct DOB Is from 06 Dec 2008 to 06 Dec 2002 Vide affi-davit Dtd: 01/06/2019 at new delhi. 0040498895-3

I Service No 13758331Y Rank Hav Thakur Dass Verma R/O Vill Baddu PO Goela Teh-Kasauli Dist Solan HP-173236 I Have Changed My Daughter Name In My Service Record From Ankita To Ankita Verma Vide affidavit Dtd: 01/06/2019 at new Delhi. 0040498895-1

I Savita Devi W/o Brahm Prakash R/o WZ-73 Budhela Vikaspuri New Delhi-110018 changed my name to Savita. 0040498844-2

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my Client Sunil Talwar S/o Shri C.B. Talwar and Smt. Anita Talwar W/o Shri Sunil Talwar, both R/o M-69, Kirti Nagar, New Delhi-110015, have disowned their son SAURABH TALWAR and his wife Smt. TANVI TALWAR, from all their moveable and immoveable properties. Henceforth my clients shall not be responsible for any of the acts and deeds of their above-named son and daughter-in-law and anyone dealing with them in any manner shall doing so at his/her own responsibility

Sd/-
(A.S. CHHATWAL)
ADVOCATE
CHAMBER NO. 450, DWARKA COURTS, NEW DELHI-110075.

PUBLIC NOTICE

My client Kailash Singh & his wife Meera Devi, R/o G-II/185, Madangir, New Delhi-110062, have severed all relations and disowned their son Narender Kumar and his wife Garima Chauhan, from all their movable - immovable properties due to their misconduct. My client shall not be responsible for their any acts & deeds in future.

Avinash Sharat & Hakimuddin
Ch. No. 532, Saket Court, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

To, be known to all that my client, **SMT. REKHA SHARMA, W/o SH. RAJNISH KUMAR SHARMA R/o** Flat No. A-253, Second Floor, Nilgiri Apartments, Alaknanda, Kalkaji, New Delhi-110019, is the owner of DDA SFS Flat No A-253, Second Floor, Nilgiri Apartments, Alaknanda, Kalkaji, New Delhi-110019, VIDE DDA FILE NO. F.42(7) 82/SFS/AL/II, has applied for conversion of the aforesaid property from lease hold to freehold. The original documents i.e. **POSSESSION LETTER AND NOC FOR WATER & ELECTRICITY CONNECTION** of the above said property have been lost or misplaced by my client and is/are not traceable inspite of her best efforts. An F.I.R./ NCR to this effect has been lodged in the Police Station, Crime Branch, Delhi **(LR No. 1134898/2019 Dated 10.06.2019).**
Any person(s) claiming any rights, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write / contact with **above named person** at above Address/Phone No. 9599895415 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Deputy Director LAB (Housing) SFS or Director (Housing), Vikas Sadan, New Delhi.

Naveen Aggarwal (Advocate)
Ch. No. M-7, West. Wing, Tis Hazari Court, Delhi-54

खोया+पाया

I, Alka, D/o Viri Singh R/o-HN-231/FF2, GyanKhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.have lost my original-cer-tificate class-10th (2004) Rollno-6165533 class-12th (2006) Rollno-6255915 c.b.s.e. Delhi. 0040498859-4

I, Amit Singh S/o Kuber Singh R/o-A-35, Majlis-Park, Adrash-Nagar, Delhi-110033 has lost my Original CBSE 10th-Class Certificate/Marksheet Roll No.1175104 Passing Year-2009. 0040498859-2

I, Ashish Verma S/o Pawan Kumar, R/o-J-116 shivram park nangloi Delhi-110041.have lost my original certificate Class-10 year-2008 Rollno-6159850 c.b.s.e. Delhi. 0040498859-10

I, Bharti kumari D/o Prem chand R/o-F-73, majnuka-tila, arunanagar, Delhi -54 have lost my original certificate class-10th year-2015 Rollno-8660515 c.b.s.e. Delhi. 0040498859-6

I, Janis S Varun D/o Sanjay Kumar R/o-16/919H Bapa-Nagar Pyare Lal-Road KarolBagh N.D-05. have lost my original-certificate Class-10th Year-2017 RollNo-8257101 c.b.s.e. Delhi. 0040498859-7

I, Prashant s/o Vinod sonkar. R/o Wz-43D/3A Janakpuri New delhi-110058 have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8207270 c.b.s.e. Delhi. 0040498859-9

I, Stephen paulunlal valte, S/o V.Ngngthan lian R/o-2007, Typer-4, Delhi-Administration Flats, Gulabi-Bagh, Delhi-07. have lost my original-certifi-cate class-10th (2011) Rollno-8207110 class-12th (2013) Rollno-9196113 c.b.s.e. Delhi. 0040498859-8

I, vinay s/o Rakesh R/o-A28-B ambedkar park rani-garden shastri-nagar delhi-110031. have lost my original-certifi-cate class-10th year-2014 Rollno-8619608 c.b.s.e. Delhi 0040498859-5

It is notified for the informa-tion that my original qualify-ing examination certificate of main secondary examination of year 2017, Roll No. 8618723 issued by CBSE has been lost. Name: HARI OM S/o Gopal Prasad, Address: House No. 210, Street No.3, Pal Mohalla, Near Mohan Baba Mandir, Mandawali, Delhi-110092. 0040498847-1

It's notified, my original-CBSE qualifying-secondary exami-nation 2016, rollno.8246947 and senior-secondary exami-nation 2018, rollno.9148381 certificate/marksheet have been actually lost. Muskan Goyal D/o Hemender-Goyal, D-12/84, Sect.8, Rohini, Delhi-85. 0040498859-3

I Lokesh Sharma S/O Pramod Sharma R/O.22/295, DMS-Colony, Hari-Nagar, New Delhi-110064. have lost my original-CBSE marksheet and certificate roll.no.8334501 (2017). 0040498890-10

I am Yash raj son of Pashupati Kumar paras house no-18 dr Rajendra Prasad road central Delhi lost my 10 pass certifi-cate. If anyone found contact 9971040753. 0050149976-1

LOST & FOUND

I, Rajiv Chawla S/o. Late Brij Mohan Chawla R/o. C-64, B.K. Dutt Colony, Aliganj, New Delhi-110003 had lost the original lease & conveyance deed, relinquishment deed and other documents of property no. C-64, B.K. Dutt Colony, Aliganj, New Delhi.

Finder please contact :
Mobile - 9811102388

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients Ramphal Rathore son of Satnam Singh & Smt. Neeta Rathore wife of Shri Ramphal Rathore both residents of V-25, Sector-A, Bhagwati Vihar, Uttam Nagar, New Delhi - 110059, have disowned/debarred their son namely Puneet Rathore and his wife Rita Rathore from their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect, Anybody he/they deals with them will do so at his/her/their own risk and responsibility.

Sd/-
Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road.

PUBLIC NOTICE

It is for information of general public that my client **Shri Ramdhan Singh** S/o Late Shri Harkesh Singh R/o B-114, Gali No.3, Ganga Vihar, Delhi-94, have disowned his son namely **Divas Kumar Madar** (unmarried) and he shall have no right or concern with my client's moveable & immovable properties. In future my client shall not be held liable and responsible for the acts and deeds of said **Divas Kumar Madar**. **Tarun Babbar** (Advocate) 84, Manu Appts., Mayur Vihar-I, Delhi-91.

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Sompal S/o Late Sh. Mohar Singh R/o M-1/615, Gulmohar Enclave, Nehru Nagar-III, Ghaziabad, U.P. do hereby disowned/Bedakhal his son Vikas Tomar and his wife Chhaya Badhoriya as they are not in under control of my client and my client has debarred and disowned them from all his moveable and immovable properties. Anybody transacting/ dealing with them in respect of anything in doing that in his/her own risk. My client shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.

Sd/-
AMAN SINGH (Advocate)
Seat No.-17, Central Hall,
Tis Hazari Court Delhi-54

PUBLIC NOTICE

This is to inform all concerned that my clients Sh. Dhanpat Rai S/o Late Sh. Inder Sain R/o H.No.-C-24/FI, Mahaluxmi Housing Complex, Vikram Enclave, Near Chhabra Chowk, Shalimar Garden Ext.-1, Sahibabad, Ghaziabad U.P. have disowned and dis-inherited his son namely Mr. Jatin Rai from all the movable and immovable properties of my above clients. My clients shall not be liable for the any act of the Said Mr. Jatin Rai.
Anup Kumar Sharma (Advocate)
Seat No.39, M-Block, Civil Wing,
Tis Hazari Court, Delhi-110054

नक्सलियों ने हत्या की

रायपुर, 11 जून (भाषा)। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की गोली मार कर हत्या कर दी। बताया गया कि आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेतेवड़ा गांव में नक्सलियों ने देवेंद्र कुमार सिन्हा को गोली मार दी।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुव्वकिल श्रीमती नीतु देवी व श्री उमा शंकर राय पताः- म.न. 156, गाँव जयश्री, डाकघर व पुलिस स्टेशन काराकाट, जिला रोहताश (बिहार) पिन न. 802212, उपरोक्त पते पर सहपरिवार रहते हैं। यह की मेरे मुव्वकिल अपने पुत्र श्री रोशन व पुत्रवधु श्रीमती सपना के दुर्व्यवहार के कारण परेशान है और इन दोनों को अपनी सभी चल और अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हैं। यह की मेरे मुव्वकिल को अपने पुत्र व पुत्रवधु के सभी लेन-देन, वाद-विवाद व किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से मेरे मुव्वकिल व उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है।

हस्ता./-
(रेनू अग्रवाल)
अधिवक्ता
LAW office: 2126/N2-C2
Gali No: 5 Prem Nagar
New Delhi-110008

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती सीमा जैन पत्नी श्री किशन गोयल पता व मालिकाना प्रॉपटी नं. माकन नं. 299, गली नं. 7, लखपत कालोनी, पार्ट–I, मीठापुर एक्सटेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली ने अपने पति किशन गोयल जोकि कमाता धमाता नही है व दुर्व्यवहार करने के कारण अपने सभी सम्बंध विच्छेद कर लिये है व अपनी उपरोक्त स्वयं अर्जित चल–अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है जो मेरी मुवक्किला के साथ रिश्तो को सौहार्दपूर्वक नहीं निभा रहा है। मेरी मुवक्किला उसको पति किशन गोयल के द्वारा किये गए किसी भी अनुचित व गैरकानूनी कार्य के लिए जिम्मेदार व उत्तरदायी नहीं है।

प्रदीप कुमार (अधिवक्ता)
चै.नं. 351, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली–17

PUBLIC NOTICE

This is to inform all concerned that my client Sh. Sanjay Kumar S/o Late Shri Jagdish Chander R/o House No.6/16, Subhash Nagar New Delhi-27, has disowned and dis-inherited his Son Karan and his wife UMA, from all the movable and immovable properties of my above client. My Clients shall not be liable for the any act of the said Persons.

Vijay Mehta Advocate
Chamber No.707, 7th Floor,
Dwarka Courts Complex,
Dwarka, New Delhi-110075

सार्वजनिक सूचना

मैं, अतीन मेहता, अधिवक्ता, मेरे मुव्वकिल के निर्देशानुसार, यह नोटिस आम जनता के सज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरी मुवकिल श्रीमती नैन्सी गुप्ता पत्नी श्री संदीप गुप्ता पुत्री स्वर्गीय श्री विनोद कुमार गुप्ता निवासी फ्लैट संख्या ए–102 गेटवे टावर, सेक्टर–4, वैशाली, गाज़ियाबाद, उ.प्र–201010, अपने आपको व अपने पति व बच्चों को अपने मायके पक्ष की सभी चल एवं अचल सम्पति और सभी रिश्ते–नातों से अलग करती हूँ अतः भविष्य में मेरे मुव्वकिल व उसके पति व बच्चों का उसके मायके पक्ष से कोई लेना देना नही है. और कोई भी वैध–अवैध कार्यों कि कोई जिम्मेदारी नहीं है

अतीन मेहता, एडवोकेट

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Makhan Singh S/o Sh. Sudha Singh R/o Plot No.3, Nihal Vihar Phase-II, Nangloi, Delhi-110041 do hereby disowned/bedakhal his son Jarnail Singh and his wife Smt. Nisha Saini as they are not in under control of my client and my client has debarred and disowned them from all his moveable and immovable properties. Anybody transacting/dealing with them in respect of anything in doing that in his/her own risk. My client shall not be responsible for the same in any manner whatsoever.

A.R. Nasir (Advocate)
Enrol No. D/130/82

PUBLIC NOTICE

This is to inform Genral Public at large that my client Mr. Manjit Singh is the absolute owner in possession of First Floor, built on property bearing No. RZF 756/11, (old plot no.15) area 100 Sq. Yds. Khasra No. 47/19, Village-Palam, Raj Nagar -II, Palam Colony, Delhi and the same is free from all type of lien and encumbrances. Previous Title documents of the aforementioned property including Khasra/Khatauli Record, Death Certificate & Surviving Member Certificate, of Late Jiwan Ram, is not available with my client. My client is intending to sell the aforementioned property to Mr. Sushil Kumar which is proposed to be mortgage with Hero Housing Finance.If any person or institution have any kind of right or claim in the aforementioned property, he may contact at the address given herein under within 15 days from the date of publication of this notice.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E 419, Karkardooma Court , Delhi 110032.
Mob.9871603366, 9717476101

Know all men that my clients - Sh. Shiv Kumar Sharma S/oSh. B.P. Sharma and Smt. Archana Sharma W/o Sh. Shiv Kumar Sharma both residents of H.No. 495, First Floor. Sainik Vihar, Pitampura, Delhi-110034 are the owner and in possession of Properties bearing H.No.495, First Floor, Sainik Vihar. Pitampura, New Delhi, Flat No.C-316, Manav Group Housing Society. Sector-9, Plot No. 3, Rohini, Delhi-110085, Flat No.101, Ground Floor, Radha Mohan Van, Renu Block. Chhatikara Marg, Raman Reti, Shri Dham Vrindavan (UP), Flat No. F-301, Divya Jivan Residency, Nikol Naroda Road, Opposite Samay Bungalows, Nikol, Ahmadabad-382350, Shop bearing No.27/2, Anand Parvat Industrial Area, New Rohtak Road, New Delhi-110005, Godown at Property No. R-9, Gali No.10, Anand Parvat Industrial Area, New Rohtak Road, New Delhi-110005. My aforesaid clients have severed all relations (Socially & Economically) with his younger son namely Mukund Sharma and his wife Mrs. Sulaxmi Sharma due to their misconduct & abusive attitude and disowned/ debarred their son namely Mukund Sharma and his wife Mrs. Sulaxmi Sharma from their all moveable and immoveable properties. Henceforth, the said Mukund Sharma and his wife Mrs. Sulaxmi Sharma shall have no right, title, interest, interference or concern with the moveable & immoveable properties of my aforesaid clients. Anybody dealing with them shall be doing so at his own risk, cost & consequences.

Rajat Tanwar Advocate
Ch.No.852, Chamber Block,
Dwarka District Court,
New Delhi

ई-सिगरेट और ई-हुक्का पर प्रतिबंध की तैयारी

नई दिल्ली, 11 जून (भाषा)।

केंद्र सरकार ने ई–हुक्का और ई–सिगरेट समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस) पर सख्त रूख अख्तियार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन वैकल्पिक धूम्रपान उपकरणों को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत ड्रग्स की श्रेणी में लाने के लिए प्रस्ताव दिया है, ताकि इनके उत्पादन, बिक्री, वितरण एवं आयात पर रोक लगाई जा सके।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) ने मंजूरी दे दी है। डीटीएबी देश में दवाओं से संबंधित तकनीकी मामलों पर शीर्ष सलाहकार निकाय है। कुछ संगठनों का दावा है कि ये उपकरण धूम्रपान की आदत को छुड़ाने में मददगार हैं और ये परंपरागत सिगरेटों से कम नुकसानदेह हैं, जबकि सरकार इनको प्रतिबंधित करने के लिए दलील दे रही है कि इनसे स्वास्थ्य को गंभीर खतरे हो सकते हैं जो परांपगत सिगरेट के समान ही हैं। ईएनडीएस उपकरणों ऐरोसॉल बनाने के लिए सॉल्यूशन को गर्म करते हैं जो अक्सर फ्लेवर वाला होता है। इन उपकरणों में ई–सिगरेट, ई–शीशा, ई–निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का समेत अन्य चीजें आती हैं।

जयशंकर ने कैलास मानसरोवर यात्रा शुरू होने की घोषणा की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कैलास मानसरोवर यात्रा के शुरू होने की घोषणा की और कहा कि तीर्थयात्रा लोगों के बीच आदान–प्रदान को बढ़ावा देने तथा भारत और चीन के बीच मित्रता एवं समझ को मजबूत करने की दिशा में एक 'महत्त्वपूर्ण कदम' है। जयशंकर ने यहां जवाहरलाल नेहरू भवन में एक कार्यक्रम में चीन में राजदूत रहने के दौरान इस पवित्र स्थल के दर्शन का अपना निजी अनुभव भी साझा किया।

लिपुलेख मार्ग से यात्रा के आरंभ होने की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस तीर्थयात्रा में रुचि तेजी से बढ़ी है। यह तीर्थयात्रा 1981 में शुरू हुई थी। उन्होंने कहा, 'मैं यह बता दूं कि यात्रा के सफल आयोजन के लिए हमें कई अन्य मंत्रालयों और एजंसियों खासतौर पर उत्तराखंड, सिक्किम और दिल्ली की सरकारों से काफी सहयोग मिला है।' उन्होंने कहा, 'मैं इस यात्रा के आयोजन में चीन की सरकार के समर्थन का जिक्र करना चाहता हूं जो लोगों के बीच आदान–प्रदान को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच मित्रता एवं समझ को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।'

प्रफुल्ल पटेल से ईडी की पूछताछ दूसरे दिन भी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री एवं राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल कई करोड़ रुपए के कथित उड्डयन घोटाले के कारण एअर इंडिया को हुए घाटे से संबंधित धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सिंधिया के सामने ही भिड़े गाजियाबाद के कांग्रेसी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त की समीक्षा को लेकर दिल्ली में जुटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी नेताओं के बीच जमकर कहासुनी हुई।

बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी सिंधिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई नेताओं ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के बारे में शिकायत की, तो कुछ ने चुनाव के दौरान संगठन की तरफ से उचित सहयोग न मिलने का मुद्दा उठाया। पार्टी महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रभारी गुलाम नबी आजाद की कार्यशैली को लेकर भी कई नेताओं ने बैठक में सवाल उठाए।

सूत्रों ने बताया कि गाजियाबाद से पार्टी के टिकट के दावेदार केके शर्मा ने कुछ वरिष्ठ नेताओं पर चुनावी हार का ठीकरा फोड़ा। उनकी कुछ नेताओं से कहासुनी भी हुई। बैठक से बाहर पार्टी की गाजियाबाद इकाई के दो वरिष्ठ नेताओं नरेंद्र भारद्वाज और हरेंद्र कसाना के बीच खूब तू तू–मैं मैं हुई। बैठक के दौरान कसाना ने भारद्वाज की बेटी और गाजियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार रहीं डॉली शर्मा के बारे में कुछ शिकायत की जिसको लेकर बैठक के बाद भारद्वाज–कसाना के बीच कहासुनी हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेताओं और उम्मीदवारों की यह बैठक हार के कारणों पर मंथन करने के लिए बुलाई गई थी।

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING
EXPRESS EDUCATION
INTERACT WITH
TOP SCORERS OF PUBLIC ADMINISTRATION

MARKS 314
ANKITA CHOUDHARY AIR-14
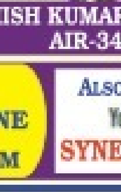
MARKS 310
ASHISH KUMAR THAKUR AIR-346
FREE FOR ALL
ON 13th JUNE TIMING: 11:00 AM
ALSO LIVE AT: YouTube SYNERGY IAS
WHETHER THE TOP RANK OR THE HIGHEST MARKS, THIS YEAR OR MANY CONSECUTIVE PREVIOUS YEARS IT ALWAYS BEEN SYNERGY.
IF IT IS PUBLIC ADMINISTRATION, IT IS ONLY "SYNERGY."
PUBLIC ADMINISTRATION by M.K. MOHANTY
13th June 11:00 AM
ANSWER WRITING PREPARATION SESSIONS 2019
• PUBLIC ADMINISTRATION
• ETHICS (GS PAPER IV)
22nd JUNE
Email: info@synergy.edu.in | Website: www.synergyraftar.com
Ph:- 011-25744391, 9870146185
SYNERGY AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES EXAMINATION
16-A/2, Ist Floor, Ajmal Khan Road, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-05
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

अफवाह फैलाने वाले को आजीवन कारावास

अमदाबाद, 11 जून (भाषा)।

एक विशेष एनआइए अदालत ने मंगलवार को यहां मुंबई के उस कारोबारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जिसने अक्तूबर 2017 में जेट एयरवेज के एक विमान में अपहरण की धमकी वाला नोट लिखकर छोड़ा था।

मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम- 45.4 डि.से.		सूर्योदय- 5:23
न्यूनतम- 33.3 डि.से.		सूर्यास्त- 19:19

बिजली पानी पर भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरा

नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने आरकेपुरम में प्रदर्शन कर पानी संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

फोटो : आरुष चोपड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जून।

बिजली–पानी के मसले पर भाजपा हमलावर हो गई है और आम आदी पार्टी सरकार को घेर रही है। सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि 7000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने अब तक तय शुल्क के माध्यम से दिल्ली की जनता से वसूले हैं। यह पैसा जल्द से जल्द दिल्ली की जनता को वापस मिलना चाहिए। इस तय शुल्क वसूली को भाजपा ने गलत बताया है। भाजपा ने पानी संकट पर भी सरकार को घेरा है। इसे लेकर मुख्ममंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भेजा है।

मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से जल बोर्ड का कार्यभार संभाला है। तभी से फायदे में चल रहा जल बोर्ड भी घाटे में आ गया है। भीषण गर्मी के इस समय में हालत यह है कि दिल्ली वाले बिजली – पानी के लिए बेहाल है। इसका सीधा लाभ निजी टैंकर माफिया ले रहा है। उन्होंने कहा कि जबकि दिल्ली सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व आम नागरिको को आश्वासन दिया था कि वे हर घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएंगे। जबकि हकीकत यह है कि सालों से क्षेत्रों में पानी की लाइन डाली जा चुकी है और लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। जनता के लिए प्रतिदिन 1125 एमजीडी पानी की आवश्यकता होती है। हर रोज जल बोर्ड केवल 895 एमसजीडी पानी ही उपलब्ध करा पा रहा है। सरकारी आंकड़ों से ही साफ है कि 230 एमजीडी पानी की दिल्ली की जरूरत है और इस वजह से जनता हर दिन पानी का संकट झेल रही है।

दिल्ली वाले पाते हैं सबसे सस्ती बिजली : अरविंद केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जून

सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर में दिल्ली वाले सबसे सस्ती बिजली पाते हैं। उनका इशारा भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों की तरफ था। सोमवार को ही भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरा है और आम जनता से करोड़ों रुपये का तय शुल्क वसूली करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने कहा कि भाजपा को बिजली की दरों के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बिजली की दरों के मामले में भाजपा ने गलत व झूठे आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में आज भी कांग्रेस व भाजपा शासित राज्यों की तुलना मे जनता के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध है। चार साल में दिल्ली सरकार ने बिजली के दामों पर नियंत्रण रखा है और इन दामों को बढ़ने नहीं दिया है।

विधायक मनोज कुमार चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के दोषी करार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जून।

आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बने एक मतदान केंद्र पर चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने का दोषी पाया गया है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कुमार को लोकसेवक को सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में बाधा पहुंचाने और मतदान केंद्र के निकट अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया।

विधानसभा चुनाव में नए चेहरे पर दांव लगाना चाहती हैं शीला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जून।

दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने सभी जिला व ब्लॉक कांग्रेस समितियों को ताकीद की है कि वे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए तीन–तीन नामों के पैनल भेजें और यह ध्यान रखें कि इनमें एक महिला का नाम जरूर हो।

पार्टी के इस कदम को लेकर कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में वह बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार बदलेगी और उनकी जगह पर नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इनमें महिलाओं की भी अच्छी–खासी संख्या हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीक्षित की अध्यक्षता में राज्य के तीनों कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्षों व जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की मंगलवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई।

बैठक में तय किया गया कि आगामी चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के चयन में जिला व ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्षों की अहम भूमिका रहेगी। बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि 2020 के विधानसभा चुनावों के लिए हर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रत्येक विधानसभा के लिए बेहतर, अनुभवी एवं क्षेत्र में साख रखने वाले उम्मीदवारों का तीन–तीन नामों का पैनल बनाकर 22 जून, 2019 तक भेजेंगे।

तीन नामों के पैनल में आवश्यक रूप से एक नाम महिला का होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कोचर ने कहा कि शीला दीक्षित चाहती हैं कि विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन जल्द किया जाए ताकि कांग्रेस चुनावों के लिए समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर सके।

केजरीवाल से आज मिलेंगी शीला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जून।

बिजली और पानी की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। दीक्षित मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कंपनियों द्वारा दिल्ली के उपभोकताओं से नियत शुल्क के रूप में वसूली गई करीब 7400 करोड़ रुपए की राशि वापस करने की मांग करेंगी। केजरीवाल की अगुआई में छह साल पहले बिजली–पानी के मुद्दे पर दीक्षित को घेरा था और सत्ता से बेदखल कर दिया था।

नियुक्तियां

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

संक्षिप्त विज्ञापन

Advt No: UoA/Law/BA.LL.B./2019/1 12/06/2019

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि संकाय में संविदा पर असिस्टेन्ट प्रोफेसर के 08 शिक्षण पदों हेतु 04 विधि (03 सामान्य, 01 पिछड़ा वर्ग), 01 इतिहास (सामा. वर्ग), 01 राजनीतिशास्त्र (सामा. वर्ग), 01 समाजशास्त्र (सामा. वर्ग), और 01 अंग्रेजी (सामा. वर्ग) के भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन फार्म दिनांक 12/6/19 से विश्व–विद्यालय की अधिकारिक वेब साइट www.allduniv.ac.in पर अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। आवेदन पत्र दिनांक 5/7/19 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा कुलसचिव कार्यालय में स्वीकार किए जायेंगे। उपरोक्त विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम/परिनियम 2018 की धारा 13 के अधीन होगा।

कुलसचिव

इंडियाबुल्स रियल इस्टेट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 448-451, उद्योग विहार, फेज -V, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा
फोन: (0124) 3989 555 फैक्स: (0124) 6681 111
(CIN: U70101HR2005PTC077759)

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष,
चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ मूल अधिकार क्षेत्र में कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के साथ धारा 66 तथा 234 और अन्य लागू होने वाले प्रावधानों तथा कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के मामले में
और
कंपनी आवेदन नं. सीए (सीएए)नं. 10/सीएचडी/एचआरवाई/2019 के तहत समामेलन की योजना
फिम होल्डको II लिमिटेड
(समामेलीत कंपनी 1/ट्रांस्फरर कंपनी 1)
और
अरिस्टोन इनवेस्टमेंटस सब बी लिमिटेड
(समामेलीत कंपनी 2/ट्रांस्फरर कंपनी 2)
के साथ
इंडियाबुल्स रियल इस्टेट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
(सम्मिलित कंपनी /ट्रांस्फरी कंपनी/आवेदक कंपनी)
और
उनके संबंधित शेयरधारकों के मामले में

इंडियाबुल्स रियल इस्टेट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक के नोटिस का विज्ञापन

यह सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ बेंच के तारीख 17 मई, 2019 के आदेश द्वारा इंडियाबुल्स रियल इस्टेट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (**"कंपनी या ट्रांस्फरी कंपनी या सम्मिलित कंपनी"**) के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकों के आयोजन का निर्देश दिया है जिसमें फिम होल्डको II लिमिटेड (**"समामेलीत कंपनी 1/ट्रांस्फरर कंपनी 1"**) और अरिस्टोन इनवेस्टमेंटस सब बी लिमिटेड (**"समामेलीत कंपनी 2/ट्रांस्फरर कंपनी 2"**) और इंडियाबुल्स रियल इस्टेट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच प्रस्तावित समामेलित की योजना (**'योजना'**)पर विचार करने, और यदि उचित माना जाता है तो, संशोधन सहित या संशोधन रहित अनुमोदन किया जाएगा ।

उक्त आदेश और निर्देश के अनुसरण में आगे यह नोटिस दिया जाता है कि :

1. कंपनी के इक्वीटी शेअरधारकों की बैठक जुलाई 14, 2019 को सुबह 10:00 बजे प्लॉट नं. 448-451, उद्योग विहार, फेज V, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा में बुलाइ जाएगी।
2. कंपनी के सुरक्षित लेनदारों की बैठक जुलाई 14, 2019 को सुबह 11:00 बजे प्लॉट नं. 448-451, उद्योग विहार, फेज V, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा में बुलाई जाएगी।
3. बैठक के सूचना के अधिन कंपनी के असुरक्षित लेनदार जिनकी देय राशी रु. 2,00,000 और उससे अधिक है उनकी बैठक जुलाई 14, 2019 को दोपहर 12:00 बजे प्लॉट नं. 448-451, उद्योग विहार, फेज V, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा में बुलाई जाएगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 तथा 102 और कंपनियों (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के तहत उक्त नोटिस की प्रतियां और विस्तृत ब्यौरे की प्रतियां, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय इंडियाबुल्स हाउस, 448-451, उद्योग विहार, फेज V, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा से नि: शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं । बैठक में उपस्थित होने वाले और मतदान करने के लिए अधिकृत लोग, व्यक्तिगत रुप से या परोक्षी द्वारा मतदान कर सकते है बशर्ते कि सभी परोक्षी फॉर्म बैठक से न्यूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में जमा किये गये हों ।

परोक्षी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है।

अधिकरण में उक्त बैठकों के लिए श्री राकेश भाटिया, ऍडवोकेट और कु. ईशा कुमार को क्रमश: अध्यक्ष और वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यदि उपरोक्त योजना की व्यवस्था को बैठकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसके बाद अधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

दिनांक जून 11, 2019 गुरुग्राम में

सही/-
विशाल थारवानी
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
इंडियाबुल्स रियल इस्टेट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड

Mindtree *Welcome to possible*

MINDTREE LIMITED

Registered Office: Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bengaluru, Karnataka, 560 059
Tel: 080-67064000; Fax: 080-67064100, Email ID: vedavalli.s@mindtree.com
Website: www.mindtree.com; CIN: L72200KA1999PLC025564

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Mindtree Limited ("Target Company") on the Open Offer (hereinafter defined) made by Larsen & Toubro Limited ("Acquirer"), to the Shareholders of the Target Company, under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations").

1.	Date	June 10, 2019
2.	Name of the Target Company (TC)	Mindtree Limited
3.	Details of the Open Offer pertaining to the TC	Open offer for the acquisition of up to 5,13,25,371 (Five Crore Thirteen Lakh Twenty-Five Thousand Three Hundred and Seventy-One) fully paid up equity shares having a face value Rs. 10/- each ("**Equity Share**") at a price of Rs. 980 per Equity Share ("**Offer Price**"), representing 31% of the total voting equity share capital of the Target Company ("**Open Offer**"). Public Announcement dated March 18, 2019 (the "**PA**"), Detailed Public Statement dated March 25, 2019 (the "**DPS**"), Draft Letter of Offer dated April 2, 2019 (the "**DLoF**") and Letter of Offer dated June 6, 2019 (the "**LoF**") have been issued by Axis Capital Limited and Citigroup Global Markets India Private Limited, the managers to the Open Offer on behalf of Larsen & Toubro Limited.
4.	Name(s) of the Acquirers and PACs with the Acquirers	**Acquirer:** Larsen & Toubro Limited **PAC:** Acquirer has stated that it does not have any 'person acting in concert' with it, as defined in Regulation 2(1)(q)(1) of the SEBI SAST Regulations, for the purpose of this Open Offer.
5.	Name of the Managers of the Open Offer	**AXIS CAPITAL LIMITED** Axis House, 1st Floor, C-2, Wadia International Center, P. B. Marg, Worli, Mumbai 400 025, Maharashtra. **Tel:** +91 22 4325 2183, **Fax**: +91 22 4325 3000, **Website:** www.axiscapital.co.in **Email:** ml.openoffer@axiscap.in, **Contact person:** Ms. Mayuri Arya. **SEBI Registration Number:** INM000012029. **CITIGROUP GLOBAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED** 1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400098, Maharashtra, **Tel:** +91-22-61759999, **Fax:** +91-22-61759898. **Website:** www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm **Email:** mindtree.openoffer@citi.com, **Contact person:** Ms. Garima Maheshwari. **SEBI Registration Number:** INM000010718.
6.	Member of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	1. Ms Apurva Purohit (Chairperson); 2. Mr Milind Shripad Sarwate (Member); 3. Mr Bijou Kurien (Member); and 4. Mr Akshaya Bhargava (Member).
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, equity shares owned, any other contract/ relationship), If any	The members of the IDC are Independent Directors on the board of directors of the Target Company. None of the members of the IDC hold any Equity Shares or other securities of the Target Company. Other than as disclosed below, none of the members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company: 1. Ms Apurva Purohit is the chairperson of the Target Company's nomination and remuneration committee; 2. Mr Milind Shripad Sarwate is the chairperson of the Target Company's audit committee and a member of the Target Company's corporate social responsibility committee; 3. Mr Bijou Kurien is the chairperson of the Target Company's stakeholders relationship committee and a member of the Target Company's audit committee; 4. Mr Akshaya Bhargava is a member of the Target Company's audit committee, nomination and remuneration committee and risk management committee; and 5. The Target Company provides certain information technology services to Bridgeweave Limited, a company having its registered office in the United Kingdom. Mr. Akshaya Bhargava is the executive chairman, a director and the majority shareholder of Bridgeweave Limited.
8.	Trading in the equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the Equity Shares/ other securities of the Target Company during: (a) the 12 month period preceding the date of the PA; and (b) the period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, equity shares owned, any other contract/ relationship), if any.	As on the date of this recommendation: 1. Ms Apurva Purohit holds 1125 equity shares of the Acquirer and 220 equity shares of L&T Technology Services Limited, a subsidiary of the Acquirer. 2. Mr Bijou Kurien holds 450 equity shares of the Acquirer. Other than the above, none of the Members of IDC: (a) are directors of the Acquirer; (b) hold any equity shares or other securities of the Acquirer; or (c) have any contracts/ relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the equity shares/ other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the equity shares/ other securities of the Acquirer during: (a) the 12 month period preceding the date of the PA; and (b) the period from the date of the PA till the date of this recommendation.
11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC is of the opinion that, as on the date of the PA, the Offer Price of Rs 980 offered by the Acquirer: 1. is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and 2. appears to be fair and reasonable.
12.	Summary of reasons for recommendations	The IDC has perused the PA, DPS, DLoF and LoF issued on behalf of the Acquirer. The members of IDC draw attention to the closing market price of the Equity Shares of the Target Company on the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") and BSE Limited ("**BSE**") as on the date of this recommendation, i.e. June 10, 2019, being Rs 975.50 per Equity Share and Rs 974.65 per Equity Share, respectively, which is lower than the Offer Price. Based on the review of the PA, DPS, DLoF, LoF, and the report dated June 7, 2019, issued by ICICI Securities Limited to the IDC in regard to the Offer Price, the IDC is of the opinion that as on the date of the Public Announcement, the Offer Price of Rs 980 offered by the Acquirer: (a) is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) appears to be fair and reasonable. The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer.
13.	Details of Independent Advisors, if any	Khaitan & Co (Legal Advisor) ICICI Securities Limited
14.	Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respects, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of the Committee of the Independent Directors of Mindtree Limited

Sd/-
Apurva Purohit
Chairperson – Committee of Independent Directors
DIN: 00190097

Place: Mumbai
Date: June 10, 2019

मौसम				
तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	44.5 डि.से.	44.5 डि.से.	44.8 डि.से.	45.2 डि.से.
न्यूनतम	30.4 डि.से.	30.4 डि.से.	30.4 डि.से.	30.3 डि.से.

मधुमक्खी के काटने से बच्चे की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 11 जून।

सेक्टर-71 में सोमवार रात दो बच्चों को मधुमक्खियों ने काट लिया, इनमें एक बच्चे की मौत हो गई। दूसरे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। फेज श्री थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दो बच्चे सैंडी (8) और देव (7) सेक्टर-71 के शिव शक्ति अपार्टमेंट में रहने वाले अपने नाना-नानी के घर गर्मी की छुट्टियां मनाने आए थे। सोमवार रात करीब आठ बजे दोनों भाई नाना-नानी के साथ कॉलोनी के पास ही बने पार्क में घूमने गए थे। पार्क में एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। जैसे ही बच्चे वहां से गुजरे मधुमक्खियों ने उन्हें काट लिया। बच्चों को इलाज के दौरान देव की मौत हो गई। सैंडी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद मंगलवार को वन विभाग के कर्मियों ने छत्ते को सावधानी से हटा दिया।

निलंबित डीडीसीए सचिव के खिलाफ आरोपपत्र दायर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जून।

दिल्ली पुलिस ने जिला क्रिकेट संघ के निलंबित पूर्व सचिव विनोद तिहारा पर आरोपपत्र दायर किए हैं। पुलिस ने आरोपपत्र मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर कैंटर में घुसी कार, तीन की मौत

- कार को कई जगह से काटकर निकाले गए मृतकों के शव
- सभी युवक अलीगढ़ से लौट रहे थे, तभी हुआ हादसा

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 11 जून।

यमुना एक्सप्रेस-वे के जीरो पॉइंट के मोड़ पर सोमवार देर रात अलीगढ़ की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार वैगन-आर कार कैंटर में पीछे से घुस गई। हादसे में कार सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार को काटकर तीनों को बाहर निकाला। तीनों युवक अपने दोस्त की बहन की शादी समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो पॉइंट मोड़ पर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे उतरते समय तेज रफ्तार वैगन-आर आगे धीमी गति से जा रहे कैंटर में पीछे से घुस गई। कैंटर में पीछे से घुसने की वजह से कार बुरी तरह से पिचक गई थी। उसमें सवार तीनों युवक फंस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद कार को कई जगह से काटकर तीनों को बाहर निकाला। पुलिस तीनों को ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवकों की पहचान गौरव व प्रवीण निवासी रहीसपुर गाजियाबाद और पंकज निवासी गोविंदपुरम के रूप में हुई है। बताया गया है कि तीनों स्टेशनरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी में नौकरी करते थे। वे अलीगढ़ के टप्पल इलाके में अपने दोस्त की बहन की शादी में गए थे। पुलिस का अनुमान है कि देर रात शादी समारोह से आने के दौरान चालक को नींद की झपकी आने से दुर्घटना हुई है। तेज रफ्तार होने की वजह से चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और सीधे आगे चल रहे कैंटर में पीछे से कार घुसा दी। वैगन आर की स्थिति देखकर माना जा रहा है कि कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रही होगी। एसपी देहात विनीत जायसवाल के मुताबिक हादसे में कार सवार तीनों की मौके पर मौत हो गई है। कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

एंड्र्यूजगंज स्कूल बिजली शुल्क मुक्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जून।

दक्षिणी दिल्ली का एंड्र्यूजगंज स्कूल बिजली शुल्क मुक्त स्कूल बन गया है। इस सरकारी स्कूल में सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाई जा रही है और अब अधिक बिजली उत्पादन होने की वजह से सीधे ग्रिड को दी जा रही है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस स्कूल में 30 किलोवाट का सौर संयंत्र लगाया गया है। इस संयंत्र की मदद से अब इस स्कूल का बिजली बिल 35 हजार रुपए मासिक की जगह शून्य हो गया है। इसके अलावा अधिक बिजली सीधे ग्रिड को दी जा रही है। वे सरकारी स्कूलों के निर्माण समेत अन्य कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे।

एंड्र्यूजगंज के इस स्कूल में 40 क्लासरूम बनाने का काम चल रहा है। उपमुख्यमंत्री ने क्लासरूम, सीसीटीवी व सोलर पैनल आदि कार्यों की जांच की थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक, अब तक दिल्ली के 21 स्कूलों में सौर संयंत्र लगा चुके हैं और 100 जगह जल्द ही नए संयंत्र लगाए जाएंगे। सरकार ने 500 स्कूलों में सोलर संयंत्र लगाने की योजना तैयार की है।

मोबाइल ऐप से बुक कराएं ई-वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जून।

दिल्ली में ई-वाहन चला रहे गाड़ी के मालिक अब ई-चार्जिंग स्टेशन पर भी गाड़ी की बैटरी चार्ज करा सकेंगे। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के पहले चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की। स्टेशन की जानकारी उपभोक्ताओं को देने के लिए विशेष मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। इस ऐप से चालक अपने पास के चार्जिंग स्टेशन की जानकारी ले सकेंगे। पहला ई चार्जिंग स्टेशन साउथ एक्स पार्ट-2 में शुरू किया गया है।

मोबाइल ऐप को 'इलेक्ट्रीफाई ऐप' का नाम दिया गया है। इसके माध्यम से किस चार्जिंग स्टेशन पर कितने पोर्ट खाली हैं और कहां पर कितने वाहन कतार में हैं पता चल जाएगा। ऐप के जरिए चालक पहले ही अपने चार्जिंग स्टेशन के स्लॉट को भी बुक करा सकते हैं। इससे उन्हें स्टेशन पर जाने के बाद चार्जिंग के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। इन स्टेशन पर ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, यूपीआइ और भीम ऐप के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी-विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : संत तूकाराम पर फिल्म और चर्चा, सीडी देशमुख सभागार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्समूलर मार्ग, साम साढ़े छह बजे।

बैंक ऑफ इंडिया BOI Bank of India

नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, स्टार हाउस, तीसरी मंजिल, एच-2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली
AssetRecovery.NewDelhi@bankofindia.co.in
फोन : 011-23755605-5606

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के 8(1) के अधिनियम के अन्तर्गत
जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.04.2006 को एक माँग नोटिस जारी करके उधारकर्ता मैसर्स ए एफ गारमेन्टस (प्रोपराइटर श्री अशरफ अहमद एवं गारंटर श्री खालिद अनवर), को नोटिस में वर्णित बकाया राशि रु. 2,28,10,016/- (रुपए दो करोड़ अठाईस लाख दस हजार सोलह एवं आगे के ब्याज व प्रभार सहित) उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण उधारकर्ता और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा दिनांक 10 जून 2019 को ले लिया है।

उधारकर्ता एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इण्डिया, बहादुरशाह ज़फर मार्ग शाखा को बकाया रु. 2,28,10,016/- व इसके आगे के ब्याज के अधीन होगा।

सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति के सभी भाग और अंश के साथ प्लाट नं. 1303, खसरा नं. 64 के बाहर गांव जाफराबाद गली नं. 41 एवं 38 में अबादी, जाफराबाद, ईलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 (प्लाट मापक्षेत्र 106 वर्ग गज) जो कि श्री खालिद अनवर के नाम पर है।

चौहद्दी: उत्तर में: गली नं 38 (16 फीट चौड़ा), दक्षिण में: गली नं. 41 (15 फीट चौड़ा), पूर्व में: अन्य संपत्ति, पश्चिम में: संपत्ति नं. 1303 बी

दिनांक: 10.06.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली बैंक ऑफ इण्डिया

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 12 व 13 के साथ, पठित बैंक एवम् वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसूली की धारा 19(4) के तहत सूचना।

ओ.ए. नं.192/2018 के मामले में

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ....आवेदक

Versus

मैसर्स प्राईम फोम प्रा. लि. एवं अन्य ....प्रतिवादी

(डी-3) मिस दिव्या अलग, निदेशक मैसर्स प्राईम फोम प्रा. लि., निवासी मकान सं.346, सेक्टर-14, वार्ड नं.5, गुड़गाँव (अब गुरुग्राम), हरियाणा-124002.

(डी-4) श्री अमन भाटिया पुत्र श्री विजय भाटिया, निदेशक मैसर्स प्राईम फोम प्रा. लि., निवासी 166, सेक्टर-14, देव पब्लिक स्कूल के निकट, गुड़गाँव (अब गुरुग्राम), हरियाणा-124 002.

(डी-5) लक्ष्य चौंधना पुत्र श्री नरेश कुमार चौंधना, निदेशक मैसर्स प्राईम फोम प्रा. लि., निवासी मकान न.88, होप अपार्टमेन्ट, सेक्टर 15-2, गुड़गाँव (अब गुरुग्राम), हरियाणा-122001.

चूंकि ऊपर नामित आवेदक ने आपके खिलाफ एक मामला शुरू किया है और चूंकि, इस न्यायाधिकरण की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य ढंग से सूचना देना संभव नहीं है। अतः इस विज्ञापन के जरिये आपको निर्देश दिये हुए यह सूचना दी जाती है कि आप 04.07.2019 को पूर्वा. 10:30 बजे इस न्यायाधिकरण में उपस्थित हों।

इस बात पर ध्यान दें कि ऊपर निर्धारित दिन पर इस न्यायाधिकरण के समक्ष आपके उपस्थित न होने की स्थिति में, इस मामले की सुनवाई व निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जाएगा।

09 मई 2019 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मोहर के तहत दिया गया।

न्यायालय की मुहर

अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

4था तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित
प्रवर्तन अधिनियम (यहाँ के बाद अधिनियम वर्णित) के अंतर्गत प्रतिभूत अचल/चल परिसम्पत्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्तियों जिसका अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की लागू होने वाले ब्याज, लागत, चार्जेज आदि के साथ बैंक के बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित रूप में मेगा ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहाँ के बाद नियमावली के रूप में वर्णित) के नियम 9 के अंतर्गत "जैसा है जहाँ है जो कुछ भी वहाँ है तथा उपचार-रहित आधार" पर नीचे वर्णित सम्पत्तियों की बिक्री की जायेगी।

क्रम सं.	शाखा	ऋणधारक/ गारन्टर का नाम	सम्पत्ति के स्वामी	सम्पत्ति का विवरण (सभी सम्पत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है)	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि में बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय/खाता नं. आईएफएससी कोड	प्राधिकृत अधिकारी तथा सम्पर्क नं.
1.	आरओ एसएआरबी नई दिल्ली	मै. प्रिन्टिंग एक्स्प्लोर	श्री ज्ञानी सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह (प्रॉप. मै. प्रिन्टिंग एक्स्प्लोर)	कोणिका मिनोल्टा मल्टी फंक्शनल मॉडल नं. 224 ई-पीकोजेट प्लस का फ्लेक्स प्रिन्टिंग मशीन।	रु. 2031483/- +31.10.2015 से ब्याज, खर्चे तथा उस पर अन्य चार्जेज 6.11.2015	3,65,000/- 36500/- 10000	29.6.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक, खाता नं. 06860400000353, खाता नामः बैंक ऑफ बड़ौदा, आरओएसएआरबी, नई दिल्ली, आईएफएससी-BARB0PUSARO (आईएफएससी में 5वाँ कैरेक्टर 'शून्य' है)	श्री एस.पी. सिंह मो.: 8929031261 011-25781316
2.	आरओ एसएआरबी नई दिल्ली	खाता मै. तेजस पब्लिकेशन द्वारा प्रॉप्राईटर श्रीमती उर्षा विश्ट	सम्पत्ति के स्वामीः श्रीमती उषा विश्ट पत्नी हरदीप विश्ट	शॉप नं. 51, 52 एवं 53, रमणीक मार्केट, तिकोना पार्क के सामने, एनआईटी, फरीदाबाद, जिसमें 2 का माप प्रति 300 वर्ग फीट तथा एक 150 वर्ग फीट	रु. 89,24,014/-(तथा ब्याज, खर्चे एवं अन्य अनुषांगिक चार्जेज आदि) 6.10.2017	4464000 44640/- 25000/-	29.6.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक, खाता नं. 06860400000353, खाता नामः बैंक ऑफ बड़ौदा, आरओएसएआरबी, नई दिल्ली, आईएफएससी-BARB0PUSARO (आईएफएससी में 5वाँ कैरेक्टर 'शून्य' है)	श्री एस.पी. सिंह मो.: 8929031261 011-25781316
3.	आरओ एसएआरबी नई दिल्ली	श्री आनंद प्रकाश ढ़ौडियाल पुत्र काले राम ढ़ौडियाल	सम्पत्ति के स्वामीः श्री आनंद प्रकाश पुत्र काले राम ढ़ौडियाल	पंजीकरण सं. DL 1CV 2107, पंजी. तिथिः 10.2.2015, हाइपोथेकेशनः बैंक ऑफ बड़ौदा व्हीकल मैक एवं मॉडलः स्कोडा रैपिड एम्बिशन प्लस, वैरिएन्ट RAPID, निर्माण वर्षः 2015, व्हीकल क्लासः LMV, प्रयुक्त ईंधन-पेट्रोल, सीटिंग क्षमताः 5, फिटनेस की वैधता 27.9.2031 तक	रु. 7,80,815/- तथा अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य चार्जेज 01.05.2018	3,74,400/- 37,400/- 10000/-	29.6.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक, खाता नं. 06860400000353, खाता नामः बैंक ऑफ बड़ौदा, आरओएसएआरबी, नई दिल्ली, आईएफएससी-BARB0PUSARO (आईएफएससी में 5वाँ कैरेक्टर 'शून्य' है)	श्री एस.पी. सिंह मो.: 8929031261 011-25781316

टिप्पणीः आरक्षित मूल्य के बराबर तथा उससे कम में कोई बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 27.06.2019 के 5.00 बजे अप. तक।
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 13.5.2019 से 27.6.2019, 10 बजे पूर्वा. से 5 बजे अप. तक

यह बिक्री नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
1. यह ई-नीलामी "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है आधार" पर आयोजित की जाएगी।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति के प्रति अधिभार नहीं है। लेकिन, इच्छुक क्रेता अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी अधिभारों, टाईटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/ अधिकारों/ बकायों के विषय में स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लें। ई-नीलामी विज्ञापन को बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का द्योतक नहीं है अथवा उसे उसका द्योतक नहीं माना जाएगा। सम्पत्ति को बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी थर्ड पार्टी दावे/ अधिकारों/ बकायों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. नीलामी-सह-बिक्री का आयोजन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धत्ति द्वारा होगी।
4. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसंपत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित संपत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।
6. प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेंट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम् इन्क्रीमेंटल राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
7. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण ऊपर तालिका में दिया गया है जिसमें तालिका में कॉलम नं. 8 में आईएफएससी कोड का 5वाँ कैरेक्टर 0 "शून्य" है में 27.6.2019 के 5 बजे अप. या पूर्व एनईएफटी/आरटीजीएस/तिथि अंतरण द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट (दिल्ली में भुगतान योग्य) द्वारा किया जाएगा। जमा की गई धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
8. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/ फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर 7.3.2019 को या उससे पूर्व निम्न दस्तावेजों को अपलोड करें:
क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
ख) विधिवत भरी गई बोली प्रपत्र
ग) भारत सरकार द्वारा जारी इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पास्वर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर अपना लागिन आईडी तथा पास्वर्ड बना सकते हैं। यदि लागिन आईडी, पास्वर्ड बनाने, डैटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मै. ई-प्रॉक्योरमेन्ट टेक्नोलॉजीज लि., बी-704-5, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएन्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, संपर्क व्यक्ति श्री राय शर्मा- 06351896834, ई-मेलः Delhi@auctiontiger.net, नितिशि झा- 7982880393, हेल्प लाइन नं.: 079-61200595/ 520/ 548, हेल्पलाइन ईमेल id_support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑन लाइन वेब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर अपलोडिंग तथा सम्पत्ति से संबंधित किसी पूछताछ के लिये आप संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं जिनके सम्पर्क का पता ऊपर दिया गया है किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पास्वर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस/ डीडी द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
10. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
11. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
13. यहां ऊपर क्रम सं. 10 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
14. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
15. सभी सांविधिक देयताओं/ एटेन्डेन्ट चार्जेज/ पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाए का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
16. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
17. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत संपत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, संपत्ति कर के बकाए, बिजली के बकाए आदि सहित संपत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
18. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
19. बैंक, यदि उपयुक्त समझे, किसी एक या अधिक संपत्तियों के लिए बोली कर सकता है। बोलीदाता स्वयं के हित में अंतिम मिनट तथा सैकंड्स की बोली से बचें। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चूक (पावर फैल्यौर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों जैसे पावर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकस्मिकताओं से बच सकें तथा सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज (सीसीए) द्वारा निर्गत नए इंटरोपेरैबिलिटी गाइडलाइन्स के अनुसार ई-प्रापण अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकेट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन नए एल्गोरिथ्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजिटल प्रमाण पत्र SHA 2 पर एल्गोरिथ्म अनुपालक होना चाहिए। इसके लिए यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक-3 के मामले में यदि आपको कोई ईस्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई-नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।

ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगेजर के लिए सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व संपूर्ण अद्यतन ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ऋणधारकों/ गारंटरों से ब्याज तथा लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

स्थानः दिल्ली तिथिः 12.6.2019 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

इंडियन ओवरसीज बैंक

न्यू राजिन्दर नगर शाखा, जे-399/400, न्यू राजिन्दर नगर, शंकर रोड, नई दिल्ली-110060

सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन कर्जदारों/बंधकदाताओं/गारंटरों को मांग सूचना
स्थान : न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली तिथि : 06-06-2019
सेवा में, पंजीकृत पावती डाक द्वारा

क्र. सं.	कर्जदार (नाम और पूरा पता)	क्र. सं.	गारंटर (नाम और पूरा पता)
1.	1. मैसर्स डिजी एक्सपोर्ट वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार एवं बंधकदाता) इसके निदेशकों के माध्यम से क) श्री अमरजीत सिंह कालरा ख) श्रीमती जगजीत कौर कालरा ग) श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा **पंजीकृत कार्यालय** : डब्ल्यूजैड-15/बी, द्वितीय तल, उग्रसेन मार्केट, अशोक नगर, नई दिल्ली-110018 **फैक्टरी** : प्लॉट नंबर डी-151, जीएनईपीआईपी साइट-5, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया-5, कासना, ग्रेटर नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश	2.	श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र श्री एस सुरिन्दर सिंह कालरा : सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015
		3.	श्रीमती जगजीत कौर कालरा पत्नी श्री एस सुरिन्दर सिंह कालरा : सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015
		4.	श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा : सी-130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015

प्रिय महोदय/महोदया

विषय : इंडियन ओवरसीज बैंक, न्यू राजिन्दर नगर शाखा में आपकी क्रेडिट सुविधाएं

1. आप, हमारे बैंक के उपरोक्त नामक कर्जदारों, ने हमारी न्यू राजिन्दर नगर शाखा से निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की हैं : क्रेडिट सुविधाओं तथा बकाया राशियों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	सुविधा का प्रकार	लिमिट (रू. में)	ब्याज की दर (अतिदेय ब्याज सहित) एवं अंतराल	कुल बकाया [*] 31-05-2019 तक
01	पैकिंग क्रेडिट विदेशी मुद्रा में (पीसीएफसी) पुष्ट आदेश/एलसी के विरूद्ध 90 दिन तक की लिमिट	6,00,00,000.00 (रू. छह करोड़ मात्र)	3 माह एलआईबीओआर + 3.50 प्रतिशत मासिक अंतराल पर	रू. 5,35,25,614.26
01	डीपी/उपयोग पर विदेशी बिल्स डिस्काउन्टिंग एलसी/एनएलसी के अधीन 90 दिन तक की लिमिट	10,00,00,000.00 (रू. दस करोड़ मात्र)	3 माह एलआईबीओआर + 3.50 प्रतिशत मासिक अंतराल पर	रू. 8,87,61,239.48
01	पुष्पक स्कीम के तहत वाहन ऋण 034103452000003	2,80,000.00 (रू. दो लाख अस्सी हजार मात्र)	एक वर्ष एमसीएलआर + 0.50 प्रतिशत मासिक अंतराल पर	रू. 62,907.00
01	पुष्पक स्कीम के तहत वाहन ऋण 034103452000004	3,89,000.00 (रू. तीन लाख नवासी हजार मात्र)	एक वर्ष एमसीएलआर + 0.50 प्रतिशत मासिक अंतराल पर	रू. 97,695.00
	योग			रू. 14,24,47,455.74

[*] उपरिवर्णित तिथि से भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर/अंतरालों पर आगे ब्याज सहित देय होगी।
क्र. सं. 2, 3 एवं 4 के अधीन संदर्भित उपरोक्त नामक गारंटरों ने गारंटी दिनांकित 03-04-2018 निष्पादित की है और उसके द्वारा उस समय अथवा उसके पश्चात किसी भी समय कर्जदारों द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक को देय कुलयोग क्रेडिट लिमिट तथा सहमत दर पर ब्याज, प्रभार इत्यादि सहित देय सभी राशियां मांग पर भुगतान करने तथा सभी दायित्वों एवं देयताओं का निर्वहन करने की गारंटी दी है।
क्रेडिट सुविधाएं क्रम संख्या 1 पर वर्णित कर्जदार/बंधकदाता के नाम में निम्नवर्णित परिसम्पत्तियों के बंधक/दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत की गई थीं।
आप क्रम संख्या 2, 3 एवं 4 के अधीन वर्णित गारंटरों ने क्रेडिट सुविधाओं हेतु व्यक्तिगत गारंटी दी है।
आप ने आपके द्वारा निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से निम्न संव्यवहारों के अधीन देयताएं समय समय पर स्वीकार की हैं।
2. उपरोक्त क्रेडिट सुविधाओं हेतु बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण :

प्रतिभूति का प्रकार (दृष्टिबंधन/बंधक इत्यादि)	प्रतिभूतियों का विवरण (पूर्ण विवरण, अवस्थिति, चार सीमाओं, चार साइड्स पर परिमाप, कुल विस्तार तथा स्वामी के नाम सहित)
1. दृष्टिबंधन	1. कम्पनी के रॉ मैटीरियल/वर्क इन प्रोग्रेस एवं फिनिश्ड गुड्स के सम्पूर्ण स्टॉक तथा बुक डैट्स का दृष्टिबंधन। 2. माल के स्वामित्व दस्तावेज, 3. कम्पनी की सम्पूर्ण चालू आस्तियों पर प्रथम प्रभार, 4. विनिमय के स्वीकृत बिल्स, 5. टर्म लोन्स से खरीदी गई कारों का दृष्टिबंधन : क) कार 1 - रीनॉल्ट क्विड रजि. नंबर DL88CAQ1795 चेसिस नंबर MEEBBA006GC448454 इंजन नंबर E027280 ख) कार 2 - टाटा नैनो रजि. नंबर DL3CCL6850 चेसिस नंबर AT612277GKB04297, इंजन नंबर 273MPFI12ATYK01360
2. बंधन	कम्पनी के नाम में ग्राम तिहाड़, कालोनी बिन्द्रा मार्केट के नाम से मशहूर, संतपुरा तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 में प्लॉट नंबर डब्ल्यूजैड -14ए पर भू तल पर पूरब की ओर अवस्थित सम्पत्ति (छत का अधिकार नहीं) का साम्यिक बंधक। क्षेत्रफल : 100 वर्ग गज, **चौहद्दी :** पूरब : सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड 13ए (अन्य की सम्पत्ति), पश्चिम : सम्पत्ति सं. 14 बी (सम्पत्ति का शेष भाग), उत्तर : 20 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड 15 बी तथा डब्ल्यूजैड 15सी
3. बंधन	कम्पनी के नाम में ग्राम तिहाड़, कालोनी बिन्द्रा मार्केट के नाम से मशहूर, संतपुरा तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 में प्लॉट नंबर डब्ल्यूजैड -14ए पर प्रथम तल पर पूरब की ओर अवस्थित सम्पत्ति (छत का अधिकार नहीं) का साम्यिक बंधक। क्षेत्रफल : 900 वर्ग फीट, **चौहद्दी :** पूरब : सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड 13ए (अन्य की सम्पत्ति), पश्चिम : सम्पत्ति सं. 14 बी (सम्पत्ति का शेष भाग), उत्तर : 20 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड 15 बी तथा डब्ल्यूजैड 15सी
4. बंधन	कम्पनी के नाम में मीनाक्षी गार्डन, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110018 में प्लॉट नंबर 22एचबी/20/21 खसरा नंबर 282 पर भू तल पर सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड-40बी-1ए/डब्ल्यूजैड-40बी-1बी/तथा डब्ल्यूजैड-40बी-1सी (समामेलित) का साम्यिक बंधक। क्षेत्रफल : 1) 640 वर्ग फीट, 2) 700 वर्ग फीट, 3) 720 वर्ग फीट चौहद्दी : पूरब : अन्य की सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड-40बी, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजैड-40/1, उत्तर : मेन नजफगढ़ रोड, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति
5. बंधन	कम्पनी के नाम में प्लॉट नंबर डी-151, जीएनईपीआईपी साइट-5, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया-5, कासना, ग्रेटर नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश में स्थित औद्योगिक प्लॉट तथा उस पर बिल्डिंग का साम्यिक बंधक। प्लॉट क्षेत्रफल : 1149.50 वर्ग मीटर, निर्माण क्षेत्रफल : बेसमेंट : 5800 वर्ग फीट, भू तल : 5800 वर्ग फीट, प्रथम तल : 4050 वर्ग फीट, चौहद्दी : पूरब : रोड नंबर 24 (18 मीटर चौड़ी रोड), पश्चिम : सम्पत्ति सं. डी-142, उत्तर : सम्पत्ति सं. डी-152, दक्षिण : सम्पत्ति सं. डी-150,
6. बंधन	डिजी एक्सपोर्ट वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम खाली और अनिर्मित आवासीय प्लॉट नंबर 171, ब्लॉक सी-10, यमुना विहार, दिल्ली का साम्यिक बंधक। प्लॉट क्षेत्रफल : 69.720 वर्ग मीटर, **चौहद्दी :** पूरब : प्लॉट नंबर 170, पश्चिम : प्लॉट नंबर 172, उत्तर : रोड, दक्षिण : रोड

** बैंक का उपरिवर्णित ग्राह्य प्रतिभूतियों के विरूद्ध सरफासी अधिनियम के तहत कार्यवाही के अन्य उपलब्ध कानूनी तरीकों के प्रयोग का अधिकार सुरक्षित है।

4. उपरोक्त नामक कर्जदारों द्वारा प्रधान ऋण/ब्याज के सहमत शर्तों के अनुरूप भुगतान में चूकों के परिणामस्वरूप आपका ऋण खाता भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा निर्देशो के अनुसार दिनांक 31-03-2019 को 21-11-2018 की प्रभावी तिथि से अनार्जक परिसम्पत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है। आपको अपना खाता नियमित करने हेतु हमारे अनेक अनुस्मारकों के बावजूद आपने बकाया ऋण उस पर ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया है।
5. चूंकि क्र. सं. 1 पर वर्णित आप उपरिसंदर्भित कर्जदार उपरोक्त विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा सम्यक् प्रतिभूत क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में देयताओं की पूर्ति करने में असफल रहे हैं तथा आपका खाता अनार्जक परिसम्पत्ति के रूप में सूचीबद्ध किए जाने पर, हम एतद्द्वारा आपको (मैसर्स डिजी एक्सपोर्ट वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड) को दी गई अपनी अग्रिम राशियां रद्द करते हैं तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस देते हुए ऊपर पैरा 1 में दिए अनुसार बैंक की कुल बकाया राशि रू. 14,24,47,455.74 आगे ब्याज, 3 माह एलआईबीओआर + 3.50 प्रतिशत पीसीएफसी एवं आरयूबीएफ के लिए(और प्रीशिपमेंट तथा पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट हेतु लागू सर्कुलर्स के अनुसार) तथा पुष्पक कार लोन्स के लिए एक वर्ष एमसीएलआर + 050 प्रतिशत के साथ मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि + 2 प्रतिशत अतिदेय ब्याज जैसाकि सहमत किया गया है, उपरिवर्णित तिथि से, इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग करते हैं।
6. उपरोक्त नामक बंधकदाता/गारंटर नंबर 2, गारंटर नंबर 3 और गारंटर नंबर 4 ने कर्जदारों द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधाओं के प्रतिभुगतान हेतु वचन/गारंटी दी है और उक्त क्रेडिट सुविधाओं की प्रतिभूति हेतु इसमें वर्णित सम्पत्तियां भी दी हैं। चूंकि कर्जदारों ने प्रतिभुगतान में चूक की है, अतः बंधकदाता/गारंटर गारंटी के अनुसार हमको बैंक के ऋण/क्रेडिट सुविधाओं की कुल बकाया राशि रू. 14,24,47,455.74 आगे ब्याज, 3 माह एलआईबीओआर + 3.50 प्रतिशत पीसीएफसी एवं आरयूबीएफ के लिए(और प्रीशिपमेंट तथा पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट हेतु लागू सर्कुलर्स के अनुसार) तथा पुष्पक कार लोन्स के लिए एक वर्ष एमसीएलआर + 050 प्रतिशत के साथ मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि + 2 प्रतिशत अतिदेय ब्याज जैसाकि सहमत किया गया है, और हम श्री अमरजीत सिंह कालरा, श्रीमती जगजीत कौर कालरा पत्नी श्री एस सुरिन्दर सिंह कालरा श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा के संबंध में गारंटी रद्द करते हैं तथा हम आपसे उक्त राशि का भुगतान इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग करते हैं। कृपया सूचित हों कि गारंटरों की जिम्मेदारी कर्जदारों की जिम्मेदारी के साथ समान रूप से होती है।
7. हम मैसर्स डिजी एक्सपोर्ट वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार), श्री अमरजीत सिंह कालरा, श्रीमती जगजीत कौर कालरा पत्नी श्री एस सुरिन्दर सिंह कालरा श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा (गारंटर) को आगे सूचना देते हैं कि यदि आप उपरोक्त राशि भुगतान की तिथि तक ब्याज और प्रभारों इत्यादि सहित चुकाने में असफल रहेंगे तो हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत हमको प्राप्त सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेंगे।
8. कृपया नोट करें कि कानून के अनुसार कर्जदार और गारंटर उक्त बकाया राशि आगे ब्याज और प्रभारों इत्यादि सहित चुकाने के लिए संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं।
9. कृपया नोट करें कि पूर्ण भुगतान किए जाने तक प्रत्येक क्रेडिट सुविधा पर ब्याज, सहमत दरों तथा अंतरालों पर, उद्भूत होना जारी रहेगा।
10. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके निबन्धनों में आप हमारी लिखित पूर्व-सहमति प्राप्त किए बिना, उपरोक्त प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण/अधिकार हस्तांतरण/स्थानांतरण उसकी बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि उक्त अधिनियम में दिए गए प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों का गैर-अनुपालन/उल्लंघन, एक अपराध है, जो अधिनियम की धारा 29 के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा/अथवा आर्थिक दंड द्वारा दंडनीय है।
11. क्र. सं. 2, 3 और 4 पर वर्णित गारंटरों ने उक्त कर्जदारों के ऋणों की प्रतिभूति हेतु व्यक्तिगत गारंटी दी है और अतएव हम आपको कर्जदारों पर हमारी मांग के अनुसार बकाया राशि के भुगतान के लिए दबाव डालने की सलाह देते हैं क्योंकि आपकी व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर हमें बकाया राशि की वसूली के लिए कर्जदार के साथ आपसे पृथकतः अग्रिम राशि वापस मांगने, आपके विरूद्ध कार्यवाही करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।
12. हम आपको यह भी सूचना देते हैं कि यदि उक्त खाता निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमित नहीं किया जाता है/भुगतान नहीं किया जाता है और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक आपको साशय चूककर्ता घोषित करता है, तो बैंक का, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके नाम, पता, चूक के विवरण सहित आपका फोटो समाचारपत्र (समाचारपत्रों) में प्रकाशित करवाने के अतिरिक्त वसूली के उपलब्ध सभी उपाय करने का अधिकार सुरक्षित है।
13. हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि यह मांग सूचना, हमको उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए प्राप्त हमारे किसी भी अन्य अधिकार अथवा उपायों तथा आपके द्वारा देय बकाया के संबंध में आगे मांग करने के अधिकार को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगी तथा उनका अधित्याग नहीं मानी जाएगी।
14. इसके अतिरिक्त, प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

आपका विश्वासभाजन, (अनिल कुमार)
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATION 13(4) AND 15(2) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

Gujchem Distillers India Limited

Corporate Identification Number: L24230GJ1939PLC002480)
Registered Office: Office No. 6, 2nd Floor, National Chambers Nr. City Gold, Ashram Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India.
Tel. No. +91-79-26580893, Email: gujchemdistillers@gmail.com; Web: www.gujchemdistillers.com

OPEN OFFER ("THE OFFER") FOR ACQUISITION OF UPTO 42,091 (FORTY-TWO THOUSAND AND NINETY-ONE) EQUITY SHARES OF ₹10 EACH CONSTITUTING 26% OF EQUITY SHARE & VOTING CAPITAL ("OPEN OFFER SHARES") OF GUJCHEM DISTILLERS INDIA LIMITED ("THE TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS IN CASH AT A PRICE OF ₹120 PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") BY MR. SAGAR SAMIR SHAH ("ACQUIRER 1") AND MRS. RAJASVEE SAGAR SHAH ("ACQUIRER 2") (ACQUIRER 1 AND ACQUIRER 2 ARE JOINTLY REFERRED TO AS THE "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATION 3(1) AND 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AS AMENDED ("THE SEBI (SAST) REGULATIONS").

This Detailed Public Statement ("DPS") is being issued by Systematix Corporate Services Limited ("Manager to the Offer") on behalf of the Acquirers, in compliance with Regulation 13(4) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("the SEBI (SAST) Regulations") pursuant to the Public Announcement dated June 04, 2019 ("PA") in relation to this Offer, filed with the BSE Limited, Mumbai ("BSE") and subsequently filed with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and sent to the Target Company at its registered office in terms of Regulation 3(1) and 4 and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

DEFINITIONS

i. **"Equity Shares"** means the fully paid up equity shares of the Target Company of face value of ₹10 (Rupees Ten Only) each.

ii. **"Equity Share & Voting Capital"** means total voting equity share capital of the Target Company consisting of 1,61,885 Equity Shares of ₹10/- each. Each Equity Share confers to one voting rights in the Target Company.

iii. **"Offer Period"** means the period between the date on which the SPA was executed and the date on which the payment of consideration to the eligible shareholders whose Equity Shares are validly accepted in this Offer, is made, or the date on which this Offer is withdrawn, as the case may be.

iv. **"Shareholders"** means the public shareholders of the Target Company excluding parties to the SPA (defined below) and the persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA.

v. **"Sellers"** means Mrs. Hem Manish (**"Seller 1"**), Mrs. Devika Navnitlal (**"Seller 2"**), Mrs. Bela Sandip (**"Seller 3"**), Mrs. Hemangini Sameer Sinha (**"Seller 4"**) and Mrs. Chaula Navnitlal (**"Seller 5"**) altogether.

vi. **"SPA"** means the Share Purchase Agreement dated June 04, 2019 whereby 84,329 (Eighty Four Thousand Three Hundred and Twenty-Nine) Equity Shares (**"SPA Shares"**) agreed to be acquired by the Acquirers at a price of ₹ 120.00 (Rupees One Hundred and Twenty only) per Equity Share (the **"Negotiated Price"**) aggregating to₹1,01,19,480 (Rupees One Crore One Lakh Nineteen Thousand Four Hundred and Eighty only) (**"SPA Consideration"**) from the Sellers who are also the current promoters of the Target Company.

I. ACQUIRERS, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER

A. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRERS:

1. Mr. Sagar Samir Shah ("Acquirer 1")

1.1 Mr. Sagar Samir Shah S/o Mr. Samir Rohitkumar Shah is a 28 year old Resident Indian residing at 2/3, Suyog Bunglows, Prahladnagar, Ahmedabad-380051, Gujarat. Tel. No. +91-9998933378; Email: sagarsamirshah1997@gmail.com. Acquirer 1 has done Masters in Science (Integrated) in Biotechnology from Sardar Patel University, Gujarat and Sustainable Waste Management from University of Central Lancashire, UK. Acquirer 1 has not changed / altered his name at any point of time during his life. Acquirer 1 carries a valid passport of Republic of India and also holds a Permanent Account Number ("PAN") in India. Acquirer 1 has around 4 years of experience in waste management.

1.2 Acquirer 1 does not belong to any group.

1.3 The entities promoted/controlled/managed by the Acquirer 1 are disclosed as under:

Name of the entity	CIN/LLPIN	Designation
Felix Industries Limited	L40103GJ2012PLC072005	Promoter
PSL Recycling Private Limited	U37200GJ2019PTC108362)	Director
Seltron Resource Solutions	LLP AAF-9766	Designated Partner

1.4 Acquirer 1 does not hold any Equity Shares of the Target Company as on date of this DPS.

1.5 Ashit N. Shah (Membership No. 036857), Proprietor of M/s Ashit N. Shah & Co., Chartered Accountants (Firm Registration No. 100624W), having their office located at 1, Shantinath Apartment, Shantisadan Society, B/H. Doctor House, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006, Gujarat, India Tel. No. +91-79-26402811; Email: ashitnshah@hotmail.com, has certified vide certificate dated May 14, 2019 that the net worth of Acquirer 1 as on March 31, 2019 is ₹3,57,01,726 (Rupees Three Crore Fifty-Seven Lakh One Thousand Seven Hundred and Twenty-Six only).

1.6 As of the date of this DPS, Acquirer 1 does not have any interest in the Target Company, save and except the proposed shareholding to be acquired in the Target Company pursuant to the SPA and subsequent Open Offer Shares and Control of the Target Company.

2. Mrs. Rajasvee Sagar Shah ("Acquirer 2")

2.1 Mrs. Rajasvee Sagar Shah w/o Mr. Sagar Samir Shah is a 25 year old Resident Indian residing at 2/3, Suyog Bunglows, Prahladnagar, Ahmedabad - 380051, Gujarat. Tel. No. +91- 9825326167; Email: rajasveeeshah@gmail.com. Acquirer 2 has done Masters in food and nutrition from Gujarat University. Acquirer 2 has changed / altered her maiden name from Rajasvee Sandip Shah to Rajasvee Sagar Shah post marriage. Acquirer 2 carries a valid passport of Republic of India and also holds a PAN in India. Acquirer 2 has around 2 years of experience in fields of production and distribution of food and nutrition.

2.2 Acquirer 2 does not belong to any group.

2.3 The entities promoted/controlled/managed by the Acquirer 2 are disclosed as under:

Name of the entity	LLPIN	Designation
Seltron Resource Solutions LLP	AAF-9766	Designated Partner

2.4 Acquirer 2 does not hold any Equity Shares of the Target Company as on date of this DPS.

2.5 Parth S. Bhavsar (Membership No. 167904), Proprietor of M/s. Parth S. Bhavsar & Co., Chartered Accountants (Firm Registration No. 145380W), having their office located at 408, Harekrishna Complex, Opp. Kothawal Flats, Ashram Road, Ahmedabad – 380006, Gujarat, India. Tel. No. 9974092166; Email: caparth77@icai.org, has certified vide certificate dated May 16, 2019 that the net worth of Acquirer 2 as on March 31, 2019 is ₹68,74,539 (Rupees Sixty-Eight Lakhs Seventy-Four Thousand Five Hundred and Thirty-Nine only).

2.6 As of the date of this DPS, Acquirer 2 does not have any interest in the Target Company, save and except the proposed shareholding to be acquired in the Target Company pursuant to the SPA and subsequent Open Offer Shares and Control of the Target Company.

3. Joint Undertakings / Confirmation by the Acquirers

3.1 There is no person acting in concert with the Acquirers within the meaning of 2(1)(q)(1) of SEBI (SAST) Regulations.

3.2 Neither the Acquirers nor any of the entities with which they are associated, are in Securities related business and registered with SEBI as a Market Intermediary.

3.3 Based on the information available, none of the Acquirers are in the list of 'wilful defaulters' issued by any bank, financial institution, or consortium thereof in accordance with guidelines on wilful defaulters issued by RBI.

3.4 The Acquirers have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992 (**"SEBI Act"**) or under any other regulations made under the SEBI Act.

3.5 Based on the information available, none of the Acquirers have been declared as a fugitive economic offender under section 12 of Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) as per Regulation 2(1) (ja) of SEBI (SAST) Regulations.

3.6 The Acquirers undertake that if they acquire any Equity Shares of the Target Company during the Offer Period, they will inform to the Stock Exchange and the Target Company within 24 hours of such acquisitions and they will not acquire any Equity Shares of the Target Company during the period between three working days prior to the commencement of the Tendering Period (**"TP"**) and until the closure of the TP in accordance with Regulation 18(6) of SEBI (SAST) Regulations.

3.7 The Acquirers undertake not to sell the Equity Shares of the Target Company held by it during the "Offer Period" in terms of Regulation 25(4) of the SEBI (SAST) Regulations.

3.8 All Open Offer Shares will be subscribed by the Acquirers as mutually agreed post closure of the Tendering Period. However, no formal agreement has been entered into for acquisition of Open Offer Shares between the Acquirers.

B. INFORMATION ABOUT THE SELLERS

1. Mrs. Hem Manish ("Seller 1")

1.1 Seller 1 is Managing Director and part of the promoter group of the Target Company residing at 103, Olive Grace, Opp. AMA Behind IIM, Ambawadi, Ahmedabad – 380015, Gujarat, India.

1.2 Seller 1 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the SEBI Act, or under any of the regulations made under the SEBI Act.

1.3 Seller 1 holds 61,727 Equity Shares of the Target Company representing 38.13% of the Equity Share and Voting Capital of the Target Company. In terms of the SPA, Seller 1 has agreed to sell her entire shareholding of 61,727 Equity Shares, representing 38.13% of the Equity Share and Voting Capital of the Target Company.

2. Mrs. Devika Navnitlal ("Seller 2")

2.1 Seller 2 is an Individual and part of the promoter group of the Target Company residing at 102 Coral, Popular Domain, Opp. Rajpath Club, Nr. Dev Ashish School, Satellite, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India.

2.2 Seller 2 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the SEBI Act, or under any of the regulations made under the SEBI Act.

2.3 Seller 2 holds 10,028 Equity Shares of the Target Company representing 6.19% of the Equity Share and Voting Capital of the Target Company. In terms of the SPA, Seller 2 has agreed to sell her entire shareholding of 10,028 Equity Shares, representing 6.19% of the Equity Share and Voting Capital of the Target Company.

3. Mrs. Bela Sandip ("Seller 3")

3.1 Seller 3 is an Individual and part of the promoter group of the Target Company residing at Saumya, Opp. Manjit Society, Behind Shahibaug Post Office, Shahibaug, Ahmedabad-380004, Gujarat, India.

3.2 Seller 3 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the SEBI Act, or under any of the regulations made under the SEBI Act.

3.3 Seller 3 holds 5,305 Equity Shares of the Target Company representing 3.28% of the Equity Share and Voting Capital of the Target Company. In terms of the SPA, Seller 3 has agreed to sell her entire shareholding of 5,305 Equity Shares, representing 3.28% of the Equity Share and Voting Capital of the Target Company.

4. Mrs. Hemangini Sameer Sinha ("Seller 4")

4.1 Seller 4 is an Individual and part of the promoter group of the Target Company residing at 14, New Vaishali Society, Nr Ashish, Opp. Rajpath Club, Satellite, Ahmedabad-380015, Gujarat, India.

4.2 Seller 4 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the SEBI Act, or under any of the regulations made under the SEBI Act.

4.3 Seller 4 holds 4,476 Equity Shares of the Target Company representing 2.76% of the Equity Share and Voting Capital of the Target Company. In terms of the SPA, Seller 4 has agreed to sell her entire shareholding of 4,476 Equity Shares, representing 2.76% of the Equity Share and Voting Capital of the Target Company.

5. Mrs. Chaula Navnitlal ("Seller 5")

5.1 Seller 5 is an Individual and part of the promoter group of the Target Company residing at 102 Coral, Popular Domain, Opp. Rajpath Club, Nr. Dev Ashish School, Satellite, Ahmedabad- 380015, Gujarat, India.

5.2 Seller 5 has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the SEBI Act, or under any of the regulations made under the SEBI Act.

5.3 Seller 5 holds 2,793 Equity Shares of the Target Company representing 1.73% of the Equity Share and Voting Capital of the Target Company. In terms of the SPA, Seller 5 has agreed to sell her entire shareholding of 2,793 Equity Shares, representing 1.73% of the Equity Share and Voting Capital of the Target Company.

6. Post successful completion of the Offer, the total shareholding of the Sellers in the Target Company would become "NIL".

7. The SPA Shares held by the Sellers are in dematerialized form.

C. BACKGROUND OF THE TARGET COMPANY (GUJCHEM DISTILLERS INDIA LIMITED)

1. The Target Company was incorporated on April 04,1939 under the State of Baroda under Baroda State Companies Act of 1918 as "Sardesai Brothers Private Limited". Subsequently, it was converted into a Public Limited Company vide fresh certificate of incorporation dated March 01,1961 and the name was changed to "Sardesai Brothers Limited". Consequently, the name of our Company was changed to "Gujchem Distillers India Limited" and fresh 'Certificate of Incorporation' dated September 12,, 1974 was issued by the Registrar of Companies, Gujarat. The CIN of the Target Company is L24230GJ1939PLC002480.

2. The Registered Office of the Target Company is situated at Office No. 6, 2nd Floor, National Chambers, Nr. City Gold, Ashram Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India. Tel. No. +91-79-26580893, Email: gujchemdistillers@gmail.com, Web: www.gujchemdistillers.com.

3. The Target Company is mainly involved in manufacturing of Industrial Chemicals such as Chemicals for Textile Industry, Synthetic Resins, Sodium Carboxy Methyl Cellulose (Na-CMC), 2,4 Dichloro phenoxy Acetic Acid, Industrial Alcohol, Monochloro Acetic Acid (MCA), Acetaldehyde, Acetic Acid and such others.

4. The Equity Shares of the Target Company are currently listed on the BSE Ltd, Mumbai ("BSE") having a Scrip Code as 506640 and Ahmedabad Stock Exchange Limited ("ASE") and the ISIN of Equity Shares of the Target Company is INE218N01013. The Equity Shares of the Target Company are currently not suspended from trading on BSE and ASE. However, ASE has been derecognized by SEBI Exit Order dated April 02, 2018.

5. As of the date of this DPS, there are no: (i) partly paid-up Equity Shares; and (ii) outstanding convertible instruments (warrants/ fully convertible debentures/ partially convertible debentures) issued by the Target Company. Further, there is no differential pricing for the Offer.

6. The key financial information of the Target Company based on its audited financials as at and for the 12 (twelve) months period ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 are as follows:

(₹ Lakh except EPS)

Particulars	For the year ended March 31, 2019	For the year ended March 31, 2018	For the year ended March 31, 2017
	Audited	Audited	Audited
Total Revenue (incl. Other Income)	25.70	28.31	35.38
Net Profit After Tax	(45.74)	(37.99)	(46.37)
EPS (Basic & Diluted)	(28.25)	(23.47)	(28.65)
Networth / Shareholders' Funds	391.84	437.59	475.58

Source: BSE

D. Details of the Offer

1. This Offer is being made under Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations to all the Shareholders of the Target Company.

2. This Offer is being made by the Acquirers to acquire up to 42,091 (Forty Two Thousand and Ninety-One) Equity Shares (**"Open Offer Shares"**) of the face value of ₹10/- each representing 26% of the fully Equity Share & Voting Capital of the Target Company at the **"Offer Price"** of ₹120 (Rupees One Hundred and Twenty only) per Equity Share payable in **"Cash"**, aggregating to a total consideration of approximately ₹50,50,920 (Rupees Fifty Lakh Fifty Thousand Nine Hundred and Twenty only) (**"Offer Consideration"**) and subject to the terms and conditions set out in the DPS and the Letter of Offer (**"LOF"**).

3. The Offer is being made to all the Shareholders of the Target Company except parties to the SPA. The Equity Shares of the Target Company under the Offer will be acquired by the Acquirers as fully paid-up, free from any lien, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.

4. The Offer is neither conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of the SEBI (SAST) Regulations nor it is a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. Also, there is no differential pricing in this Offer as all the Equity Shares of the Target Company are fully paid-up.

5. As on the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirers, except as mentioned in paragraph VI of this DPS, there are no statutory approvals that are required by the Acquirers to complete this Offer. However, in case of any further statutory approvals are required by the Acquirers or become applicable at a later date prior to the completion of the Offer, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such statutory approvals. In the event that such statutory approvals are refused for any reason outside the reasonable control of the Acquirers, the Acquirers shall have the right to withdraw this Offer in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of withdrawal of this Offer, a public announcement will be made within 2 (two) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to BSE, SEBI and the Target Company at its registered office.

6. The Offer (assuming full acceptance to the Offer Size) will result in the minimum public shareholding (**"MPS"**) to fall below 25% of Equity Share & Voting Capital of the Target Company in terms of Regulation 38 of the Listing Regulations read with Rule 19A(1) of the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 (**"SCRR"**). If the MPS falls below 25% of the Equity Share & Voting Capital, the Acquirers will comply with the provisions of Regulation 7(4) of the SEBI (SAST) Regulations to maintain the MPS in accordance with the SCRR and the applicable laws.

7. In terms of Regulation 25(2) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers do not currently have any intention to alienate, restructure, dispose of or otherwise encumber any assets of Target Company in the succeeding two years from the completion of this Offer, except in the ordinary course of business and other than as already agreed, disclosed and / or publicly announced by Target Company. Notwithstanding anything contained herein and except with the prior approval of the Shareholders of Target Company through a special resolution, passed by way of postal ballot, the Acquirers undertake that they will not restructure, sell, lease, dispose of or otherwise encumber any substantial assets of Target Company other than in the ordinary course of business and other than as already agreed, disclosed and / or publicly announced by Target Company.

8. The Manager to the Offer does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of appointment as Manager to the Offer and as on the date of this DPS. The Manager to the Offer further declares and undertakes that it shall not deal in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of its appointment as Manager to the Offer till the expiry of 15 days from the date of closure of this Open Offer.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1. This Offer is a mandatory open offer being made by the Acquirers in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations pursuant to the execution of SPA to acquire in excess of 25% of the equity share capital of the Target Company and control over the Target Company.

2. The SPA was executed on June 04, 2019, pursuant to execution of the SPA for acquisition of 84,329 (**"SPA Shares"**) Equity Shares of the Target Company aggregating to 52.09% of the Equity Share & Voting Capital of the Target Company at a price of ₹120/- (Rupees One Hundred and Twenty only) per Equity Share for an overall consideration amount of ₹1,01,19,480 (Rupees One Crore One Lakh Nineteen Thousand Four Hundred and Eighty only) (**"SPA Consideration"**).

3. Salient features of the Share Purchase Agreement:

3.1 The SPA sets forth the terms and conditions agreed between the Sellers, the Acquirers, and their respective rights and obligations.

3.2 Pursuant to SPA, Acquirer 1 shall acquire 42,165 Equity Shares and Acquirer 2 shall acquire 42,164 Equity Shares.

3.3 Apart from the total consideration of ₹1,01,19,480 (Rupees One Crore One Lakh Nineteen Thousand Four Hundred and Eighty only) for the Sale Shares, no separate fees, payment, premium such as non-competing fee etc. shall be paid by Acquirers to the Sellers for acquisition of the Sale Shares and management control of the Company.

3.4 Acquirers have paid a sum of ₹ 20,00,000/-(Rupees Twenty Lakh only) being 20% of the total consideration for the Sale Shares on the date of the SPA to the Seller as a token amount and balance amount will be paid on completion of the open offer period.

4. The Acquirers shall achieve substantial acquisition of Equity Shares and voting capital, accompanied with effective management control over the Target Company after completion of the proposed Open Offer. The main object of this acquisition is to acquire substantial stake and management control of the Target Company in compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

5. The Acquirers intend to seek reconstitution of Board of Directors of the Target Company after successful completion of this Offer. However, no firm decision in this regard has been taken or proposed so far.

6. The Acquirers may continue the existing line of business of the Target Company if members' approval is not obtained or may diversify business activities in future subject to prior approval/consent of the shareholders and subject to approval of the requisite statutory authorities. However, depending on the requirements and expediency of the business situation and subject to the provisions of the Companies Act, 2013, Memorandum and Articles of Association of the Target Company and all applicable laws, rules and regulations, the Board of Directors of the Target Company will take appropriate business decisions from time to time in order to improve the performance of the Target Company. The Acquirers cannot ascertain the repercussions, if any, on the employees and locations of the business place of Target Company.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The current and proposed shareholding of the Acquirers in the Target Company and the details of the acquisition are as follows:

Details	The Acquirers	
Particulars	No. of Equity Shares	% of Equity Share & Voting Capital
Shareholding as on the PA date	Nil	Nil
Shares acquired between the Public Announcement date and the DPS date	Nil	Nil
Shareholding as on the DPS date	Nil	Nil
Shareholding after completion of acquisitions under the SPA (based on Equity Share & Voting Capital)	84,329	52.09
Shares to be acquired in the Offer [assuming full acceptance]	42,091	26.00
Post Offer shareholding [assuming full acceptance] (On diluted basis, as on 10th working day after closing of Tendering Period)	**1,26,420**	**78.09**

IV. OFFER PRICE

1. The Equity Shares of the Target Company are currently listed on BSE and ASE. The Equity are of the Target Company are currently traded on BSE only. The Equity Shares of the Target Company are frequently traded on BSE within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations.

2. The annualized trading turnover of the Equity Shares of the Target Company on BSE based on trading volume during twelve calendar months preceding the month of PA (June 2018 to May 2019) is given below:

Name of the Stock Exchange	Total number of Equity Shares traded during twelve calendar months preceding the month of PA	Total Number of Listed Equity Shares on Stock Exchange	Trading Turnover (in terms of % to Total Listed Equity Shares)
BSE	28,047	1,61,885	17.33

Source: www.bseindia.com

3. The Offer Price of ₹120/- (Rupees One Hundred and Twenty only) per Equity Share is justified in terms of Regulation 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations as it is higher of the following:

(a)	Highest Negotiated Price per equity share for any acquisition under the Agreement (SPA) attracting the obligation to make the PA	₹120.00
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition during the 52 week immediately preceding the date of the PA	Not Applicable
©	The highest price paid or payable for any acquisition during 26 weeks period immediately preceding the date of PA	Not Applicable
(d)	The volume-weighted average market price for a period of 60 trading days immediately preceding the date of PA on BSE	₹ 90.59
(e)	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirers Not Applicable and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies.	Not Applicable

4. There have been no corporate actions in the Target Company warranting adjustment of relevant price parameters.

5. If the Acquirers acquire Equity Shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the closure of TP at a price higher than the Offer Price, then the Acquirers shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all shareholders whose Equity Shares have been accepted in this Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another open offer under the SEBI (SAST) Regulations, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchanges, not being negotiated acquisition of Equity Shares of the Target Company in any form.

6. As on date of this DPS, there is no revision in the Offer Price or Offer Size. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirers will comply with all the provisions of the Regulation 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations which are required to be fulfilled for the said revision in the Offer Price or Offer Size.

7. If there is any revision in the Offer Price on account of future purchases / competing offers, it will be done one working day prior to the date of commencement of the TP in accordance with Regulation 18(4) of the SEBI (SAST) Regulations and would be notified to the shareholders by way of another public announcement in the same newspapers where the DPS is appearing.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. The total fund requirement for the Offer (assuming full acceptance) is ₹ 50,50,800 (Rupees Fifty Lakh Fifty Thousand Eighty Hundred only).

2. In accordance with Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers, the Manager to the Offer and IndusInd Bank Limited (**"Escrow Agent"**) have entered into an escrow agreement on May 31, 2019 (**"Escrow Agreement"**). Pursuant to the Escrow Agreement, the Acquirers have opened an escrow account under the name and title of **"GDIL-Open Offer-Cash Escrow Account"** bearing account number 250556043859 with the Escrow Agent at its branch located at IndusInd Bank Ltd, Premises no. 61, Sonawala Building, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai - 400001.

3. The Acquirers have transferred a sum equivalent to ₹ 12,65,000 (Rupees Twelve Lakhs and Sixty-Five Thousand only) to the Cash Escrow Account on June 07, 2019 in accordance with the Regulation 17(3)(a) of the SEBI (SAST) Regulations being more than 25% of the total fund obligation for the Offer.

4. A lien has been marked on the said Cash Escrow Account in favour of the Manager to the Offer by the Escrow Agent. The Manager to the Offer has been solely authorised by the Acquirers to operate and realise the value of Cash Escrow Account in terms of the Regulation 17(5) of the SEBI (SAST) Regulations.

5. The Acquirers have adequate financial resources and has made firm financial arrangements for the implementation of the Offer in full out of their networth. Ashit N. Shah (Membership No. 036857), Proprietor of M/s Ashit N. Shah & Co., Chartered Accountants (Firm Registration No. 100624W), having their office located at 1, Shantinath Apartment, Shantisadan Society, B/H. Doctor House, Ellisbridge, Ahmedabad – 380006, Gujarat, India Tel. No. +91-79-26402811; Email: ashitnshah@hotmail.com, vide their certificate dated June 05, 2019 and Parth S. Bhavsar (Membership No. 167904), Proprietor of M/s. Parth S. Bhavsar & Co., Chartered Accountants (Firm Registration No. 145380W), having their office located at 408, Harekrishna Complex, Opp. Kothawal Flats, Ashram Road, Ahmedabad – 380006, Gujarat, India. Tel. No. 9974092166; Email: caparth77@icai.org, vide their certificate dated June 04, 2019, have certified that the Acquirers have sufficient liquid networth to meet the total financial obligations under the Offer.

6. Based on the combined networth of the Acquirers, the Manager to the Offer is satisfied about the ability of the Acquirers to implement the Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. The Manager to the Offer confirms that the firm arrangement for the funds and money for payment through verifiable means are in place to fulfil the Offer obligations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. As of the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required by the Acquirers to complete this Offer. However, in case of any further statutory approvals being are required by the Acquirers or become applicable at a later date prior to the completion of the Offer, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such approvals. In the event the statutory approvals (the grant or satisfaction of which are considered to be outside the reasonable control of the Acquirers) are not granted or satisfied, the Acquirers shall have the right to withdraw this Offer in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations.

2. All Public Shareholders of the Target Company who are either Non-Resident Indian (the "NRIs") and Overseas Corporate Bodies (the "OCBs") are subject to approval/exemption, if applicable, from the Reserve Bank of India ("RBI"). NRI and OCB holders of Equity Shares, if any, must obtain all requisite approvals required to tender the Equity Shares held by them pursuant to this Offer (including without limitation, the approval from the RBI) and submit such approvals, along with the other documents required in terms of the Letter of Offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs, QFIs and FIIs) had required any approvals (including from the RBI) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit the previous approvals that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Shares held by them pursuant to this Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer.

3. The Acquirers, in terms of Regulation 23(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations, will have a right not to proceed with the Offer in the event the statutory approvals are refused. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within two working days of such withdrawal, in the same newspapers in which the DPS is appeared.

4. The Offer cannot be withdrawn by the Acquirers except the conditions as stipulated at Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

5. In case of delay in receipt of the above statutory approvals, SEBI has the power to grant extension of time to the Acquirers for payment of consideration to the shareholders of the Target Company whose Equity Shares have been accepted in the Offer, subject to the Acquirers agreeing to pay interest for the delayed period as directed by SEBI in terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITIES

MAJOR ACTIVITIES	DATE & DAY#
Date of the Public Announcement (PA)	Tuesday, June 04, 2019
Date of the Detailed Public Statement (DPS)	Wednesday, June 12, 2019
Last date of filing Draft Letter of Offer (DLOF) with SEBI	Wednesday, June 19, 2019
Last date for a Competitive Bid / Offer	Wednesday, July 03, 2019
Identified Date*	Friday, July 12, 2019
Date by which LOF to be posted to the equity shareholders of the Target Company	Friday, July 19, 2019
Last date for public announcement by the Independent Directors committee of the Target Company on the Offer	Wednesday, July 24, 2019
Last date for upward revision of the Offer Price or any increase in the Offer Size	Thursday, July 25, 2019
Offer Opening Public Announcement (Pre-Offer PA)	Thursday, July 25, 2019
Date of Opening of the Tendering Period (TP) / Offer	Friday, July 26, 2019
Date of Closure of the Tendering Period (TP)/ Offer	Thursday, August 08, 2019
Last date for communicating the rejection /acceptance; Completion of payment of consideration or refund to the shareholders	Friday, August 16, 2019
Date of releasing Post-Offer Public Announcement (Post-Offer PA)	Friday, August 23, 2019
Submission of Final Report by the Manager to the Offer with SEBI	Friday, August 30, 2019

**The Identified Date is only for the purpose of determining the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the Acquirers, parties to the SPA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time before the Offer Closing Date.*

#The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI SAST Regulations) and are subject to receipt of relevant approvals from various regulatory authorities and may have to be revised accordingly

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN THE OFFER

1. All the Shareholders, holding the Equity Shares in dematerialized form are eligible to participate in this Offer at any time during the period from Offer Opening Date and Offer Closing Date ("Tendering Period") for this Offer. Please refer to Paragraph 8 below for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.

2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Draft Letter of Offer, may also participate in this Offer.

3. The Open Offer will be implemented by the Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited ("BSE") in the form of separate window ("Acquisition Window") as provided under the SEBI (SAST) Regulations and SEBI Circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by SEBI.

4. BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering Equity Shares in the Open Offer.

5. The Equity Shareholders will have to ensure that they keep a DP/Demat Account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares due to rejection or due to prorated Open Offer.

6. The Acquirers have appointed Systematix Shares and Stocks (India) Limited as the "Buying Broker" for the Open Offer through whom the purchase and the settlement of the Open Offer shall be made during the Tendering Period. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Systematix Shares and Stocks (India) Limited
A/603-606, The Capital, Plot C-70, G-Block, BKC, Bandra (East), Mumbai 400 051, India
Tel. No. +91-22-6704 8000;
Fax No. +91-22-6704 8029;
Email: compliance@systematixgroup.in;
Contact Person: Mr. Rajkumar Gupta.

7. All the shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock broker ("Selling Broker") during the normal trading hours of the secondary market during the TP. Upon placing the bid, the Selling Broker(s) shall provide the Transaction Registration Slip ("TRS") generated by the exchange bidding system to the shareholder. TRS will contain details of order submitted like Bid ID No., DP ID, Client ID, No. of Equity Shares tendered etc.

8. As per the provisions of Regulation 40(1) of the LODR Regulations and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository w.e.f. April 1, 2019. Accordingly, the Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialised. Such Shareholders are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialised.

9. If the Seller's broker is not a registered member of BSE, the Sellers can place their bids through the Buying Broker subject to fulfilment of the account opening and other KYC requirements of the Buying Broker.

IX. Detailed procedure for tendering the shares in the offer will be available in the Letter of Offer ("LOF"). Kindly read it carefully before tendering Equity Shares in the Offer. Equity Shares once tendered in the Offer cannot be withdrawn by the Shareholders.

X. OTHER INFORMATION

1. The Acquirers accept full responsibility for the obligations of the Acquirers as laid down in terms of the SEBI (SAST) Regulations and for the information contained in the Public Announcement and this DPS.

2. In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.

3. In this DPS, all references to "Rs." or "INR" or "" are references to the Indian Rupee.

4. Shareholders are also requested to read the recommendations of Independent Directors of the Target Company before tendering their Equity Shares in the Offer.

5. The tentative schedule as mentioned at Section VII of this DPS may change if the Manager to the Offer does not receive final observations from SEBI within the time due to any reasons whatsoever.

6. If the Offer gets delayed, the Manager to the Offer will release a revised schedule for the activities one working day prior to the revised TP alongwith details of the "Acceptance Date" and the "Settlement Date" for the Offer in the same newspapers in which this DPS is published.

7. The Acquirers refrain to send the LOF to non-resident shareholders in accordance with Regulation 18(2) of the SEBI (SAST) Regulations since the local laws or regulations of any jurisdiction outside India may expose to them or to the Target Company to material risk of civil, regulatory or criminal liabilities in case the LOF is sent in its original form. However, non-resident can participate in the Offer even if LOF is not sent to them but they need to provide relevant tax-declarations as mentioned in the LOF.

8. Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, the Acquirers have appointed Systematix Corporate Services Limited as "**Manager to the Offer**" and Bigshare Services Private Limited as "**Registrar to the Offer**" as per the details below:

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
SYSTEMATIX GROUP Investments Re-defined	
SYSTEMATIX CORPORATE SERVICES LIMITED The Capital, A Wing, 603-606, 6th Floor, Plot No. C-70, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India. **Telephone**: +91 22 6704 8000 **Fax**: +91 22 6704 8022 **E-mail**: ecm@systematixgroup.in **Website**: www.systematixgroup.in **Contact Person**: Amit Kumar **SEBI Registration Number:** INM000004224	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (E), Mumbai - 400 059, Maharashtra, India. **Telephone:** +91-22-6263 8200 **Fax:** +91-22-6263 8299 **Email:** openoffer@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Contact Person:** Arvind Tandel **SEBI Registration Number:** INR000001385

9. This DPS and the PA would also be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in) and BSE (www.bseindia.com). Copy of the LOF would be available on SEBI and BSE websites.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirers

Sd/-
Mr. Sagar Samir Shah
(Acquirer 1)

Sd/-
Mrs. Rajasvee Sagar Shah
(Acquirer 2)

Date: June 11, 2019
Place: Ahmedabad.

हड़बड़ी का हासिल

दिल्ली में एक पत्रकार की गिरफ्तारी के मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उससे एक बार फिर यही स्पष्ट हुआ है कि सरकारों और खासतौर पर उनकी पुलिस को किसी मसले पर कार्रवाई के दौरान किन मानकों का ध्यान रखना चाहिए। गौरतलब है कि हाल में एक पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ टिप्पणी करती हुई एक महिला के वीडियो के साथ-साथ एक निजी टिप्पणी भी कर दी थी। इसे अभद्र और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने वाला बताते हुए इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरह आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए दिल्ली से प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया, वह अपने आप में यह बताने के लिए काफी था कि इस मामले में संवैधानिक व्यवस्था या कानून का खयाल कम किया गया था और धौंस जमाने को ज्यादा तरजीह दी गई थी। इस जल्दबाजी पर पहला सवाल यही उठा कि सरकार के तहत संगठित और पेशेवर तरीके से काम करने वाली पुलिस इतने अगंभीर तरीके से हड़बड़ी कैसे कर सकती है! क्या गिरफ्तारी के बिना इस मसले पर कानून प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती थी?

जाहिर है, इस पर समूचे पत्रकारिता जगत में तीखे सवाल उठे और लोगों ने सरकार के कामकाज के तौर-तरीके को कठघरे में खड़ा किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ राय जाहिर की है कि ट्विटर पर की गई उस टिप्पणी के गुण-दोष का सवाल अलग है, लेकिन किसी भी राय के आधार पर इस तरह गिरफ्तारी सही नहीं है। अदालत ने कहा कि नागरिक की स्वतंत्रता उनका अधिकार है और उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसकी गारंटी संविधान में दी गई है और इसका हनन नहीं किया जा सकता। हालांकि इस मामले में दर्ज शिकायत पर मुकदमा चलता रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार या उसकी पुलिस को यह बताने की कोशिश की है कि उसे अपनी संवैधानिक या कानूनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जरूरी गंभीरता बरतनी चाहिए। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि कई बार सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों पर दर्ज शिकायतों पर पुलिस की ओर से गैरजरूरी हड़बड़ी का प्रदर्शन क्यों किया जाता है। जबकि ऐसी हड़बड़ी का खमियाजा इस रूप में उठाना पड़ता है कि अदालत में कानूनी कसौटी पर ऐसे मामले कमजोर साबित होते हैं।

यह किसी से छिपा नहीं है कि ट्विटर या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के मंचों पर की जाने वाली हल्की-फुल्की टिप्पणियां बेहद आम हैं और उनमें से ज्यादातर अपने असर में कोई खास अहमियत नहीं रखतीं। इन मंचों पर जो राय जाहिर की जाती है, उसमें किसी अनुशासन की उम्मीद इसलिए बेमानी है कि उसे किसी निजी जगह के रूप में देखा जाता रहा है और वहां लोग किसी सीमा का खयाल रखना जरूरी नहीं समझते। हालांकि निश्चित रूप से यह अपेक्षा वाजिब है कि जानबूझ कर किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने की मंशा से कोई गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं की जाए। मगर सच यह है कि वहां कोई व्यक्ति बहुत सलीके से एक जरूरी बात भी कहता है तो दूसरा शख्स बेहद अगंभीर तरीके से सतही टिप्पणी कर देता है। वहां अक्सर बड़े नेताओं या राजनीतिक गतिविधियों पर हल्के-फुल्के अंदाज में बातें की जाती हैं। लेकिन शासन का अपना एक ढांचा है और उसके कामकाज करने के तौर-तरीके निर्धारित हैं। संवैधानिक नियम-कायदों से बंधे शासन को उसकी गरिमा का खयाल रखना चाहिए। नेताओं और राजनीतिकों को भी देश की लोकतांत्रिक परंपरा और नागरिक स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उदार रवैये का परिचय देना चाहिए।

चैंपियन का संन्यास

युवराज सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भले ले लिया हो, वे आइपीएल भी न खेलें, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में उनकी मौजूदगी हमेशा बनी रहेगी। युवराज क्रिकेट के सवश्रेष्ठ भारतीय ऑलराउंडरों में शुमार रहे। उम्मीद है कि वे अब विदेशी लीग में जलवा बिखेरेंगे। सत्रह साल के अपने क्रिकेट-जीवन में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल कीं, वे अपने में रेकार्ड हैं। चाहे मैचों की संख्या हो, रनों का आंकड़ा हो या विकेट या फिर आइपीएल मैच के खिलाड़ी की कीमत हो, युवराज हमेशा एक चैंपियन के रूप में ही रहे, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। उन्नीस साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने वाले युवराज की उपलब्धि का सिलसिला 2004 से ही शुरू हो गया था जब उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट सेंचुरी लगाई थी। इसके बाद 2007 में उन्होंने टी-20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के जड़े थे। इसीलिए उन्हें सिक्सर किंग भी कहा जाता है। इसके अलावा बारह गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया था। विश्व कप में तीन सौ से ज्यादा रन और पंद्रह विकेट लेने वाले वे पहले ऑलराउंडर बने और 2011 में विश्व कप में 'मैन ऑफ द सीरीज' भी उन्हें मिला था। बाजार में कीमत के हिसाब से देखें तो 2015 की आइपीएल नीलामी में वे सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में सामने आए थे।

युवराज का जीवन दूसरे क्रिक्रेट खिलाड़ियों से हट कर रहा है। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ 2011 में उस वक्त आया था, जब पता चला कि उन्हें फेफड़े का कैंसर हो गया है। यह कठिन वक्त था जब वे अपने करिअर के शीर्ष पर थे। लड़ना, गिरना और फिर उठ जाना युवराज की हमेशा से खूबी रही है। वे इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि किक्रेट मेरे लिए एक ऐसा खेल रहा है जिसने मुझे लड़ना, गिरना और फिर उठ जाना सिखाया। उनके भीतर के इसी जुझारूपन और जज्बे ने कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। युवराज ने कहा भी था कि कैंसर से ठीक होने के बाद वे एक तरह के भारी दबाव में थे, हर किसी को लग रहा था कि अब ये पहले वाला युवराज नहीं रहेगा। लेकिन युवराज ने इस दबाव को बड़ी चुनौती मानते हुए एक बार फिर साबित किया कि उनमें वही पुराना वाला दमखम आज भी है। इसके बाद ही युवराज ने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला था। यह उनका आखिरी टेस्ट था। लेकिन वन डे, टी-20 और आइपीएल वे लगातार खेलते रहे।

युवराज की सत्रह साल की अंतरराष्ट्रीय किक्रेट की यात्रा वाकई शानदार रही। लेकिन पिछले कुछ समय से युवराज मैदान पर वैसा जलवा नहीं दिखा पा रहे थे जैसी उन्हें उम्मीद थी। इसीलिए बार-बार उनके मन में संन्यास को लेकर मंथन चल रहा था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के रुख से भी वे आहत रहे। उन पर यो-यो टेस्ट पास करने की शर्त लगा दी गई और इसमें पास न होने पर विदाई मैच तक की बात कह दी गई। हालांकि युवराज इस टेस्ट में पास हो गए थे और आखिरी टी-20 खेला। पिछले दो सालों में उनमें बेहतर प्रदर्शन का अभाव रहा, इसलिए इस बार की विश्व कप टीम में जगह बनने का सवाल ही नहीं था। हालांकि निश्चित ही युवराज के मन में इस बार का विश्व कप खेलने की इच्छा रही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि युवराज का क्रिकेट-जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं होगा।

कल्पमेधा

धर्म केवल लोगों की सेवा करने में है,
माला फेरने या पूजा में नहीं।
-शेख सादी

सोशल मीडिया और चुनौतियां

ज्योति सिडाना

सोशल मीडिया और गैजेटों की लत के कारण युवाओं में शारीरिक और मानसिक व्याधियां तेजी से बढ़ रही हैं। इससे उनमें निराशा व कुंठा पनप रही हैं और एक नए प्रकार की सांस्कृतिक विसंगति को जन्म दे रही हैं। यह संस्कृति न केवल सामाजिक संबंधों में उनकी सहभागिता को कम करती है अपितु उन्हें भय एवं आक्रामकता का शिकार बनाती है।

सहस्राब्दि जनसंख्या का अस्सी फीसद हिस्सा संदेश लिख कर या ऑनलाइन संवाद करना ज्यादा पसंद करता है। यह खुलासा ऑफकॉम के एक अध्ययन में हुआ है। इसके अनुसार सोलह से चौबीस वर्ष की आयु के पंद्रह फीसद युवा अपने फोन का इस्तेमाल लोगों से बातचीत के लिए नहीं करना चाहते, बल्कि मौखिक बातचीत के स्थान पर वे संदेश भेजना अधिक पसंद करते हैं। आज की किशोर पीढ़ी एक ही कमरे में अपने आसपास बैठे लोगों से बात करने के बजाय संदेश ही भेजती है। दरअसल, हम एक शोर रहित और आवाज रहित विश्व का हिस्सा बन चुके हैं। सार्वजनिक स्थानों पर होते हुए भी एक निजी विश्व निर्मित हो जाता है, जैसे भीड़ में, ट्रेन में, सड़क पर कहीं भी चलते हुए या बैठ कर हम ईअरफोन के जरिए अपना प्रिय संगीत सुन सकते हैं। जबकि एक-दो दशक पहले तक ट्रेन या बस में यात्रा करते समय लोग एक-दूसरे से बातचीत करके परिचय बढ़ाने में रुचि रखते थे, राजनीतिक व गैर-राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते थे, खाना-पीना साझा करते थे, लेकिन अब यात्रा के दौरान ऐसा कोई शोर नहीं सुनाई देता, कोई अनुभव नहीं होता। अधिकांश लोगों के कानों में ईअरफोन या हेडफोन नजर आता है, या फिर मोबाइल, लैपटॉप पर वीडियो देखने में व्यस्त होते हैं। संभवतः इसलिए इस पीढ़ी को 'खामोश पीढ़ी' की संज्ञा दी जाती है।

अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया ने संचार और संवाद करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। एक समय था जब लोग देर तक लैंडलाइन फोन पर अपने दोस्तों, परिवारजनों से बातचीत करते थे, विशेष अवसरों जैसे सालगिरह, त्योहार, पदोन्नति, नया सामान खरीदने इत्यादि पर फोन पर बधाई का तांता लग जाता था। पर अब हर अवसर पर केवल संदेश भेज कर काम चल जाता है। कितना अजीब है कि एक ही संदेश हम सबको भेज देते हैं? यह कैसे संभव है कि सबके लिए हमारी भावनाएं, हमारा प्यार या दुआएं एक जैसी हों? और यह भी सच है कि आमने-सामने या फोन की आवाज पर जो बधाई मिलती है, उसमें अलग ही आनंद आता है क्योंकि उसमें हंसी-मजाक और बहुत सारी दुआएं भी शामिल होती हैं। सोशल मीडिया ने इन सब चीजों को सामाजिक जीवन से गायब कर दिया है। मनुष्य केवल खुद तक सीमित हो गया है, इसलिए शायद अब सेल्फी का जमाना है, समूह फोटो का नहीं। फिर चाहे होटल में खाना खाते समय या किसी मॉल में घूमते समय, या शादी पार्टी के लिए तैयार होते समय सेल्फी लीजिए और तुरंत फेसबुक अथवा सोशल मीडिया पर अपलोड कर दीजिए, ताकि आपकी फोटो पर अधिक से अधिक कमेंट और लाइक मिल सकें। यदि आप यह सब नहीं करते तो आज के युग में आप सामाजिक प्राणी नहीं हैं, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा तुलनात्मक रूप से कम हो सकती है।

सामाजिक प्राणी और विकसित मस्तिष्क का स्वामी होने के नाते मनुष्य के लिए भाषा को संपर्क एवं संवाद स्थापित करने का सबसे प्रचलित और प्रभावी माध्यम माना जाता है। भाषा विज्ञानी सॉसर के अनुसार भाषा एक सामाजिक उत्पाद और वैयक्तिक व्यवहार दोनों है। अब सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ने के बाद लोगों में संवाद या तो कम हो गया है या संदेशों में बदल गया है। जैसे-जैसे संवाद खत्म हो रहा है, वैसे-वैसे संस्कृति खत्म हो रही है, क्योंकि संस्कृति का पतन संवादहीनता से ही होता है। संस्कृति के भीतर संवेदनाएं, भावनाएं, अनौपचारिकता और अपनत्व की भावना होती है। संदेश-संस्कृति से जन साहित्य खत्म हो रहा है, इससे संस्कृति मर रही है। चूंकि संस्कृति जीवंत अनुभव होती है। यह टेक्नोलाजी निर्देशित सभ्यता आने वाले दौर में संस्कृति की हत्या का औजार बनेगी। क्या प्रौद्योगिकी का मनुष्य पर हावी होना विश्व युद्ध की आहट का संकेत दे रहा है? मौखिक संचार करने की शैली से व्यक्ति में भाषा विशेषज्ञता उत्पन्न होती है और उसमें अनुवाद करने की भी समझ विकसित होती है। संदेशों के माध्यम से नीरसता उत्पन्न हो रही है क्योंकि एक ही संदेश सबको भेज दिया जाता है, यहां तक कि अधिकांशतः बिना पढ़े ही संदेश दूसरों के आगे सरका (फॉरवर्ड) दिए जाते हैं, बिना जांच किए कि वे सही हैं या गलत।

ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया ने सकारात्मक पक्षों को उत्पन्न नहीं किया। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलना चाहते थे, पर उन्हें कोई मंच उपलब्ध नहीं था। आज सोशल मीडिया ने उन्हें वह मंच दिया है जहां वे अपनी बात रख सकते हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। परंतु यह भी सच है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं होती। उसका सदुपयोग या दुरुपयोग उसे अच्छा या बुरा साबित करता है। सोशल मीडिया ने मौन की संस्कृति, आक्रामकता की संस्कृति और विरोध की संस्कृति को तीव्र किया है। ये तीनों एक सीमा तक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक हैं, लेकिन इनसे लोकतंत्र के लिए खतरा भी उत्पन्न हुआ है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जब व्यक्ति सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, मीडिया कितना सही है कितना गलत, कौन-सी खबर सच है और कौन-सी झूठ, पुरानी सूचनाओं को कितने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, यह सब क्यों किया जा रहा है, जानना ज्यादा आवश्यक है। मीडिया खासतौर पर सोशल मीडिया जिस प्रकार की भूमिका निभा रहा है, वह संदेह के घेरे में है।

युवा पीढ़ी इस वक्त एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रही है जो अनेक प्रकार की सामाजिक चिंताओं को उत्पन्न करता है। सोशल मीडिया के प्रति युवाओं के एक बहुत बड़े हिस्से का आकर्षण इसके आदी होने के स्तर तक जा पहुंचा है। वह सामाजिक जीवन के एक बहुत बड़े भाग को प्रभावित एवं निर्धारित करने लगा है। देर रात तक चैटिंग करना या ऑनलाइन गेम खेलना, सेल्फी लेने का शौक, वॉट्सएप का अनवरत प्रयोग करना और अध्ययन सामग्री के लिए विभिन्न साइटों की खोज में संलग्न रहना, वे पक्ष हैं जो यह दर्शाते हैं कि सोशल मीडिया ने सामाजिक जीवन को व्याधिकीय स्तर तक प्रभावित किया है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑनलाइन गेम खेलने की लत को मानसिक रोग की श्रेणी में शामिल किया है। सोशल मीडिया और गैजेटों की लत के कारण युवाओं में शारीरिक और मानसिक व्याधियां तेजी से बढ़ रही हैं। इससे निराशा व कुंठा पनप रही हैं और एक नए प्रकार की सांस्कृतिक विसंगति को जन्म दे रही हैं। यह संस्कृति न केवल सामाजिक संबंधों में उनकी सहभागिता को कम करती है अपितु उन्हें भय एवं आक्रामकता का शिकार बनाती है। कहीं न कहीं आत्महत्या की प्रवृत्ति के उत्पन्न होने में इस सांस्कृतिक विसंगति की भी भूमिका है।

सोशल मीडिया का एक विशिष्ट वर्ग बन गया है। इसमें से किसान, श्रमिक, आदिवासी, महिलाओं से जुड़े मुद्दे गायब हैं। ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि सोशल मीडिया हाशिये के लोगों की आवाज क्यों नहीं बन पाया? इस पर सोचा जाना जरूरी है। एक तबका धीरे-धीरे ऐसा भी उभर रहा है जो सोशल मीडिया से ऊब गया है। वह अब किसी भी विषय पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। लोग अब विरोध के स्वर सुनना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ प्रशंसा और समर्थन की आदत हो गई है। इसलिए जब मीडिया मनुष्य को नियंत्रित करने लगे तो समाज में इसके खतरे दिखाई देने लगते हैं। दासता किसी की भी हो, मनुष्य की या टेक्नोलॉजी की, विकास के मार्ग में बाधा ही उत्पन्न करती है।

पहनावे की पहचान

अमित चमड़िया

दुनिया मेरे आगे

कुछ समय पहले देश की एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हुई बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जब मुंबई में चुनाव के दौरान उम्मीदवार के रूप में प्रचार कर रही थीं, तो उसका एक टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण हो रहा था। इससे संबंधित खबर प्रसारित करने वाले बहुत जोर देकर कह रहे थे कि अभिनेत्री आज भारतीय परिधान में आम लोगों को 'गुड़ीपड़वा' की बधाई दे रही हैं। गौरतलब है कि 'गुड़ीपड़वा' आमतौर पर महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। प्रसंगवश यह बताना जरूरी है कि अभिनेत्री ने उस समय साड़ी पहन रखी थी। हाथों में हरे रंग की चूड़ी और बालों में सफेद फूलों का गुच्छा लटक रहा था। आम रुचि के मुताबिक देखें और साधारण लोगों के बीच बोलचाल की भाषा में भी इसी तरह के पहनावे को हम शुद्ध भारतीय परिधान के रूप में स्वीकार करते हैं। जब कभी किसी माध्यम में इस तरह के पहनावे वाले दृश्य नजर आते हैं तो हम तुरंत कह देते हैं कि यह तो शुद्ध भारतीय है। बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसे पहनावे वाले दृश्य खूब नजर आते हैं।

सवाल है कि भारतीय परिधान का मतलब क्या होता है? अभिनेत्री या किसी भी महिला के इस पहनावे को ही क्यों हम भारतीय परिधान मानते हैं? भारतीय होने का क्या मतलब है? कैसे आम बोलचाल की भाषा में इस तरह की पोशाक को ही भारतीय माना गया? आमतौर पर उत्तर भारत के शाकाहारी खाने को ही हम क्यों शुद्ध भारतीय खाना मान लेते हैं?

इस तरह के सवाल जरूरी हैं, क्योंकि हम बहुलतावादी संस्कृति वाले देश में रहते हैं जो इसकी विशेषता और खूबसूरती है! इस विविधता वाले देश में किसी खास संस्कृति यानी उसके पहनावे, खानपान और बोली, जीवन पद्धति आदि को ही केवल भारतीय मानना क्या इस देश के दूसरी अन्य संस्कृति को मानने वाले लोगों के साथ भेदभाव नहीं है? और क्या इस तरह का भेदभाव उनमें अकेले या अलग होने की भावना नहीं पैदा करता है? खासकर तब जब देश की एक बड़ी आबादी की संस्कृति हाशिये पर हो। हमारा संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि केवल किसी खास पहनावे और खानपान को भारतीय माना जाए। क्या एक खास तरह की संस्कृति को ही भारतीय मानना भारतीय होने को संकीर्ण नजरिये से देखना नहीं है? हम देश के आदिवासी समुदाय के परिधानों या उत्तर-पूर्व के राज्यों मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड आदि के परिधान को भी मुख्य भारतीय परिधान के रूप में मानने से क्यों हिचकते हैं? क्या दक्षिण भारत का पहनावा भारतीय परिधान नहीं है? जिस परिधान को कुछ लोग पाश्चात्य देशों के पहनावे के तौर पर देखते हैं, अगर उसे कोई भारतीय पहनता है और वह आम है तो क्या वह भारतीय परिधान नहीं होगा? यह सुनने को कभी नहीं मिला होगा कि आदिवासी समुदाय के परिधानों या पूर्वोत्तर के राज्यों के परिधानों को देख कर लोग बोलें कि यह भारतीय परिधान है!

इसके अलावा, दूसरी बात और ज्यादा गंभीर है कि कैसे एक खास संस्कृति को ही समाज में भारतीय संस्कृति होने की स्वीकृति मिली होगी? क्या इसमें संचार माध्यमों की भूमिका शामिल नहीं है? आखिर कैसे सूचना का प्रसार करने वाले लोग इस तरह की गंभीर गलतियां कर बैठते हैं और उन्हें शायद इस चूक का आभास भी नहीं होता होगा! लोग इसे बहुत स्वाभाविक मान लेते हैं। दरअसल, जब कोई पत्रकार किसी मीडिया संस्थान में काम करता है तो उसके साथ उसकी अपनी संस्कृति भी होती है। वह उस संस्कृति के साथ ही सूचनाओं का प्रसारण करता है। और चूंकि समाज से लेकर संचार माध्यमों में ज्यादातर लोग उसी संस्कृति को मानने वाले होते हैं, इसलिए आमतौर पर केवल उसे ही भारतीय संस्कृति के रूप में मान लिया गया है। जब तक ऐसी जगहों पर अलग-अलग संस्कृति को मानने वालों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक इन जगहों पर बैठे लोगों की ओर से ऐसी गंभीर गलतियां होती रहेंगी और उन्हें हम स्वाभाविक मान कर स्वीकार करते रहेंगे।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास की 'प्रभुत्वशाली संस्कृति' की अवधारणा इस मुद्दे को समझने में सहायक है। आखिर इस तरह की परिभाषा जो किसी खास संस्कृति को भारतीय होना बताती है, उसे कौन लोग गढ़ते हैं? भारतीय होने की इस संकीर्ण परिभाषा को बदलने में वक्त लगेगा और यह तभी संभव है जब मीडिया के आंतरिक ढांचे को हम बहुल संस्कृति वाला नहीं बना देते, क्योंकि किसी खास विचार को फैलाने में मीडिया की भूमिका बड़ी है। इसके बहुल संस्कृति होने से यह ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाएगा और मुख्यधारा की नजरों से अलग बसी दूसरी संस्कृति में भी सामाजिक अलगाव की भावना पैदा होने की आशंका लगभग समाप्त हो जाएगी। देश की अलग-अलग संस्कृति के विभिन्न रंग वाले पहनावे को भी भारतीय पहनावे के रूप में मानना देश के लिए सुखद साबित होगा।

हार की सीख

देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार दो लोकसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी दल बनने लायक सीटें भी नहीं जीत सकी है। ऐसे में पार्टी की रीति-नीति पर सवाल तो उठेंगे ही। कांग्रेस वह संगठन है जिसके खाते में देश की आजादी में अग्रणी होने की भूमिका दर्ज रही है। चुनाव दर चुनाव पार्टी ने इसे भुनाया भी है और भुनाते-भुनाते अपने मतदाताओं को बुरी तरह से ऊबा दिया है। भूमंडलीकरण, मंडल और कमंडल के बाद से देश की सियासत जमीन से लेकर शीर्ष तक पूरी तरह बदल चुकी है लेकिन कांग्रेस आज भी अपने पुराने मुद्दों को बेचने में लगी हुई है जबकि देश में उन मतदाताओं की संख्या अब मुट्ठी भर ही रह गई है जिन्होंने आजादी की लड़ाई को देखा होगा और उस दौर के आदर्शों में जीते रहे होंगे।

आज मतदान में हिस्सा लेने वाली बहुसंख्यक आबादी वह है जिसने बाबरी ढांचा टूटने, बाजार के खुलने और अन्य पिछड़ा वर्ग के सियासी उभार के बाद जन्म लिया है या होश संभाला है। इस वर्ग की आकांक्षाएं दूसरी हैं जिन्हें संबोधित करने में कांग्रेस अब विफल साबित हो रही है। कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट है 134 सालों का इसका इतिहास, जिसके बोझ से वह निकल नहीं पा रही है बल्कि दब कर खत्म होती जा रही है। अगर 134 साल की विरासत का दावा करना ही है तो वही परंपरा दोबारा शुरू करे जब साल भर पर कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता था और लोकतांत्रिक तरीके से एक साल के लिए ही अध्यक्ष का चुनाव होता था। तब इसके ढेर सारे अनुषांगिक संगठन हुआ करते थे और उनमें काम कर-के आए लोगों को टिकट दिए जाते थे। आज जरूरत है कि नेहरू-गांधी परिवार मोह छोड़े और बिना पद के काम करे। इससे न सिर्फ एकरसता टूटेगी बल्कि एक परिवार से इतर कांग्रेस अधिक बड़ी भी दिखाई देगी। अगर उनमें (गांधी-नेहरू परिवार) क्षमता हुई तब नए दल में भी उनकी मजबूत स्थिति बनी रहेगी अन्यथा अपने आभामंडल के इर्द-गिर्द पार्टी खड़ी करने और दिल्ली के ड्रॉइंग रूम में बैठने वाले बुद्धिजीवियों के सहारे अब सियासी दल नहीं चल सकेंगे।

बुद्धिजीवियों के सहारे चलने वाले साम्यवादी दलों का हश्र हम देख चुके हैं, परिवार प्रधान दलों की हालत भी देख ही रहे हैं। आज भारत की राजनीति का भाजपा युग है जिसमें मोटी-मोटी किताबें पढ़ कर भारत का विचार समझने-समझाने वाले लोग नहीं बल्कि घर-चौपालों तक काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है। वहां नेताओं का व्याकरण और भाषा कोई नहीं जांचता क्योंकि गलतियां करते इसके नेता इस दल को वोट देने वाली बहुसंख्यक जनता को अपने जैसे लगते हैं जहां पार्टी हित में पीढ़ी परिवर्तन हो गया और इसके समर्थकों को यह बुरा भी नहीं लगता। दूसरी ओर कांग्रेस अब भी धर्मनिरपेक्षता-समाजवाद पर अटकी हुई है। इन सत्तर सालों में कांग्रेस ने भारत को परिभाषित किया तो दूसरी ओर इन्हीं सालों में भारत ने भी खुद को नए ढंग से समझा है, व्यावहार किया है। इन दोनों परिभाषाओं और व्यवहारों में एक बड़ा अंतर है। आज कांग्रेस को सत्तर साल में बने भारत और उसके अनुभवों के आधार पर खुद को नए ढंग से परिभाषित और पेश करने की जरूरत है।

● *अंकित दूबे, आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

चौपाल

इंसानियत के शत्रु

मासूम कन्याओं के साथ ज्यादती और तत्पश्चात उनकी बर्बरता पूर्वक हत्या कर देना पाशविकता की पराकाष्ठा है। समझ नहीं आ रहा है कि जिस देश के लोगों की रग-रग में करुणा, मानवता के संस्कार बहते थे, वे इतने पत्थर दिल कैसे हो गए! कड़े कानून व सजा के बाद भी ऐसे अपराधों का बढ़ना विचारणीय है। अपराधी किसी भी धर्म का हो, अब उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे अपराध में दोषियों को फांसी की सजा हुई, लेकिन उनका फंदे तक नहीं पहुंच पाना भी हमारी व्यवस्था की कमजोरी को बताता है। बस, यह स्मरण रहे कि आपाधापी में कोई बेकसूर कानून का शिकार न हो जाए।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

प्रदूषण के विरुद्ध

पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों की भागीदारी सबसे अहम है। इसके जरिए ही अपेक्षित सुधार हो सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाना होगा। आम लोगों को स्वयं भी अपने आसपास के पेड़-पौधों की रक्षा करने के साथ-साथ ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे पर्यावरण का कम से कम नुकसान पहुंचे। प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी। लोग जगह-जगह गंदगी के ढेर लगा देते हैं जिससे निकलने वाली गैसें पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह हैं। वाहन मालिक अक्सर प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वे प्रदूषण फैलाने व नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे। हर जिले में पौधारापण शत-प्रतिशत होना चाहिए। जहां भी खाली भूमि हो, वहां अधिक से अधिक पौधे लगाए जाने चाहिए। जितने ज्यादा पौधे होंगे, पर्यावरण उतना ही स्वच्छ होगा। पौधारोपण के साथ ही पौधों की देखभाल के लिए भी सार्थक पहल होनी चाहिए।

● *अमरेंद्र मणि त्रिपाठी, सिंदुरियां, महराजगंज*

बिन पानी

आज से करीब 450 साल पहले जब भारत में नदियां स्वच्छ पानी से लबालब भरी रहती थीं, कुंओं और तालाबों में भी बारहोमास अथाह जल रहता था। उस समय कवि रहीम ने शायद आज की परिस्थिति को देखकर ही लोगों को जल के प्रति जागरूक करते हुए लिखा था 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।' पर अब जब पानी के लिए हर तरफ हाहाकार मचा है, तब यह दोहा प्रासंगिक लग रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरी दुनिया संकट के दौर में है। हमारे देश का ही करीब 40 फीसद भाग सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। करीब आठ से दस करोड़ लोग पनी के किल्लत से परेशान हो रहे हैं। देश की राजधानी में तो भूजल की स्थिति बेहद चौंकाने वाली है। यहां भूगर्भ मे मौजूद करीब 75 फीसद पानी पीने लायक नहीं रहा।

गंगा को स्वच्छ करने में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी केवल कुछ जगह ही उसका पानी पीने योग्य पाया गया,बाकी तो नहाने के काबिल भी नहीं रहा। रसातल में पहुंच चुके भूजल स्तर से एक और समस्या बढ़ते तापमान की होने लगी है। इस वर्ष देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री तक पंहुच गया, यहां तक कि हिल स्टेशनों पर भी असहनीय गर्मी हो गई। समय रहते हमें अब भी सचेत होकर पानी का अपव्यय रोकना होगा, साथ ही नदियों-तालाबों और अन्य जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाना होगा।

● *संजय डागा, देवी अहिल्या कॉलोनी, हातोद*

मनाली का जाम

उत्तराखंड में आपूर्ति में रुकावट

जाम के कारण ऋषिकेश हरिद्वार से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में रुकावट आ रही है और पहाड़ों में देरी से खाद्य सामग्री पहुंच रही है। ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में आलम यह है कि 30 किलोमीटर का पहाड़ी सफर तय करने में छह से सात घंटे लग रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर से हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तक चार लेन सड़कमार्ग का निर्माण कार्य 2008 से अब तक लटका हुआ है। अधूरे बने इस राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण इस मैदानी क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा के कारण 11 साल में सड़क दुर्घटनाओं में 2500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं।

खबरदार! जाम हैं पहाड़

‘खंड-खंड’ पर रेंगतीं गाड़ियां

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड

उत्तराखंड के चारों धामों में भारी तादाद में वाहनों की आवाजाही के कारण सड़कों में लंबा जाम लगा हुआ है। तीर्थयात्रियों को घंटों तक जाम में फंसने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को अपनी बदरीनाथ यात्रा फिलहाल स्थगित करनी पड़ी और उन्हें हरिद्वार में ही रुकना पड़ा। इस साल चारों धामों में रेकार्ड तोड़ तादाद में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बदरीनाथ में अब तक एक महीने में पांच लाख से ऊपर तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं।

ज्येष्ठ मास में सोमवती अमावस्या पड़ने के कारण भारी तादाद में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। पुलिस के मुताबिक सोमवती अमावस्या के दिन हरिद्वार में ही 67 लाख से ज्यादा लोगों ने गंगा स्नान किया। इससे एक दिन पहले हरिद्वार-ऋषिकेश में भारी भीड़ के कारण हालात बेकाबू हो गए थे। राज्य के पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) अशोक कुमार को देहरादून से हरिद्वार पहुंचकर हालात को संभालना पड़ा।

चारों धामों के यात्रामार्ग पर पेट्रोल डीजल की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इस बार अनुमान से बहुत ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड में आ रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में ढाई गुना ज्यादा है।
- त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

पेट्रोल और पैसा सबका संकट

उत्तराखंड के चारों धामों में ही नहीं बल्कि सरोवर नगरी नैनीताल और पर्वतों की रानी मसूरी में भी भीषण जाम लगा हुआ है। नैनीताल में तो हल्द्वानी से आगे प्रशासन ने वाहनों के ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। नैनीताल जिले में भीमताल, सात ताल, खुर्पाताल और नौकुचियाताल में जाने वाली सड़कों में घंटों तक जाम रहा।

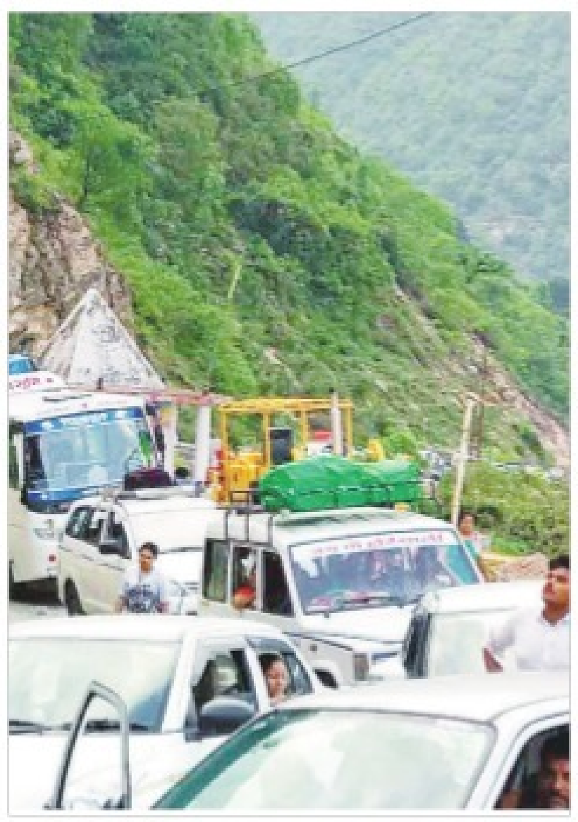

उत्तराखंड के चारों धामों में हालत यह है कि पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत हो गई है। एटीएम खाली हो चुके हैं। बदरीनाथ धाम का पहला पड़ाव जोशीमठ पड़ता है, जिसमें 10 एटीएम हैं जिनमें से केवल तीन एटीएम ही काम कर रहे हैं। जोशीमठ में ज्योतिपीठ में रहने वाले स्वामी श्रवणानंद महाराज का कहना है कि ऋषिकेश से जोशीमठ पहुंचने में 15 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। जबकि आम तौर पर ऋषिकेश से जोशीमठ की दूरी टैक्सी द्वारा छह-सात घंटे में तय कर ली जाती है।

बदरीनाथ धाम चमोली जिले में पड़ता है। चमोली जिले में 70 एटीएम हैं। जिनकी क्षमता प्रतिदिन पांच करोड़ की है। इसके बावजूद तीर्थयात्रियों को इन एटीएम में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

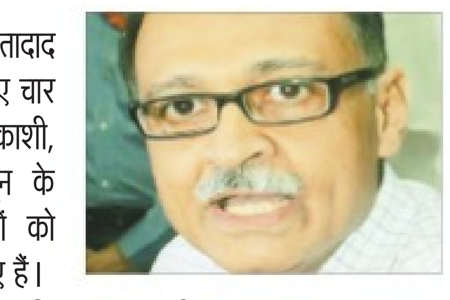
अगले दो सप्ताह में चार धाम यात्रियों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। उसे देखते हुए चार धामों के जिलों टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।
-उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव

कश्मीर में अशांति के कारण गर्मियों में पर्यटक वहां नही जा पा रहे हैं और उन्होंने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रुख किया और देवभूमि उत्तराखंड में भारी तादाद में पर्यटकों के आने से इस देवभूमि का स्वरूप ही बिगड़ गया है। राज्य सरकार को उत्तराखंड को पर्यटक बनाने की बजाय तीर्थाटन प्रदेश बनाना चाहिए।
-शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, ज्योतिषपीठ बदरीनाथ

राज्य सरकार को चार धामों के मार्गों के अधूरे पड़े ऑल वेदर रोड का निर्माण जल्द करना चाहिए। इस प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का ढांचागत विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।
-स्वामी चिदानंद मुनि, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष

भारी तादाद में पर्यटकों की आवाजाही के कारण जाम की स्थिति पैदा हुई, उसे दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कई कठोर कदम उठाए हैं।
-अशोक कुमार, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था)

चारधाम यात्रा के लिए सही बंदोबस्त करने में राज्य सरकार नाकाम रही और राज्य सरकार की सभी घोषणाएं हवाई साबित हो गई हैं। सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं।
- इंदिरा हृदयेश, नेता प्रतिपक्ष

दो रात में छह घंटे का सफर

बीरबल शर्मा
मंडी।

करीब 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में हर साल दो करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंचने लगे हैं। अढाई दशक पहले से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बढ़ने के बाद देश विदेश के सैलानियों ने हिमाचल प्रदेश की ओर रुख किया था और यह सिलसिला हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अब दिक्कत यह हो गई है कि इस प्रदेश में ढांचागत सुविधाओं के न होने के कारण पर्यटन सीजन में एक भयंकर समस्या खड़ी हो जाती है। पर्यटकों को यहां घंटों जाम में बिताने पड़ते हैं।

हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर दो तरह के पर्यटक आते हैं, प्रथम श्रेणी में वे जो प्रदेश के सौंदर्य, यहां की संस्कृति, रीति रिवाजों, मेले त्योहारों, प्राचीन मंदिरों, बौद्ध मठों, कुदरती झीलों या फिर ठंडे रेगिस्तान के नाम से मशहूर स्पीति घाटी को देखने की ललक रखते हैं। दूसरी श्रेणी में वे, जो जैसे ही देश के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी प्रचंड रूप लेती है, स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां हो जाती हैं, तो वे पूरे लाव लश्कर के साथ ठंडे पहाड़ों का रुख करते हैं।

हिमाचल

दूसरी श्रेणी के पर्यटकों से संकट पैदा होता है। उनके दिमाग में सीधे रोहतांग का रोमांच रहता है। इसकी ललक में वे जहां ठगी का शिकार होते हैं वहीं कई बार खुद तैयार की गई अव्यवस्था तो कई बार प्रणाली को संभालने वालों की लापरवाही के कारणघंटों तक सड़कों पर लगे जाम में ही फंसे रहते हैं।

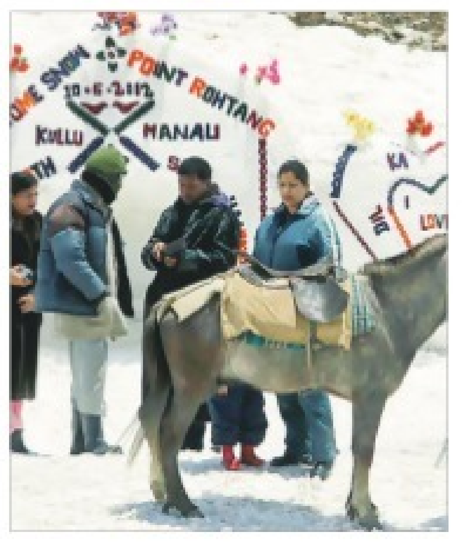

चंडीगढ़ से मंडी होते हुए मनाली और फिर पर्यटकों के पसंदीदा रोहतांग का सफर लगभग 366 किलोमीटर है। मैदानी पैमाने से मान कर चलने वाले पर्यटकों के जहन में यह सफर सात आठ घंटे का रहता है मगर जब इसके लिए किसी के दो दिन से ज्यादा समय लग जाए तो कल्पना की जा सकती है कि इन दिनों यहां वाहन चल नहीं रहे बल्कि रेंग रहे हैं। इस साल देश में गर्मी का नया रेकार्ड कायम हो जाने से पिछले सालों से डेढ़ गुणा पर्यटक ज्यादा यहां पर पहुंच रहे हैं। इससे सारी व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं और सारी सड़कें पैक होकर रह गई हैं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश की इस सबसे बड़ी लाइफ लाइन कीरतपुर-मनाली सड़क का जो आगे लेह तक जाती है, इस पर भीषण जाम लगा। बीते सप्ताह जब देश भर में प्रचंड गर्मी पड़ रही थी तो पर्यटकों के इस रेले से हिमाचल प्रदेश छोटा पड़ गया। हालात यह हो गए कि हजारों को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा।

क्यों लग रहा जाम

कीरतपुर से मनाली तक फोरलेन का निर्माण कार्य, यातायात व्यवस्था में तालमेल की कमी, पार्किंग का कोई प्रावधान न होना, उदंड प्रवृति के पर्यटकों द्वारा लाइन तोड़ कर दाएं बाएं से ओवरटेक करके जाम को बढ़ाना, जहां तहां गाड़ी खड़ी करके मस्ती करना जाम के प्रमुख कारण हैं।

क्या है समाधान

चंडीगढ़ से मनाली रोहतांग की ओर निकलते हुए यदि पर्यटकों को कोलडैम, सराजघाटी, शिकारी देवी, कमरूनाग, ज्यूणीघाटी, देवीदड़, बरोट, खीर गंगा, मणीकर्ण, पार्वती घाटी, पराशर, बीड़ बिलिंग, तीर्थन घाटी, बंजार, सोझा, सरयोलसर आदि की ओर मोड़ा जाए तो यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।

परमिट का घालमेल

मनाली से रोहतांग जाने के लिए दिन में 1200 गाड़ियों को परमिट दिए जाते हैं मगर असल में यहां पर रोजाना 5 हजार वाहन पहुंच रहे हैं। आठ से दस घंटे तक 56 किलोमीटर के इस सफर में लग रहे हैं। रोहतांग के रोमांच के लिए पर्यटक आधी रात को ही रवाना हो रहे हैं और फिर दूसरी आधी रात को लौट रहे हैं। नागपुर से आए एक पर्यटक आर्य जैस का कहना था कि कुल्लू से मनाली 40 किलोमीटर का सफर तय करने में 5 घंटे लग गए, यह सब अव्यवस्था ही लगती है, घूमने का मजा तो आया मगर रात भी जाम में काटनी पड़ी।

बेतरतीब पार्किंग

कुल्लू मनाली घाटी के एक होम स्टे मालिक किशन श्रीमान का कहना है कि इन दिनों हर रोज घाटी में एक लाख से अधिक पर्यटक आ रहे हैं, 20 हजार से अधिक वाहन रोजाना यहां पहुंच रहे हैं। कहीं भी पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं है, जहां तहां पर गाड़ियां पार्क कर दी जाती है, मामूली सा अवरोध पैदा होते ही जाम लग जाता है जो पूरा दिन बना रहता है।

अधिकांश पर्यटक जल्दी पहुंचने से चक्कर में दाएं बाएं से ओवरटेक करके आवाजाही को बाधित कर देते हैं, फोरलेन का काम भी चला हुआ है, कहीं कहीं पुल भी तंग हैं जहां से आवाजाही बाधित होती है। प्रशासन पुलिस पूरे प्रयास में है कि पर्यटकों को परेशानी कम से कम हो। *-शालिनी अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक, कुल्लू*

‘जनसंख्या नियंत्रण पर क्रांतिकारी कदम की जरूरत’

रोहित कुमार
नई दिल्ली।

दिल्ली

‘जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 खत्म नहीं की गई। गोहत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा। सभी के लिए अनिवार्य परिवार नियोजन की बात भी आई-गई हो गई। राष्ट्रभाषा हिंदी को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा। किसानों की दुर्गति हो रही है और सीमाओं पर जवान मारे जा रहे हैं। देश में नए रोजगार पैदा नहीं होने से बेरोजगार युवाओं की बड़ी फौज खड़ी हो गई है। न जवान सुरक्षित है और न किसान खुशहाल है।’

दिल्ली के लाजपत नगर स्थित राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह युवाओं के जोश की तरह धाराप्रवाह बोल रहे थे। कभी भाजपा के कट्टर समर्थक रहे विक्रम सिंह अपनी पार्टी के साथ चुनावी मैदानों में विचारधारा की जंग लड़ रहे हैं। सबसिडी और जनसंख्या नियंत्रण पर मौजूदा सरकारों को घेरते हुए उनका कहना है कि इन मामलों पर क्रांतिकारी कदम की जरूरत है। ठाकुर विक्रम सिंह की राजनीतिक सक्रियता 1967 के लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई, जब वे ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजयराजे सिंधिया के बुलावे पर अपने चार साथियों के साथ ग्वालियर गए थे। सिंह ने वहीं से चुनावी राजनीति का ककहरा सीखा था। आर्यसमाज के दिग्गज नेता प्रकाशवीर शास्त्री के साथियों में शामिल और चंद्रशेखर एवं वीपी सिंह के नजदीक रहे ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि 2012 में राष्ट्र निर्माण पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 20 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। उसी वर्ष दिल्ली नगर निगम में भी उनकी पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव और 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में राष्ट्र निर्माण पार्टी ने खुद चुनाव मैदान में न उतरकर भाजपा का समर्थन किया था। विक्रम सिंह का कहना है कि भाजपा से मिली भारी निराशा और हताशा ने उनकी पार्टी को राष्ट्रहित के मुद्दों पर जनता को उद्वेलित करने के लिए 17वीं लोकसभा के चुनाव में उतरने को मजबूर किया।

कम संसाधनों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों की सही लड़ाई का दावा करते हैं राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह

ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि इस बार विपरीत हालात और शासन-प्रशासन की तरह-तरह की अड़ंगेबाजी के कारण वे दिल्ली में तीन ही उम्मीदवार मैदान में उतार सके थे। चौथे उम्मीदवार का नामांकन तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया था। राष्ट्र निर्माण पार्टी ने हरियाणा की गुरुग्राम सीट पर धर्मपाल सिंह राघव को उम्मीदवार बनाया था। मध्य प्रदेश की मुरैना सीट पर रणधीर सिंह रूहल को उतारा था। राष्ट्र निर्माण पार्टी चाहती है कि स्मार्ट शहरों के बजाए सरकार स्मार्ट गांव बनाने पर ध्यान दे। लोकसभा में सांसदों की भूमिका जनपक्षीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रहेगी। ठाकुर विक्रम सिंह का कहना है कि लोगों को मुफ्तखोरी की लत न लगाई जाए और सभी तरह की सबसिडी खत्म की जाए। रोजगार का आधार केवल योग्यता को बनाया जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे देश में संपूर्ण मद्यनिषेध चाहती है और यह भी चाहती है कि देश में खुले पशु कत्ल कारखाने बंद किए जाएं और सरकार गोश्त के निर्यात पर पाबंदी लगाए। शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था लाई जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिले। बिना दवा और इलाज के कोई भी शख्स दम ना तोड़ सके। सभी को रोजगार और रोटी की गारंटी मिले।

किसानों को उपज का लाभदायक मूल्य दिया जाए। कारोबारियों और उद्यमियों को सभी तरह के जरूरी प्रोत्साहन दिए जाएं। युवाओं को लेकर केंद्र और राज्यों में अलग से मंत्रालय बनाए जाएं और सरकार की हर संभव यह कोशिश हो कि वह मानव संसाधन का राष्ट्र निर्माण में भरपूर उपयोग करे। ठाकुर विक्रम सिंह कहते हैं कि बीता चुनाव देश का सबसे महंगा चुनाव था। उनकी मांग है कि केंद्र और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। विक्रम सिंह अपने मजबूत इरादों का श्रेय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सेवानिवृत्त आइपीएस अफसर डॉक्टर आनंद कुमार को देते हैं।

आध्यात्मिक महत्त्व की पांवधोई नदी को मिला पुनर्जीवन

सुरेंद्र सिंघल
सहारनपुर।

उत्तर प्रदेश

सहारनपुर नगर के बीच से बहने वाली प्राचीन एवं आध्यात्मिक महत्त्व की 9.3 किलोमीटर लंबी पांवधोई नदी को पुनर्जीवन मिल गया है। अभी प्रथम चरण पूरा हुआ है। नदी के उद्गम स्थल शकलापुरी से बाबा लालदास बाड़ा घाट तक जल निर्मल और प्रवाहवान हो गया है। नदी के दो तिहाई हिस्से की साफ-सफाई और जल प्रवाह बहाल करने का चुनौतीपूर्ण काम अभी भी बाकी है।

पांवधोई नदी के पुनर्जीवन के तीन चरणों की योजना का पहला और मुख्य चरण पूरा होने पर 31 मई को जल महोत्सव का आयोजन हुआ। हरिद्वार के जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर एवं भारत माता मंदिर के प्रभारी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम के स्वामी चिदानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज एवं अंतरराष्ट्रीय योग गुरू पद्मश्री भारत भूषण समेत अनेक संत आयोजन में शामिल हुए।

स्वामी अवधेशानंद गिरि का कहना है कि मानवीय भूलों के कारण हमारे अधिकांश तीर्थ स्थल, नगर, नदियां, जलाशय, कुएं, बावड़ी केवल गंदगी, उससे उत्पन्न दुर्गंध और मिथ्याचार के प्रतीक हैं। यमुना नदी स्पर्श के लायक भी नहीं बची है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि डेढ़ सदी पहले तक हमारी पानी की समझ अत्यंत विस्तृत थी। हिमालय और समुद्र के बीच नैसर्गिक आकर्षण है। वह जाति,धर्म और प्रांत ही नहीं देश की सीमा तक नहीं मानने वाला है, क्योंकि इसे प्रकृति ने बनाया है मानव ने नहीं। योगाचार्य पद्मश्री भारत भूषण ने कहा कि वे विश्व के ऐसे शहरों में गए हैं जहां नदियां उनके बीच से बहती हैं, जो वहां के लोगों के सौंदर्यबोध और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करती हैं। हमारे यहां नदियां धार्मिक और पवित्र मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरि ने कहा कि नदियां सृष्टि की विराट नाड़ी की तरह हैं। यदि हमने नदियों को नहीं बचाया तो हम भी नहीं बचेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी सहारनपुर आलोक पांडे और मेयर संजीव वालिया ने पांवधोई नदी परियोजना को लेकर अपनी बातें रखीं। बाबा लालदास बाड़ा घाट पर आयोजित समारोह में अतिथियों ने पांवधोई नदी की पूजा अर्चना की। इस मौके पर 175 मीटर लंबी नदी का चैनेलाइजेशन, बोल्डर पेचिंग, पैदल मार्ग में इंटरलाकिंग टाई लगाने का लोकार्पण किया गया।

पांवधोई को पिछले 50 वर्षों में स्वच्छ करने के अनेक प्रयास किए गए। लेकिन कचरे एवं गंदगी की समस्या जस-की-तस बनी रही। मार्च 2018 में चंद्र प्रकाश त्रिपाठी के सहारनपुर का मंडलायुक्त बनने के बाद फिर से इस अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ा और अब पहला चरण पूरा हो गया।

पांवधोई नदी का उद्गम स्थल प्राकृतिक है। यह सहारनपुर देहात कोतवाली के तहत धोबीघाट से साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी पर गांव संकलापुरी में है। उद्गम स्थल पर पानी की निकासी कम होने और इस नदी के शहर में प्रवेश करने पर नाले-नालियों का गंदा पानी डलने से पांवधोई नदी एक तरह से मर गई थी।

अधिशासी अभियंता सिंचाई विकास त्यागी के अनुसार पांवधोई नदी पर नए चेकडैम का निर्माण पूरा होने जा रहा है। चेकडैम में ही नदी की डीसिल्टिंग के लिए रेगुलेटर बनाया जा रहा है। दोनों किनारों को आपस में जोड़ने के लिए पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण में सकलापुरी से लेकर लालदास बाड़ा तक की कार्य योजना तैयार की गई। इसके लिए सरकड़ी रजवाहा से नदी के ऊपर एक्वाडक्ट बनाया गया है। इससे पानी को पांवधोई नदी में गिराया जाएगा। लालदास बाड़े पर पांच फीट ऊंचा चेकडैम बनाया गया है। चेकडैम से नदी का पानी झरना की तरह गिरेगा।

जल स्रोत सूखे, शहर से लेकर गांव तक प्यासे

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान

राजस्थान में इन दिनों पीने के पानी का संकट गहरा गया है। गर्मी के बढ़ने और मानसून पूर्व वर्षा नहीं होने के कारण आम आदमी को पेयजल मुहैया कराना सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। दूरदराज के गांवों में जहां परंपरागत पानी के स्रोत सूख गए हैं वहीं शहरी इलाकों में भी लोगों को पेयजल के संकट से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश के बड़े शहरों में तो पानी आपूर्ति में कटौती तक कर दी गई है। जयपुर, अजमेर, टोंक जैसे बड़े शहरों में पेयजल आपूर्ति करने वाले बीसलपुर बांध में इस बार पानी की कम आपूर्ति ने संकट खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ पिछले पांच साल में पेयजल परियोजनाओं में हुई देरी के कारण भी इस बार फिर ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी होना तय है।

इस बार प्रदेश में मानसून की अच्छी वर्षा नहीं होने से ही बांधों में पानी की आवक नहीं हो पाई। व्यक्ति 275 लीटर पानी रोजाना बचाने पर फोकस रखा है। इसमें रोजाना व्यर्थ बह रहे पानी को बचा कर लोगों को मुहैया कराने पर जोर है। जयपुर, अजमेर समेत कई शहरों में पानी की आपूर्ति करने वाले टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध में जल स्तर मौजूदा समय में बहुत नीचे पहुंच गया है। जलदाय विभाग का मानना है कि गरमी में इस बांध से बहुत कम पानी ही मिल रहा है। इसके कारण पेयजल आपूर्ति में कटौती की जा रही है। अप्रैल के बाद तो पानी बहुत ही कम मात्रा में लोगों तक पहुंच रहा है। विभाग ने 15 से 20 मिनट की कटौती की है। लेकिन अघोषित तौर पर आधे घंटे से ज्यादा आपूर्ति में कटौती होने से लोगों में आने वाले समय का भय पनप गया है। जयपुर शहर में पानी का संकट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी का कहना है कि जयपुर शहर में मांग के अनुपात में पानी की आपूर्ति की जा रही है। अब तक 521 टयूबवेल को खोदा जा चुका है। इनमें से 410 से पानी आपूर्ति को चालू किया जा चुका है। जयपुर में 732 टयूबवल को खोदने की इजाजत मिली हुई है। विभाग जल्द ही बाकी बचे टयूबवेल को खोद कर उनसे पानी आपूर्ति करने की तैयारी में है।

प्रदेश में पेयजल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं। हालात की समीक्षा की जा रही है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि सरकार पेयजल संकट से निपटने के लिए कारगर तैयारी कर रही है। पेयजल से जुड़ी शिकायतों को लेकर हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का फौरन निपटारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मार्च से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल निशुल्क कर दिया गया है। वर्तमान में 4500 गांवों और 47 शहरों में जरूरत के हिसाब से टैंकरों के जरिये पेयजल परिवहन किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिला कलक्टरों को बजट का आबंटन कर दिया गया है।

दूसरी तरफ पानी आपूर्ति की परियोजनाओं में पिछले पांच साल सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसके कारण इनमें अनावश्यक देरी हुई और अब खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण राज्य में 54 में से 37 बड़ी परियोजनाएं और 437 में 119 ग्रामीण परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं।

राजस्थान में लोगों को पीने का साफ पानी दिलाने की मुहिम में लगे सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष बाफना का कहना है कि सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान पेयजल की गुणवत्ता पर देना चाहिए। प्रदेश में आधी से ज्यादा आबादी अभी भी फ्लोराइड और अन्य रसायन-युक्त पानी ही पी रही है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण जनता गंदा पानी पीने से ही कई बीमारियों से ग्रसित हो रही है। बाफना का कहना है कि इस बार कम बारिश से भी पेयजल संकट होना तय है।

मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी आज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

नई मंत्रिपरिषद की पहली बैठक बुधवार को होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के रोडमैप के बारे में बता सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री मंत्रालयों को चलाने में राज्य मंत्रियों की भूमिका रेखांकित कर सकते हैं और कैबिनेट मंत्रियों से अपने सहायकों को पर्याप्त जिम्मेदारियां देने के लिए भी कह सकते हैं। सरकार के अगले पांच साल के लिए कार्ययोजना पर भी चर्चा हो सकती है और मोदी के इस बाबत मंत्रियों को संबोधित करने की संभावना है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी मंत्रिपरिषद की बैठक नियमित रूप से होती थी। प्रधानमंत्री मंत्रियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के संबंध में बताते थे। मोदी महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों और क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा भी करते थे।

मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी बुधवार को होगी। अगले हफ्ते से संसद सत्र शुरू होने के साथ ही राज्य मंत्रियों के पास महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि उनके मंत्रालयों को सदन के पटल पर रखे जाने वाले संसदीय सवालों का जवाब देना होगा। कैबिनेट मंत्री आमतौर पर उन्हीं सवालों को देखते हैं जिनके मौखिक जवाब दिए जाने होते हैं। मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में मोदी सरकार ने सभी किसानों को प्रधानमंत्री–किसान योजना के दायरे में लाने के लिए उसके विस्तार को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।

फरार हीरा व्यापारी जतिन मेहता के खिलाफ दो नई प्राथमिकी दर्ज

नई दिल्ली, 11 जून (भाषा)।

सीबीआइ ने फरार हीरा कारोबारी जतिन मेहता के खिलाफ दो नई प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 587.55 करोड़ रुपए की कथित ऋण धोखाधड़ी की शिकायत से जुड़ा है। जांच एजंसी ने इन मामलों में तलाशी भी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि दो सरकारी बैंकों की शिकायत के अनुसार मेहता की कथित ऋण धोखाधड़ी से बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 323.40 करोड़ रुपए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 264.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोनों बैंकों की शिकायत के आधार पर सीबीआइ ने मेहता और उसकी कंपनी विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी के खिलाफ दो अलग–अलग प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआइ ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर कंपनी, उसके मूल प्रवर्तक मेहता, पूर्ण कालिक निदेशक रमेश आई पारेख और रविचंद्रन रामास्वामी, स्वतंत्र निदेशक हरीश रतिलाल मेहता और जॉर्डन के हाथयम सलमान अली अबू ओबेदाहा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर कंपनी, मेहता, बॉम्बे डायमंड्स कंपनी लिमिटेड और ओबेदाहा को आरोपी बनाया है। दोनों बैंक उन 14 बैंकों के समूह का हिस्सा हैं, जिन्होंने विंसम डायमंड को 4,600 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा दी थी।

एजंसी ने हाल ही में मेहता और प्राथमिकी में दर्ज कंपनी के अन्य निदेशकों के तीन शहरों– मुंबई, अमदाबाद और कोयंबतूर में स्थित नौ ठिकानों पर तलाशी ली। सीबीआइ सूत्रों ने बताया कि बैंको को घोटाले की भनक लगने से पहले मेहता देश छोड़कर भाग गया था। उसके कैरिबियाई द्वीप में से एक सेंट किट्स पर होने की संभावना है। सीबीआइ ने उसके खिलाफ सात एफआइआर दर्ज की है।

गृह मंत्री शाह से मिले कई राज्यपाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

राजस्थान समेत चार राज्यों के राज्यपालों ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपने–अपने राज्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। जिन राज्यपालों ने शाह से मुलाकात की उनमें राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली, कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शामिल हैं। राज्यपालों ने अलग–अलग शाह से मुलाकात की और गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने इन बैठकों को नए गृह मंत्री के साथ शिष्टाचार भेंट बताया। बतौर गृह मंत्री, शाह ने एक जून को कार्यभार संभाला था। गृह मंत्री ने राज्यपालों के साथ उनके राज्यों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

वीरेंद्र कुमार होंगे लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

मध्य प्रदेश से भाजपा के सांसद वीरेंद्र कुमार लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) होंगे। भरोसेमंद सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 65 वर्षीय वीरेंद्र कुमार सातवीं बार संसद के सदस्य चुने गए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीता है।

अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर वे 17वीं लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नवनिर्वाचित सांसदों को संसद की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हो कर 26 जुलाई तक चलेगा। वीरेंद्र कुमार अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, संसद के निचले सदन के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव की निगरानी भी करेंगे। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में वीरेंद्र कुमार राज्य मंत्री थे।

जिंदगी की जंग ‘फतह’ नहीं कर पाया ‘वीर’

संजीव शर्मा
चंडीगढ़, 11 जून।

संगरूर के गांव भगवानपुरा में 6 जून से 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसा दो साल का मासूम फतहवीर मंगलवार को अपनी जिंदगी की जंग हार गया। चार दिनों से अधिक समय तक चले असफल बचाव कार्य के बाद बोरवेल से मृत अवस्था में निकाले गए दो वर्ष के बच्चे फतेहवीर सिंह को गांववालों ने अश्रुपूर्ण विदाई दी। बच्चे का अंतिम संस्कार किए जाने से पहले जब उसे लकड़ी के बने ताबूत में रखा गया तो संगरूर जिले के भगवानपुरा गांव के निवासी और बच्चे के परिवार के सदस्य अपने आंसू नहीं रोक पाए।

इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को राज्य के आपदा प्रबंधन समूह से मानवीय आपदाओं के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं तय करने को कहा। उन्होंने संगरूर जिले में 150 फुट गहरे बोरवैल में से दो साल के बच्चे को जीवित नहीं बचा पाने की दुखद घटना के बाद यह बात कही।

- बचाव दल ने 110 घंटे बाद शव बाहर निकाला
- जन्मदिन के अगले रोज बोरवेल से निकाला शव

मासूम की मौत की खबर उसके दूसरे जन्मदिन के अगले रोज आई जबकि दावा यह भी है कि उसकी मौत जन्मदिन वाले दिन ही हो चुकी थी। मौत की खबर सुनकर परिजन तो गमगीन हैं ही, घटनास्थल पर मौजूद हजारों लोगों की भी आंखें नम हो गईं। बच्चे को मृत हालत में पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया था, जहां शवगृह कर्मियों ने दावा किया कि शव पूरी तरह सड़ चुका था और उससे बदबू आ रही थी। माना जा रहा है कि फतह की मौत बीते 24 से 48 घंटे पहले हो चुकी थी। भगवानपुरा के रहने वाले फतहवीर सिंह का परिवार खेतों पर बने घर में रहता था। बीती छह जून की शाम करीब चार बजे फतहवीर अपनी मां गगनदीप कौर के साथ जा रहा था और खेलते–खेलते मिट्टी की बोरी से ढके बोरवेल के समीप पहुंच गया। बारिश होने कारण बोरी पहले ही फटी हुई थी। फतहवीर का पैर जैसे ही बोरी पर पड़ा तो वह फट गई और वह बोरी समेत बोरवेल में गिर गया।

फतहवीर करीब 200 फुट गहरे बोरवेल में गिरा था, पर वह 120 फुट पर अटक गया। गुरुवार रात से ही फतहवीर को बचाने के प्रयास लगातार चलते रहे। शुक्रवार सुबह बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाई गई। प्रशासन, एनडीआरएफ व डेरा प्रमियों ने शुक्रवार सुबह पूरे इलाके को कब्जे में लिया और बचाव अभियान चलाया। कैमरे से फतहवीर पर बोरवेल में नजर रखी जा रही थी। गत 7 जून की शाम बचाव टीम द्वारा तेजी लाते हुए फतहवीर को ऊपर खींचने का प्रयास किया गया लेकिन रस्सी खुल जाने के कारण कोशिश बेकार गई। फिर 8 जून को बोरवेल के बराबर गड्ढा खोदा गया और आधुनिक तकनीक की मशीन लगाई गई लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही।

फतहवीर के बोरवेल में गिरने के बाद पूरे देश की नजरें उस पर टिक गईं। हर कोई फतह की सलामती के लिए दुआएं करता रहा। रविवार को भी फतह को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी रही लेकिन कामयाबी नहीं मिली। डॉक्टरों द्वारा रविवार की सुबह से बोरवेल में फंसे फतहवीर के सही सलामत होने का दावा किया गया था। सोमवार को दिनभर उसे बाहर निकालने की अटकलें लगाई जाती रहीं लेकिन कामयाबी नहीं मिली।

मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे राहत एवं बचाव दल ने फतह को मृत हालत में बोरवेल से बाहर निकाला। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम फतहवीर को लेकर पीजीआई चंडीगढ़ पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीजीआई में डॉक्टरों के एक पैनल ने फतहवीर का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के हवाले कर दिया।

गुस्से से बचने के लिए ली एअर एंबुलेंस

गांव भगवानपुरा में मासूम की मौत के बाद पंजाब में कई जगह लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फतहवीर का जब पीजीआई चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम चल रहा था तो पंजाब पुलिस को सूचना मिली कि शव यदि सड़क मार्ग से लाया गया तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

नीरव मोदी की जमानत याचिका पर ब्रिटेन में सुनवाई पूरी

लंदन, 11 जून (भाषा)।

ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। इस पर फैसला बुधवार को आएगा। नीरव ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। हीरा कारोबारी का प्रयास है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत को न सौंपा जाए। उधर नीरव को मुबई के आर्थर रोड में लाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

सभी लोगों को 2024 तक स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने 2024 तक सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकर देश के 14 करोड़ घरों तक साफ पेयजल पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है।

शेखावत ने यहां संवाददाताओं से कहा– प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य तय किया है और हमारी पार्टी का घोषणापत्र भी 2024 तक सभी लोगों तक पेयजल पहुंचाने की बात कहता है। देश में करीब 14 करोड़ घर हैं जहां साफ पेयजल नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओड़ीशा जैसे राज्यों में स्वच्छ पेयजल तक पांच फीसद से कम लोगों की पहुंच है।

राज्यसभा में सदन के नेता होंगे थावरचंद गहलोत

नई दिल्ली, 11 जून (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को मंगलवार को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली इस पद पर थे। फिलहाल जेटली बीमार चल रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री गहलोत अनुभवी सांसद और भाजपा के वरिष्ठ दलित नेता हैं। राज्यसभा में सदन के नेता की नियुक्ति केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी करती है। मध्य प्रदेश से आने वाले गहलोत के पास चार दशक लंबा संसदीय अनुभव है। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के साथ–साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हैं।

पत्रकार की तत्काल रिहाई का आदेश

पेज 1 का बाकी

था कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्रकार के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अदालत को भी सोशल मीडिया का दंश सहना पड़ता है। पीठ ने कहा– कभी–कभी तो हमें भी सोशल मीडिया का दंश सहना पड़ता है। कभी यह उचित होता है और कभी अनुचित, लेकिन हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना होता है। अदालत इस पत्रकार की पत्नी जगीशा अरोड़ा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में पत्रकार की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त महान्यायवादी विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पीठ ने कहा कि कानून बहुत स्पष्ट है। किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर यह अनुच्छेद 32 के तहत याचिका है तो भी अदालत इस पर विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाथ बांधकर नहीं रह सकता यदि यह स्वतंत्रता से वंचित करने का मामला हो।अदालत ने आरोपी को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने पर भी सवाल उठाया और कहा कि मामले के तथ्यों के मद्देनजर एक व्यक्ति को 11 दिन सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। पीठ ने कहा– हम उससे सहमत नहीं है जो पत्रकार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट या पोस्ट किया। व्यक्ति सलाखों के पीछे है और यह हमें परेशान कर रहा है। उसे तत्काल जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अतिरिक्त महान्यायवादी ने कहा कि इस मामले में चल रही कार्रवाई निरस्त नहीं की जानी चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश के सियांग में मिला लापता विमान का मलबा

पेज 1 का बाकी

लापता हो गया था। विमान में 13 लोग सवार थे। असम के जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के लिए उड़ान भरने वाले रूसी मूल के एएन–32 विमान का संपर्क तीन जून की दोपहर को टूट गया था। विमान में चालक दल के आठ सदस्य और पांच यात्री सवार थे। वायुसेना ने लापता विमान का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रखा था, लेकिन खराब मौसम के कारण यह अभियान बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस अभियान में सुखोई 30 विमान, सी–130जे और एएन–32 विमान तथा एमआई–17 तथा एएलएच हेलिकॉप्टरों को लगाया गया था। जमीन के रास्ते बचाव अभियान में सेना, आइटीबीपी और राज्य पुलिस के जवानों को शामिल किया गया है। विमान की खोज में इसरो के उपग्रहों को भी लगाया गया था।

विशाल के बरी होने का मुख्य जांचकर्ता को अफसोस

जम्मू, 11 जून (भाषा)।

कठुआ में आठ वर्षीय बच्ची के सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने में अहम भूमिका निभाने वाले मुख्य जांचकर्ता आरके जल्ला का कहना है कि इस मामले में अपराधियों की संलिप्तता का पता लगाना भूसे के ढेर में सुई खोजने के बराबर था लेकिन जनवरी की ठिठुरती ठंड में सांजी राम के चेहरे पर आए पसीने से उन्हें संदेह हो गया था कि दाल में कुछ काला है। पठानकोट में सत्र अदालत ने सांजी राम और दो अन्य लोगों को बच्ची के सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के मामले में सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। यह मामला 27 जनवरी 2018 को अपराध शाखा को सौंपा गया था।

बंगाल को बदनाम करने की साजिश : ममता

पेज 1 का बाकी

जमकर बरसीं। ममता बनर्जी ने 19वीं सदी के समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की नई आवक्ष प्रतिमा की मंगलवार को उस कॉलेज में स्थापना की, जिसमें पिछले महीने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोडशो के दौरान पुरानी प्रतिमा को नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कॉलेज के प्रांगण में विद्यासागर की 8.5 फुट लंबी सफेद फाइबर ग्लास की प्रतिमा का भी अनावरण किया।

विद्यासागर कॉलेज से कुछ दूर हेयर स्कूल के समीप प्रतिमा का अनावरण करने के बाद खुली जीप में जुलूस की शक्ल में प्रतिमा को कॉलेज तक ले जाया गया। अनावरण के मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा में दस लोगों की मौत हो गई और उनमें से आठ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और दो भाजपा समर्थक थे। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हर मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मुख्य सचिव से सभी 10 मृतकों के परिवारों को आपदा प्रबंधन निधि से सहायता मुहैया कराने के लिए कहूंगी।’ राज्य में 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर भाजपा की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर हिंसा हुई। लोकसभा चुनाव में तृणमूल को भाजपा से महज चार सीटें ज्यादा मिलीं।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा ‘बंगाल को गुजरात बनाने की योजना बना रही है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी।’ इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव के दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के जुलूस के दौरान प्रतिमा तोड़ी। प्रतिमा को तोड़कर वे बंगाल की संस्कृति को खत्म नहीं कर सकते।

शरद कुमार अंतरिम सीवीसी नियुक्त

नई दिल्ली, 11 जून (भाषा)।

सतर्कता आयुक्त शरद कुमार को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति के नया सीवीसी चुनने तक कुमार इस पद पर बने रहेंगे। सीवीसी केवी चौधरी का कार्यकाल रविवार को पूरा हो गया। सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन का कार्यकाल सोमवार को पूरा हुआ। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार नए सीवीसी की नियुक्ति तक कुमार को सीवीसी के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। कुमार सतर्कता आयुक्त हैं। आतंकवाद रोधक जांच एजंसी राष्ट्रीय जांच एजंसी के पूर्व प्रमुख कुमार ने पिछले साल 12 जून को सतर्कता आयुक्त का कार्यभार संभाला था।

चक्रवात ‘वायु’: गुजरात में सेना सतर्क

पेज 1 का बाकी

तूफान 13 जून को सुबह गुजरात के तटीय इलाकों में पोरबंदर से महुवा, वेरावल और दीव क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसकी गति 115 से 130 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। बंदरगाहों को खतरे के संकेत और सूचना जारी करने को कहा गया है। 13 जून को 1 से 1.5 मीटर तक ज्वार उठने की संभावना है जिससे कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, दीव, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर के निचले जिलों में पानी भर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस तूफान के मद्देनजर गुजरात सरकार एव गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 26 टीमों को गुजरात के तटीय इलाकों में तैनात करने के आदेश जारी किए गए। हर टीम में करीब 45 कर्मी हैं। बचाव दल नावों, दूरसंचार उपकरणों आदि से लैस हैं। एनडीआरएफ गुजरात सरकार के अनुरोध पर अन्य 10 टीमें भी भेज रहा है।

गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सभी जरूरी सेवाओं को बरकरार रखने और चक्रवात से नुकसान होने की स्थिति में तत्काल उन सेवाओं को बहाल किए जाने पर भी बल दिया। गृह मंत्रालय गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक की सरकारों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के साथ निरंतर संपर्क में है। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना, सेना और वायु सेना की इकाइयों को तैयार रखा गया है और निगरानी विमान और हेलिकॉप्टर हवाई निगरानी कर रहे हैं। नियंत्रण कक्षों को चौबीसों घंटे सक्रिय रहने के भी निर्देश दिए गए हैं।

पश्चिमी विक्षोभ दिलाएगा दिल्ली को गरमी से राहत

पेज 1 का बाकी

श्रीवास्तव ने बताया कि दक्षिण–पश्चिमी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव की वजह से मंगलवार को सुबह से दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज हवाओं और हल्की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसके कारण अगले तीन दिनों में धूल भरी हवाओं और हल्की बारिश के साथ तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के पालम क्षेत्र में सोमवार को पिछले दो दशक में दर्ज किया गया सर्वाधिक 48 डिग्री सेल्सियस तापमान आने वाले चार दिनों में 44 से 41 डिग्री और सफदरजंग क्षेत्र में तापमान 43 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

दरअसल

पुलिस के संरक्षण में ‘मोहपाश’ का खेल

पेज 1 का बाकी

थी। गिरोह में शामिल लोगों में एक वकील बन जाता था, जो अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चालक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे जेल भिजवाने की धमकी देते थे। इस दौरान बीच–बचाव के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जाते थे। वसूली का यह खेल छह महीने से चौकी प्रभारी के संरक्षण में खेला जा रहा था। सोमवार शाम को गिरोह के हाथ फंसे एक पीड़ित का मामला एसएसपी तक पहुंचा। एसएसपी ने मामले की पड़ताल कर तुरंत सेक्टर–44 चौकी प्रभारी समेत वहां तैनात तीन पुलिस कर्मी, पीसीआर पर तैनात तीन चालक, कार चालकों को फंसाने वाली दो युवतियों समेत 15 को गिरफ्त में ले लिया है।

एसएसपी वैभव कृष्ण के मुताबिक सेक्टर– 44 चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर सुनील शर्मा, कांस्टेबल मनोज कुमार, अजय वीर सिंह, देवेंद्र कुमार और पीसीआर–50 पर तैनात चालक विपिन सिंह, दुर्वेश कुमार, राजेश के अलावा अनूप, सलीम खान, सतीश उर्फ अंकित, हरिओम शर्मा, सुरेश कुमार, देशराज और कार चालकों को मोहपाश में फंसाकर लूटने वाली विनीता व पूजा को गिरफ्तार किया गया है। मामले के खुलासे में पता चला कि गिरोह का साथी सुरेश कुमार वकील का किरदार निभाता था। देशराज अवाना बीच–बचाव की भूमिका निभाता था। कुमार चौकी प्रभारी को तुरंत पत्र लिखकर चौकी प्रभारी को देकर आरोपी पर दबाव बनाने के लिए तुरंत गिरफ्तार करने को कहता था। तब अवाना को इलाके का प्रतिष्ठित व्यक्ति बताकर पीड़ित से बात कराई जाती थी। अवाना मामले को सुलझाने के नाम पर लाखों रुपए का सौदा करता था। आरोपी अंकित युवतियों का इंतजाम करता था। जबकि सलीम समेत अन्य सभी दलाली करते थे। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि पिछले छह महीनों में करीब 20 लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की उगाही की है। पीड़ित एक शख्स से तो छह लाख रुपए वसूले थे।

गिरोह ने सोमवार को भी युवती के जरिए कार सवार व्यक्ति को फंसा लिया था। उससे लाख रुपए में सौदा तय हो गया था। उसने 50 हजार रुपए तभी और बाकी 50 हजार रुपए का इंतजाम शाम तक करने को कहा था। रुपए लाने तक पीड़ित की होंडा सिटी कार सब इंस्पेक्टर ने चौकी पर खड़ी करा ली थी। रुपए के इंतजाम के लिए पीड़ित अपने परिचित समाजसेवी के घर पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। समाजसेवी पीड़ित को लेकर एसएसपी के पास पहुंचे। एसएसपी ने एएसपी डॉ. कौस्तुभ की अगुवाई में टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई। पुलिस के कहने पर पीड़ित आरोपियों को चौकी पर 50 हजार रुपए देने पहुंचा, तभी टीम ने आरोपियों को दबोच लिया। गिरोह से जुड़ी अन्य युवती का भी पता चला है। वह अभी फरार है।एसएसपी ने बताया कि ब्लैकमेल कर जो भी रकम मिलती थी, उसका 40 फीसद हिस्सा चौकी प्रभारी का होता था। 30 फीसद हिस्सा लड़की को लाने वाले अंकित को मिलता था। देशराज अवाना को 10 फीसद और बाकी 20 फीसद हिस्से का अन्य लोगों में बंटवारा होता था। गिरफ्तार युवती विनीता आरोपी अंकित की पत्नी है। जबकि अन्य युवती पूजा उसकी दोस्त है।

आरटीजीएस, एनईएफटी से पैसा भेजना एक जुलाई से सस्ता

पेज 1 का बाकी

है। भारतीय स्टेट बैंक एनईएफटी के जरिए धन स्थानांतरण के लिए एक रुपए से पांच रुपए का शुल्क लेता है। वहीं, आरटीजीएस के राशि स्थानांतरित करने के लिए वह पांच से 50 रुपए का शुल्क लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने छह जून को द्वैमासिक मौद्रिक समीक्षा के बाद घोषणा में कहा था कि उसने आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली के जरिए उसके द्वारा सदस्य बैंकों पर लगाए जाने वाले विभिन्न शुल्कों की समीक्षा की है।

डिजिटल तरीके से धन स्थानांतरण को प्रोत्साहन के लिए रिजर्व बैंक ने एक जुलाई, 2019 से उसके द्वारा बैंकों पर लगाए जाने वाले प्रोसेसिंग शुल्क तथा अलग–अलग समय के लिए आरटीजीएस से धन स्थानांतरण शुल्क के साथ एनईएफटी के जरिए लेनदेन पर प्रोसेसिंग शुल्क समाप्त करने की घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली से लेनदेन पर शुल्क समाप्त किए जाने का लाभ अपने ग्राहकों को स्थानांतरित करें। रिजर्व बैंक आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए धन स्थानांतरण पर न्यूनतम शुल्क लगाता है जबकि बैंक अपने ग्राहकों से काफी अधिक शुल्क वसूलते हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई–निविदा

मण्डल रेल प्रबन्धक (वा0), पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खुली निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:–

निविदा सूचना सं0 एवं कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रिजर्व प्राइज तीन वर्ष हेतु	अर्नेस्ट मनी
क्र0 सं0 1:– 06/2019 शोहरतगढ़ रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया स्थित पे एण्ड यूज शौचालय का ठेका निविदा के आधार पर 03 वर्ष हेतु	₹ 1000/- ऑनलाइन पेमेण्ट गेटवे के माध्यम से जमा किया जाना है	₹ 74001/-	₹ 7500/- ऑनलाइन पेमेण्ट गेटवे के माध्यम से जमा किया जाना है
क्र0 सं0 2:– 07/2019 गोण्डा स्टेशन के प्लेटफॉर्म सं0–4/5 स्थित पे एण्ड यूज शौचालय का ठेका निविदा के आधार पर 03 वर्ष हेतु	₹ 1000/- ऑनलाइन पेमेण्ट गेटवे के माध्यम से जमा किया जाना है	₹131001/-	₹ 13500/- ऑनलाइन पेमेण्ट गेटवे के माध्यम से जमा किया जाना है

- ई–निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय :– 12.07.2019 को 14.00 बजे तक है एवं यह ई–निविदा दि0 12.07.2019 को 15.00 बजे के बाद खोली जायेगी। दि0–12.07.2019 को अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- इस टेण्डर के लिए मैनुअल माध्यम से निविदायें स्वीकार नही की जायेगी यदि मैनुअल माध्यम से कोई निविदा प्रपत्र होती है तो उस पर विचार नही किया जायेगा।
- टेण्डर कॉस्ट एवं अर्नेस्ट मनी की राशि का भुगतान केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध माध्यम ऑनलाइन पेमेण्ट विधि (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि) के द्वारा ही स्वीकार किया जायेगा। मैनुअल विधि जैसे–डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, एफडीआर, जमा रसीद आदि के माध्यम से भुगतान की अनुमति नही होगी।
- विज्ञप्ति सूचना एवं निविदा प्रपत्र प्रारूप तथा नियम व शर्तों की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट ***www.ireps.gov.in (E-tendering module)*** पर उपलब्ध है

मुजाधि/वाणिज्य–45 मण्डल रेल प्रबन्धक/वा0, लखनऊ

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाइल नं0 09794845955 पर एस.एम.एस करें।

"गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें"

फार्म नं. आईएनसी–26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

और

जेडीके इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U29196DL1996PTC077178)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **डब्ल्यूए-121/312, शकरपुर, नई दिल्ली-110092** में है, के मामले में

....**आवेदक कंपनी/याचिकाकर्त्ता**

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **01 जून, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में **डब्ल्यूए-121/312, शकरपुर, नई दिल्ली-110092** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **जेडीके इंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड**

दिनांक: 11 जून, 2019 सविता जैन
स्थानः दिल्ली निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

एस.एम.ई.सी.सी.सी. नारायणा, 59, कम्युनिटी सेन्टर, 2रा तल, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110028
फोन: 011–25896101, 011–25896102, 011–25895586,
ई–मेल आईडी: sbi.15711@sbi.co.in

कब्जा सूचना (सांकेतिक) नियम 8 (1) एवं (2) के अंतर्गत (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल परिसम्पत्ति प्रॉसेसिंग केन्द्र, (आरएसीपीसी), 59, कम्युनिटी सेन्टर, पीवीआर के निकट, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली– 110028 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 2 के साथ पठित 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.7.2018 जारी कर अधोलिखित ऋणधारकों: मै. तरूण ट्रेडिंग कंपनी (प्रॉप. श्री तरूण कुमार शाह), निवासीः एनपी– 94, मौर्या एन्क्लेव, पीतमपुरा, डीएमसी (यू) (पार्ट), नई दिल्ली, सरस्वती विहार, उत्तर–पश्चिम दिल्ली– 110034, साथ हीः के–142, फेज–8, फोकल प्वाइन्ट, लुधियाना, पंजाब–141010, खाता नं. 55025129701 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 2.2.2019 को रु. 47,55,653/– (रुपये सैंतालिस लाख पचपन हजार छः सौ तिरेपन मात्र) तथा ब्याज एवं अन्य खर्चे तथा चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 11 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 2.2.2019 को रु. 47,55,653/– (रुपये सैंतालिस लाख पचपन हजार छः सौ तिरेपन मात्र) तथा ब्याज एवं अन्य खर्चे, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से लागू होने वाले पुनर्भुगतान, यदि कोई हो, को घटाकर उक्त राशि के लिये भारतीय स्टेट बैंक, एस.एम.ई.सी.सी.सी. नारायणा, 59, कम्युनिटी सेन्टर, 2रा तल, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110028 के चार्ज के अधीन होगा।

सम्पत्तियों की अनुसूची

"एनपी–94–ए, मौर्या एन्क्लेव, पीतमपुरा, डीएमसी (यू) (पीएआरटीए), नई दिल्ली, सरस्वती विहार, उत्तर–पश्चिम दिल्ली– 110034 से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 12.6.2019 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः दिल्ली भारतीय स्टेट बैंक

SCANPOINT GEOMATICS LIMITED

SGL SCANPOINT GEOMATICS LIMITED

Registered Office: 9, Mahakant Complex, Opposite V. S. Hospital, Ashram Road, Ahmedabad - 380006, Gujarat, India
Telephone: +91-79-26575365 / 26575371 | **Email:** info@sgligis.com
Corporate Office: 12, Abhishree Corporate Park, ISKCON - Ambli Road, Ahmedabad - 380 058, Gujarat, India
Telephone: +91 2717 297096 / 297098 | **Facsimile:** + 91 2717 297039
Contact Person: Mr. Mukesh Limbachiya, Company Secretary and Compliance Officer
Email: cs@sgligis.com | **Website:** www.sgligis.com | **Corporate Identity Number:** L22219GJ1992PLC017073

PROMOTER OF OUR COMPANY : MR. RAMESHCHANDRA K. SOJITRA

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ONLY

ISSUE OF UP TO 43,33,819 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 2 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 23 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 21 PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT UP TO ₹ 996.78 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 62 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 645 FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON WEDNESDAY, MAY 15, 2019 (THE "ISSUE").

Capitalized terms used but not defined in this Announcement shall have the same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer, unless otherwise defined.

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED	
ISSUE CLOSING DATE (OLD)	ISSUE CLOSING DATE (NEW)
Wednesday, June 12, 2019	Friday, June 14, 2019

ASBA* — **Simple, Safe, Smart way of Application – Make use of it!!!**
***Applications supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to the issues by simply blocking the fund in the bank account. Investors can avail the same. For further details, please see the chapter titled "Terms of the Issue" beginning on page 159 of the Letter of Offer.**

This is to inform to the shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Wednesday, May 29, 2019 and scheduled to close on Wednesday, June 12, 2019, has now been extended by the Company from Wednesday, June 12, 2019 to Friday, June 14, 2019 based on request from the shareholders of the Company.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with amount payable on application) is **Friday, June 14, 2019**. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as **Friday, June 14, 2019**. There is no change in the CAF / Abridged Letter of Offer dated May 15, 2019 except for modification in the indicative timetable of post issue activities on account of extension of Issue Closing Date.

For Scanpoint Geomatics Limited
Sd/-
Mukesh Limbachiya
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Ahmedabad
Date: June 11, 2019

Raka

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (भारत सरकार का उपक्रम)

जेडओएसएआरबी, 9वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन : 011-23448841, मो.- 9584317482, ई–मेल : armdel@bankofbaroda.com

मेगा ई–नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा उधारकर्ताओं और गारंटरों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि अधोवर्णित सम्पत्तियां बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका भौतिक / सांकेतिक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत ले लिया गया था, और अब इनकी बिक्री लागू ब्याज, प्रभारों एवं लागतों इत्यादि के साथ बैंक की बकाया देय राशियों की वसूली हेतु नीचे वर्णित नियमों के अनुसार मेगा ई–नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।

निम्न विवरणित सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में सन्दर्भित) के नियम 6, 8 एवं 9 के अंतर्गत **"जैसी है जहां है, जो है वहां है तथा कोई वापिसी नहीं आधार"** पर की जाएगी।

क्र. सं.	कर्जदार / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	ई–नीलामी की तारीख एवं समय	बकाया राशि / धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय
1	मैसर्स शंभू स्टील्स् फोर्जिंग प्रा. लि.	फ्री होल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग, खसरा नं. 725 (क्षेत्रफल 8960 वर्ग मी.) और 726 (क्षेत्रफल 650 वर्ग मी.) कुल 9610 वर्ग मी., गाँव पोपई परगना तहसील गढ़ मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स शंभू स्टील्स् फोर्जिंग प्रा. लि. के नाम पर है।	₹ 172.00 लाख ₹ 17.20 लाख ₹ 1.00 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रु. 5,95,76,764.00 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि 05-03-2015	24-06-2019
2	मैसर्स धर्मवेद एसोसिएट्स इसके प्रोपराईटर द्वारा श्री मयंक गौर निवासीः सी–9/11, कृष्णा नगर, दिल्ली, गारंटरः श्री संजय गौर निवासीः सी–9/11, कृष्णा नगर, दिल्ली	फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. सी–9/11 पर निर्मित हिस्सा, गाँव घोण्डली क्षेत्र में स्थित, कृष्णा नगर आबादी में, इलाका शाहदरा एरिया, दिल्ली – 51 में स्थित, क्षेत्रफल 201 वर्ग गज, इसकी पूर्ण निर्माण श्री संजय गौर के नाम पर है।	₹ 415.00 लाख ₹ 41.50 लाख ₹ 1.00 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रु. 6,32,60,678.00 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि 15-10-2015	24-06-2019
3	मैसर्स सिग्नस स्प्लेन्डिड लि.	कम्पनी के नाम पर फ्री होल्ड फैक्ट्री भूमि एवं भवन जोकि (1) खसरा नं. 11, गाँव ध्याकि, मेंगलोर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित, क्षेत्रफल 1750 वर्ग मी., (2) खसरा नं. 11, गाँव ध्याकि, मेंगलोर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित, क्षेत्रफल 5003.45 वर्ग मी. और (3) खसरा नं. 361, 362, 363 और 366, गाँव मुंडयाकि, मेंगलोर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित, क्षेत्रफल 1276.55 वर्ग मी., प्लांट एवं मशीनरी और विविध स्थायी आस्तियां जोकि मैसर्स सिग्नस स्प्लेन्डिड लि. के नाम पर है। चौहदी : पूरब में – एन एच –58, पश्चिम में – अन्य की भूमि, उत्तर में – अन्य की भूमि, दक्षिण में – अन्य की भूमि	₹ 610.00 लाख ₹ 61.00 लाख ₹ 1.00 लाख ₹ 290.00 लाख + जीएसटी लागू (वस्तु अनुसार) ₹ 29.00 लाख ₹ 1.00 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रु. 777.07 लाख (दिनांक 06.05.2017 तक) + अनुपयुक्त ब्याज, अन्य खर्चे और आकस्मिक खर्चे इत्यादि 06-05-2017	25-06-2019
4	मैसर्स एच.आर. स्टील्स् प्रा. लि.	फ्री होल्ड साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फैक्ट्री भूमि एवं भवन खसरा नं. 1033 और 1034, गाँव खजुरीवास, अलवर रोड, भिवाड़ी (राजस्थान), यह सम्पत्ति मैसर्स एच.आर. स्टील्स् प्रा. लि. के नाम पर है।	₹ 670.00 लाख ₹ 67.00 लाख ₹ 1.00 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रु. 20,80,05,424.02 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि 07-09-2015	24-06-2019
5	1. मैसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड 2. श्री अनिल जिंदल पुत्र श्री गिरी राज जिंदल, 3. श्री अंकित सचदेवा पुत्र सुनील सचदेव, 4. श्री नवीन कुमार तायल पुत्र श्री नानक चंद तायल 5. श्री विनोद जिंदल पुत्र श्री जी.एस. जिंदल, 6. श्रीमती रितु जिंदल पत्नी श्री विनोद कुमार जिंदल, 7. श्री सुनील जिंदल पुत्र श्री गिरी राज जिंदल, 8. श्रीमती शालिनी जिंदल पत्नी श्री सुनील जिंदल, 9. श्रीमती संजना बंसल पत्नी श्री राजू बंसल, 10. श्रीमती तोशी बंसल पत्नी श्री बिशन बंसल, 11. श्रीमती विमलेश तायल पत्नी श्री नानक चंद तायल, 12. श्रीमती ममता सिंगला पत्नी राजेश सिंगला, 13. श्री नानक चंद बंसल पुत्र श्री अमी चंद, 14. श्रीमती शशि जिंदल पत्नी अनिल जिंदल, 15. मैसर्स एसआरएस रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लि., 16. मैसर्स बीटीएल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	(1) मकान नं. 535, सैक्टर–14, अरबन ईस्टेट, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री विनोद जिंदल और श्रीमती ऋतु जिंदल के नाम पर है। चौहदी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – प्लॉट नं. 550, पूरब में – प्लॉट नं. 534, पश्चिम में – प्लॉट नं. 536	₹ 360.00 लाख ₹ 36.00 लाख ₹ 1.00 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रु. 68,89,64,532.50 दिनांक 10.04.2017 तक और दिनांक 01.04.2017 से भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि, सरफासी एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस दिनांकित 10.04.2017 के अनुसार 10-04-2017	22-06-2019
6	मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज, 1818, नया बाजार, दिल्ली –110006, <u>और:</u> 2–ए/17, नेहरू नगर, गाजियाबाद <u>और:</u> 108–110, वर्धमान सिटी–2, प्लाजा, आसफ अली रोड, दिल्ली <u>और:</u> 512–513–514, गाँव चिज्जरसी, कुलिच नगर, पिलखुवा, हापुड़, गाजियाबाद गारंटर्स– 1) श्री मनीष जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन, आर–4/13 राज नगर गाजियाबाद 2) श्री मोहन लाल जैन पुत्र श्री नवल चंद जैन, सी/ओ एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2–ए/17, नेहरू नगर, गाजियाबाद <u>और:</u> 1818, नया बाजार, दिल्ली, <u>और:</u> 108–110, वर्धमान सिटी–2, प्लाजा, आसफ अली रोड, दिल्ली <u>और:</u> आर–4/13 राज नगर गाजियाबाद 3) श्रीमती सुमन जैन पत्नी मनीष जैन, आर –4/13 राज नगर, गाजियाबाद 4) श्रीमती कमला जैन पत्नी श्री मोहन लाल जैन, आर –4/13 राज नगर, गाजियाबाद 5) श्रीमती संगीता जैन पत्नी स्वं. श्री रजनीश जैन (स्वयं के साथ–साथ स्वर्गीय श्री रजनीश जैन और नाबालिग एलआर के अगले मित्र के रूप में मास्टर श्रेनिक जैन के अविभावक), आर –4/13 राज नगर, गाजियाबाद 6) सुश्री सुविधा जैन पुत्र स्वं. स्वं. श्री रजनीश जैन (स्वं. श्री रजनीश जैन के एलआर) आर –4/13 राज नगर, गाजियाबाद 7) श्रेया जैन पुत्री स्वं. श्री रजनीश जैन (स्वं. श्री रजनीश जैन के एलआर आर–4/13 राज नगर, गाजियाबाद 8) एन.एम. इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मकान पुराना नं. 889 <u>और:</u> नया नं. 957–58, लाहौरी गेट दिल्ली <u>और:</u> 115, वर्धमान सिटी–2, प्लाजा, आसफ अली रोड, दिल्ली, 9) मैसर्स ओनेक्स बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्रा. लि., 1818, नया बाजार, दिल्ली –110006, 10) मैसर्स एन एम एग्रो प्रा. लि., 1818, नाया बाजार, दिल्ली –110006, 11) श्री रजनीश जैन, एचयूएफ, आर–4/13 राज नगर गाजियाबाद (यू.पी) 12) श्री मनीष जैन एचयूएफ, आर–4/13 राज नगर गाजियाबाद (यू.पी)	साम्यिक बंधक औद्योगिक प्लॉट / सम्पत्ति नं. ई–109, क्षेत्रफल 1600 वर्ग गज, साईट–1, बुलंदशहर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, यू पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्री मोहन लाल जैन के नाम पर है। चौहदी : उत्तर में – 60फीट रोड, पश्चिम में – प्लॉट नं. ई–108, पूरब में – प्लॉट नं. ई–110, दक्षिण में – नाला	₹ 350.00 लाख ₹ 35.00 लाख ₹ 1.00 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रु. 66,90,33,784.00 दिनांक 14.08.2018 तक (दिनांक 31.07.2018 तक ब्याज की गणना) प्लस दिनांक 01.08.2018 से भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि, 14-08-2018	24-06-2019
7	मैसर्स के.एम. डॉयमण्ड प्रा. लि.	फ्री होल्ड सम्पत्ति बेसमेंट साथ में सम्पत्ति के नीचे समानुपातिक अधिकार, म्युनिसिपल नं. 11676/1, वार्ड नं. XVI, प्लॉट नं. 3565/640 पर निर्मित, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज अर्थात 675 वर्ग फीट, ब्लॉक–यू, गली नं. 1, बस्ती रैघर, सत नगर, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री दीपक गुप्ता के नाम पर है।	₹ 41.50 लाख ₹ 4.15 लाख ₹ 0.25 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रु. 9,36,33,551.60 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि 06-01-2015	24-06-2019
8	मैसर्स वर्धमान बिल्डटेक प्रा. लि., पताः 801–814, 8वां तल, सी–58 शाहपुरी तीरथ सिंह टॉवर, सामुदायिक केंद्र, जनक पुरी, नई दिल्ली–110058 और कॉर्पोरेट गारंटर/बंधककर्ता – मैसर्स अल्टीमेट इन्फोविजन प्रा. लि., पताः – बी–05, सी–58, शाहपुरी तीरथ सिंह टॉवर, सामुदायिक केंद्र, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058	साम्यिक बंधक भूमि सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि लीज़ होल्ड प्लॉट नं. 12ए, आईटी / इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज के प्रयोग हेतु, क्षेत्रफल 38014.54 वर्ग मी., सैक्टर – III, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिला जी.बी नगर (यू.पी.) साथ में उस पर बिल्डिंग और संरचनाओं को मिलाकर, यह सम्पत्ति मैसर्स अल्टीमेट इन्फोविज़न प्रा. लि. के नाम पर है। चौहदी : उत्तर – पूरब में – प्लॉट नं. 12, दक्षिण – पूरब में – रोड/जी एल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेज़मेंट, उत्तर – पश्चिम में – प्लॉट नं. 14, दक्षिण–पश्चिम में – रोड/ग्रीन बेल्ट	₹ 36.00 करोड़ ₹ 3.60 करोड़ ₹ 5.00 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रु. 8,21,47,651.00 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि, सरफासी एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुसार एन पी ए की तिथि के उपरांत वसूली घटाकर 31-03-2018	25-06-2019
9	मैसर्स शिव शक्ति सिलवर	लीज़ होल्ड 1 दुकान, भूतल पर प्लॉट नं. 1, बिना छत / टेरैस के, (सम्पत्ति नं. 2724/23 के पास) सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 2725, खसरा नं. 21 और 22 वार्ड नं. XVI ब्लॉक –पी, गली नं. 23, बिडनपुरा करोल बाग, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 23.23 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री प्रेम खन्ना और श्रीमती ऋद्धि खन्ना के नाम पर है।	₹ 65.00 लाख ₹ 6.50 लाख ₹ 0.50 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रु. 8,09,94,731.51 प्लस भविष्य का ब्याज एवं खर्चे इत्यादि 17-09-2016	24-06-2019
10	मैसर्स इंडिया वायर प्रोप. हेम चंद गुप्ता	1. फ्री होल्ड औद्योगिक फैक्ट्री भूमि एवं भवन जोकि पूर्वी तरफ का सम्पत्ति नं. 1/429/15, गली नं. 1, औद्योगिक क्षेत्र, फ्रैन्ड्स कॉलोनी, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली – 110095 में स्थित, क्षेत्रफल 199 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री हेम चंद गुप्ता के नाम पर है। 2. फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. 1/429/15 का पश्चिमी हिस्सा, गली नं. 1, औद्योगिक क्षेत्र, फ्रैन्ड्स कॉलोनी, जीटी रोड, शाहदरा, दिल्ली – 110095 में स्थित, क्षेत्रफल 199 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री हेम चंद गुप्ता और श्रीमती शारदा रानी गुप्ता के नाम पर है। 3. फ्री होल्ड औद्योगिक भूमि एवं भवन जोकि नं. 1/56, खसरा नं. 2541/1802/801 और 5131/3386/2688/802 में से, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, चन्द्रावली क्षेत्र में, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री हेम चंद गुप्ता के नाम पर है।	1. ₹ 295.00 लाख ₹ 29.50 लाख ₹ 1.00 लाख 2. ₹ 295.00 लाख ₹ 29.50 लाख ₹ 1.00 लाख 3. ₹ 135.00 लाख ₹ 13.50 लाख ₹ 1.00 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक (प्रत्येक सम्पत्ति हेतु) धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रु. 10,92,39,554.20 दिनांक 31.08.2017 तक + अनुचित ब्याज, और खर्चे 17-10-2017	25-06-2019
11	मैसर्स पृथ्वी सिंह इंटरप्राइजेज (प्रोप. सतीश नागर) और सतीश नागर	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. बी–27, द्वितीय तल, बिना छत के अधिकार के, नेहरू अपार्टमेंट, नेहरू नगर, सैक्टर–3, गाजियाबाद (यू.पी), क्षेत्रफल 104.94 वर्ग मी. + खुला क्षेत्रफल 9.51 वर्ग मी., गैराज (नं. 34) 11.32 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री सतीश नागर (कर्जदार) चौहद्दी : उत्तर में – मकान नं. बी–22, दक्षिण में – 30 फीट चौडी रोड, पूरब में – 30फीट चौडी रोड, पश्चिम में – मकान नं. बी–30	₹ 40.00 लाख ₹ 4.00 लाख ₹ 0.50 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	(1) रू 2,13,71,642.25 उनके ओ/डी खाता में दिनांक 31.12.2017 तक बकाया साथ में संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित, कुल चुकौती की तिथि तक (2) रू 9,67,232.00 उनके हाउसिंग ऋण खाता में दिनांक 31.12.2017 तक बकाया (दिनांक 23.12.2017 तक ब्याज की गणना) साथ में दिनांक 24.12.2017 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित, कुल चुकौती की तिथि तक, (3) रू 10,25,015.50 दिनांक 31.12.2017 तक बकाया (दिनांक 25.12.2017 तक ब्याज की गणना) साथ में दिनांक 26.12.2017 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित, कुल चुकौती की तिथि तक 10-01-2018	24-06-2019
12	मैसर्स पृथ्वी सिंह इंटरप्राइजेज (प्रोप. सतीश नागर) और सतीश नागर	सम्पत्ति भूमि एवं भवन जिसका खसरा नं. 652, खाता नं. 147, गाँव कुरी खेड़ा, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर (यू.पी.) क्षेत्रफल 6087.50 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती इंदू नागर (गारंटर) के नाम पर है। चौहदी : उत्तर में – अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – 40फीट रोड, पूरब में – अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में – अन्य की सम्पत्ति	₹ 2.80 करोड ₹ 28.00 लाख ₹ 1.00 लाख	29-06-2019 को अपाह्न 01.00 बजे से अपाह्न 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 27-06-2019	रू 2,13,71,642.25 उनके ओ/डी खाता में दिनांक 31.12.2017 तक बकाया साथ में संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित, कुल चुकौती की तिथि तक 10-01-2018	24-06-2019

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार **नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**

ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

1. नीलामी-सह-बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
2. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
4. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम् इन्क्रीमेन्टल राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
5. 10% धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/निधि अंतरण द्वारा किया जाएगा- खाता का नाम- एआरएम शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली खाता नं. 00950200000743, आईएफएससी कोडः BARB '0' CONNAU (जहां '0' शून्य है।)
6. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों को अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण **की स्वः प्रमाणित प्रति**। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पास्वर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
7. **इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे** मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि, श्री विजय सेठी, मो. नं. **+91-9619002431 / 9619120214**, ईमेल : **vijay.shetty@auctiontiger.net**, श्री तिलक मराठा, मो. नं. **6351896832 / 07961200546**, ईमेल : **tilak@auctiontiger.net**, फोन नं. **079-40230816/ 817/ 818/ 819/ 820**, ईमेल : **support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बधित किसी भी पूछताछ के लिए आप प्राधिकृत अधिकारी श्री वाई.पी. चावला, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेडओएसएआरबी, टेली नं. 011-23448841, मो. नं. 9584317482, ईमेलः armdel@bankofbaroda.com से किसी भी कार्य दिवस को कार्यविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।**
8. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पास्वर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
9. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
10. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
12. यहां ऊपर क्रम सं. 10 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
13. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
14. सभी सांविधिक देयताओं/ एटेन्डेन्ट चार्जेज/ पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
16. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
17. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
18. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।
19. ई–नीलामी से सम्बंधित जानकारी ई–नीलामी टैब **(http://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm)** के तहत बैंक की वेब साइट के होम पेज पर उपलब्ध है।
20. किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस अंतिम माना जायेगा।

बैंक, यदि उपयुक्त समझे, किसी एक या अधिक संपत्तियों के लिए बोली कर सकता है। बोलीदाता स्वंय के हित में अंतिम मिनट तथा सैकंड्स की बोली से बचें। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चूक (पावर फैल्यौर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों जैसे पावर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकस्मिकताओं से बच सकें तथा सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज (सीसीए) द्वारा निर्गत नए इंटरपैरेबिलिटी गाइडलाइन्स के अनुसार ई-प्राप्ण अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकिट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन नए एल्गोरिथ्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजीटल प्रमाण पत्र SHA 2 पर एल्गोरिथ्म अनुपालन होना चाहिए। इसके लिए यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/ लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक-3 के मामले में यदि आपको कोई ईस्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई-नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।

ऋणधारक/ गारंटर/ मार्टगेजर के लिए 15 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व संपूर्ण अद्यतन ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ऋणधारकों/ गारंटरों से ब्याज तथा लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 12.06.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

S H KELKAR AND COMPANY LIMITED

CIN: L74999MH1955PLC009593
Registered Office: 36, Devkaran Mansion, Mangaldas Road, Mumbai, Maharashtra, 400002; **Tel. No.** 022-21649143/ 22069609, **Website:** www.keva.co.in
Email: investors@keva.co.in; **Contact Person:** Ms. Deepti Chandratre, Company Secretary & DGM Legal

PUBLIC ANNOUNCEMENT

FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF S H KELKAR AND COMPANY LIMITED FOR BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018

This Public Announcement (the **"Public Announcement"**) is being made pursuant to the provisions of Regulation 7(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 (the **"Buyback Regulations"**) for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time and contains the disclosures as specified in Schedule II to the Buyback Regulations.

OFFER FOR BUYBACK OF UPTO 33,00,000 (THIRTY THREE LAKHS) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF S H KELKAR AND COMPANY LIMITED ("SH KELKAR"/"THE COMPANY") OF FACE VALUE OF ₹10/- (INDIAN RUPEES TEN ONLY) EACH AT A PRICE OF ₹180/- (RUPEES ONE HUNDRED AND EIGHTY ONLY) PER FULLY PAID UP EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE MAXIMUM CONSIDERATION NOT EXCEEDING ₹59,40,00,000/- (RUPEES FIFTY NINE CRORES FORTY LAKHS ONLY) IN CASH ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE USING THE STOCK EXCHANGE MECHANISM

i) **Details of the Buyback offer**

The Board of Directors (the **"Board"**, which term shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include a duly authorized committee thereof) of S H Kelkar passed a resolution on June 10, 2019 (**"Board Meeting"**) to approve the proposal of buyback of upto 33,00,000 (Thirty Three Lakhs) fully paid-up equity shares of face value of ₹10/- each (**"Shares"** or **"Equity Shares"**) from the equity shareholders of the Company as on Record Date (hereinafter defined), on a proportionate basis, through **tender offer route** (**"Buyback"**) at a price of **₹180/- (Rupees One Hundred and Eighty Only)** per Equity Share (**"Buyback Price"**/**"Buyback Offer Price"**) payable in cash, for an aggregate maximum consideration not exceeding **₹59,40,00,000/- (Rupees Fifty Nine Crores Forty Lakhs Only)** excluding the transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, GST, stamp duty, filing fees, advisors fees, public announcement expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses etc. (the **"Buyback Offer Size"**).

The proposed Buyback is in accordance with the provisions of Section 68, 69, 70 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013, as amended (the **"Companies Act"**), the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, as amended (the **"Share Capital Rules"**) to the extent applicable and in accordance with Article 10 of the Articles of Association of the Company, and subject to the provisions of the Buyback Regulations and such other approvals, permissions as may be required from time to time from the Stock Exchanges i.e BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) where the Equity Shares of the Company are listed and from any other statutory and/or regulatory authority, as may be required and which may be agreed to by the Board and/or Audit Committee thereof. The proposed Buyback would be undertaken in accordance with SEBI circular bearing number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 (the **"SEBI Circulars"**), which prescribes mechanism for acquisition, tendering and settlement of shares through stock exchange pursuant to the Buyback. In this regard, the Company will request BSE to provide the acquisition window. For the purpose of the proposed Buyback, BSE would be the Designated Stock Exchange.

The proposed Buyback is subject to receipt of any approvals, permissions and sanctions of statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws including the Reserve Bank of India (**"RBI"**), Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), BSE and NSE and the United States Securities and Exchange Commission. (**"SEC"**).

The proposed Buyback offer size is **₹59,40,00,000/- (Rupees Fifty Nine Crores Forty Lakhs Only)** which is **9.96%** and **7.17%** of the fully paid-up equity share capital and free reserves respectively as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2019 (the last audited financial statements available as on the date of the Board Meeting approving the Buyback) and is within the statutory limits of 10% of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per audited standalone and consolidated financial statements of the Company under the Board of Directors approval route as per the provisions of the Companies Act. Further the Company proposes to Buyback up to 33,00,000 (Thirty Three Lakhs) Equity Shares representing 2.28% of the total number of fully paid up Equity Shares of the Company, which is within the 25% limit as per the provisions of the Companies Act.

The maximum amount required by the Company for the proposed Buyback aggregating to **₹59,40,00,000/- (Rupees Fifty Nine Crores Forty Lakhs Only)**, is within permitted limits. The funds for the proposed Buyback will be met out of internally generated cash resources of the Company. The Company confirms that as required under Section 68(2)(d) of the Companies Act and Regulation 4(ii) of Buyback Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the fully paid-up share capital and free reserves after the proposed Buyback.

The Buyback Price is ₹180/- (Rupees One Hundred and Eighty Only) per equity share. The Buyback Price has been arrived at after considering various factors including, but not limited to the trends in the volume weighted average market prices of the Equity Shares on BSE and NSE where the Equity Shares are listed, the networth of the Company, price earnings ratio, impact on other financial parameters and the possible impact of Buyback on the earnings per Share. The equity shares are being offered for Buyback at a premium of 23.03% & 23.25% over the closing price of equity shares on BSE and NSE on the date of Board meeting to consider the proposal for Buyback.

The proposed Buyback shall be on a proportionate basis from all the Equity Shareholders of the Company through the **"Tender Offer"** route, as prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buyback Regulations. (Please see Paragraph (xv) below for details regarding record date and share entitlement for tender in the Buyback)

The Buyback Offer Size does not include the transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, GST, stamp duty, filing fees, advisors' fees, brokerage, public announcement expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses etc.

In accordance with Regulation 9(xi) of the Buyback Regulations, the Company has appointed HDFC Bank Limited as the Escrow Agent for the aforementioned Buyback and an Escrow Account in the name and style "S H Kelkar and Company Limited – Buyback 2019 - Escrow Account" has been opened with the Escrow Agent. The Company has deposited an amount of ₹ 15,00,00,000 (Fifteen Crores Only) in the Escrow Account, being more than 25% of the total Buyback size.

A copy of this Public Announcement is available on the Company's website (www.keva.co.in) and is expected to be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in) and on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

ii) **Necessity for the Buyback**

The Company believes that Buyback is an efficient way of rewarding the long term shareholders especially the small shareholders.

The optimization of capital structure due to resultant reduction in the paid up equity share capital will result in creating long term value for the shareholders and enhancing the overall returns.

The buyback would give an option to the shareholders to either participate in the buyback and receive cash in lieu of Equity Shares accepted under the buy-back or not participate in the buyback based on their liquidity and long term plans.

Buyback involves allocating to the small shareholders the higher of a) number of shares entitled as per their holding or b) 15% of the number of shares to be bought back, reserved for the small shareholders.

iii) **Maximum amount required under the Buyback & its percentage of the total paid-up capital and free reserves and the sources of funds from which the Buyback would be financed:**

The aggregate fully paid-up equity share capital and free reserves as per latest audited balance sheet of the Company for the financial year ended March 31, 2019 on standalone and consolidated basis is ₹596.33 crores and ₹828.90 crores respectively. The funds deployed for proposed Buyback shall not exceed 10% of the aggregate fully paid-up equity share capital and free reserves of the Company under the Board approval route, as provided under the proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act. Accordingly, the maximum amount that can be utilised in the proposed Buyback as approved by the board is ₹ 59,40,00,000 which is within the maximum permissible amount as aforesaid and which represents 9.96% & 7.17% of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per latest audited standalone and consolidated balance sheet of the Company for the financial year ended March 31, 2019 respectively. This amount excludes any transaction costs such as securities transaction tax, GST, stamp duty, filing fees, advisors' fees, brokerage, public announcement expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses.

Further, the number of Equity Shares that can be bought back in any financial year cannot exceed 25% of the total paid-up equity capital of the Company in that financial year. Accordingly, the maximum number of Equity Shares that can be bought back in the current financial year is 3,61,55,200 (Three Crores Sixty One Lakhs Fifty Five Thousand Two Hundred) Equity Shares. Since the Company proposes to Buyback up to 33,00,000 (Thirty Three Lakhs) Equity Shares, the same is within the aforesaid 25% limit.

The funds for the implementation of the proposed Buyback will be sourced out of the free reserves of the Company and no funds will be borrowed from Banks and Financial Institutions for the Buyback.

The Company shall transfer from its free reserves a sum equal to the nominal value of the equity shares bought back through the Buyback to the Capital Redemption Reserve Account and details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statement.

The Company confirms that as required under Section 68(2)(d) of the Companies Act and Regulation 4 (ii) of Buyback Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company will not be more than twice the paid up equity share capital and free reserves after the Buyback.

iv) **Maximum Buyback Price and the basis of arriving at the Maximum Buyback Price:**

The Buyback Price shall be ₹180/- (Rupees One Hundred and Eighty Only) per equity share of ₹ 10/- each. The Buyback Price has been arrived at after considering various factors including, but not limited to the trends in the volume weighted average market prices of the Equity Shares on BSE and NSE where the Equity Shares are listed, the networth of the Company, price earnings ratio, impact on other financial parameters and the possible impact of Buyback on the Earnings per Share. The equity shares are being offered for Buyback at a premium of 23.03% & 23.25% over the closing price of equity shares on BSE & NSE respectively, on the date of Board meeting to consider the proposal for the Buyback.

v) **Number of shares that the Company proposes to Buyback and the time limit for completing the Buyback:**

The Company proposes to Buyback up to 33,00,000 (Thirty Three Lakhs) fully paid up Equity Shares of face value ₹10/- per equity share. The buy-back is proposed to be completed within 12 months from the date of passing the board resolution approving the proposed buy-back.

vi) **Method to be adopted for Buy back:**

The equity shares shall be purchased through Buyback by the Company using 'Tender Offer' route as prescribed under "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 following the procedure prescribed in the Companies Act and the Buyback Regulations and as may be determined by the Board (including the committee authorized to complete the formalities of the Buyback) and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

vii) **a) The aggregate shareholding of the promoter and of the directors of the promoters, where the promoter is a company and of the persons who are in control of the Company as on the date of the meeting of board of directors (i.e June 10, 2019) is as follows:**

a.1. The aggregate shareholding of the Promoter and Promoter Group and the persons who are in control of the Company is as under:

Sr. No	Name of the Shareholder	Number of Shares	% w.r.t total share/voting capital wherever applicable	% of total diluted share/voting capital of the Company
	Promoters, Promoter Group			
1	Ramesh Vinayak Vaze	25,965,600	17.95	17.95
2	Kedar Ramesh Vaze	14,215,100	9.83	9.83
3	Prabha Ramesh Vaze	5,014,514	3.47	3.47
4	Nandan Kedar Vaze	1,325,000	0.92	0.92
5	Parth Kedar Vaze	1,325,000	0.92	0.92
6	Anagha Sandeep Nene	1,522,600	1.05	1.05
7	Neha Kedar Karmarkar	761,250	0.53	0.53
8	Nishant Kedar Karmarkar	761,250	0.53	0.53
9	Sumedha Kedar Karmarkar	150	Negligible	Negligible
10	Nihar Sandeep Nene	0	0.00	0.00
11	KNP Industries Pte Limited	15,324,000	10.60	10.60
12	Keva Constructions Pvt Ltd	11,013,757	7.62	7.62
13	Vinayak Ganesh Vaze Charities	2,030,000	1.40	1.40
14	ASN Investment Advisors Private Limited	1,522,500	1.05	1.05
15	SKK Industries Private Limited	1,522,500	1.05	1.05
16	Kedar Ramesh Vaze Family Trust	100	Negligible	Negligible
17	Ramesh Vinayak Vaze Family Trust	100	Negligible	Negligible
	TOTAL	**82,303,421**	**56.92**	**56.92**

a.2. The aggregate shareholding of the directors of the promoters in the Company, where the promoter is a company:

Sr.no	Name of the promoter Company	Name of Director	No. of Shares held in SH Kelkar	Percentage (%)
1	Keva Constructions Private Limited	1. Mr. Ramesh Vinayak Vaze	25,965,600	17.95
		2. Mrs. Prabha Ramesh Vaze	5,014,514	3.47
		3. Mr. Kedar Ramesh Vaze	14,215,100	9.83
2	ASN Investment Advisors Private Limited	1. Mrs. Prabha Ramesh Vaze	5,014,514	3.47
		2. Mrs. Anagha Sandeep Nene	1,522,600	1.05
3	SKK Industries Private Limited	1. Mrs. Prabha Ramesh Vaze	5,014,514	3.47
		2. Mrs. Sumedha Kedar Karmarkar	150	0.00
4	KNP Industries Pte Limited	1. Mr. Ramesh Vinayak Vaze	25,965,600	17.95
		2. Mr. Kedar Ramesh Vaze	14,215,100	9.83

b No Equity Shares of the Company have been purchased/sold by any of the Promoter, and Promoter Group, Directors, of the Promoter Group companies, during the period from six months preceding the date of the Board Meeting at which the Buyback was proposed and from the date of the Board Meeting till the date of this Public announcement, except for the following transactions.

Name	Date of Transfer	No. of Shares	Details of Transfer	Consideration (in ₹)
Keva Constructions Private Limited	29.01.2019	2,50,000	On market Acquisition of Equity Shares	4,04,75,076.48/-
Nihar Sandeep Nene	18.02.2019	7,22,500	Off market transfer of shares by way of gift to Anangha Sandeep Nene	N.A.
Anangha Sandeep Nene	18.02.2019	7,22,500	Off market acquisition of shares from Nihar Sandeep Nene by way of gift	N.A.

viii) **Intention of the Promoter and Promoter Group of the Company to tender equity shares for buy-back:**

In terms of the Buyback Regulations, under the Tender Offer route, the Promoter and Promoter Group of the Company have the option to participate in the Buyback. In this regard, the Promoter and Promoter Group of the Company have expressed their intention vide their letters dated June 10, 2019 to participate in the Buyback and offer up to 33,00,000 (Thirty Three Lakhs) equity shares in aggregate or any such lower number of shares as required in compliance with the Buyback Regulations/terms of the Buyback. The details of intention of Promoter and Promoter Group to tender their equity shares in the Buyback offer as received by the Company is as follows:-

Sr.no	Name of Promoter/Promoter Group	No. of Shares held	Maximum number of Shares to be tendered
1	Ramesh Vaze	25,965,600	3,300,000
2	Kedar Vaze	14,215,100	3,300,000
3	Prabha Vaze	5,014,514	3,300,000
4	Parth Vaze	1,325,000	1,325,000
5	Nandan Vaze	1,325,000	1,325,000
6	Neha Karmarkar	761,250	761,250
7	Nishant Karmarkar	761,250	761,250
8	Sumedha Karmarkar	150	150
9	Anagha Nene	1,522,600	1,522,600
10	Vinayak Ganesh Vaze Charities	2,030,000	2,030,000
11	Keva Constructions Pvt. Ltd.	11,013,757	3,300,000
12	ASN Advisors Pvt. Ltd.	1,522,500	1,522,500
13	SKK Industries Pvt. Ltd.	1,522,500	1,522,500
14	KNP Industries Pte. Ltd.	15,324,000	3,300,000
	TOTAL	**82,303,221**	

In order to be in compliance with Regulation 10(4)(C) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the Promoter Directors/Directors belonging to Promoter Group i.e Mr. Ramesh Vaze, Mrs. Prabha Vaze and Mr. Kedar Vaze did not participate in the discussion on proposed Buyback of shares (including approval thereof) in the board meeting dated June 10, 2019.

Details of the date and price of acquisition of the equity shares from which the Promoter / Promoter Group entities intend to tender their equity shares are set-out below.

Name of Promoter/ Promoter Group	Date of Acquisition	Number of Shares	Nominal Value	Issue Price/ Transfer Price	Consideration	Nature of Transactions
Ramesh Vaze	18.10.1955	25	1,000	1,000	-	Shares allotted as fully paid up for consideration other than cash by virtue of an agreement dated 8-8-1955
	29.03.1961	10	1,000	1,000	10,000	Preferential Allotment
	26.03.1962	20	1,000	1,000	20,000	Preferential Allotment
	26.03.1962	20	1,000	1,000	20,000	Preferential Allotment
	26.03.1962	20	1,000	1,000	20,000	Preferential Allotment
	26.03.1962	10	1,000	1,000	10,000	Preferential Allotment
	30.05.1978	25	1,000	1,000	25,000	Preferential Allotment
	01.12.1978	120	1,000	Nil	Nil	Bonus Shares
	30.03.1988	240	1,000	Nil	Nil	Bonus Shares
	24.05.1990	480	1,000	Nil	Nil	Bonus Shares
	30.11.1995	240	1,000	1,000	240,000	Rights Issue
	16.09.1997	200	1,000	1,000	200,000	Rights Issue
	05.11.1997	1,400	1,000	Nil	Nil	Bonus Shares
	14.05.2002	1,400	1,000	1,000	1,400,000	Rights Issue
	16.11.2004	1,849	1,000	1,000	1,849,000	Preferential Allotment
	14.09.2010	978	1,000	66,462	65,000,000	Transfer of shares by Ajit Vaze
	28.06.2012	1,890	1,000	Nil	Nil	Bonus Shares issued pursuant to conversion of CCPS C
	08.08.2012	2,748	1,000	1,000	2,748,000	Preferential Allotment
	13.08.2014	1,000	1,000	1,000	1,000,000	Acquisition from KNP
	22.08.2014	4,726	1,000	1,000	4,726,000	Transferred pursuant to dissolution of the Kedar Vaze Family Trust
	TOTAL	**17,401**				
	17,401 equity shares of FV of ₹1000/- each were sub-divided into 17,40,100 equity shares of FV of ₹10/- each on 18.09.2014. Out of 17,40,100 shares 1,000 shares were sold.					
	Upto 22.08.2014	1,739,100	10	-	-	-
	18.09.2014	15,651,900*	10	Nil	Nil	Bonus Issue
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**3,300,000**
	*1,560,900 equity shares to be tendered out of 15,651,900 equity shares					
Prabha Vaze	18.09.2014	7,516,800*	10	Nil	Nil	Bonus Issue
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**3,300,000**
	*3,300,000 equity shares to be tendered out of 7,516,800 equity shares					
Kedar Vaze	18.09.2014	13,972,500*	10	Nil	Nil	Bonus Issue
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**3,300,000**
	*3,300,000 equity shares to be tendered out of 13,972,500 equity shares					
Parth Vaze	26.02.2014	1,325	10	1,000	1,325,000	Allotment
	18.09.2014	1,192,500	10	Nil	11,925,000	Bonus Issue
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**1,193,825**
Nandan Vaze	26.02.2014	1,325	10	1,000	1,325,000	Allotment
	18.09.2014	1,192,500	10	Nil	11,925,000	Bonus Issue
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**1,193,825**
Neha Karmarkar	12.03.2015	761,250	10	10	7,612,500	Transferred by Prabha Ramesh Vaze Family Trust
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**761,250**
Nishant Karmarkar	12.03.2015	761,250	10	10	7,612,500	Transferred by Prabha Ramesh Vaze Family Trust
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**761,250**
KNP Industries Pte Ltd	18.09.2014	15,411,600 *	10	Nil	Nil	Bonus Issue
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**3,300,000**
	*3,300,000 equity shares to be tendered out of 15,411,600 equity shares					
Vinayak Ganesh Vaze Charities	30.03.1968	50	1,000	Nil	Nil	Transferred from Shri V G Vaze
	30.03.1968	10	1,000	Nil	Nil	Transferred from Shri V G Vaze
	30.03.1968	20	1,000	Nil	Nil	transferred from Shri G D Kelkar
	30.03.1968	10	1,000	Nil	Nil	Transferred from Shri S V Vaze
	30.03.1968	10	1,000	Nil	Nil	Transferred from Shri R V Vaze
	01.12.1978	100	1,000	NA	NA	Bonus issue
	30.03.1968	200	1,000	NA	NA	Bonus issue
	24.05.1990	400	1,000	NA	NA	Bonus issue
	05.11.1997	800	1,000	NA	NA	Bonus issue
	28.06.2012	430	1,000	NA	NA	Bonus issue
	TOTAL	**2,030**				
	2,030 equity shares of FV of ₹1000/- each were sub-divided to 203,000 equity shares of FV of ₹10/- each on 18.09.2014.					
	Upto 28.06.2012	203,000	10	-	-	-
	18.09.2014	1,827,000	10	NA	NA	Bonus Issue
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**2,030,000**
Keva Constructions Pvt Ltd	14.03.2014	924	10	59,524	55,000,000	Transferred from Aarvee Enterprise
	13.08.2014	6,691	10	Nil	Nil	Registered in name of beneficiary of Kedar Ramesh Vaze Family Trust pursuant to revocation of trust on 13-08-14
	18.09.2014	6,853,500 *	10	NA	NA	Bonus Issue
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**3,300,000**
	*3,292,385 equity shares to be tendered out of 6,853,500 equity shares					
ASN Advisors Pvt Ltd	20.01.2015	1,522,500	10	2	2,279,354	Transferred by Ramesh Vinayak Vaze Family Trust
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**1,522,500**
SKK Industries Pvt Ltd	20.01.2015	1,522,500	10	2	2,279,354	Transferred by Ramesh Vinayak Vaze Family Trust
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**1,522,500**
Anagha Nene	19.12.2016	100	10	NA	NA	Off-market (transfer of Equity shares on account of dissolution of Ramesh Vinayak Vaze HUF)
	30.01.2018	800,000	10	Nil	N.A	Transferred by Nihar Nene by way of gift deed
	18.02.2019	722,500	10	Nil	N.A	Transferred by Nihar Nene by way of gift deed
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**1,522,600**
Sumedha Karmarkar	1.12.2015	50	10	216.02	10,801.00	Market Purchase
	9.12.2016	100	10	NA	NA	Off-market (transfer of Equity shares on account of dissolution of Ramesh Vinayak Vaze HUF)
	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered					**150**

ix) **No Defaults:**

The Company confirms that there are no defaults made or subsisting in the repayment of deposits / interest thereon, redemption of debentures or preference shares, payment of dividend to any shareholder or repayment of term loans / interest thereon to any financial institution or banks.

x) **Confirmation that the Board of Directors has made full enquiry into the affairs and prospects of the Company and that they have formed the opinion :**

The Board of Directors of the Company has confirmed that it has made a full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed the opinion that:

a. Immediately following the date of the Board Meeting held on June 10, 2019 with regard to the proposed Buyback, there will be no grounds on which the Company can be found unable to pay its debts;

b. As regards the Company's prospects for the year immediately following the date of the Board meeting held on June 10, 2019 with regard to the proposed Buyback , approving the Buyback and having regards to the Board's intention with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board meeting approving the Buyback;

c. In forming its opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities) as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, and the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (to the extent notified and in force).

xi) **The text of the Report dated June 10, 2019 received form B S R & Co. LLP, Chartered Accountants, the Statutory Auditors of the Company, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below**

The Board of Directors
S H Kelkar and Company Ltd.
Devkaran Mansion,
36, Mangaldas Road,
Mumbai – 400 002 India
10 June 2019

Dear Sirs / Madam,

Statutory Auditor's report in respect of proposed buy back of equity shares by S H Kelkar and Company Limited as per Clause (xi) of Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (BuyBack of Securities) Regulations, 2018, as amended

1. This Report is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated 7 September 2018 and addendum to it dated June 5, 2019. The Board of Directors of S H Kelkar and Company Limited (**"the Company"**) have approved a proposed buyback of Equity Shares by the Company at its meeting held on June 10, 2019, in pursuance of the provisions of Section 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013 (**"the Act"**) read with the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (**"SEBI Buyback Regulations"**).

2. The accompanying Statement of permissible capital payment (including premium) (**'Annexure A'**) as at March 31, 2019 (hereinafter referred to as the **"Statement"**) is prepared by the management of the Company, which we have initialed for identification purposes only.

Management's Responsibility for the Statement

3. The preparation of the Statement in accordance with Section 68(2) of the Act and ensuring compliance with Section 68, 69 and 70 of the Act and SEBI Buy-back Regulations, is the responsibility of the Management of the Company, including the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditors' Responsibility

4. Pursuant to the requirements of the SEBI Buy-back Regulations, it is our responsibility to provide a reasonable assurance whether:

(i) we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its latest audited standalone financial statements as at and for the year ended March 31, 2019, which have been audited by us, on which we have issued an unmodified opinion vide our report dated May 22, 2019 (**"audited financial statements"**);

(ii) the amount of the permissible capital payment (including premium) as stated in Annexure A for the proposed buy-back of equity shares is properly determined in accordance with Section 68(2) of the Act; and

(iii) the Board of Directors of the Company in their meeting dated 10 June, 2019, have formed the opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from that date.

5. Our engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the above reporting. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks associated with the above reporting. We accordingly performed the following procedures:

i) Examined that the amount of permissible capital payment (including premium) for the buy back as detailed in Annexure A is in accordance with the provisions of Section 68(2) of the Act;

ii) Inquired into the state of affairs of the Company with reference to the audited financial statements;

iii) Examined the Board of Directors' declarations for the purpose of buy back and solvency of the Company; and

iv) Obtained appropriate representations from the Management of the Company.

6. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services engagements.

8. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.

Opinion

9. Based on our performance of the aforesaid procedures, we report that :

(i) We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited standalone financial statements as at and for the year ended 31 March, 2019;

(ii) The amount of permissible capital payments (including premium) towards the proposed buyback of equity shares as computed in the statement attached herewith is in our view properly determined in accordance with the provision of Section 68(2) of the Act. The amounts of share capital and free reserves have been extracted from the audited standalone financial statements of the Company as at and for the year ended 31 March, 2019; and

(iii) the Board of Directors of the Company in their meeting held on 10 June, 2019 have formed their opinion, as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buy-back Regulations, on reasonable grounds that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of passing the board resolution dated 10 June 2019.

10. Based on the representations made by the management, and other information and explanations given to us, which to the best of our knowledge and belief were necessary for this purpose, we are not aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Directors in the declaration as to any of the matters mentioned in the declaration is unreasonable in circumstances as at the date of declaration.

Restriction on use

11. This report has been issued at the request of the Company solely for use of the Company in relation to (i) enable the Board of Directors of the Company to include in the public announcement, draft letter of offer, letter of offer and other documents pertaining to buy-back to be sent to the shareholders of the Company or filed with (a) the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, stock exchanges, public shareholders and any other regulatory 48 authority as per applicable laws and (b) the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and (ii) for providing to the Keynote Financial Services Ltd., manager to the offer, each for the purpose of extinguishment of equity shares and may not be suitable for any other purpose.

For B S R & Co. LLP.
Chartered Accountant
Firm's Registration No. 101248W / W-100022
Aniruddha Godbole
Partner
Membership No.105149
UDIN No: 19105149AAAABS9517

Mumbai
10 June 2019

Annexure A – Statement of permissible capital payment (including premium)

Computation of amount of permissible capital payment towards buy back of equity shares of S H Kelkar and Company Limited in accordance with proviso to Section 68 (2) of the Companies Act, 2013 (the "Act") and proviso to Regulation 4(i) of the SEBI Buy-back Regulations:

Particulars	Amount in INR crores *
Paid up equity share capital (144,620,801 Equity Shares of INR 10 each, fully paid up)* [A]	144.62
Free reserves #:	
- Securities premium account *	119.19^
- General reserve *	55.76
- Other reserves *	8.76
- Surplus in the Statement of Profit and Loss *	268.00
Total free reserves [B]	**451.71**
Change in carrying amount of an asset or of a liability on measurement of the asset or the liability at fair value [C]	-
Total [A + B – C]	**596.33**
Maximum amount permissible for buyback as per the Act and SEBI Buy-back Regulations (i.e.10% of aggregate of fully paid up equity share capital and free reserves as per audited standalone financial statements as of and for the year ended 31 March 2019)	59.63
Buyback offer size permitted by Board Resolution dated 10 June 2019	59.40
Buyback offer size as a percentage of total paid up capital and free reserves	9.96%

^ This represents amount after adjustment of INR 74.95 crores on account of equity shares held by S H Kelkar Employee benefit Trust.

* The amounts have been extracted from the audited standalone financial statements of the Company as at and for the year ended 31 March 2019 and rounded off to the nearest crores.

Free reserves are as per sub clause 43 of Section 2 and explanation II to Section 68 of the Act.

Continued in Next Page

Continued from Previous page

For S H Kelkar and Company Limited
Sd/-
Mr. Kedar Vaze
Chief Executive Officer and Director
Place: Mumbai
Date: 10 June 2019

SIGNED FOR IDENTIFICATION
Sd/-
BY ANIRUDDHA GODBOLE
FOR B S R & Co. LLP

xii) Process and methodology for Buyback

The Buyback is open to all Shareholders/beneficial owners of the Company holding Equity Shares on the Record Date.

The Buyback shall be implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI Circular ("Stock Exchange Mechanism") and following the procedure prescribed in the Companies Act and the Buy-back Regulations and as may be determined by the Board (including the Committee authorized to complete the formalities of the Buyback) and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

For implementation of the Buyback, the Company has appointed **Keynote Capitals Limited** as the registered broker to the Company (the **"Company's Broker"**) to facilitate the process of tendering of Equity Shares through Stock Exchange Mechanism for the Buyback as described below. The contact details of the Company's Broker are as follows:

Keynote Capitals Limited
Address: The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai – 400 028
Contact Person: Mr. Alpesh Mehta
Email: alpesh@keynoteindia.net
Tel.: +91-22-68266000

The equity shares of the Company are listed on both the exchanges (i.e. on BSE and NSE). The proposed Buyback will be implemented through Stock Exchange Mechanism provided by BSE, who shall be the Designated Stock Exchange for implementation of the proposed Buyback.

The Company will request BSE Limited to provide a separate acquisition window ("Acquisition Window") to facilitate placing of sell orders by Shareholders, who wish to tender Equity Shares in the Buyback. BSE Limited would be the Designated Stock Exchange for this Buyback.

During the tendering period, the order for selling Equity Shares will be placed by Shareholders through their respective stock brokers, who shall then enter the orders.

xiii) Procedure to be followed by Equity Shareholders:

All the equity shares of the Company are held in the dematerialized form.

Shareholders who desire to tender their Equity Shares under Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to them the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback.

The Seller Broker would be required to place an order/bid on behalf of the Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback using the Acquisition Window of BSE. Before placing the order/bid, the Seller Broker on behalf of Eligible Shareholder would be required to transfer the tendered Equity Shares by using the settlement number and the procedure prescribed by the Clearing Corporation of India Ltd. (**"Clearing Corporation"**) for the transfer of the Equity Shares to the special account of the Clearing Corporation specifically created for the purpose of Buyback (**"Special Account"**). This shall be validated at the time of order/bid entry. The details of the Special Account of Clearing Corporation shall be informed in the offer opening Circular that will be issued by BSE or Clearing Corporation.

For Custodian Participant orders for Equity Shares early pay-in is mandatory prior to confirmation of order by custodian participant. The custodian participant shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification shall revoke the custodian participant confirmation and the revised order shall be sent to the custodian participant again for confirmation.

Upon placing the bid, the Seller Broker shall provide a Transaction Registration Slip (**"TRS"**) generated by the exchange bidding system to the Shareholder. TRS will contain the details of order submitted like Bid ID No., Application No., DP ID, Client ID, No. of Equity Shares tendered etc.

Modification/cancellation of orders will be allowed during the tendering period of the Buyback.

The cumulative quantity tendered shall be made available on the website of BSE www.bseindia.com throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

xiv) Method of settlement

Upon finalization of the basis of acceptance as per Buy-back Regulations:

a) The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

b) The Company will pay the consideration to the Company's Broker who will transfer the funds pertaining to the Buyback to the Clearing Corporation's Bank account as per the prescribed schedule. For Equity Shares accepted under the proposed Buyback, the Clearing Corporation's Bank will make direct funds payout to the respective Shareholders. If the respective Shareholder's bank account details are not available or if the fund transfers instruction is rejected by RBI/Bank, due to any reason, then such funds will be transferred to the concerned Seller Brokers settlement bank account for onward transfer to such respective Shareholders.

c) The Equity Shares bought back would be transferred directly to the demat account of the Company opened for the Buy Back by the Registrar.

d) The Shareholders will have to ensure that they keep the depository participants (**"DP"**) account active and unblocked to receive credit in case of return of the equity shares, due to rejection or due to non-acceptance of shares under the proposed Buyback.

e) Excess Equity Shares or unaccepted Equity Shares, if any, tendered by the Shareholders would be returned to the Selling Broker by Clearing Corporation in payout.

f) The Seller Broker would issue contract note & pay the consideration for the Equity Shares accepted under the proposed Buyback and return the balance unaccepted Equity Shares to their respective clients. Company Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the proposed Buyback.

g) Shareholders who intend to participate in the proposed Buyback should consult their respective Seller Broker for payment to them of any cost, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Seller Broker upon the selling Shareholders for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the selling Shareholders from their respect Seller Broker, in respect of accepted Equity Shares, could be net of such costs, charges and expenses (including brokerage) and the Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the selling Shareholders.

h) The Equity Shares lying to the credit of the Company Demat Account will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buy-back Regulations.

xv) Record date and shareholder entitlement.

a) As required under the Buyback Regulations, the Company has fixed **Thursday, June 20, 2019** as the record date (the **"Record Date"**) for the purpose of determining the entitlement and the names of the Shareholders, who are eligible to participate in the proposed Buyback. The Equity Shares proposed to be bought back by the Company, as part of this Buyback shall be divided into two categories: (a) reserved category for Small Shareholders and (b) the general category for all other Shareholders, and the entitlement of a Shareholder in each category shall be calculated accordingly.

b) In accordance with the proviso to Regulation 6 of the Buyback Regulations, 15% (Fifteen per cent) of the number of Equity Shares which the Company propose to Buyback, or number of Equity Shares entitled as per shareholding of Small Shareholders as on the Record Date, whichever is higher, shall be reserved for the Small Shareholders as part of this Buyback.

c) Based on the shareholding as on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each Shareholder to tender their Equity Shares in the Buyback. This entitlement for each Shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective Shareholder as on the Record Date and the ratio of Buyback applicable in the category to which such Shareholder belongs. The final number of Equity Shares the Company will purchase from the Shareholders will be based on the Equity Shares tendered. Accordingly, in the event of the accepted shares the tender offer being in excess of Buyback Offer Size, the Company may not purchase all the Equity Shares tendered by the Shareholders over and above their entitlement.

d) After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the offer by Shareholders in that category, and thereafter from Shareholders who have tendered over and above their entitlement in other category.

e) The Shareholders' participation in the Buyback will be voluntary. The Shareholders can choose to participate, in full or in part, and get cash in lieu of Equity Shares to be accepted under the Buyback or they may choose not to participate and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding, post Buyback, without additional investment. The Shareholders may also tender a part of their entitlement additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other Shareholders, if any.

f) The maximum tender under the proposed Buyback by any Shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by the Shareholder as on the Record Date.

g) The Equity Shares tendered as per the entitlement by Shareholders as well as additional Equity Shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in Buyback Regulations.

h) Detailed instructions for participation in the proposed Buyback (tender of Equity Shares in the Buyback) as well as the relevant time table will be included in the Letter of Offer which will be sent in due course to the Shareholders as on Record Date.

xvi) Compliance Officer

The Company has designated Ms. Deepti Chandratre, Company Secretary & DGM Legal as the Compliance Officer for the Buyback.

The contact details are as given below

Name	Ms. Deepti Chandratre
Designation	Company Secretary & DGM Legal
Address	36, Devkaran Mansion, Mangaldas Road, Mumbai, Maharashtra, 400002
Email	investors@keva.co.in
Contact	022-21649143 / 22069609

In case of any clarifications or to address investor grievance, the Shareholders may contact the Compliance Officer, from Monday to Friday between 10 am & 5 pm on all working days, at the above mentioned address.

xvii) Investor service centre and Registrar to the Buyback

The Company has appointed Link Intime India Pvt. Limited as the Registrars to the Buyback. Their contact details are as under

LINK Intime

Link Intime India Private Limited
C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India.
Tel. No.: +91-22- 4918 6200; **Fax:** +91-22-4918 6195
Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande
Email: shkelkar.buyback2019@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in
SEBI Registration Number: INR000004058
CIN: U67190MH1999PTC118368

xviii) Manager to the Buyback

The Company has appointed Keynote Financial Services Limited as Manager to the Buyback. Their contact details are as under

KEYNOTE

Keynote Financial Services Limited,
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400028;
Tel: +91–22– 68266000-3; **Fax:** +91–22– 6826 6088;
E-mail: mbd@keynoteindia.net; **Website:** www.keynoteindia.net;
Contact Person: Ms. Pooja Sanghvi;
SEBI Registration No.: INM 000003606;

In case of any query, the Shareholders may contact the Registrar to the Buyback/ Manager to the Buyback, from Monday to Friday between 10 am & 5 pm at the above mentioned addresses.

xix) Directors' responsibility statement

In terms of Regulation 24(1)(a) of the Buy-Back Regulations, the Board of Directors of the Company accept responsibility for all the information contained in this Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of Board of Directors of S H Kelkar and Company Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Ramesh Vaze	**Kedar Vaze**	**Deepti Chandratre**
Managing Director	Director	Company Secretary
(DIN: 00509751)	(DIN: 00511325)	

Place: Mumbai
Date: June 11, 2019

CONCEPT

परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना

आदेश तिथि 9 अप्रैल, 2019 द्वारा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल द्वारा बाउलेवार्ड प्रॉजेक्ट्स प्रा.लि. (सीआईआरपी के अंतर्गत) के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों की बिक्री

बाउलेवार्ड प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड (सीआईआरपी)
पंजी. कार्या.: सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-1, नई दिल्ली
U70200DL2010PTC203764
रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल: अमित अग्रवाल
रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल का पता: एच-63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
ईमेल आईडी: boulevard.amitagcs@gmail.com; amitagcs@gmail.com
सम्पर्क नं: 011-43019279, मोबाईल नं.: +91-9899989085 (श्री शशांक बजाज)

नीलामी

दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री
नीलामी की तिथि एवं समय: 14 जून, 2019 को 12.00 बजे अप. से 1.00 बजे अप. आईएसटी
(प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री नीलामी द्वारा की जायेगी

परिसम्पत्ति	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
एशियन विजनेस स्कूल, प्लॉट ए2, सेक्टर 125, नोएडा, उ.प्र.-201301 में सैम्पल फ्लैटस में पड़ी चल परिसम्पत्तियों जैसे फर्नीचर, फिक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक मदें, कैन्डेलियर्स तथा अन्य चल सामग्रियों तथा जनरेटर सेट	रु. 2000000	रु. 200000

नीलामी द्वारा बिक्री के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

1. वस्तुओं की बिक्री ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है आधार'' पर नीलामी द्वारा होगी।
2. अपनी बोली जमा करने के पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं को अपने खर्चे पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट करना होगा। संभावित बोलीदाता श्री शशांक बजाज, +91 9899989085 से सम्पर्क कर पूर्व अनुमति के साथ उपरोक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
3. इच्छुक बोलीदाता को ईएमडी राशि के लिये बाउलेवार्ड प्रॉजेक्ट्स प्रा.लि. के नाम में किसी अनुसूचित बैंक के डीडी द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान करना होगा।
4. इच्छुक बोलीदाता 1) पहचान के प्रमाण; 2) वर्तमान पते के प्रमाण; 3) पैन कार्ड; 4) वैध ईमेल आईडी; 5) लैंडलाइन तथा मोबाईल नम्बर की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ईएमडी जमा करने के प्रमाण तथा नीलामी में भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र जमा कर सकते हैं।
ये दस्तावेज भौतिक रूप से अथवा ई-मेल द्वारा 12 जून, 2019 के 5.00 बजे अप. या उससे पूर्व रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये।
5. नीलामी में भाग लेने वाले योग्य बोलीदाता कम से कम आरक्षित मूल्य पर बोली करेंगें तथा न्यूनतम रु. 1 लाख अथवा उसके गुणक राशि में वृद्धि राशि द्वारा अपनी बोली में सुधार कर सकेंगे।
6. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री राशि के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस लौटा दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। आरपी सफल बोलीदाता को आशय पत्र (एलओआई) जारी करेंगे तथा सफल बोलीदाता को रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल द्वारा एलओआई जारी करने के 5 दिनों के भीतर शेष राशि (सफल बोलीराशि घटाकर ईएमडी राशि+सफल बोली राशि पर 18% जीएसटी) का भुगतान करना होगा। एलओआई में वर्णित समय-सीमा के भीतर सफल बोलदाता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर जमा की गई सम्पूर्ण राशि (ईएमडी तथा अन्य कोई राशि) जब्त कर ली जायेगी।
7. सफल बोलीदाता को नीलामी पर रखी गई सम्पत्तियों से संबंधित लागू होने वाले स्टाम्प शुल्कों/अंतरण चार्जेज, शुल्क आदि तथा सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक बकायों, करों, रैस्ट्स, गणना चार्जेज आदि शुल्कों का वहन करना होगा।
8. सम्पूर्ण बिक्री राशि के भुगतान के बाद केवल सफल बोलीदाता के नाम में बिक्री प्रमाणपत्र/अनुबंध जारी की जायेगी तथा वह किसी अन्य नाम में जारी नहीं की जायेगी।
9. रिजॉल्यूशन प्रॉफेशनल को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने तथा नीलामी को स्थगित/रद्द/निरस्त करने अथवा सम्पत्ति या उसके किसी भाग को नीलामी से वापस लेने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है।
10. यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित विनियमनों के प्रावधानों के अधीन होगी।

अमित अग्रवाल
पंजी. सं. IBBI/IPA-02/IP-N00185/2017-18/10456
एच-63, विजय चौक, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-110092
बाउलेवार्ड प्रॉजेक्ट्स (पी) लिमिटेड के लिये

तिथि: 11.6.2019
स्थान: नई दिल्ली

फार्म जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

(दिवाला एवं दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्ति के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत)

एक्स्क्लूसिव फायबर्स लिमिटेड के संभावित प्रस्ताव आवेदकों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एक्स्क्लूसिव फायबर्स लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	16 अप्रैल, 2004
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2004PLC125846
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 31/3203, वेदनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 निर्माण सुविधा: प्लॉट नं. डी2/ई16, दहेज इंडस्ट्रियल इस्टेट, जीआईडीसी, दहेज II, आरडी गलेण्डा, गुजरात 392130 वेबसाईट: www.efpl.co.in
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	28 मार्च, 2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	11 जून, 2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	www.efpl.co.in अथवा सूचना exclusivefibers.cirp@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	सूचना exclusivefibers.cirp@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	5 जुलाई, 2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	15 जुलाई, 2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	20 जुलाई, 2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	30 जुलाई, 2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	20 जुलाई, 2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 बी (1) के अंतर्गत उसे प्राप्त करने के लिये योग्य संभावित प्रस्ताव आवेदकों (पीआरए) के साथ इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में शेयर की जायेगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	20 अगस्त, 2019
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	पस्ताव कर्मी के पते अर्थात् खण्डेलवाल जैन एंड कं., चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस, जी-8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ नई दिल्ली के पास मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा या हाथों-हाथ जमा कर जिसके बाद ईमेल से पुष्टि की जायेगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	9 सितम्बर, 2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	आकाश सिंघल, पंजी.सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	आकाश सिंघल, प्रस्ताव कर्मी खण्डेलवाल जैन एंड क., चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, जी-8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002 ई-मेल: akash@kjco.co.net
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	खण्डेलवाल जैन एंड क., चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स, जी-8 एवं 9, हंस भवन, बीएसजेड मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली-110002 ई-मेल: exclusivefibers.cirp@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	विवरण www.efpl.co.in पर उपलब्ध है तथा exclusivefibers.cirp@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	12 जून, 2019

हस्ता./-
आकाश सिंघल
एक्स्क्लूसिव फायबर्स लिमिटेड के प्रस्ताव कर्मी
पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00137/2017-18/10279
टेलीफोन नं. 011-23370091
ईमल आईडी: exclusivefibers.cirp@gmail.com, akash@kjco.net

तिथि: 11.6.2019
स्थान: नई दिल्ली

ब्रिज एंड रूफ कं० (इंडिया) लि०

बी एण्ड आर
B AND R

(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
''कांकरिया सेंटर'', (4था व 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता- 71

निविदा आमंत्रण सूचना (निआसू)

निम्नलिखित कार्य हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी पार्टियों से दो भाग प्रणाली में आइटम दर प्रस्ताव आमंत्रित है :

क्र० सं०	कार्य का विवरण तथा निआसू सं० बी एंड आर/ एमएसपी/61010/ एचएमईएल/पाइपिंग/डब्ल्यूएम/एनआईटी/01 दिनांक : 11.06.2019	बी एंड आर की वेबसाइट पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र	बोली दाखिले की नियत तिथि
1.	भटिंडा (पंजाब) स्थित मेसर्स एचपीसीएल- मित्तल इनर्जी लिमिटेड की गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी हेतु प्रभारी इंजीनियर के निर्देशानुसार श्रमिक, यंत्र-औजार, पीपीईएस, मशीनरी, परिवहन सहित एनडीटी-उपकरण, निर्माण, संस्थापन, बिछाई, एलाइनमेंट, वेल्डिंग, सपोर्टिंग, हाइड्रो-टेस्टिंग, फ्लशिंग बाक्स-अप प्री-कमीशनिंग इत्यादि के साथ उपर्युक्त ग्राउंड आईबीआर एवं नॉन-आईबीआर (सीएस, एएस, एसएस, जीआई व स्ट्रीम ट्रेसिंग) का पाइपिंग कार्य।	**11.06.2019**	**25.06.2019**

इच्छुक साधनसंपन्न ठेकेदार निविदा प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/ संयोजन सिर्फ कंपनी की वेबसाइट : http://www.bridgeroof.co.in पर जारी की जाएगी।

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले

और

एरिआडने बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड (45200डीएल2007पीटीसी 158014) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज़ सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110055 में है के मामले में

(आवेदक / याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 3 जून, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय दिल्ली, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते एरिआडने बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड
ह0/-
कृष्ण कुमार शीरा
निदेशक
डीआईएन: 06802349

11 जून, 2019
नई दिल्ली

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050

निविदा आमंत्रण सूचना

एमटीएनएल, नई दिल्ली की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं:

1. सं. ईई(ई)-केबीएन/सीई (ई)/एमटीएनएल/19-20/09 एई (ई) एसकेएन, एमटीएनएल, नई दिल्ली के अन्तर्गत विभिन्न साईटों पर स्थित पैकेज/डक्टेबल एसी यूनिटों के व्यापक रख-रखाव हेतु ऑनलाईन मद दर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 20,39,400/-)।

2. सं. ईई(ई) रोहिणी/एमटीएनएल/एनआईटी/2019-20/14 ईई (इलैक्ट्रिकल) रोहिणी, एमटीएनएल, नई दिल्ली के अन्तर्गत विभिन्न टी.ई. बिल्डिंगों में स्थित 4x500 केवीए डीईए सैटों के व्यापक रख-रखाव हेतु ऑनलाईन मद दर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 21,40,800/-)।

3. सं. ईई(ई) रोहिणी/एमटीएनएल/एनआईटी/2019-20/16 टी.ई. बिल्डिंग, रोहिणी, एमटीएनएल, नई दिल्ली स्थित अग्नि प्रणाली के विस्तार हेतु ऑनलाईन मद दर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 28,88,500/-)।

4. सं. ईई(ई-एस)/बीसीपी/एनआईटी/2019-20/26 ईई (ई-एस), नई दिल्ली के अन्तर्गत विभिन्न भवनों के पावर रूम में ऑडियो अलार्म के विस्तार हेतु ऑनलाईन मद दर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 9,45,750/-)।

5. सं. एजीएम (एमपीएल)/राउंड शेप ट्विस्टिड एसएस ड्रॉप वायर (0.5 एमएम)/2018-19/02 3000 किमी. राउंड शेप ट्विस्टिड सेल्फ सपोर्टिंग ड्रॉप वायर (0.5 एमएम) (भाग-ए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली तथा भाग-बी वित्तीय बोली) की प्राप्ति हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत : रु. 1.478 करोड़)।

अधिक जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाइट : http://www.eprocure.gov.in एवं http://www.mtnl.in पर लॉग ऑन करें।

पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-I,
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 19/2011 तिथि: 16.5.2019

बिक्री उद्घोषणा

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम श्री शक्ति पॉलिमर एवं अन्य

सेवा में,
सीडी नं. 1. मै. श्री शक्ति पॉलीमर्स, 9/81-सी, दूसरा तल, शास्त्री गली, विस्वास नगर, दिल्ली-110032, साथ ही: 16/1, ए-2, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट-IV, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.
सीडी नं. 2. श्री सुधीर वशिष्ट, पुत्र स्व. श्री गोपीचन्द वशिष्ट, निवासी: 7/588, जैन मंदिर गली, शाहदरा, दिल्ली-110032
सीडी नं. 3. श्री मनोज वशिष्ट, पुत्र श्री राजिन्दर वशिष्ट, निवासी: 7/613, जैन मंदिर गली, शाहदरा, दिल्ली-110032
सीडी नं. 4. श्रीमती विद्या देवी, पत्नी श्री गोपी चन्द वशिष्ट, निवासी: 7/588, जैन मंदिर गली, शाहदरा, दिल्ली-110032

जैसा कि आप प्रमाणपत्र के अनुसार 11.2.2011 से 18% प्रति वर्ष साधारण दर पर देय ब्याज, लागत तथा अनुषांगिक खर्चे के साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा ओए नं. 28/2008/डीआरटी-III में तैयार की गई रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 63,45,254/- (रुपये तिड़ेसठ लाख पैंतालिस हजार दो सौ चौवन मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं जो आप पर बकाया हो गया है।

तथा जैसा कि अधोहस्तक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 18.7.2019 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली'' के माध्यम से मै. ई-प्राक्योमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रॉक्योर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 07940230808- 816/817/818/821/824/831/832, फैक्सः +91-7940016876 द्वारा वेबसाईट http:// www.drt.auctiontiger.net के माध्यम से की जायेगी। किसी प्रकार की पूछताछ के लिये सम्पर्क करें: श्री नितीश झा, मोबाईल नं. 07982880393, ई-मेल आईडी: delhi@auctiontiger.net अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करें: श्री प्रफुल्ल कुमार कार, सीएच बैंक के अधिकारी, मोबाईल नं. 8277673525

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. सम्पत्तियों, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	7/588, जैन मंदिर गली, शाहदरा, दिल्ली-32	रु. 67,00,000/- (रुपये सड़सठ लाख मात्र) ईएमडी: रु. 6,70,000/- (रुपये छः लाख सत्तर हजार मात्र)

सम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से कम में नहीं की जायेगी।

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50000/- (रुपए पचास हजार मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ईएमडी का भुगतान 16.7.2019 तक **रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III दिल्ली** के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा मुहरबंद लिफाफे में किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, **रिकवरी अधिकारी I, डीआरटी-III, नई दिल्ली** के पास जमा की जायेगी।
6. सफल बोलीदाता को अगले **बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक** ऊपर पैरा में वर्णित विवरणों के अनुसार **उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद** अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से **रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली** के पक्ष में डीडी के माध्यम **से रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली** के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
8. संभावित बोलीदाता 2.7.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 4 बजे अप. तक सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
10. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।
12. इस समय अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में सम्पत्ति पर राजस्व/अधिभारों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन, संभावित बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पूर्व अपने स्वयं के हित में बिजली/पानी/मकान कर के बिलों के बकाये अथवा किसी अन्य अधिभारों के विषय में अपना स्वयं का ड्यू डिलिजेन्स कर लें।
13. असफल बोलीदाता को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की अगली अनुसूचित तिथि को या उससे पूर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ एक आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।
14. सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि यहां दिये गये विवरणों को सत्यापित करें तथा उसकी जांच करें।
मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 21 मई, 2019 को दी गई।

(अनिल कुमार यादव)
रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

कार्यालय वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली – 110 001

आर. सी. सं. 158/2018 **बिक्री उद्घोषणा नोटिस** दिनांकित : 16.05.2019

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

ओरियंटल बैंक कॉमर्स बनाम दिपेन्दर कुमार एवं अन्य

सीडी नं. 1. श्री दिपेन्दर कुमार, जी-2, 43, सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085. और: बी-6/361, सैक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली – 110085 और: सी/ओ दिपेन्दर जनरल स्टोर, 12/38, सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली – 110085
सीडी नं. 2. श्री सुरेंद्र कुमार, जी-2, 43, सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली – 110085. और: बी-6/361, सैक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली-110085 और: सी/ओ सुरेंदर जनरल स्टोर, प्लॉट नं. 455, पॉकेट-4, सैक्टर- 22, रोहिणी, दिल्ली – 110085
सीडी नं. 3. श्री राजेश भाटिया पुत्र श्री सतपाल भाटिया ए-1/17, सैक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली-110085. और: 14, रानी गार्डन, शास्त्री नगर, दिल्ली

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली ओ. ए सं 132/2012/डीआरटी-III में आपके द्वारा देय रु. 20,71,903/- (रु. बीस लाख इकहत्तर हजार नौ सौ तीन मात्र) दिनांक 04.04.2012 से प्रभावी 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं लागतो का प्रमाण-पत्र के अनुसार भुगतान करने में असफल रहे।**

और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा **19.07.2019 को अर्पा. 03.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे के बीच** (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती है) ई-नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो ऑनलाईन इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के द्वारा बेबसाइट **http://www.drt.auctiontiger.net** पर **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज प्रा. लि., (ABC Procure) ए-201/208, वॉल स्ट्रीट – II, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (इण्डिया), फोन नं. +91-079-40230808-816/817/818/821/824/831/832, फैक्स नं. +91-079-40016876** के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। किसी पूछताछ के लिए **श्री नितिश झां, मोबाइल नंबर 07982880393, ई-मेल : delhi@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।** अन्य विवरण हेतु श्री संजय गुप्ता, सी एच के ऑफिसर, जिसका मो. नं. **9799961244 से सम्पर्क करें।**

उपरोक्त नाम के प्रतियादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निंधारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उदघोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा उदघोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

1. सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि
1.	सम्पत्ति द्वितीय तल, प्लॉट नं. 43, पॉकेट जी-2, सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित	रु.24,65,000/- (रु. चौबीस लाख पैसठ हजार मात्र) धरोहर राशि : रु.2,46,500/- (रु. दो लाख छियालीय हजार पाँच सौ मात्र)

सम्पत्ति धरोहर राशि से कम पर नहीं बेची जाएगी।

2. बोली, **कम से कम रू. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है, तब सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार हेतु रोक कर रखी जा सकती है।
3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-I, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली** में देययोग्य हो को **वसूली अधिकारी – I, डीआरटी-III, दिल्ली को दिनांक 17.07.2019 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नही की जायेगी।
5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वंय की ओर से या अपने स्वामी की और से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की और से बोली लगाने वाले मामलो में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना होगा।
6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।
7. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन** के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता को रू. 1,000/- तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**
8. इच्छुक बोलीदाताओं हेतु **सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 03.07.2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।**
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त हो जाएगें।
10 सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।
11 अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. सम्पत्ति के किसी भी भाग पर राजस्व / भार या विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के समबंध में है, इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान में नही है। हालांकि, भावी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पहले, अपने स्वयं के हित में, बिजली / पानी / हाउस टैक्स या किसी अन्य भार इत्यादि हेतु के बकाया राशि की स्वंय जाँच कर लें।
13. असफल बोलीदाता/ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर.सी. अनुसूची / सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा
14. सीएच बैंक को वर्णित सम्पत्ति को प्रामाणित और उसकी सच्चाई के बारे में सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

(अनिल कुमार यादव)
मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 16 मई, 2019 को दिया गया। **वसूली अधिकारी-I, ऋणवसूली अधिकरण-III, दिल्ली**

उर्दू अकादमी, दिल्ली
(दिल्ली सरकार)

निविदा सूचना पुस्तकों की छपाई

उर्दू अकादमी, दिल्ली को उर्दू भाषा में पुस्तकों की छपाई के लिए अनुभवी प्रिंटरों से प्रिंटिंग के लिए e-tender (online tender) तकनीकी बिड और फाईनेंशियल बिड) आमंत्रित हैं।

N.I.T. अपलोड कर दिया गया है। निविदा के नियम व शर्तें निविदा फार्म के साथ 27 जून 2019 को 3.00 बजे तक e-procurement की वेबसाइट http://govtprocurement.delhi.gov.in या उर्दू अकादमी, दिल्ली की वेबसाइट www.urduacademydelhi.com से डाउनलोड की जा सकती है। तकनीकी निविदा और डिक्लरेशन फार्म बयाना की राशी रू 10000/- डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी e-procurement की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ साथ इस की असल अकादमी में भी जमा कराना होगा। तकनीकी निविदा 27 जून 2019 को सायं चार बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जाएगी टेंडर आईडी नम्बर 2019_URDAC_173701_1

सभी निविदाकर्ताओं को एन आई सी के एपलिकेशन सर्विस प्रोवाईडर से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

नोट: उन प्रिंटर/फर्मो को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें उर्दू पुस्तकों की छपाई का पर्याप्त अनुभव होगा और जिनकी प्रेस में उर्दू जानने वाले कर्मचारी भी होंगे।

सचिव, उर्दू अकादमी, दिल्ली
सी.पी.ओ. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली.110006
फोन नं. 23865436, 23863858

DIP/SHABDARTH/0181/19-20

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
ICD, Tughlakabad, New Delhi –110 020

निविदा सूचना (केवल ई–टेंडर के माध्यम से)

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कनकपुरा (ICD/KKU),जयपुर में कार्गो हैंडलिंग हेतु व्यवसायिक सेवाओं के लिए केवल ई–टेण्डरिंग मोड के माध्यम से दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन खुली निविदा। बोली दस्तावेज ऑनलाइन द्वारा ₹ 1000/– के भुगतान पर वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा संख्या	CON/NR/TC/ Cargo.Hand./KKU/2019
कार्य का नाम	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कनकपुरा (ICD / KKU), जयपुर में कार्गो हैंडलिंग के लिए व्यवसायिक सेवाएं
अनुमानित लागत	₹ 48,43,974/- प्रतिवर्ष
अनुबंध की अवधि	चार (4) वर्ष, और एक वर्ष से विस्तार योग्य
धरोहर जमा राशि*	रू. 97,000/– ई–भुगतान के माध्यम से
दस्तावेज की लागत*	₹ 1000/– सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई–भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क*	₹ 2858/–सभी कर एवं ड्यूटियों सहित ई–भुगतान के माध्यम से (अप्रतिदेय)
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	12.6.2019 को, 15:00 बजे से 09.7.2019 को, 16:00 बजे तक
प्री बिड मीटिंग	26.6.2019, 15:00 बजे
जारि शुद्धिपत्र (यदि कोई हो)	28.6.2019 केवल पूर्व अथवा बाद में www.tenderwizard.com/CCIL पर
निविदा जमा करने की तिथि और समय	10.07.2019 15:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि और समय	11.07.2019 15:30 बजे

*ई भुगतान के माध्यक से

निविदा दस्तावेज वेबसाइट **www.tenderwizard/CCIL.com** से डाउनलोड किया जा सकता है। आगे कोई भी स्पष्टीकरण/शुद्धिकरण के लिए हमारे वेबसाइट पर देखें। निविदा, सभी मामलों में पूर्ण निर्दिष्ट तारीखों और समय के अनुसार ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए।

कार्यकारी निदेशक /एन आर

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
एक नवरत्न कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)
A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)
ICD, Tughlakabad, New Delhi - 110 020
कॉनकॉर CONCOR

सार्वजनिक नीलामी/निविदा सूचना ई-नीलामी के माध्यम से क्लीयर न किए गए/ अदावाकृत आयातित कार्गो का निपटान करना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र व उत्तरी मध्य क्षेत्र के उन कंटेनरों पर या **30.04.2019** से पहले उत्तरी क्षेत्र व उत्तरी मध्य क्षेत्र के टर्मिनलो पर पडे रद्दी वस्तुओ, खाली पडे क्षतिग्रस्त कंटेनरो और अदावाकृत/क्लियर ना किये गए आयातित कार्गो की ई-नीलामी के माध्यम से **28.06.2019** को जैसा है जहां है आधार पर नीलामी करेगा। नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों एवं कार्गो विवरणो के साथ सभी विवरण **13.06.2019** से **www.concorindia.co.in** एवं **www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध होंगे। सभी आयातकों जिनमें सरकारी उपक्रम/विभाग भी शामिल हैं, के कंटेनर/सामान किसी विवाद, न्यायालय/अधिकरणों/ अन्यो द्वारा दिये गए स्थगन के कारण या ऐसे किसी ऐसे अन्य कारण से संबंधित टर्मिनलों पर अदावाकृत /क्लीयर न किए गए पडे हैं और वेबसाइट में अपलोड की गई उक्त सूची में आते हैं, ये संबंधित कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र व उत्तरी मध्य क्षेत्र कानकोर और संबंधित कमीशनरी, सीमा शुल्क आयुक्त, को तदनुसार सूचित कर सकते हैं और इस सूचना के 7 (सात दिनों) के भीतर ऐसे सामानो के निपटान के संबंध मे अपनी आपत्तियाँ/दावे दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर और कोई सूचना दिये बगैर सामानो की **''जैसा है जहां है के आधार पर''** नीलामी कर दी जाएगी। पूर्ण विवरण के लिए कृपया **www.concorindia.co.in** एवं **www.mstcecommerce.com** पर लॉग ऑन करें।

कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

PUBLIC NOTICE

This is to inform the General Public at large that our client's customer, **Mrs. Naseema Khan**, is intending to purchase **Third Floor, Left Side, with roof rights., Property No. 1082, Gali No. 10, Khasra no. 600/93, Govindpuri Kalkaji, New Delhi** from Mr. Devender Singh and Mr. Bhupinder Singh who acquired the entire plot vide Relinquishment Deed dated **06.10.2016** as doc no. 6366 and claiming the ownership by way of succession/inheritance after the death of their mother Late Mrs. Gurdayal Kaur

And the said property is being mortgaged with **Magma Housing Finance at Shop no-101, Bhagmal Complex, Sector -15, Noida** after execution of the sale deed in favour of our client's customer.

All persons, if any, including other legal heir/s of late Mrs. Gurdayal Kaur, and the bank/s or Financial Institution/s, or any party/ies, having any claim, demand, rights, in respect of or against the said property or any part thereof by way of inheritance, assignment, mortgage, charge, lien, possession, or otherwise, howsoever nature, are hereby required to make the same known in writing with documentary support to the undersigned within seven days from the date of publication, failing which the said claim of such person/s, if any will be considered as waived and settled and not binding upon client's customer

Mr. Samir Kumar / Mr. Lalit Kumar (Advocates)
Mbl. No. – 8130395390/ 91
M/s. Excel Law Group,
Office At Address: 87-D, On 3rd & 4th Floor, Pocket-2, Sector-6, Dwarka, New Delhi

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Regional Office : Mahaluxmi Mall, C-2, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad, Ph.: 0120-2828365, Fax: 0120-2826116, E-mail: ro.ghaziabad@syndicatebank.co.in

किराये के लिए वाहन की आवश्यकता।

सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद को 6 सीट वाली महेन्द्रा बोलेरो (ए सी) वाहन की किराये पर आवश्यकता है। वाहन 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा 1,00,000 किलोमीटर से अधिक चला हुआ नहीं होना चाहिए।

बंद लिफाफे में बिड प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20.06.2019 सायं 4.00 बजे निर्धारित की गई है तथा बंद लिफाफे में बिड को 21.06.2019 को सायं 4.00 बजे खोले जायेंगे।

बैंक के पास टेंडर को रद्द करने अथवा किसी या सभी को कोई कारण बताए बिना अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। अधिक जानकारी के लिए उक्त पते पर संपर्क करें।

गाजियाबाद — **सिंडिकेट बैंक**
दिनांक 11-06-2019 — **क्षेत्रीय प्रबंधक, गाजियाबाद।**

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
रोहिणी, सेक्टर-8 (1506) शाखा: 101-110, प्रथम तल, आर जी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085. फोन: 011-27945991, 27940673. ईमेल: iob1506@iob.in

(परिशिष्ट IV) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [(नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 2.1.2018 (मांग सूचना सभी ऋणधारकों/मार्टगैजरों एवं गारन्टरों द्वारा 2.1.2018 को व्यक्तिगत रूप से अभिस्वीकृत की गई) जारी कर ऋणधारक मै जेआर प्रॉजेक्ट एंड कन्स्ट्रक्शन क., उसके पार्टनर्स श्री मथुरा नाथ झा एवं श्रीमती प्रतिभा झा, कार्यालय का पताः एच.नं. 177 एवं 178, भूतल, ब्लॉक आई, पाकेट-2, सेक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 (यहां के बाद ''ऋणधारक'' वर्णित) श्री मथुरानाथ झा पुत्र श्री शिवानंद झा एवं श्रीमती प्रतिभा झा, पत्नी मथुरा नाथ झा, दोनों निवासीः एच.नं. 177 एवं 178, भूतल, ब्लॉक आई, पाकेट-2, सेक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 (यहां के बाद ''मार्टगैजर एवं गारन्टर'' वर्णित) की सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.12.2017 को रु. 1,63,90,721.25/- (रुपये एक करोड़ तिड़ेसठ लाख नब्बे हजार सात सौ इक्कीस एवं पैसे पच्चीस मात्र) के साथ वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक/मार्टगैजर/गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/मार्टगैजर/गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 6 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
2) विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, को घटाकर मांग सूचना में उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज के साथ 31.12.2017 को रु. 1,63,90,721.25 (रुपये एक करोड़ तिड़ेसठ लाख नब्बे हजार सात सौ इक्कीस एवं पैसे पच्चीस मात्र) के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ रु. 15749389.47 (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख उन्चास हजार तीन सौ नवासी तथा पैसे सैंतालिस मात्र) है।
3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. श्रीमती प्रतिभा झा, पत्नी श्री मथुरा नाथ झा एवं श्री मथुरा नाथ झा पुत्र श्री शिवानंद झा के नाम में प्लॉट नं. 12ए, अहिंसा खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014 पर निर्मित आवासीय फ्लैट नं. आई-803, 8वाँ तल, टाईप-1, ब्लॉक-आई, जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स। सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः फ्लैट नं. 802, दक्षिणः खुला, पूर्वः खुला, पश्चिमः प्रवेश/कारीडोर, फ्लैट नं. 803, साइट का सम्पूर्ण विस्तारः सुपर एरिया 1198 वर्ग फीट 8वें तल पर तथा उसके साथ बेसमेन्ट में एक कवर्ड कार पार्किंग।
2. श्रीमती प्रतिभा झा, पत्नी श्री मथुरा नाथ झा के नाम में आवासीय ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट नं. 04, भूतल, पॉकेट-12, ब्लॉक-8, सेक्टर 82, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश-201305 सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः पैसेज/पार्क, दक्षिण गली, पूर्वः खुला स्थान, पश्चिमः फ्लैट नं. 8/05 साइट का कुल विस्तारः सुपर/कवर्ड एरिया 24.86 वर्ग मी. (267 वर्ग फीट) भूतल पर
3. श्रीमती प्रतिभा झा, पत्नी श्री मथुरा नाथ झा के नाम में आवासीय ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट नं. 05, भूतल, पॉकेट-12, ब्लॉक-8, सेक्टर 82, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश-201305 सम्पत्ति की चौहद्दीः उत्तरः फ्लैट नं. 8/06, दक्षिणः गली, पूर्वः फ्लैट नं. 8/04, पश्चिमः पैसेज/सीढ़ी साईट का कुल विस्तार सुपर/कवर्ड एरिया 24.86 वर्ग मी. (267 वर्ग फीट) भूतल पर

तिथिः 6.6.2019, स्थानः दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी (इंडियन ओवरसीज बैंक)**

फॉर्म नं. आईएनसी–26
(कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के मामले में)
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए विज्ञापन
केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनीज (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में
और
मैसर्स जनमित्र सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय, फ्लैट नं. 7, टॉप फ्लोर, खसरा नं. 474/1, ओम अपार्टमेंट, गांव मुंडका नई दिल्ली–110041 भारत के मामले में
.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को 'महाराष्ट्र'' राज्य में हस्तांतरित करने में कंपनी को सक्षम करने के लिए 20 मई, .2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के संशोधन के सुनिश्चितीकरण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित किया है।

कोई व्यक्ति जिसकी अभिरूचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होती हो, तो वह अपनी अभिरूचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपने विरोध को निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदनकर्ता कंपनी के नीचे वर्णित पंजीकृत पते को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह दिनों) के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2, विंग, दूसरी मंजिल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 को भेज या डिलीवर कर सकते हैं।

फ्लैट नं. 7, टॉप फ्लोर, खसरा नं. 474/1, ओम अपार्टमेंट, गांव मुंडका नई दिल्ली–110041

बोर्ड के आदेशानुसार
जनमित्र सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
तनुज सिन्हा
निदेशक
डीआईएन : 07332735

दिनांक : 07.06.2019
स्थानः नई दिल्ली

निदेशालय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
सी–स्कीम, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर
विभिन्न प्रकार के कागज क्रय करने हेतु ई–बिड सूचना

सभी राजकीय मुद्रणालयों के लिये समय–समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के कागज क्रय करने हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट टू बिड पद्धति द्वारा दर संविदा हेतु ई–बिड आमंत्रित की जाती है। बिड से सम्बन्धित समस्त विवरण व शर्ते वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN-No-PSD1920A0001 — **हस्ता./–**
DIPR/C/3764/2019 — **निदेशक**

AXIS BANK

एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, 2रा तल, टावर–2, आई–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रैसवे, लैंडमार्क जेपी ग्रीन्स विश टाउन, नोएडा (उ.प्र.)–201301
चल सामग्रियों की नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार की गई इन्वेन्टरी की सूची के अनुसार ग्राम बादशाहपुर एवं घसोला, तहसील एवं जिला गुड़गाँव (सेक्टर 49 के नाम से विदित) में 7वें तल, ''वाटिका सिटी'' में स्थित आवासीय अपार्टमेन्ट नं. 73/2 में पड़ी चल सामग्रियों की नीलामी बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना दी जाती है। उक्त सामग्रियों की बिक्री 19.6.2019 को खुली सार्वजनिक नीलामी में की जाएगी एवं तदनुसार निविदायें 10.30 पूर्वा. में खोली जाएंगी। सामग्रियों का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से अधिकतम 18.6.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 6 बजे सायं के बीच ही किया जा सकता है। चल मदों की बिक्री पूरी तरह से (लॉट में नही) ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है आधार'', ''जो कुछ भी वहाँ है'' एवं ''उपचार–रहित आधार'' पर की जायेगी। बिक्री के नियम एवं शर्तों तथा सामग्रियों की सूची बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि से निरीक्षण के दिन प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्येक निविदा प्रस्ताव के साथ ''एक्सिस बैंक लिमिटेड'' के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान होने योग्य किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)/पे आर्डर (पीओ) के रूप में रु. 10,910/– की धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) संलग्न की जायेगी। डीडी/पीओ निविदाकार द्वारा अथवा उसकी ओर से ही क्रय की जायेगी।

विधिवत पूर्ण निर्धारित निविदा प्रारूप में प्रस्ताव एक लिफाफे में रखकर उसे मुहरबंद की जायेगी तथा उसके ऊपर ''श्री नीरज भल्ला एवं श्रीमती रूपा भल्ला की चल परिसम्पत्तियों/सामग्रियों की खरीद के लिये श्री/सुश्री/श्रीमती.............. से प्रस्ताव'' शीर्षांकित की जायेगी तथा उक्त लिफाफे को 18.6.2019 को या उससे पूर्व एक्सिस हाउस, 2रा तल, टावर–2, आई–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रैसवे, लैंडमार्क जे पी ग्रीन्स, विश टाउन, नोएडा (उ.प्र.)–201301 में रखी रखी निविदा पेटी में सामान्य कार्यावधि के दौरान जमा किया जा सकता है। नियत तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

चल सामग्रियों के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारियों, नामः श्री अनुज त्रिवेदी (मोः 9911324506) तथा श्री संतोष सिंह (मो.: 9999682667) से सम्पर्क कर सकते हैं।

नीलामी एक्सिस हाउस, 2रा तल, टावर–2, आई–14, सेक्टर–128, नोएडा एक्सप्रैसवे, लैंडमार्क जेपी ग्रीन्स विश टाउन, नोएडा (उ.प्र.)–201301 में आयोजित की जायेगी।

हस्ता./–
तिथिः 12.6.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — एक्सिस बैंक लि.

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा–II, 18/4, 4था तल, एसबीआई हाउस, आर्य समाज रोड, करोलबाग, नई दिल्ली– 110005, ई-मेलः sbi.51521@sbi.co.in

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक एसएआरबी–II, 18/4, एसबीआई हाउस, 4था तल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1 मार्च, 2019 जारी कर मै. मैनी कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेन्ट प्रा.लि. (ऋणधारक) तथा श्री हरमीत सिंह, पुत्र श्री सतनाम सिंह (गारन्टर) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 1 मार्च, 2019 को रु. 118055153/– (रुपये ग्यारह करोड़ अस्सी लाख पचपन हजार एक सौ तिरेपन मात्र) के साथ 1.3.2017 से आगे का ब्याज, खर्चे तथा अन्य चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/ गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 7 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 118055153/– (रुपये ग्यारह करोड़ अस्सी लाख पचपन हजार एक सौ तिरेपन मात्र) तथा उस पर लागत आदि के लिए भारतीय स्टेट बैंक एसएआरबी–II, 18/4, एसबीआई हाउस, 4था तल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

आवासीय मकान सी–80/2, जनकपुरी, नई दिल्ली माप 189 वर्ग मीटर जो हरमीत सिंह के नाम है।
चौहद्दीः पूर्वः सर्विस लेन, पश्चिमः सड़क, उत्तरः प्लॉट नं. 79, दक्षिणः प्लॉट नं. 81

तिथिः 7.6.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — भारतीय स्टेट बैंक

SBI भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंधन शाखा (एसएआरबी), प्रशासनिक कार्यालय भवन, तीसरा तल, फाउंटेन चौक, सिविल लाइन्स, लुधियाणा (पंजाब)–141001, फोन नं. 0161–4564114, 4564117, फैक्स नं. 0161–4564132, इ–मेलः sbi.05271@sbi.co.in

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस

यहां नीचे वर्णित सभी कर्जदारों/गारंटरों/सह–आबंधकों को अधिसूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाते के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण अनुसार कर्जदार द्वारा प्राप्त की गई ऋण/वित्तीय सहायता एनपीए बन गए हैं। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन डिमांड नोटिस भेजे गए थे, जिसे आप द्वारा प्राप्त करने से मना कर दिया गया है/अवितरित वापिस आ गए हैं। यदि आप द्वारा नोटिस/प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर खाते के अंतर्गत वर्णित संक्षिप्त विवरण अनुसार बैंक बकाया की अदायगी में असफल रहने पर, बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत विस्तृत किसी या अन्य अधिकार का प्रयोग करेगा।

कर्जदार/निदेशकों/गारंटरों का नाम	रेहन संपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	नोटिस के अनुसार बकाया राशि
कर्जदारः रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड को इसके निदेशकों के माध्यम से पंजीकृत कार्यालयः डी–128, यू.जी.एफ. न्यू राजिन्द्र नगर, शंकर रोड, नई दिल्ली–110060, **दूसरा पताः** प्लाट नं. 75–76, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, बोराय, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़–491001, **तीसरा पताः** ए–33, वॉलफोर्ट सिटी, भट्ठा गांव, रिंग रोड–1, रायपुर, छत्तीसगढ़–492001, **चौथा पताः** 108–आर, इंडस्ट्रियल एरिया–बी, लुधियाना–141003,	**भाग–I.** प्रारंभिक प्रतिभूतिः मै. रायपुर पॉवर एंड स्टील लि. के नाम पर 23.02.2010 को पंजीकृत लीज विलेख दिनांक 23.01.2010 तथा 15.04.2008 को पंजीकृत लीज विलेख दिनांक 15.02.2008 के अनुसार बोराय इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, बोराय, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में स्थित प्लॉट नं. 75–76, रकबा 265060 वर्ग मीटर्स (1,85,110+79,950) में स्थित फैक्टरी भूमि व भवन के लीज धारक अधिकार के सम्यक रेहन के साथ पूर्ण स्थाई परिसंपत्तियाँ (फाइनांस्ड वाहनों को छोड़कर वर्तमान के साथ साथ भविष्य) पर प्रथम परि–पस्सू प्रभार, **भाग–II.** संपार्श्विक प्रतिभूतिः कंपनी की संपूर्ण चालू परिसंपत्तियों पर द्वितीय परि–पस्सू प्रभार।	31.05.2019	5,57,47,580/– रु. के साथ 01.06.2019 से प्रभावी आगामी ब्याज तथा आकस्मिक खर्चे, लागतें।

निदेशकों/गारंटरों: 1. श्री बलराज गर्ग सुपुत्र श्री श्री राम, मकान नं. 577–बी, अगार नगर, लुधियाना–141012, **दूसरा पताः** आर.ओ. 71, ऐश्वर्या रेजिडेंसी, तेलीबंधा, रायपुर (छत्तीसगढ़)–492001, 2. श्री नरसीदास गर्ग सुपुत्र श्री श्री राम, मकान नं. 577–बी, अगार नगर, लुधियाना–141012, 3. श्री विनोद कुमार गर्ग सुपुत्र श्री श्री राम, मकान नं. 577–बी, अगार नगर, लुधियाना–141012, **दूसरा पताः** बी–16, गंगा राम हॉस्पिटल रोड, विपरित जानकी देवी वुमेन कालेज, राजेन्द्रा नगर, दिल्ली–110060, **4. मै. गर्ग इंडस्ट्रिज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः** डी–128, अप्पर, धरातल, न्यू राजेंद्र नगर, नजदीक डाकघर, शंकर रोड, नई दिल्ली–110060, **दूसरा पताः** 108–आर, इंडस्ट्रियल एरिया–बी, लुधियाना, 5. श्री संदीप कुमार सुपुत्र श्री रणबीर सिंह, मकान नं. 34, वार्ड नं. 07, नजदीक गायत्री टैम्पल, सिहोरा, जबलपुर, मध्यप्रदेश–483225,

आपको धारा 13 की उप–धारा 13 के निबंधनों के अनुसार सूचना भी दी जाती है कि आप बैंक की लिखित सहमति के बिना कथित प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का बिक्री, पट्टे या अन्यथा द्वारा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। बैंक को देयताओं की पुनः अदायगी के लिए आपको आमंत्रित करने का अधिकार है, जो देयताएं बकाया बिल डिस्काउंटिड, बैंक गारंटी तथा क्रेडिट जारी करने वाला पत्र व आपकी तरफ से संस्थान के साथ–साथ अन्य आकस्मिक देयताओं के अधीन की जा सकती है। यह सूचना कानून के किसी अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत मानित अनुसार ऐसी किसी अन्य कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के बैंक के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है। आपको अधिक पूर्ण विवरण करने के लिए अधोहस्ताक्षरी से आपके पते पर भेजे व डाक प्राधिकारियों द्वारा वापिस आए मूल नोटिस को एकत्रित करने और सरफेसी अधिनियम के अधीन आगामी कार्यवाही से बचने के लिए वर्णित अनुसार नोटिस/प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर बैंक द्वारा बकाया अदा करने की सलाह दी जाती है।

दिनांक: 12.06.2019 — **स्थानः लुधियाणा** — **प्राधिकृत अधिकारी**

LUMAX ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
DK JAIN GROUP
सीआईएन : L74899DL1981PLC012804
पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरवंश भवन–II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली–110046 दूरभाष : 011–4760000
ईमेलः lumaxshare@lumaxmail.com वेबसाइटः www.lumaxindustries.com

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अप्रदत्त लाभांश तथा अंडरलाईंग शेयरों का अंतरण

प्रिय शेयरधारकों,

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 (''नियमावली'') समय–समय पर यथा–संशोधित के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुपालन में प्रत्येक कम्पनी को कम्पनी की अप्रदत्त लाभांश खाता में पड़े धन जो ऐसी खाता में जब उसे अंतरित किया गया था, उस तिथि से 7 (सात) वर्षों की अवधि में अप्रदत्त अथवा दावा–रहित रहा है, को आईईपीएफ में अंतरित करना पड़ता है।

उपरोक्त को देखते हुए हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वित्त वर्ष 2011–12 के लिये कम्पनी की अप्रदत्त लाभांश खाता में पड़ी अप्रदत्त/दावा–रहित लाभांश को आईईपीएफ में अंतरित करने की नियत तिथि 11 सितम्बर, 2019 है। तदनुसार, संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि कृपया अप्रदत्त लाभांश का दावा प्रस्तुत करें।

ऐसे शेयरधारकों की अंडरलाईंग शेयरों को भी आईईपीएफ में अंतरित किया जायेगा। आईईपीएफ में ऐसे शेयरों के अंतरण के बाद उस पर सभी मताधिकार समाप्त हो जाएंगे तथा आप–अपने शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों जैसे लाभांश आदि से वंचित हो जाएंगे क्योंकि उसे भी आईईपीएफ में अंतरित किया जायेगा।

ऐसे शेयरधारकों जिनका लाभांश वित्त वर्ष 2011–12 से शुरू होने वाली अवधि में कम्पनी की अप्रदत्त लाभांश खाता में उनके फोलियो/डीपी–आईडी, क्लाइन्ट आईडी के समक्ष अप्रदत्त पड़े हैं तथा साथ ही जिनकी शेयरों को आईईपीएफ अंतरित किया जाना नियत है, की सम्पूर्ण सूची कम्पनी की वेबसाईट www.lumaxindustries.com पर निवेशक खंड के अंतर्गत अपलोड की जा रही है।

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होता है, तो नियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से कम्पनी नियत तिथि अर्थात् 11 सितम्बर, 2019 तक लाभांश आईईपीएफ में अंतरित करेगी।

कृपया ध्यान रहे कि आईईपीएफ में अंतरित अप्रदत्त लाभांश राशि तथा शेयरों के संदर्भ में कम्पनी के प्रति कोई दावा नहीं किया जायेगा। शेयरधारक, यदि कोई हो ऐसी शेयरों पर उपचयित सभी लाभों सहित आईईपीएफ में अंतरित लाभांश तथा तत्स्थानीय शेयरों का नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरण से उसे वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।

उपरोक्त विषय पर किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये शेयरधारकों से अनुरोध है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट श्री राजीव कुमार, उप प्रबंधक से मै. कार्वी फिन्टेक प्राईवेट लिमिटेड, यूनिटः ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाद्दीवाउली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032, भारत, टेलीः +91 40 67161524, ईमेल आईडीः rajeevkr@karvy.com से सम्पर्क करें।

ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
स्थानः नई दिल्ली — **अंकिता गुप्ता**
तिथिः 11.6.2019 — **कम्पनी सचिव**

हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड
CIN: U74899DL1991PLC46774
पंजी. कार्यालयः 34, कम्युनिटी सेन्टर, वसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057
फोनः 011–49487150, फैक्सः 011–49487197, 011–49487198
HeroFinCorp. ई-मेलः Litigation@herofincorp.com।। वेबसाईटः www.herofincorp.com

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

एतद्द्वारा अधोलिखित को यह सूचना सर्व की जाती हैः
1. सहगल पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड (ऋणधारक) जिसका कार्यालय ए–44, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली– 10028 में है।
2. श्री राजपाल सहगल (गारन्टर), निवासीः जी ए 13, ब्लॉक–जीए, जीबी, जीसी, जीएन, शिवाजी एन्क्लेव, टैगोर गार्डन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110027
3. श्री सुदर्शन कुमार सहगल (गारन्टर), निवासीः जी ए 13, ब्लॉक–जीए, जीबी, जीसी, जीएन, शिवाजी एन्क्लेव, टैगोर गार्डन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110027
4. श्री राहुल सहगल (गारन्टर), निवासीः जी ए 13, ब्लॉक–जीए, जीबी, जीसी, जीएन, शिवाजी एन्क्लेव, टैगोर गार्डन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110027

ऊपर वर्णित ऋणधारक ने एचएफसीएल के पक्ष में नीचे सूचीबद्ध मशीनों के हाइपोथेकेशन द्वारा एचएफसीएल से रु. 1,49,83,800/– (रुपए एक करोड़ उन्चास लाख, तिरासी हजार आठ सौ मात्र) तथा रु. 1,50,00,000/– (एक करोड़ पचास लाख मात्र) की राशि की दो साख सुविधा प्राप्त करने के लिए हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (यहां के बाद 'एचएफसीएल' के रूप में वर्णित) जिसका पंजीकृत कार्यालय, 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 में है, के साथ मास्टर फैसिलिटीज एग्रीमेन्ट्स तिथि 27.2.2016 तथा पूरक अनुबंध तिथि 28.5.2016 में प्रविष्ट किया था।

क्रम सं.	मशीनरी का विवरण	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा
1.	बॉबसेट एसपी 102 डाई कटिंग मशीन	एएआरजी इम्पेक्स	1
2.	टू कलर सीडी ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन 102 जेड+एल साईज 28*40	समृद्धि एण्टरप्राईजेज	1
3.	यूपीएस 300 केवीए	ऑटोमीटर एलायन्स लिमिटेड	1
4.	फिंगरलेस कॉरूगेशन मशीन 2 नग	एनएमसी इंजीनियर्स	2
5.	फोल्डिंग/ ग्लूइंग मशीन मॉडल टीबी 1100–सी 3	संघाई एटर्ना मशीनरी एच के कं. लि.	1
6.	रोटरी विण्डो पैचिंग तथा कार्टन लाइनिंग मशीन	हीवर + स्क्रोडर	1

उपरोक्त मशीनों को यहां के बाद ''प्रतिभूत परिसम्पत्ति'' कहा जायेगा। प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ ऋण के उपयुक्त पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने के लिये प्रतिभूति के रूप में एचएफसीएल के पास हाइपोथेकेट किया गया है। लेकिन, ऋणधारक ने ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ ऋण के नियत पुनर्भुगतान में चूक की है। इस संदर्भ में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्भुगतान तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ''सरफैसी अधिनियम, 2002'' के रूप में वर्णित) की धारा 13(2) के अंतर्गत एचएफसीएल के पास उपरोक्त ऋणधारक के अंतिम ज्ञात उपलब्ध पते पर मांग सूचना भेजी गई, लेकिन यह सूचना अन्डेलिवर्ड रही।

इस प्रकाशन के द्वारा एक बार पुनः एचएफसीएल सहगल पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड (ऋणधारक), श्री राजपाल सहगल (गारन्टर), श्री सुदर्शन कुमार सहगल (गारन्टर) तथा श्री राहुल सहगल (गारन्टर) को निर्देश देता है कि इस सूचना के प्रकाशन के साठ (60) दिनों के भीतर 23.05.2019 को देय रु. 1,84,63,404/– (रुपये एक करोड़ चौड़ासी लाख तिड़ेसठ हजार चार सौ चार मात्र) की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें अन्यथा एचएफसीएल ऋणधारक की प्रतिभूत परिसम्पत्ति का कब्जा तथा बिक्री करने तथा सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत उपलब्ध अन्य कोई कार्रवाई अथवा राहत सहित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के विरुद्ध सरफैसी अधिनियम, 2002 के सभी या किसी भी प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई करेगा।

पुनः सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार एतद्द्वारा ऋणधारक, को किसी भी रूप में उपरोक्त परिसम्पत्ति का बिक्री/पट्टा या व्यवसाय द्वारा बिक्री/अंतरण अथवा स्वत्व–त्याग के अधिकार से वंचित किया जाता है तथा ऐसा करना उपरोक्त ऋण अनुबंध एवं अथवा सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।

एतद्द्वारा आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि वे किसी भी रूप में उपरोक्त प्रतिभूत मशीनों का व्यवसाय न करें क्योंकि एचएफसीएल का उस पर प्रथम् तथा एक्सक्लूसिव प्रभार विद्यमान है।

हस्ता./–
तिथिः 12.06.2019 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली — **हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड**

पाक के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को 11 दिन की हिरासत

इस्लामाबाद, 11 जून (भाषा)।

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को यहां की जवाबदेही अदालत ने मंगलवार को 11 दिन की रिमांड पर भेज दिया। एक दिन पहले ही उन्हें कई लाख डालर के कर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की टीम ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है।

उन्हें जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अरशद मलिक के सामने पेश किया गया, जिन्होंने एनएबी को जरदारी को 11 दिन की रिमांड में रखने की मंजूरी दे दी और उन्हें (जरदारी को) 21 जून को अदालत में फिर से पेश किए जाने का आदेश दिया।

अदालत की कार्यवाही के दौरान एनएबी ने अदालत से जरदारी की 14 दिन की रिमांड का अनुरोध किया, जिसका उनके वकील फारूक एच नाइक ने विरोध किया। एनएबी के वकील मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से ये फर्जी बैंक खाते खोले गए। अब्बासी ने बताया कि जरदारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच के लिए उनकी रिमांड जरूरी है।

जरदारी ने अपने वकील फारूक नाइक के जरिये हिरासत के दौरान अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अर्जी भी दी। इस अर्जी में एक सहायक देने का अनुरोध भी किया गया है। अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए, जरदारी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान निर्वाचित नहीं बल्कि चयनित नेता हैं। उन्होंने दावा किया कि गृहमंत्री ऐजाज शाह ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुख्य बेंच, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी याचिका सं. (सीएए)
51/पीबी/2019
से संबधित
सीए(सीएए) 28/पीबी/2019
कंपनीज अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनीज (वचनबद्धता, प्रबंधन व समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत कंपनी याचिका
और
मिडलैंड सर्विसेज लिमिटेड, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निगमित कंपनी, इसका पंजीकृत कार्यालय, 816, विश्व दीप बिल्डिंग, 8वीं मंजिल, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
......**आवेदक कंपनी/हस्तांतरणकर्ता कंपनी**
और
अमान्या वेंचर्स लिमिटेड, कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निगमित कंपनी, इसका पंजीकृत कार्यालय, 69–70, पहली मंजिल, दीप कॉम्प्लैक्स, कोर्ट रोड अमृतसर 143001
......**गैर आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी**
के बीच समामेलन की योजना के मामले में

याचिका की सूचना

मिडलैंड सर्विसेज लिमिटेड, (''आवेदक कंपनी/हस्तांतरणकर्ता कंपनी'') और अमान्या वेंचर्स लिमिटेड, (''गैर आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी'') और उसके संबंधित शेयरधारकों व ऋणदाताओं के बीच समामेलन की संयुक्त योजना की स्वीकृति के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 232 के अंतर्गत एक कंपनी याचिका सं. (सीएए) 51/पीबी/2019 से संबंधित सीए(सीएए) 28/पीबी/2019 (''याचिका'') **05 अप्रैल, 2019** को याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई थी और उक्त याचिका की नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुख्य बेंच, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई के लिए **02 जुलाई 2019** निर्धारित की गई है।

उक्त याचिका के समर्थन या विरोध करने वाला कोई व्यक्ति अपने नाम व पते के साथ अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपनी इच्छा की सूचना याचिकाकर्ता कंपनी के परामर्शदाता को भेज सकता है जो याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से 2 (दो) दिन पहले, इसके बाद नहीं नीचे दिए पते पर याचिकाकर्ता कंपनी के प्रतिनिधि तक पहुंच जाना चाहिए। जहां वह याचिका का विरोध करता है, हलफनामे की प्रति या विरोध का आधार ऐसी सूचना के साथ तैयार किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसे प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा तैयार की जाएगी।

दिनांक : 11.06.2019

हस्ता./–
सीएस मनीष गुप्ता
याचिकाकर्ता कंपनी के लिए प्रतिनिधि
207, सुचेत चैम्बर्स,
1224/5, बैंक स्ट्रीट,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005,
फोन नं. (011) 45042509,
9212221110
ई–मेलः manish@rmgcs.com

अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार

लंदन, कराची, 11 जून (भाषा)।

पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के संस्थापक अल्ताफ हुसैन को मंगलवार को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। एमक्यूएम के निर्वासित नेता हुसैन को उनके राष्ट्र विरोधी भाषणों, खासकर 2016 के एक भाषण को लेकर स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया। हुसैन ने उस भाषण में कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र और पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर है।

एमक्यूएम का करीब तीन दशक तक कराची में राजनीति में दबदबा रहा है और उसे उर्दू भाषी मुहाजिरों का खासा समर्थन प्राप्त है। मुहाजिर उन मुस्लिमों के वंशज हैं जो 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद भारत से आए थे। हुसैन (65) ने 1990 के दशक में शरण दिए जाने का अनुरोध किया था और बाद में उन्हें ब्रिटेन की नागरिकता प्रदान की गई थी। हुसैन की अब भी पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची और पार्टी पर पकड़ बरकरार है। उनकी गिरफ्तारी के बाद कराची के पुलिस प्रमुख अमीर अहमद शेख ने नगर में दंगा-रोधी दस्तों के साथ गश्त और सतर्कता बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए। हुसैन को मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया गया और उन्हें दक्षिण लंदन के पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जियो न्यूज की खबर के अनुसार 15 अधिकारियों ने उत्तरी लंदन स्थित उनके घर पर सुबह छापा मारा। इसमें कहा गया है कि अल्ताफ हुसैन को 2016 के घृणा फैलाने वाले भाषण के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। भाषण में उन्होंने अपने समर्थकों से कानून अपने हाथों में लेने का आह्वान किया था।

हुसैन ने पाक को कहा था, आतंक का केंद्र व दुनिया के लिए कैंसर

मोदी व ट्रंप मुलाकात के पहले भारत की यात्रा करेंगे पोम्पिओ

वाशिंगटन, 11 जून (भाषा)।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि नई दिल्ली की उनकी आगामी यात्रा के दौरान भारत के साथ अमेरिका के बेहद महत्त्वपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य की रणनीति में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र में चीन अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है।

विदेश विभाग की प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि पोम्पिओ 24 जून को नई दिल्ली रवाना होंगे। उनकी यात्रा 28-29 जून को जापान के ओसाका में समूह 20 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के पहले होगी। पोम्पिओ 24 जून से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की करीब सप्ताह भर लंबी यात्रा के दौरान सबसे पहले नई दिल्ली और सबसे आखिर में दक्षिण कोरिया जाएंगे। इस दौरान वह श्रीलंका और जापान की भी यात्रा करेंगे। पोम्पिओ अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले 12 जून को 'इंडिया आइडियाज समिट ऑफ अमेरिका-इंडिया बिजनेस काउंसिल' को भी संबोधित करेंगे।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र व भारत

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा सैन्य ताकत बढ़ाने के बीच भारत, अमेरिका और दुनिया की अन्य ताकतें मुक्त और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं। चीन तकरीबन समूचे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है। वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना दावा जताते रहे हैं।

पाक ने करतारपुर कारिडोर के लिए 100 करोड़ दिए

इस्लामाबाद, 11 जून (भाषा)।

पाकिस्तान की सरकार ने बहुप्रतीक्षित करतारपुर कारिडोर के विकास के लिए संघीय बजट 2019-20 में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर में दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा और भारतीय सिखों को वीजा के बिना आने-जाने की आजादी देगा। उन्हें करतारपुर साहिब जाने के लिए केवल एक अनुमति हासिल करनी होगी।

सैकड़ों भारतीयों को ब्रिटिश नागरिकता से वंचित रखने का खुलासा

लंदन, 11 जून (भाषा)।

ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने विंडरश घोटाले के लिए फिर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी है। यह प्रवासियों को गलत तरीके से ब्रिटिश नागरिकता से वंचित रखने से जुड़ा मामला है। हाल में खुलासा हुआ था कि सैकड़ों भारतीय मूल के नागरिकों को भी इस घोटाले का शिकार होना पड़ा था।

विंडरश पीढ़ी ब्रिटेन के पूर्व उपनिवेश के ऐसे नागरिकों से जुड़ा हुआ है जो 1973 से पहले आए थे, जब राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिकों के ब्रिटेन में रहने और काम करने के अधिकार खत्म कर दिए गए थे। उनमें से ज्यादातर लोग जमैका या कैरीबियाई मूल के थे जो विंडरश नामक जहाज से पहुंचे थे। आव्रजन मामले पर ब्रिटेन की सरकार के रुख से भारतीय और दक्षिण एशियाई देशों के अन्य नागरिक भी प्रभावित हुए थे। ब्रिटेन के गृह मंत्री जाविद द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में गलत तरीके से राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को नागरिकता अधिकार से वंचित करने के कुल 737 भारतीयों ने अपनी स्थिति की पुष्टि की है। उनमें से ज्यादातर (559) 1973 से पहले ब्रिटेन पहुंचे थे जब आव्रजन के नियम बदल गए थे जबकि अन्य या तो बाद में आए या तथाकथित 'विंडरश पीढ़ी' के परिवार के सदस्य थे।

यात्री वाहनों की बिक्री में 18 सालों में आई सबसे बड़ी गिरावट

नई दिल्ली, 11 जून (भाषा)।

घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में 18 साल की सबसे अधिक गिरावट आई है। मई महीने में यात्री वाहनों की बिक्री 20.55 फीसद घटकर 2,39,347 वाहन रह गई। मई 2018 में यह आंकड़ा 3,01,238 वाहन था। खास बात यह है कि पिछले 11 में से 10 महीनों में यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है। सिर्फ अक्तूबर, 2018 ही ऐसा रहा, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री में 1.55 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। पिछले महीने यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट सितंबर, 2001 के बाद सबसे अधिक रही है। उस समय यात्री वाहनों की बिक्री 21.91 फीसद घटी थी।

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के अनुसार मई में सभी प्रमुख खंडों– दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में गिरावट आई। मई में घरेलू बाजार में कारों की बिक्री 26.03 फीसद घटकर 1,47,546 इकाई रह गई। पिछले साल मई में यह आंकड़ा 1,99,479 इकाई था। इसी तरह समीक्षाधीन महीने में मोटर साइकिलों की बिक्री 4.89 फीसद घटकर 11,62,373 इकाई रह गई, जो पिछले साल पहले समान महीने में 12,22,164 इकाई थी। मई में दोपहिया की कुल बिक्री 6.73 फीसद घटकर 17,26,206 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 18,50,698 इकाई थी। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री मई में 10.02 फीसद घटकर 68,847 इकाई रह गई। मई 2019 में विभिन्न श्रेणियों में सभी वाहनों की बिक्री 8.62 फीसद घटकर 20,86,358 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 22,83,262 इकाई थी।

सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने कहा कि मई में भी बिक्री की रफ्तार नीचे आई। हालांकि, खुदरा बिक्री का आंकड़ा थोक बिक्री की तुलना में थोड़ा बेहतर है, जिससे पता चलता है कि उद्योग उत्पादन कटौती के कदम उठा रहा है। भंडारण में सुधार किया जा रहा है। हमने पिछले 15 साल में ऐसी सुस्ती नहीं देखी है। इस तरह की बाजार स्थिति में अब समय आ गया है, जबकि सरकार को उद्योग को रफ्तार देने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इससे पहले 2011-12 और 2008-09 में उद्योग की स्थिति में सुधार के उपाय किए थे। इन नीतिगत उपायों में उत्पाद शुल्क कटौती आदि शामिल है।

सियाम के उपमहानिदेशक सुगातो सेन ने इस स्थिति को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि उद्योग ने सरकार से सभी श्रेणियों के वाहनों पर माल व सेवाकर (जीएसटी) की दर को 28 से घटाकर 18 फीसद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को वाहन को कबाड़ करने की नीति भी लेकर आनी चाहिए। इससे नए वाहनों के लिए बाजार बनेगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि सरकार शोध व विकास पर दिए जाने वाले भारांकित कर कटौती को पिछले स्तर पर लाए।

नया मासिक जीएसटी रिटर्न प्रणाली अक्तूबर से शुरू

नई दिल्ली, 11 जून (भाषा)।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि मासिक जीएसटी रिटर्न भरने की नयी प्रणाली अक्तूबर से शुरू की जाएगी। इस प्रणाली का क्रियान्वयन निर्धारित समय से तीन महीना पीछे चल रहा है। मंत्रालय ने जीएसटी परिषद द्वारा दी गई समयसीमा के अनुसार शुरू में नई रिटर्न प्रणाली जुलाई से क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा था।

मंत्रालय ने जीएसटी विवरण प्रस्तुत करने के नए प्रारूप लागू करने की योजना की जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा मासिक संक्षिप्त रिटर्न जीएसटीआर-3बी जनवरी 2020 से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक नया फार्म जीएसटी आरईटी-01 दाखिल करना होगा।

कंपनियां नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली (एएनएक्स-1 और एएनएक्स-2) जुलाई से सितंबर, 2019 तक तीन महीने के लिए परीक्षण आधार पर उपयोग कर सकेंगी। इससे उन्हें प्रणाली को समझने में मदद मिलेगी।

शेयर सूचकांक 166 अंक और मजबूत

मुंबई, 11 जून (भाषा)।

शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी का सिलसिला कायम रहा। सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच बैंक, धातु और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 166 अंक और मजबूत हुआ। वैश्विक व्यापार युद्ध को लेकर चिंता कम होने से भी धारणा को बल मिला। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 165.94 अंक या 0.42 फीसद की बढ़त के साथ 39,950.46 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 42.90 अंक या 0.36 फीसद की बढ़त के साथ 11,965.60 अंक पर बंद हुआ।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च, 2019 के अंत तक प्रणाली में गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घटकर 9.3 फीसद पर आ गई हैं। यह रिजर्व बैंक के अनुमान से भी अधिक तेजी से घटी हैं। पिछले साल समान अवधि में एनपीए 11.5 फीसद पर था।

बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन बेंचमार्क सूचकांक से बेहतर रहा। सूचकांक की कंपनियों में टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, यस बैंक, इंडसइंड बैंक और वेदांता के शेयर 2.71 फीसद तक चढ़ गए। इसके अलावा एचसीएल टेक, आइसीआइसीआइ बैंक, टाटा स्टील, एसबीआइ, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस, बजाज फाइनेंस और रिलायंस के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर सनफार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएंडटी, कोल इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर में तीन फीसद तक की गिरावट आई। सूचकांक के शेयरों में 23 लाभ में रहे, जबकि सात में नुकसान रहा।

अमेरिका द्वारा मेक्सिको पर शुल्क लगाने की योजना को टाले जाने के बाद वैश्विक स्तर पर निवेशकों को राहत मिली है। इसके अलावा यह उम्मीद बनी है कि अमेरिका ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इससे भी बाजार की धारणा को बल मिला। एशियाई बाजारों में शंघाई कम्पोजिट 2.58 फीसद, हांगकांग का हैंगसेंग 0.76 फीसद, जापान का निक्की 0.33 फीसद और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.59 फीसद के लाभ में रहा। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार भी लाभ में चल रहे थे।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ इंडिया

नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, "स्टार हाउस",
तीसरी मंजिल, एच –2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001,
फोन: 011–23755606, 23755605

इरादतन चूककर्ताओं के फोटोग्राफ के प्रकाशन के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **बैंक ऑफ इंडिया** ने निम्नलिखित व्यक्तियों (उधारकर्ताओं और/या गारंटरो होने के नाते) को आरबीआई द्वारा एवं साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तथा इस संदर्भ में आरबीआई द्वारा और **बैंक ऑफ इंडिया** के बोर्ड द्वारा अनुबद्ध और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् नीचे वर्णित खातों में, **'इरादतन चूककर्ता'** घोषित किया है। हम बड़े पैमाने पर जनता के हित में उधारकर्ता और/या गारंटरों की फोटो के साथ **'इरादतन चूककर्ता'**, खातों के नाम प्रकाशित कर रहें हैं।

क्र. सं.	शाखा का नाम उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं) का नाम एवं पता	एनपीए की तारीख और देय	खाते का नाम, पता और खाता संख्या	उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं) की फोटो एवं नाम
1.	**न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मिड कॉर्पोरेट शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री जगदीश चंदर बजाज सी–9/9695, वसंत कुंज, नई दिल्ली श्रीमती रुचि बजाज सी–9/9695, वसंत कुंज, नई दिल्ली	30.06.2015 रु. 1,05,30,869.88 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स निलांश एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड डी –6/ 26, (एलजीएफ) वसंत विहार, नई दिल्ली 606830110000016	 श्री जगदीश चंदर बजाज / श्रीमती रुचि बजाज
2.	**कनॉट सर्कस शाखा / नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री नवेंदू बब्बर ए –119, दूसरी मंजिल, फेज–1, विवेक विहार दिल्ली श्रीमती मोनिका बब्बर ए –119, दूसरी मंजिल, फेज–1, विवेक विहार दिल्ली	31.12.2014 रु. 2,85,97,554.61 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स कार्वी वॉल माउंट प्राइवेट लिमिटेड एच –92, ईपीआईपी– II, नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान 600330110000041	 श्री नवेंदू बब्बर / श्रीमती मोनिका बब्बर
3.	**जनपथ शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री राजीव बंसल सी –2/402, टॉप फ्लोर, जनकपुरी, नई दिल्ली	29.06.2013 रु. 3,54,64,096.60 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स 25, न्यू भारत अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 5, सेक्टर –4, द्वारका, दिल्ली 600030110000024	 श्री राजीव बंसल
4.	**न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मिड कॉरपोरेट शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्रीमती महिमा शर्मा 703, जैस्मीनियम 2, वाटिका सिटी, सोहना रोड, गुड़गांव	31.12.2015 रु. 8,88,79,808.61 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स श्री हरि लामिपैक 914 ए, नौवीं मंजिल, टॉवर बी, स्पेज आईटी पार्क, सेक्टर –49 सोहना रोड, गुड़गांव 606870210000003 606870210000004 606830110000018	 श्रीमती महिमा शर्मा
5.	**नई दिल्ली मिड कॉर्पोरेट शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल एक्स–603, छठी मंजिल, सिद्धार्थ अपार्टमेंट्स, एम पी एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली श्रीमती शेफाली बंसल एक्स–603, छठी मंजिल, सिद्धार्थ अपार्टमेंट्स, एम पी एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली	30.06.2014 रु. 59,12,72,188.84 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स बंसल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड 2502, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 604165410000120 604165610000003 604930110000076	 श्री सुरेन्द्र कुमार बंसल / श्रीमती शेफाली बंसल
6.	**पहाड़गंज शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री राम सिंह डी –171, सेक्टर –49, नोएडा यूपी श्री दिनेश कुमार सिंघल ए–131, सेक्टर –55, नोएडा यूपी	31.12.2014 रु. 3,31,54,397.39 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स बायो फ्यूल इंडस्ट्रीज 1/1, औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, यूपी 600930110000023 600970410000006	 श्री राम सिंह / श्री दिनेश कुमार सिंघल
7.	**नई दिल्ली मिड कॉर्पोरेट शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री मुरारी लाल सोनी 3324, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग दिल्ली श्री मुकेश सोनी 3324, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग दिल्ली	31.12.2014 रु. 43,14,37,341.13 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स दिल्ली डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड 3162/33, बिडुनपुरा, सरस्वती मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली 604130110000054	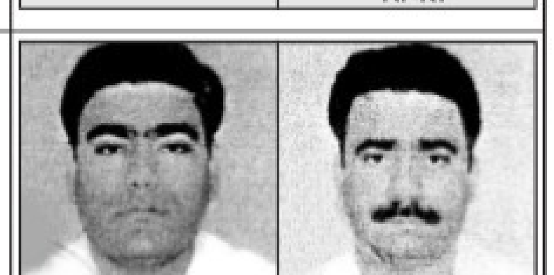 श्री मुरारी लाल सोनी / श्री मुकेश सोनी
8.	**सफदरजंग एन्क्लेव शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** डॉ. गुंजन सिंह 187–बी, माउण्ट कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली	27.09.2009 रु. 39,84,044.00 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स सरस्वती नर्सिंग होम 187–बी, माउण्ट कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 603665110000011 603625110000032 603672810000001	 डॉ. गुंजन सिंह
9.	**हौज खास शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री सुनील कुमार खन्ना 56, भूतल, डीडीए फ्लैट्स, शिवाजी एन्क्लेव, राजौरी गार्डन के पास, नई दिल्ली	30.11.2011 रु. 53,62,578.88 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स श्रीनाथ इंजीनियरिंग कंपनी सी–178, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज– II, नई दिल्ली 600530110000019	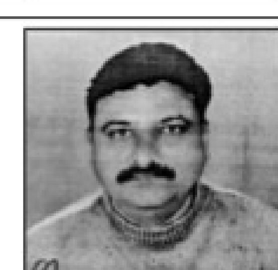 श्री सुनील कुमार खन्ना
10.	**नई दिल्ली ओवरसीज शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री प्रताप शंकर डॉन जे –2, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, भूतल, नई दिल्ली श्री.सम्बित बनर्जी जे –2, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, भूतल, नई दिल्ली	31.12.2010 रु. 13,65,93,624.69 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स अर्ची फ्लेक्सीबाइल एंड पैकेजिंग लिमिटेड, जे –2, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, भूतल, नई दिल्ली 604285510000005 604280110000035 604282610000036 604230110000070 604280510000004 604265310000137 604265110000004	 श्री प्रताप शंकर डॉन / श्री.सम्बित बनर्जी
11.	**नई दिल्ली एसएमई शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री विनय अग्रवाल 2145, 2146, 2147, सेक्टर 6, ब्लॉक बी, अर्बन एस्टेट, जींद, हरियाणा	31.12.2012 रु. 24,69,34,128.93 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स जे.आर. इंटरनेशनल 2145, 2146, 2147, सेक्टर –6, ब्लॉक–बी, अर्बन एस्टेट, जींद हरियाणा 604930110000065	 श्री विनय अग्रवाल
12.	**झंडेवालान एक्सटेंशन शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री कमलेश कुमार रस्तोगी जे–107, साउथ एक्सटेंशन पार्ट– I नई दिल्ली	27.06.2011 रु. 8,99,46,624.45 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स होटल कशिश इंटरनेशनल 1563, लक्ष्मी नारायण स्ट्रीट, इंपीरियल सिनेमा के पास, पहाड़गंज, दिल्ली 602465210000001 602465210000002 602430100030106 602470400000216	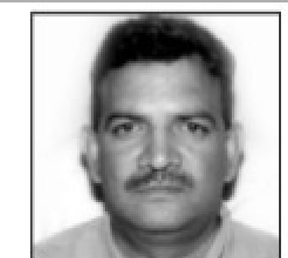 श्री कमलेश कुमार रस्तोगी
13.	**आसफ अली रोड शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री अंकित जैन एस –17, ग्रेटर कैलाश पार्ट–I तीसरी मंजिल, एससीआई इंटरनेशनल स्कूल के सामने, नई दिल्ली श्री विनोद गुप्ता 3394, भूतल, खसरा नंबर 135/4, गली नंबर 89, संत नगर बुराड़ी नई दिल्ली	01.02.2011 रु. 1,53,03,096.50 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स क्लासिक इंटरप्राइजेज एस –17, ग्रेटर कैलाश पार्ट– I, तीसरी मंजिल, एससीआई इंटरनेशनल स्कूल के सामने, नई दिल्ली 600182610000005 600185410000001 600120110000343	 श्री अंकित जैन / श्री विनोद गुप्ता
14.	**अंसारी रोड शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री मो. रशीद परवेज 3165, प्रथम तल, कुचा तारा चंद, दरियागंज, दिल्ली	24.10.2010 रु. 76,76,787.00 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स जुनेद एंटरप्राइजेज 3165, प्रथम तल, कुचा तारा चंद दरियागंज दिल्ली 603230110000040 603230110000041	 श्री मो. रशीद परवेज
15.	**आसफ अली रोड शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री पदम चंद जैन एस –17, ग्रेटर कैलाश पार्ट–I, तीसरी मंजिल, एससीआई इंटरनेशनल स्कूल के सामने, नई दिल्ली श्री लोकेश गुप्ता 3394, भूतल, खसरा नंबर 135/4, गली नंबर 89, संत नगर बरारी नई दिल्ली	01.02.2011 रु. 3,07,95,534.00 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स एमबीएन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड एस –17, ग्रेटर कैलाश पार्ट–I, तीसरी मंजिल, एससीआई इंटरनेशनल स्कूल के सामने, नई दिल्ली 600120110000357 600180510000001 600185510000002 600185210000002	 श्री पदम चंद जैन / श्री लोकेश गुप्ता
16.	**आजादपुर शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री राकेश मग्गो ए –131, विशाल एन्क्लेव, नई दिल्ली श्री चंदर मोहन मग्गो ए –131, विशाल एन्क्लेव, नई दिल्ली	30.09.2014 रु. 52,43,516.00 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	श्री राकेश मग्गो और श्री चंदर मोहन मग्गो ए–131, विशाल एन्क्लेव, नई दिल्ली 602062610000034	 श्री राकेश मग्गो / श्री चंदर मोहन मग्गो
17.	**न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मिड कॉर्पोरेट शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री कशिश कुमार रस्तोगी जे –107, साउथ एक्सटेंशन पार्ट– I नई दिल्ली श्री कमलेश कुमार रस्तोगी जे –107, साउथ एक्सटेंशन पार्ट– I नई दिल्ली	30.03.2011 रु. 10,41,11,212.16 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स कशिश कंट्री रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जे –107, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट– I, नई दिल्ली 606865410000001	 श्री कशिश कुमार रस्तोगी / श्री कमलेश कुमार रस्तोगी
18.	**झंडेवालान एक्सटेंशन शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री कशिश कुमार रस्तोगी जे –107, साउथ एक्सटेंशन पार्ट– I नई दिल्ली	28.06.2011 रु. 1,05,83,283.21 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	श्री कशिश कुमार रस्तोगी जे –107, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट–I, नई दिल्ली 602462610000010 602462610000009 602960510000038	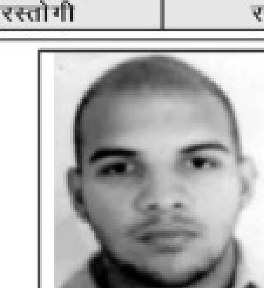 श्री कशिश कुमार रस्तोगी
19.	**झंडेवालान एक्सटेंशन शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री कमलेश कुमार रस्तोगी जे –107, साउथ एक्सटेंशन पार्ट– I नई दिल्ली	27.07.2011 रु. 1,08,17,907.00 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	श्री कमलेश कुमार रस्तोगी जे –107, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट–I, नई दिल्ली 602460610000082 602462610000008 602462610000011	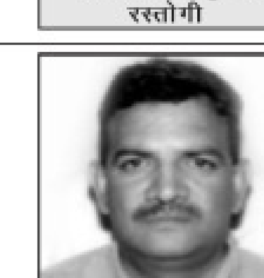 श्री कमलेश कुमार रस्तोगी
20.	**झंडेवालान एक्सटेंशन शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्रीमती पूनम रस्तोगी जे –107, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट–I, नई दिल्ली	28.08.2011 रु. 49,15,379.89 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	श्रीमती पूनम रस्तोगी जे –107, साउथ एक्सटेंशन, भाग–I, नई दिल्ली 602462610000007 602462610000012	 श्रीमती पूनम रस्तोगी
21.	**चांदनी चौक शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्री नीरज गुप्ता प्लॉट नंबर.16–17, क्र. नं. 17/1 सी, जकात नाका के सामने, ढंडोरी पुणे	13.02.2015 रु. 1,10,69,481.12 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स शिखा टेलीकॉम प्लॉट नंबर.16–17, क्र. नं. 17/1 सी जकात नाका के सामने, ढंडोरी पुणे 601130110000106	 श्री नीरज गुप्ता
22.	**जनपथ शाखा/ नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा** श्रीमती अनुभा जैन ए–9, ओबेरॉय अपार्टमेंट, 2, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस दिल्ली	29.06.2011 रु. 1,23,73,574.29 एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार	मैसर्स साई ग्लोबल, ए–9, ओबेरॉय अपार्टमेंट 2, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस दिल्ली 600020110000249 600082610000005 600080210000014 600070310000002 600085110000012	 श्रीमती अनुभा जैन

दिनांक: 11.06.2019
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इण्डिया

इंडियाबुल्स प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 448-451, उद्योग विहार, फेज-V, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा

फोन: (0124) 3989 555 फैक्स: (0124) 6681 111

(CIN: U45201HR2005PTC077760)

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष,
चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ मूल अधिकार क्षेत्र में कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के साथ धारा 66 तथा 234 और अन्य लागू होने वाले प्रावधानों तथा कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के मामले में
और
कंपनी आवेदन नं. सीए (सीएए)नं. 13/सीएचडी/एचआरवाई/2019 के तहत समामेलन की योजना
फिम होल्डको। लिमिटेड
(समामेलीत कंपनी 1/ट्रांस्फरर कंपनी 1)
और
अरिस्टोन इनवेस्टमेंट्स सब ए लिमिटेड
(समामेलीत कंपनी 2/ट्रांस्फरर कंपनी 2)
के साथ
इंडियाबुल्स प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
(सम्मिलित कंपनी /ट्रांस्फरी कंपनी/आवेदक कंपनी)
और
उनके संबंधित शेयरधारकों के मामले में

इंडियाबुल्स प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक के नोटिस का विज्ञापन

यह सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ बेंच के तारीख 17 मई, 2019 के आदेश द्वारा इंडियाबुल्स प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड (**"कंपनी या ट्रांस्फरी कंपनी या सम्मिलित कंपनी"**) के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकों के आयोजन का निर्देश दिया है जिसमें फिम होल्डको। लिमिटेड (**"समामेलीत कंपनी 1/ट्रांस्फरर कंपनी 1"**) और अरिस्टोन इनवेस्टमेंट्स सब ए लिमिटेड (**"समामेलीत कंपनी 2/ट्रांस्फरर कंपनी 2"**) और इंडियाबुल्स प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच प्रस्तावित समामेलीत की योजना (**'योजना'**) पर विचार करने, और यदि उचित माना जाता है तो, संशोधन सहित या संशोधन रहित अनुमोदन किया जाएगा।

उक्त आदेश और निर्देश के अनुसरण में आगे यह नोटिस दिया जाता है कि :

1. कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक जुलाई 13, 2019 को सुबह 10:00 बजे प्लॉट नं.448-451, उद्योग विहार, फेज V, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा में बुलाइ जाएगी।
2. कंपनी के सुरक्षित लेनदारों की बैठक जुलाई13, 2019 को सुबह 11:00 बजे प्लॉट नं.448-451, उद्योग विहार, फेज V, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा में बुलाई जाएगी।
3. बैठक के सूचना के अधिन कंपनी के असुरक्षित लेनदार जिनकी देय राशी रु. 2,00,000 और उससे अधिक है उनकी बैठक जुलाई 13, 2019 को दोपहर 12:00 बजे प्लॉट नं. 448-451, उद्योग विहार, फेज V, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा में बुलाई जाएगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 तथा 102 और कंपनियों (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के तहत उक्त नोटिस की प्रतियां और विस्तृत ब्यौरे की प्रतियां, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय इंडियाबुल्स हाउस, 448-451, उद्योग विहार, फेज V, गुरुग्राम - 122016, हरियाणा से निः शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अधिकृत लोग, व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा मतदान कर सकते है बशर्ते कि सभी परोक्षी फॉर्म बैठक से न्यूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में जमा किये गये हों।

परोक्षी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है।

अधिकरण ने उक्त बैठकों के लिए श्री राकेश भाटिया, एँडवोकेट और कु. ईशा कुमार को क्रमश: अध्यक्ष और वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यदि उपरोक्त योजना की व्यवस्था को बैठकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसके बाद अधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

दिनांक जून 11, 2019 गुरुग्राम में

सही/-
स्वाति नेहरा
कंपनी सचिव
इंडियाबुल्स प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

मध्य प्रदेश : बच्ची से बलात्कार, हत्या के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा

भोपाल, 11 जून (भाषा)।

भोपाल के कमला नगर पुलिस थाना इलाके में शनिवार रात नाबालिग लड़की से कथित रूप से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में एक विशेष अदालत ने 35 वर्षीय आरोपी को मंगलवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो कानून) सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बताया कि कमला नगर पुलिस थाना इलाके में हुई ज्यादती के मामले में आरोपी विष्णु बामोरे को पुलिस ने यहां विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

उन्होंने कहा कि हमने अदालत को बताया था कि मामले में आरोपी से पूछताछ लगभग पूरी हो चुकी है और एक ही दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को अपराध की गंभीरता के बारे में बताते हुए कहा कि आरोपी विष्णु ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की। भादवि की धारा 363, 366, 376, 377, 364, 302, 201 एवं पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

पुलिस आज विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत में आरोपपत्र पेश करेगी

सुधा ने कहा कि अदालत ने केस डायरी देखने के बाद गिरफ्तार आरोपी विष्णु को 12 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस बुधवार को विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत में आरोपपत्र पेश करेगी।

सुधा ने कहा कि जिस समय आरोपी विष्णु को अदालत में पेश किया गया, उस समय भोपाल अधिवक्ता संघ की उपाध्यक्ष रीना वर्मा अदालत में मौजूद थीं और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले में आरोपी विष्णु की ओर से भोपाल अधिवक्ता संघ का कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। बच्ची के साथ विष्णु ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया, जब वह अपने घर से शनिवार रात को कुछ खरीदने पास की दुकान में गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद उसने बच्ची का शव नाले में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया।

पुलिस ने रविवार सुबह करीब पांच बजे शहर के कमला नगर पुलिस थाना इलाके में नाले से शव बरामद किया। विष्णु पिछले कुछ महीने से इस बच्ची के बगल वाले घर में ही किराए पर रह रहा था और मजदूरी करता था। पुलिस ने आरोपी को सोमवार सुबह खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित मोरटक्का गांव से गिरफ्तार किया।

भाजपा की किसान आक्रोश रैली में मंच ढहा, तीन विधायकों समेत 10 घायल

इंदौर, 11 जून (भाषा)।

मध्य प्रदेश की कमलनाथ नीत कांग्रेस सरकार के खिलाफ मंगलवार को यहां बुलाई गई 'किसान आक्रोश रैली' का मंच ढहने से भाजपा के तीन विधायक समेत करीब 10 लोग मामूली तौर पर घायल हो गए।

चश्मदीद सूत्रों ने बताया कि यह हादसा राजमोहल्ला चौराहे पर लकड़ी के पटियों से बनाए गए मंच के अचानक ढह जाने से हुआ। इस दौरान भाजपा के स्थानीय नेताओं और पार्टी के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों समेत करीब 60 लोग मंच पर थे।

उन्होंने बताया कि मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग चढ़े जिससे मंच भरभराकर गिर गया। करीब 10 लोगों को मामूली चोट आई। इनमें जिले के दो भाजपा विधायक उषा ठाकुर और महेंद्र हार्डिया, भाजपा की अन्य स्थानीय विधायक और शहर की महापौर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ और पार्टी के पूर्व विधायक राजेश सोनकर शामिल हैं।

आयकर विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई शुरू की

श्रीनगर/नई दिल्ली, 11 जून (भाषा)।

जेके बैंक मामला
श्रीनगर नगर निगम के वरिष्ठ पदाधिकारी की कंपनी के 10 परिसरों पर छापेमारी

जेएंडके बैंक के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के कार्रवाई करने के कुछ दिन के अंदर आयकर विभाग ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मंगलवार को जांच शुरू की और श्रीनगर नगर निगम के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की कारोबारी कंपनी के 10 परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

आयकर अधिकारियों ने कहवा ग्रुप के श्रीनगर स्थित आठ परिसरों और दिल्ली एवं बंगलुरु स्थित एक-एक परिसर पर छापा मारा। कहवा ग्रुप के संस्थापक शेख इमरान नगर निगम में उपमहापौर हैं। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में श्रीनगर के बोहरी कदल और आस-पास के सात इलाकों में छापेमारी की गई।

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई हाल में बैंक के मामलों में उजागर हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है और राज्य के भष्टाचार रोधी ब्यूरो ने छापेमारी की। उन्होंने आरोप लगाया कि 120 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान न कर पाने की वजह से जम्मू कश्मीर बैंक में कहवा समूह के 23 खातों को गैर निष्पादित आस्तियां घोषित कर दिया गया। उस समय इमरान इसके अध्यक्ष थे। कर्ज न चुका पाने की वजह से कहवा समूह के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर बैंक में राज्य सरकार की 59 फीसदी हिस्सेदारी है।

अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग को इस संबंध में हेराफेरी और कथित विविध अनियमितताओं का अंदेशा था और इसलिए आगे की जानकारी, सबूत और दस्तावेज जुटाने के लिए छापेमारी की जा रही है।

भ्रष्टाचार में लिप्तता के आरोप में बैंक के अध्यक्ष परवेज अहमद को हटाए जाने की पृष्ठभूमि में यह कार्रवाई सामने आई है। उनके खिलाफ भाई-भतीजावाद और पक्षपात के आरोप भी थे।

MUTHOOT FINCORP LTD. | **सोने की नीलामी सूचना**

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 14/2074 - 7 Punnen Road, Trivandrum, Kerala - 695 039,
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31.07.2018 & MSGL, SPL-16, One plus & Guide Prepaid - 6 month scheme up to 31.10.2018 and MSGB, EMI & SME SUVARNA due up to 31.03.2019 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाया नहीं गया है उनकी नीलामी 17.06.2019 को 10.00 बजे से शुरू कर दी जाएगी।

BAHADURGARH: F8760, F364, F365, F366, F370, F663, F900, F924, F7894, F7919, F7924, F7943, F7968, F7970, F7972, F7983, F7986, F7991, F8010, F8011, F8021, F8023, F8034, F8035, F8043, F8045, F8052, F8054, F8060, F8061, F8063, F8069, F8074, F8076, F8078, F8092, F8105, F8124, F8085, F8107, F8108, F8126, F8130, F8135, F8138, F8142, F8155, F8157, F8162, F8164, F8165, F8166, F8174, F8175, F8180, F8186, F8195, F8196, F8199, F8203, F8221, F8223, F8228, F8235, F8239, F8248, F8263, F8267, F8269, F8270, F8272, F8276, F8279, F8281, F8284, F8288, F8291, F8293, F8297, F8299, F8308, F8314, F8316, F8319, F8323, F8324, F8330, F8334, F8336, F8345, F8352, F8356, F8358, F8362, F8365, F8368, F8372, F8377, F8380, F8387, F8390, F8392, F8393, F8395, F8398, F8403, F8405, F8406, F8408, F8411, F8414, F8418, F8420, F8421, F8425, F8426, F8427, F8429 , GL/BHDG/49, GL/BHDG/67, GL/BHDG/96. **FARIDABAD SECT 15:** F5661, F5662, F5647, F5653, F5614, F5634, F5658, F5678, F5637, F5367, F5370, F5380, F5387, F5389, F5390, F5397, F5402, F5416, F5418, F5427, F5428, F5430, F5431, F5438, F5439, F5441, F5447, F5456, F5465, F5472, F5479, F5481, F5482, F5497, F5506, F5509, F5510, F5518, F5525, F5536, F5538, F5547, F5559, F5560, F5562, F5563, F5566, F5574, F5577, F5578, F5584, F5586, F5587, GL/F15S/237, GL/F15S/45, GL/F15S/49, GL/F15S/97. **FARIDABAD SECT 29:** F14398, F14388, F14289, F14751, F14172, F14177, F14179, F14181, F14184, F14185, F14189, F14191, F14194, F14195, F14204, F14211, F14213, F14215, F14217, F14220, F14221, F14222, F14224, F14230, F14232, F14235, F14240, F14242, F14246, F13553, F13554, F13558, F13576, F13583, F13585, F13596, F13608, F13611, F13612, F13613, F13614, F13615, F13620, F13622, F13635, F13637, F13642, F13647, F13656, F13657, F13664, F13671, F13674, F13693, F13698, F13702, F13711, F13715, F13716, F13717, F13720, F13725, F13730, F13731, F13732, F13734, F13737, F13738, F13740, F13741, F13742, F13746, F13750, F13756, F13760, F13765, F13768, F13769, F13771, F13773, F13776, F13782, F13785, F13797, F13805, F13826, F13836, F13841, F13861, F13870, F13871, F13880, F13882, F13896, F13900, F13903, F13904, F13905, F13908, F13910, F13936, F13949, F13959, F13977, F13987, F14008, F14010, F14027, F14032, F14034, F14041, F14043, F14048, F14056, F14057, F14065, F14073, F14074, F14075, F14098, F14099, F14102, F14104, F14109, F14113, F14115, F14127, F14129, F14131, F14133, F14139, F14140, F14145, F14146, F14150, F14151, F14152, F14153, F14160, F14161, F14164, GL/F29S/160, GL/F29S/161. **FARIDABAD SECT 3:** F21021, F21024, F21082, F21011, F19702, F19709, F19742, F19755, F19772, F19773, F19779, F19783, F19787, F19791, F19797, F19801, F19806, F19810, F19826, F19843, F19850, F19876, F19895, F19898, F19899, F19919, F19928, F19935, F19936, F19938, F19946, F19958, F19960, F19962, F19964, F19968, F19980, F19982, F19987, F19992, F20002, F20003, F20007, F20015, F20021, F20022, F20045, F20055, F20056, F20057, F20077, F20083, F20084, F20091, F20093, F20095, F20105, F20108, F20111, F20113, F20116, F20121, F20125, F20130, F20131, F20134, F20142, F20143, F20177, F20187, F20189, F20214, F20225, F20235, F20243, F20248, F20252, F20294, F20300, F20309, F20317, F20318, F20328, F20329, F20335, F20345, F20362, F20380, F20381, F20398, F20414, F20422, F20425, F20437, F20439, F20457, F20458, F20460, F20486, F20492, F20502, F20506, F20512, F20530, F20496, F20532, F20571, F20576, F20582, F20590, F20593, F20641, F20648, F20653, F20670, F20682, F20687, F20703, F20707, F20709, F20710, F20717, F20724, F20725, F20735, F20737, F20747, F20756, F20762, F20773, F20787, F20790, F20801, F20803, F20804, F20808, F20811, F20815, F20818, F20828, F20847, F20860, F20866, F20872, F20875, F20880, F20881, F20882, F20891, F20895, F20902, F20903, F20906, F20912, F20544, F20497, F20490, F20909, F20821, F20781, F20777, F20767, F20757, F20754, F20748, F20715, F5689, F6817, F6878, F7401, F16671, F20714, F20705, F20694, F20667, F20659, F20645, F20639, F20623, F20621, F20602, F20600, F20594, F20592, F20588, F20573, F20564, F20549, F20531, F20528, F20869. **FARIDABAD SECTOR-34:** F12655, F12961, F1851, F11295, F11302, F11323, F11327, F11333, F11343, F11358, F11394, F11400, F11401, F11404, F11420, F11430, F11432, F11433, F11434, F11435, F11451, F11452, F11457, F11465, F11468, F11473, F11482, F11483, F11494, F11496, F11501, F11516, F11523, F11528, F11530, F11536, F11540, F11547, F11553, F11554, F11555, F11561, F11567, F11569, F11572, F11583, F11586, F11597, F11604, F11605, F11609, F11613, F11614, F11617, F11621, F11623, F11628, F11629, F11630, F11640, F11661, F11663, F11671, F11674, F11681, F11683, F11684, F11687, F11689, F11697, F11710, F11715, F11716, F11721, F11723, F11725, F11729, F11738, F11740, F11741, F11744, F11748, F11750, F11752, F11771, F11777, F11778, F11787, F11798, F11807, F11815, F11816, F11819, F11825, F11833, F11843, F11851, F11859, F11869, F11891, F11906, F11911, F11921, F11932, F11935, F11937, F11938, F11956, F11957, F11958, F11960, F11985, F11986, F11990, F11992, F12001, F12019, F12021, F12024, F12031, F12036, F12044, F12060, F12061, F12064, F12076, F12077, F12078, F12079, F12083, F12084, F12085, F12087, F12088, F12102, F12103, F12112, F12113, F12126, F12128, F12138, F12140, F12150, F12152, F12155, F12162, F12163, F12167, F12172, F12173, F12177, F12188, F12191, F12193, F12197, F12199, F12201, F12211, F12212, F12215, F12221, F12223, F12226, F12232, F12233, F12241, F12245, F12246, F12249, F12252, F12256, F12257, F12259, F12262, F12263, F12267, F12275, F12290, F12291, F12292, F12293, F12296, F12298, F12299, F12303, F12307, F12309, F12310, F12312, F12316, F12317, F12319, F12323, F12324, F12334, F12336, F12337, F12338, F12339, F12340, F12341, F12345, F12348, F12349, F12354, F12368, F12372, F12375, F12377, F12379, F12380, F12381, F12382, F12383, F12386, F12388. **FARIDABAD-AJRONDA:** F4514, F4515, F4524, F4525, F4544, F4570, F706, F4200, F4213, F4234, F4243, F4250, F4267, F4274, F4278, F4279, F4292, F4296, F4314, F4323, F4326, F4330, F4335, F4342, F4370, F4381, F4386, F4398, F4405, F4414, F4418, F4428, F4436, F4439, F4441, F4447, F4451, F4452, F4456, F4466, F4467, F4468, F4473, F4474, F4475, F4479, F4483. **FARIDABAD-CHAWLA COLONY:** F2180, F2202, F2674, F2679, F6645, F6697, F6706, F6714, F6718, F6719, F6730, F6731, F6735, F6755, F6768, F6775, F6778, F6781, F6806, F6815, F6816, F6822, F6833, F6839, F6840, F6841, F6844, F6849, F6853, F6859, F6863, F6865, F6915, F6917, F6923, F6925, F6931, F6935, F6941, F6957, F6963, F6965, F6966, F6983, F6984, F7003, F7005, F7015, F7017, F7026, F7028, F7029, F7034, F7040, F7055, F7091, F7096, F7099, F7100, F7102, F7109, F7113, F7115, F7116, F7119, F7143, F7145, F7147, F7154, F7158, F7162, F7166, F7167, F7159, F7169, F7172, F7175, F7180, F7183, F7192, F7195, F7200, F7201, F7206, F7207, F7211, F7212, F7213, F7216, F7220, F7225, F7226, F7228, F7233, F7235, F7239, F7240, F7244, F7245, F7249, F7252, F7258, F7262, F7265, F7268, F7278, F7280, F7284, F7288, F7289, F7290, F7291, F7292, F7298, F7300, F7304, F7313, F7326, F7328, F7329. **FARIDABAD-JAWAHAR COLONY:** F13764, F12407, F12696, F12706, F12718, F12723, F12743, F12752, F12779, F12780, F12796, F12799, F12814, F12828, F12831, F12838, F12839, F12840, F12841, F12895, F12897, F12915, F12928, F12950, F12955, F12964, F12968, F12970, F12972, F12986, F12989, F13006, F13011, F13013, F13020, F13032, F13038, F13039, F13040, F13050, F13054, F13058, F13062, F13073, F13079, F13081, F13082, F13090, F13097, F13106, F13111, F13135, F13141, F13144, F13145, F13169, F13170, F13176, F13179, F13187, F13192, F13204, F13211, F13212, F13217, F13218, F13224, F13225, F13236, F13238, F13241, F13246, F13247, F13283, F13286, F13297, F13298, F13308, F13314, F13319, F13327, F13330, F13344, F13361, F13362, F13377, F13378, F13382, F13395, F13400, F13404, F13410, F13413, F13419, F13422, F13426, F13428, F13433, F13437, F13439, F13444, F13446, F13449, F13450, F13457, F13458, F13460, F13466, F13471, F13472, F13474, F13476, F13477, F13484, F13485, F13490, F13497, F13500, F13503, F13507, F13510, F13513, F13519, F13505, F13526, F13528, F13529, F13531, F13532, F13534, F13535, F13536, F13537, F13538, F13543, F13561, F13570, F13571, F13575, F13582, F13583, F13589, F13594, F13595, F13617, F13619, F13622, F13623, F13628, F13647, F13649, F13652, F13657, F13662, F13663, F801, F8186. **FARIDABAD-NEELAM BATA ROAD:** F8239, F583, F7410, F7411, F7427, F7429, F7433, F7438, F7452, F7470, F7472, F7481, F7500, F7509, F7513, F7514, F7523, F7530, F7564, F7572, F7573, F7576, F7579, F7587, F7611, F7615, F7617, F7622, F7627, F7635, F7637, F7640, F7643, F7649, F7651, F7660, F7671, F7677, F7686, F7693, F7699, F7702, F7709, F7712, F7716, F7719, F7723, F7724, F7739, F7745, F7760, F7761, F7765, F7795, F7822, F7824, F7825, F7833, F7838, F7843, F7847, F7862, F7869, F7870, F7878, F7880, F7885, F7893, F7903, F7904, F7908, F7909, F7922, F7927, F7934, F7936, F7937, F7941, F7943, F7947, F7949, F7952, F7953, F7964, F7967, F7970, F7971, F7972, F7973, F7977, F7983, F7987, F8003, F8010, F8012, F8016, F8020, F8021, F8024, F8031, F8032, F8035, F8037, F8038, F8040, F8042, F8048, F8051. **FARIDABAD-NIT-5:** F5368, F4807, F4811, F4826, F4829, F4836, F4853, F4855, F4864, F4867, F4868, F4878, F4894, F4904, F4911, F4912, F4914, F4918, F4923, F4935, F4940, F4946, F4961, F4972, F4987, F4993, F5004, F5008, F5013, F5034, F5037, F5054, F5062, F5064, F5066, F5076, F5093, F5101, F5105, F5119, F5123, F5129, F5132, F5135, F5137, F5143, F5154, F5157, F5163, F5168, F5172, F5188, F5195, F5203, F5213, F5217, F5220, F5221, F5223, F5225, F5229, F5231, F5233, F5234, F5242, F5246, F5247, F5250, F5252, F5256, F5262, F5265, F5273. **FARIDABAD-SECTOR 55:** F7824, F1044, F1055, F1058, F1065, F1070, F1104, F1105, F1118, F1120, F1123, F1131, F1132, F1145, F1154, F1155, F1162, F1166, F1178, F1528, F5467, F6601, F6603, F6611, F6615, F6622, F6638, F6651, F6655, F6665, F6668, F6680, F6693, F6697, F6698, F6702, F6707, F6712, F6714, F6720, F6727, F6736, F6741, F6750, F6753, F6754, F6758, F6760, F6761, F6765, F6768, F6772, F6775, F6779, F6780, F6785, F6789, F6791, F6792, F6794, F6805, F6806, F6809, F6810, F6811, F6814, F6817, F6818, F6819, F6820, F6824, F6826, F6829, F6830, F6840, F6841, F6845, F6846, F6851, F6853, F6862, F6863, F6866, F6870, F6877, F6880, F6888, F6892, F6896, F6899, F6901, F6906, F6920, F6947, F6959, F6963, F6964, F6973, F6974, F6981, F6982, F6984, F6989, F6991, F7009, F7014, F7015, F7017, F7019, F7020, F7021, F7032, F7033, F7039, F7047, F7049, F7050, F7063, F7066, F7068, F7069, F7078, F7079, F7081, F7082, F7083, F7085, F7088, F7094, F7103, F7105, F7109, F7118, F7125, F7126, F7135, F7139, F7141, F7142, F7152, F7158, F7160, F7162, F7166, F7169, F7172, F7174, F7176, F7179, F7180, F7182, F7184, F7191, F7195, F7196, F7197, F7198, F7204, F7205, F7206, F7207, F7212, F7216, F7217, F7222, F7224, F7225, F7226, F7237, F7238, F7240, F7243, F7248, F7249, F7253, F7257, F7260, F7261, F7265, F7266, F7268, F7271, F7273, F7274, F7275, F7277, F7278, F7280, F7285, F7286, F7287, F7290, F7292. **FARRUKH NAGAR-HARYANA:** F4751, F4758, F4761, F4796, F4798, F4808, F4812, F4814, F4829, F4832, F4859, F4860, F4862, F4869, F4898, F4900, F4901, F4914, F4923, F4977, F5005, F5007, F5008, F5011, F5019, F5023, F5034, F5036, F5037, F5040, F5042, F5045, F5057, F5061, F5090, F5104, F5131, F5155, F5159, F5177, F5182, F5184, F5186, F5198, F5217, F5223, F5224, F5226, F5227, F5231, F5232, F5234, F5249, F5251, F5253, F5264, F5269, F5271, F5274, F5275, F5278, F5279, F5283, F5286, F5287, F5292, F5293, F5294, F5295, F5297, F5298, F5302, F5304, F5305, F5306, F5309. **GURGAON SEC-14:** 6531, F6532, F6474, F6475, F6580, F6582, F6515, F6479, F6481, F4537, F4610, F4649, F4650, F6055, F6056, F6197, F6202, F6207, F6057, F6058, F6074, F6076, F6077, F6104, F6109, F6115, F6138, F6144, F6148, F6155, F6162, F6163, F6164, F6170, F6171, F6177, F6191, F6192, F6193, F6194, F6196, F6208, F6209, F6211, F6212, F6213, F6214, F6215, F6216, F6220, F6225, F6228, F6233, F6238, F6241, F6252, F6255, F6264, F6274, F6279, F6287, F6289, F6291, F6295, F6302, F6305, F6308, F6325, F6326, F6327, F6328, F6330, F6332, F6333, F6338, F6342, F6348, F6353, F6364, F6366, F6367, F6370, F6371, F6379, F6384, F6388, F6390, F6391, F6392, F6399, F6402, F6404, F6409, F6414, F6417, F6418, F6420, F6428, F6430, F6435, GL/MSGL/GGAN/203, GL/MSGL/GGAN/44, GL/MSGL/GGAN/46, GL/MSGL/GGAN/49, GL/GGAN/28, GL/GGAN/34, GL/GGAN/50, GL/GGAN/63, GL/GGAN/66, GL/GGAN/69, GL/GGAN/85. **GURGAON-DAYANAND COLONY:** F4272, F4311, F4312, F4581, F4609, F4610, F5738, F7554, F7556, F7596, F7599, F7606, F7607, F7609, F7616, F7629, F7641, F7642, F7680, F7690, F7707, F7728, F7752, F7767, F7772, F7773, F7776, F7777, F7796, F7800, F7802, F7803, F7805, F7807, F7813, F7824, F7825, F7826, F7832, F7841, F7856, F7878, F7910, F7917, F7927, F7940, F7942, F7946, F7952, F7955, F7969, F7970, F7971, F7972, F7978, F7979, F7982, F7998, F7999, F8001, F8003, F8026, F8027, F8028, F8029, F8031, F8032, F8074, F8075, F8077, F8079, F8080, F8081, F8082, F8091, F8092, F8093, F8096, F8101, F8114, F8115, F8116, F8117, F8118, F8122, F8130, F8134, F8146, F8199, F8206, F8213, F8223, F8236, F8249, F8251, F8264, F8271, F8275, F8288, F8294. **GURGAON-OLD RAILWAY ROAD:** F9856, F9857, F9858, F9866, F9871, F9947, F9960, F9974, F10016, F10017, F10169, F2090, F2203, F2635, F4222, F5512, F5568, F8578, F9013, F9017, F9021, F9031, F9050, F9053, F9056, F9071, F9073, F9074, F9081, F9090, F9110, F9123, F9124, F9131, F9132, F9135, F9151, F9154, F9156, F9157, F9175, F9192, F9194, F9199, F9201, F9203, F9213, F9218, F9219, F9224, F9245, F9253, F9254, F9258, F9261, F9266, F9270, F9273, F9281, F9287, F9295, F9299, F9305, F9307, F9316, F9321, F9323, F9324, F9328, F9330, F9331, F9333, F9334, F9336, F9340, F9343, F9344, F9345, F9347, F9348, F9352, F9356, F9360, F9364, F9367, F9372, F9374, F9381, F9382, F9392, F9393, F9404, F9412, F9415, F9419, F9423, F9424, F9428, F9431, F9443, F9445, F9481, F9486, F9487, F9495, F9496, F9502, F9505, F9507, F9513, F9514, F9519, F9524, F9529, F9539, F9540, F9541, F9543, F9554, F9556, F9576, F9581, F9592, F9602, F9610, F9619, F9629, F9631, F9634, F9643, F9645, F9647, F9649, F9651, F9654, F9661, F9672, F9673, F9675, F9681, F9688, F9702, F9710, F9711, F9712, F9713, F9715, F9718, F9724, F9728, F9732, F9733, F9734, F9744, F9747, F9749, F9751, F9755, F9759, F9762, F9763, F9765, F9776, F9778, F9781, F9785, F9786, F9796, F9798, GL/MBGL/GGOR/2. **JHAJJAR-HARYANA:** F4408, F4526, F4615, F1726, F3857, F3861, F3872, F3882, F3883, F3893, F3899, F3902, F3903, F3907, F3921, F3924, F3925, F3926, F3927, F3929, F3933, F3935, F3939, F3940, F3955, F3956, F3957, F3959, F3970, F3982, F3988, F3996, F4000, F4003, F4004, F4005, F4023, F4024, F4025, F4033, F4041, F4045, F4048, F4051, F4052, F4058, F4065, F4076, F4083, F4087, F4091, F4093, F4094, F4096, F4103, F4104, F4115, F4118, F4124, F4131, F4139, F4140, F4149, F4152, F4155, F4156, F4158, F4159, F4161, F4178, F4187, F4200, F4201, F4209, F4211, F4219, F4234, F4242, F4243, F4247, F4251, F4253, F4254, F4257, F4259. **NIT 2:** F23712, F20806, F22523, F22549, F22554, F22559, F22572, F22574, F22575, F22594, F22625, F22650, F22656, F22661, F22678, F22691, F22730, F22731, F22734, F22768, F22776, F22782, F22797, F22551, F22629, F22771, F22565, F22812, F22816, F22829, F22831, F22836, F22839, F22845, F22891, F22926, F22927, F22930, F22931, F22943, F22949, F22957, F22966, F22974, F22988, F23204, F23217, F23218, F22998, F23008, F23012, F23038, F23061, F23066, F23073, F22954, F22932, F22906, F22886, F22874, F22850, F23102, F23115, F23116, F23130, F23135, F23147, F23166, F23186, F23195, F23226, F23231, F23232, F23249, F23259, F23260, F23262, F23264, F23276, F23284, F23287, F23293, F23299, F23307, F23313, F23327, F23335, F23336, F23353, F23354, F23356, F23361, F23366, F23372, F23388, F23397, F23399, F23404, F23405, F23406, F23411, F23433, F23441, F23443, F23450, F23451, F23453, F23463, F23474, F23482, F23508, F23509, F23521, F23524, F23536, F23538, F23511, F23540, F23543, F23565, F23567. **PALWAL-HARYANA:** F12908, F12923, F12935, F12937, F12946, F12950, F12951, F12962, F12981, F12995, F13030, F13044, F13045, F13047, F13051, F13052, F13054, F13059, F13060, F13061, F13064, F13066, F13067, F13070, F13071, F13094, F13098, F13100, F13114, F13121, F13124, F13125, F13126, F13136, F13142, F13143, F13147, F13149, F13153, F13158, F13160, F13166, F13177, F13195, F13203, F13206, F13210, F13211, F13212, F13229, F13239, F13240, F13242, F13244, F13245, F13278, F13284, F13292, F13294, F13300, F13305, F13306, F13313, F13315, F13327, F13331, F13332, F13339, F13351, F13354, F13370, F13371, F13381, F13387, F13388, F13390, F13391, F13394, F13400, F13408, F13412, F13416, F13422, F13423, F13430, F13431, F13434, F13438, F13452, F13453, F13463, F13464, F13465, F13466, F13469, F13477, F13481, F13484, F13512, F13519, F13535, F13557, F13563, F13590, F13591, F13609, F13614, F13632, F13650, F13653, F13656, F13662, F13668, F13682, F13683, F13700, F13704, F13709, F13714, F13716, F13718, F13721, F13723, F13726, F13729, F13734, F13735, F13736, F13741, F13742, F13744, F13747, F13749, F13750, F13751, F13760, F13764, F13774, F13780, F13785, F13786, F13792, F13798, F13802, F13804, F13809, F13811, F13812, F13813, F13814, F13815, F13817, F13818, F13820, F13821, F13822, F13825, F13828, F13832, F13833, F13835, F13842, F13843, F13852, F13854, F13867, F13870, F13872, F13878, F13882, F13886, F13887, F13888, F13889, F13894, F13897, F13900, F13901, F13905, F13909, F13915, F13918, F13920, F13921, F13927, F13936, F13938, F13941, F13943, F13949, F13950, F13953, F13954, F13955, F13960, F13967, F13970, F13977, F13979, F13980, F13982, F13985, F13987, F13989, F13991, F13992, F13995, F13997, F14000, F14006, F14008, F14010, F14013, F14015, F14016, F14019, F12812, F12827, F12840, F12859, F12890. **PATAUDI-HARYANA:** F6578, F5639, F5652, F5657, F5663, F5665, F5672, F5678, F5684, F5685, F5686, F5693, F5699, F5704, F5707, F5720, F5721, F5736, F5740, F5755, F5760, F5766, F5767, F5777, F5780, F5782, F5789, F5792, F5799, F5805, F5813, F5814, F5815, F5820, F5821, F5826, F5831, F5833, F5837, F5838, F5839, F5843, F5845, F5846, F5848, F5854, F5857, F5861, F5872, F5874, F5875, F5877, F5879, F5882, F5884, F5889, F5893, F5895, F5896, F5898, F5900, F5915, F5927, F5936, F5954, F5959, F5963, F5968, F5983, F5989, F5995, F5997, F6019, F6021, F6022, F6024, F6026, F6029, F6031, F6040, F6041, F6042, F6043, F6044, F6060, F6061, F6070, F6071, F6076, F6092, F6120, F6123, F6125, F6145, F6146, F6149, F6150, F6154, F6155, F6156, F6157, F6163, F6167, F6172, F6175, F6179, F6186, F6190, F6191, F6193, F6208, F6209, F6210, F6212, F6214, F6218, F6219, F6220, F6221, F6226, F6229, F6230, F6231, F6232, F6239, F6240, F6246, F6261, F6262, F6263, F6268, F6269, F6272, F6277, F6284, F6293, F6296, F6297, F6303, F6311, F6319, F6325, F6326, F6332, F6333, F6335, F6337, F6341, F6342, F6349, F6363, F6364, F6367, F6371, F6374, F6377, F6378, F6379, F6384, F6391, F6395, F6398, F6399, F6401, F6403, F6406.

नीलामी अपनी-अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवश उस दिन पूरी न हो पाई तो नीलामी 24.06.2019 को सुबह 10.00 बजे Muthoot Fincorp Ltd., 5P/29 ,1St Floor Nit-5, Above Indian Overseas Bank, Near - Mittal Complex, Faridabad, Haryana - 121001 पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फ़ोटो पहचान-पत्र, पैन कार्ड प्रस्तुत करें। सफ़ल निविदाकर्ताओं को पैसा RTGS द्वारा ट्रांसफ़र करना होगा।

मुत्तूट फ़िनकॉर्प लिमिटेड

रेल राज्यमंत्री के कोटे का बेजा इस्तेमाल, दो लोग पकड़े गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 जून।

आपात कोटे में होने वाली रेल टिकट बुकिंग में एक बड़ा फजीवाड़ा सामने आया है। सोमवार के कन्फर्म टिकट पाने के लिए सक्रिय लोगों ने रेल राज्य मंत्री के कोटे का प्रयोग किया। ये लोग इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद रेल मंत्रालय ने जांच के लिए एक संयुक्त टीम बनाई है। गिरफ्तार किए गए दो लोगों पर कागजों में फर्जीवाड़ा करने आरोप है।

जांच टीम अब गड़बड़ी यह जानने की कोशिश करेगी कि अब तक इस प्रकार के कितने मामले में ये लोग शामिल रहे हैं। इस जांच टीम में व्यावसायिक टीम, सतर्कता विभाग व आरपीएफ के अधिकारी शामिल रहेंगे। फर्जीवाड़े में शामिल लोग टिकट को पक्का कराने के लिए रेल राज्य मंत्री के फर्जी लेटरहेड का प्रयोग कर रहे थे। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही इस मामले की सूचना मंत्रालय को मिली। इसके तुरंत बाद इन लोगों का धर दबोचा गया।

रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने छह लोगों के पीएनआर नंबर भेजे थे और इनका टिकट पक्का करने के लिए कहा गया था। इन टिकट को ऑन लाइन बुक कराया गया था और दो विभिन्न यूजर आईडी और मोबाइल नंबर का प्रयोग किया था। मामले में जानकारी मिलने के बाद आइआरसीटी ने इससे संबंधित ईमेल समेत अन्य जानकारियां भी जुटाई है। जिसमें सामने आया है कि इसके माध्यम से एमएम खान व अफजल अहमद के नाम पर टिकट जारी किया गया है। इसके बाद सभी टिकट आरपीएफ ने जांच के बाद बरामद किए हैं। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी व परिसर की जांच के लिए अदालत से आदेश लिए गए थे। मामले की एक रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भी भेजी गई है। रेल मंत्रालय का कहना है कि इस मामले में कोई भी गड़बड़ी मिलने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

वंदे भारत एक्सप्रेस में बासी खाना परोसने वाला होटल रेलवे की जांच के दायरे में

नई दिल्ली, 11 जून (भाषा)।

कानपुर का एक पांच सितारा होटल सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को बासी खाना परोसने को लेकर रेलवे की जांच के दायरे में आ गया है। इस रेलगाड़ी में फतेहपुर से सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी सवार थीं। आइआरसीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

भारतीय सेना के एक कर्नल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ट्रेन में भोजन उपलब्ध कराने वाला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) होटल को दंडित कर सकता है। अधिकारियों ने बताया कि नौ जून को शिकायत मिली थी।

आइआरसीटीसी (पर्यटन) के समूह महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया, 'हमें एक यात्री की ओर से शिकायत मिली है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पहली नजर में लगता है कि कानपुर के पांच सितारा होटल ने चावल की आपूर्ति की, जो यात्रियों के मुताबिक ताजा नहीं थे। आइआरसीटीसी (उत्तर) के समूह महाप्रबंधक, होटल के भोजन तैयार करने और पैकेजिंग का निरीक्षण कर रहे हैं।'

कुमार ने बताया, 'उन्होंने देखा है कि वे गैर-एसी वाहन में भोजन ले जा रहे हैं, जिससे हो सकता है समस्या हुई हो। अत्यधिक गर्मी के कारण चीजें बहुत बिगड़ गई हैं, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और हम सुधारात्मक उपाय करेंगे।' उत्तर भारत इन दिनों भीषण लू की चपेट में है और राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

स्मिथ का मजाक नहीं उड़ाएंगे पाकिस्तानी प्रशंसक : सरफराज

पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि बुधवार को मैच के दौरान पाकिस्तानी प्रशंसक आस्ट्रेलियाई स्टार स्टीव स्मिथ का मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैच में काफी संख्या में पाकिस्तानी प्रशंसकों के पहुंचने की उम्मीद है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि वे भी भारतीय प्रशंसकों का अनुसरण करके स्मिथ की हूटिंग कर सकते हैं।

मैच धुला इंग्लैंड में विश्व कप मुकाबले के दौरान मंगलवार को हुई बारिश में श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच धुल गया।

हार्दिक की मौजूदगी से सहायक की भूमिका में था : कोहली

नाटिंघम, 11 जून (भाषा)।

विराट कोहली बल्लेबाजी करते समय आसानी से आक्रामक रूख अख्तियार कर सकते हैं लेकिन भारतीय कप्तान को लगता है कि हार्दिक पंड्या जैसे बड़े शॉट खेलने वाले एक खिलाड़ी की उपस्थिति से उन्हें कई बार सहायक की भूमिका निभाने का मौका मिलता है।

ऐसा कम ही होता है जब कोहली के आखिरी के ओवरों में क्रीज पर रहने के बाद भी उनके गेंद और रन का अंतर ज्यादा ना हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप के मैच में उन्होंने 77 गेंद में 82 रन की पारी खेली जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे।

आखिरी ओवरों में कोहली मिशेल स्टार्क पर दो छक्के लगाने के अलावा एक और दो रन दौड़ कर खुश थे जबकि पंड्या दूसरे छोर से आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। पंड्या ने 25 गेंद में 48 रन बनाए। वह आक्रामक बल्लेबाजी के बारे में सोच रहे थे तो कोहली ने कहा, 'जब मैंने अर्धशतक पूरा किया तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आया था। मैंने पंड्या से बात की और उन्होंने कहा, मुझे जोखिम उठाने की जरूरत नहीं।' पंड्या ने भारतीय कप्तान को सुझाव दिया कि वे सहायक की भूमिका निभाएं क्योंकि उनकी (कोहली की) मौजूदगी से उन्हें आक्रामक खेल की ज्यादा आजादी मिलती है।

कोहली ने कहा, 'हार्दिक ने कहा कि अगर वे (कोहली) एक छोर पर हैं तो उन्हेंअपना खेल खेलने की आजादी मिलेगी। इसलिए मुझे एक छोर संभालने की जिम्मेदारी लेनी थी, लेकिन मैं भी लय को बरकरार रखना चाहता था।' उन्होंने कहा कि बड़े शॉट नहीं खेलने का एक और कारण था कि आखिरी ओवरों में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। विराट ने कहा, 'आखिरी के पांच, छह ओवरों में मुझे लगाता है कि मैंने सिर्फ छह गेंद का सामना किया। ऐसा भी हुआ जब तीन ओवरों में मुझे सिर्फ एक गेंद खेलने को मिली और उस पर भी मैंने एक रन लिया।

एक बल्लेबाज के तौर पर आप तुरंत लय हासिल नहीं कर सकते। एक दिवसीय मैचों में यह आम बात है।' कप्तान को ऐसी स्थिति में सहायक की भूमिका निभाने में कोई समस्या नहीं होती जब दूसरे छोर से कोई आक्रामक बल्लेबाजी करता है। उन्होंने कहा, 'जब तक हार्दिक और एमएस (धोनी) जैसे लोग खेलते हैं, मुझे सिर्फ अपना काम करने और एक रन लेकर दूसरे छोर पर जाने में कोई समस्या नहीं है। कभी आपको भी बड़ा शॉट खेलने का मौका मिलेगा।' कोहली ने अपनी खेल योजना को समझाते हुए कहा, 'अगर कुछ खिलाड़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप सहायक की भूमिका में खेल का नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। अगर हम उस समय पांच विकेट गंवा देते तो शायद 20 रन कम बनाते।'

उन्होंने कहा, 'हार्दिक ने मुझसे कहा था अगर मैं एक छोर पर रहूं तो वह दूसरे छोर से खुल कर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वे 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना चाहता थे और उनके बाद धोनी ने इस भूमिका को शानदार तरीके से निभाया।''

> "जब तक हार्दिक और एमएस (धोनी) जैसे लोग खेलते हैं, मुझे सिर्फ अपना काम करने और एक रन लेकर दूसरे छोर पर जाने में कोई समस्या नहीं है। कभी आपको भी बड़ा शॉट खेलने का मौका मिलेगा।"
>
> – विराट कोहली, कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम

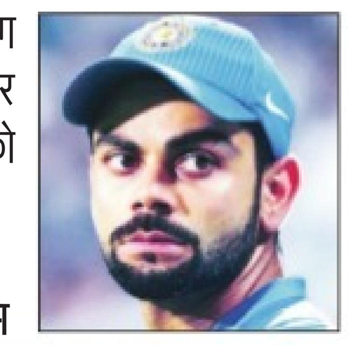

पाकिस्तान की निगाह जीत की लय बरकरार रखने पर, आस्ट्रेलिया वापसी को बेकरार

टांटन, 11 जून (भाषा)।

मेजबान इंग्लैंड को हराकर उलटफेर करने वाली पाकिस्तान की टीम बुधवार को जब आइसीसी क्रिकेट विश्व कप में आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसकी कोशिश मौजूदा चैंपियन को शिकस्त देकर जीत की लय को बरकरार रखने की होगी। टूर्नामेंट में शुरुआती दो मैचों में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली आस्ट्रेलियाई टीम भारत के खिलाफ मिली हार को भुला कर अपने अभियान को पटरी पर वापस लाना चाहेगी।

यह वही मैदान है जहां स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में पांच साल की सजा काटने के बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शानदार वापसी की थी। 2016 में खेले गए इस मुकाबले में आमिर ने समरसेट के खिलाफ इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक सहित तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेज था। आमिर एक बार फिर इस मैदान पर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।

विश्व कप में पाकिस्तान का अभियान खराब तरीके से शुरू हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम 105 रन पर आउट होने के बाद मैच सात विकेट से मैच गंवा बैठी। अपने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने हालांकि खिताब के प्रबल दावेदार एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड को 14 रन से हराकर सबको चौंका दिया। श्रीलंका के खिलाफ टीम का तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया और दोनों टीमों को 1-1 अंक साझा करना पड़ा।

पाकिस्तान की टीम हालांकि आस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले 14 मुकाबलों में सिर्फ एक में जीत दर्ज कर सकी है। कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ भी ज्यादा मुकाबले नहीं जीते हैं लेकिन विश्व कप में उनके खिलाफ मिली जीत से हौसले बुलंद है।

सरफराज ने कहा, 'हमने आस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा मैच नहीं जीते हैं लेकिन हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी ज्यादा मैच नहीं जीते थे। उसके बावजूद हमने इंग्लैंड को हराया और इससे हमें बहुत सकारात्मकता मिली है। हम इंग्लैंड के खिलाफ आक्रामक रवैये के साथ मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, 'हम जानते हैं कि आस्ट्रेलिया वापसी की कोशिश करेगा। (स्टीव) स्मिथ और (डेविड) वार्नर के साथ वापसी से टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी।' आस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट में दो अर्धशतक लगाने वाले डेविड वार्नर से एक बार फिर आतिशी पारी की उम्मीद होगी।

भारत के खिलाफ हालांकि वार्नर ने 56 रन बनाने के लिए 84 गेंदों का सामना किया जिसमें 48 गेंद ऐसी थीं जिन पर वह रन नहीं बना सके। उनकी धीमी पारी का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा और उसे भारत के खिलाफ 36 हार का सामना करना पड़ा। फिंच ने हालांकि सलामी बल्लेबाजी में अपने जोड़ीदार वार्नर का बचाव किया। वार्नर और स्मिथ गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाए जाने के बाद एक साल के निलंबन से वापसी कर रहे है। फिंच ने कहा, 'भारत ने वार्नर के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की और उन्हें कुछ और समय चाहिए। वे एक विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं और हमें शानदार शुरुआत दिलाएंगे।'

आमने-सामने

आस्ट्रेलिया

भारत ने वार्नर के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की। उन्हें कुछ और समय चाहिए। वे हमें शानदार शुरुआत दिलाएंगे।

–फिंच, कप्तान, आस्ट्रेलिया

पाकिस्तान

हम जानते हैं कि आस्ट्रेलिया वापसी की कोशिश करेगा। (स्टीव) स्मिथ और (डेविड) वार्नर के साथ वापसी से टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी।

–सरफराज, कप्तान, पाकिस्तान

मैच का समय

दोपहर बाद तीन बजे से

हाथ में चोट के कारण कम से कम तीन मैचों से बाहर हो सकते हैं धवन

शिखर टीम के संग बने रहेंगे, लोकेश राहुल के रूप में भारत के पास है विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज

नाटिंघम, 11 जून (भाषा)।

फार्म में चल रहे भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन बाएं हाथ में हेअरलाइन फैक्चर के कारण मंगलवार को विश्व कप के कम से कम तीन मैचों से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के तीसरे मैच से पहले यह टीम के लिए झटका है लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनके चोट से उबरने की संभावना है और यही कारण है कि टीम प्रबंधन ने उनके विकल्प की मांग नहीं की है।

भारतीय टीम की मीडिया मैनेजर मॉलिन पारिख ने आधिकारिक वट्सऐप ग्रुप पर लिखा, 'टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अभी बीसीसीआइ की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। टीम प्रबंधन ने फैसला किया है कि धवन इंग्लैंड में ही रहेंगे और उनकी प्रगति पर निगाह रखी जाएगी।' शुरुआत में पता चला था कि धवन के अंगूठे में फ्रैक्चर है लेकिन स्पष्ट किया गया है कि चोट उनके हाथ के पीछे वाले हिस्से पर है।

मीडिया मैनेजर ने आगे कहा, 'धवन को बाएं हाथ के पीछे तर्जनी और अंगूठे के बीच के हिस्से में आस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप 2019 के लीग मैच के दौरान चोट लगी।' बाएं हाथ के धवन मंगलवार को विशेषज्ञों की सलाह के लिए फिजियो पैट्रिक फरहार्ट के साथ लीड्स गए थे।

धवन गुरुवार को न्यूजीलैंड और रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे। यह देखना होगा कि वे 22 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए फिट हो पाते हैं या नहीं। टीम प्रबंधन को हालांकि उम्मीद है कि वह टूर्नामेंट के अंतिम चरण के लिए फिट हो जाएंगे। ब्रिटेन में मौजूद बीसीसीआइ के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'फिलहाल कोई विकल्प नहीं मांगा गया है। टीम प्रबंधन का मानना है कि शिखर मैच विजेता हैं और उन्हें फिट होने के लिए सभी मौके मिलने चाहिए। यहां उनका उपचार और उबरना तेजी से हो सकता है और टीम को उनके फिट होने की उम्मीद है।'

उन्होंने कहा, 'टीम प्रबंधन ने कभी विकल्प की मांग नहीं की। मुझे नहीं पता कि ऋषभ पंत के टीम से जुड़ने की खबरें कहां से आ रही हैं। यह मीडिया की अटकलबाजी है।'

पाकिस्तान के खिलाफ 16 जून को होने वाले मुकाबले के बाद भारत को अपना अगला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 22 जून को खेलना है और ऐसे में धवन के पास उबरने के लिए कम से कम 11 दिन का समय होगा। धवन अगर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल पाते हैं तो भारत को अगला मैच 27 जून को मैनचेस्टर में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलना है जिससे उन्हें उबरने के लिए छह और दिन का समय मिलेगा।

ऐसे में टीम प्रबंधन जोखिम लेने के बारे मे सोच रहा है ताकि वे टीम के आखिरी दो या तीन लीग मैच के लिए फिट हो जाएं। भारत को 30 जून को इंग्लैंड, दो जुलाई को बांग्लादेश और छह जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ खेलना है।

पता चला है कि टीम प्रबंधन धवन के विकल्प को लेकर अधिक उत्सुक नहीं है जब तब कि डॉक्टर उन्हें एक महीने से अधिक समय के लिए बाहर नहीं कर देते। टीम इंडिया के पास लोकेश राहुल के रूप में विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज हैं जो रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विजय शंकर या दिनेश कार्तिक को अगले दो मैचों में मध्यक्रम में खेलने का मौका मिल सकता है।

धवन ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को 109 गेंद में 117 रन की पारी खेली थी। आइसीसी प्रतियोगिताओं में धवन के शानदार रेकार्ड को देखते हुए उनकी यह चोट भारत के लिए बड़ा झटका है। धवन ने विश्व कप के 10 मैचों में 53.70 की औसत और 94.21 के स्ट्राइक रेट से 537 रन बनाए हैं।

विश्व कप डायरी

युवराज एक बेहतर विदाई के हकदार थे : रोहित शर्मा

नाटिंघम, 11 जून (भाषा)।

भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने युवराज सिंह के उतार-चढ़ाव भरे करिअर की सराहना करते हुए कहा कि वे 17 साल तक शीर्ष स्तरीय क्रिकेट के बाद बेहतर विदाई के हकदार थे।

एकदिवसीय टीम के उपकप्तान ने ट्विटर पर लिखा, 'आपको किसी चीज की अहमियत का तब पता चलता है जब वह आपके पास नहीं होती। भाई, आपको बहुत सारा प्यार। आप एक बेहतर विदाई के हकदार थे।' भारत की तरफ से वेस्टइंडीज के खिलाफ जून, 2017 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले युवराज ने सोमवार को मुंबई में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।

युवराज हालांकि टेस्ट में सफल रहे और उन्हें विदाई मैच खेलने का मौका कभी नहीं मिला। अपने 17 साल के अंतरराष्ट्रीय करिअर के दौरान वे 2007 में टी20 विश्व कप और 2011 में एक दिवसीय विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे।

वॉ ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ हार्दिक की धमाकेदार पारी की तुलना क्लूजनर से की

लंदन, 11 जून (भाषा)।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने हार्दिक पंड्या की तुलना दक्षिण अफ्रीका के लांस क्लूजनर से करते हुए कहा कि इस भारतीय हरफनमौला के पास बड़े शॉट खेलने की ऐसी काबिलियत है जिसका विरोधी कप्तानों के पास कोई जवाब नहीं।

पंड्या ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द ओवल में 27 गेंदों में 48 रन की पारी खेली जिससे भारत ने 5 विकेट पर 352 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 316 रनों पर आउट कर 36 रन से जीत दर्ज की। वॉ ने आइसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने कॉलम में लिखा, 'हार्दिक पंड्या की पारी विरोधी टीमों को चौंका देगी। यह खिलाड़ी 1999 विश्व कप में खेलने वाले लांस क्लूजनर के बराबर हो सकता है। ज्यादातर खिलाड़ी अपनी पारी के आखिर में जैसी बल्लेबाजी करते हैं वह उस तरीके से अपनी पारी शुरू करने की क्षमता रखते हैं।

श्रीलंका का लगातार दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ा

ब्रिस्टल, 11 जून (भाषा)।

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मंगलवार को यहां खेला जाने वाला क्रिकेट विश्व कप का लीग मैच लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।

मौजूदा टूर्नामेंट का यह लगातार दूसरा मैच है जिसका बारिश के कारण नतीजा नहीं निकला। सोमवार को वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ मुकाबला भी बारिश के कारण 7.3 ओवर के खेल के बाद रद्द हो गया था।

मैच की शुरुआत के निर्धारित समय से पहले से ही बारिश हो रही थी जिसके कारण टास भी नहीं हो सका। बीच में कुछ समय के लिए बारिश धीमी हुई जिससे मैच होने की उम्मीद बंधी थी लेकिन दोबारा बारिश तेज हो जाने के कारण मैच शुरू नहीं हो पाया। अंततः अंपायरों ने स्थानीय समयानुसार एक बजकर 57 मिनट पर मैच रद्द करने का फैसला किया। श्रीलंका का यह लगातार दूसरा मैच है जिसे बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के पिछले मैच में भी बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी।

बांग्लादेश और श्रीलंका का यह मैच मौजूदा विश्व कप का तीसरा मुकाबला है जिसका बारिश के कारण नतीजा नहीं निकल पाया और टीमों को अंक बांटने पड़े। इससे पहले कभी किसी विश्व कप में तीन मैच बेनतीजा या रद्द नहीं हुए थे। श्रीलंका के अब चार मैचों में एक जीत, एक हार और दो बेनतीजा मैचों से चार अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है।

हूटिंग कर रहे दर्शकों को शांत कराना कोहली का सराहनीय काम : वॉ

लंदन, 11 जून (भाषा)।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने स्टीव स्मिथ के खिलाफ हूटिंग कर रहे दर्शकों को शांत करने के लिए विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि यह 'सराहनीय काम' था।

दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ के विवादास्पद मामले के कारण एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद वापसी करने वाले स्मिथ को प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड के प्रत्येक मैदान पर दर्शकों के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ रहा है।

ऑस्ट्रेलिया को 1999 में विश्व चैम्पियन बनाने वाले वॉ ने आइसीसी की वेबसाइट पर लिखा, 'नेतृत्व कई रूपों में खुद को प्रकट करता है, लेकिन मुझे लगा कि भारतीय दर्शकों से स्टीव स्मिथ पर कसी गई फब्तियों को शांत करने में कोहली की अपील एक सराहनीय काम था जिसने स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया।'

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में दर्शकों ने स्मिथ पर फब्तियां कसीं और उन्हें धोखेबाज कहा। तब कोहली ने दर्शकों को ऐसा करने से रोका था।

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच रविवार को खेले गये इस मुकाबले में दर्शकों ने स्मिथ पर फब्तियां कसीं और उन्हें धोखेबाज कहा। तब आस्ट्रेलियाई टीम क्षेत्ररक्षण कर रही थी। कोहली ने दर्शकों को ऐसा करने से रोका और इसके बजाय उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने को कहा। भारत ने यह मैच 36 रन से जीता।

कोहली ने मैच के बाद कहा था, 'मुझे उनके लिए बुरा लगा और मैंने उससे कहा, 'मैं दर्शकों की तरफ से खेद व्यक्त करता हूं क्योंकि मैंने पिछले कुछ मैचों में भी ऐसा होते हुए देखा है।' मेरे विचार में यह अस्वीकार्य है।'

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 206, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

हरित चारा विकास कार्यक्रम (GFDP) - RKVY स्कीम के अंतर्गत हरियाणा के सभी जिलों में ज्वार के प्रदर्शन प्लाटों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट www.agriharyana.gov.in में Agri Schemes Goverance Link पर जाकर e-agri Portal पर click करें। किसान भाई अपना आवेदन दिनांक 10 .07 .2019 तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के संबंधित कृषि विकास अधिकारी/ब्लाक कृषि अधिकारी/ उपमंडल कृषि अधिकारी/ उप कृषि निदेशक के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802117 पर संपर्क कर सकते हैं।

76817/HRY

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (डीईएमएस) नजफगढ़ जोन का कार्यालय
दूसरा तल, आर.आर. डिपो, निकट मेट्रो स्टेशन द्वारका
सेक्टर-9, दिल्ली-110075

सं. डी/ईई(डीईएमएस)एनजीजेड/2019-20/02/67 दिनांक: 10.06.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु पात्र/योग्य बोलीदाताओं से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

1. एनजीजेड वार्ड **30एस से 42एस** में 90 दिनों के लिए 8 घंटे कार्य आधार पर न्यूनतम 40 किमी प्रतिदिन दूरी तय करने के साथ एमएसडब्ल्यू/कचरा/मलबा/नाली की गाद (सिल्ट) इत्यादि उठाने/एकत्रित करने के लिए एक मजदूर और ड्राइवर सहित ऑटो-टिपिंग सुविधा के साथ 52 एल.एम.वी. (छोटे), टाटा मैजिक या समकक्ष, किराए पर लेना। अनुमानित लागत: **रु.143.345 लाख**, धरोहर राशि: **रु.2,86,700/-**। 2. एनजीजेड वार्ड **43एस से 54एस** में 90 दिनों के लिए 8 घंटे कार्य आधार पर न्यूनतम 40 किमी प्रतिदिन दूरी तय करने के साथ एमएसडब्ल्यू/कचरा/मलबा/नाली की गाद इत्यादि उठाने/एकत्रित करने के लिए एक मजदूर और ड्राइवर सहित ऑटो-टिपिंग सुविधा के साथ 48 एल.एम.वी. (छोटे), टाटा मैजिक या समकक्ष, किराए पर लेना। अनुमानित लागत: **रु.132.70 लाख**, धरोहर राशि: **रु.2,65,400/-**। 3. अगले 90 दिनों के लिए एनजीजेड में चयनित/उपेक्षित बिंदुओं (वलनरेबल प्वाइंट्स) से एमएसडब्ल्यू/गाद का द्वितीयक संग्रह और ओखला एसएलएफ/अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र तक परिवहन। अनुमानित लागत: **रु.147.585 लाख**, धरोहर राशि: **रु.2,95,200/-**। 4. नजफगढ़ जोन में द्वारका उप-शहर में 90 दिनों के लिए मिश्रित कचरा/गाद उठाने के लिए 20 टाटा-407 पिकअप ट्रक किराए पर लेना। अनुमानित लागत: **रु.102.68 लाख**, धरोहर राशि: **रु.2,05,400/-**।

निविदा को **अधिशासी अभियंता (डीईएमएस)/एनजीजेड** के ऊपर दिए गए पते पर जमा करने की **अंतिम तारीख 20.06.2019 अपराह्न 01:00 बजे** तक है। पात्रता मानदंड और अन्य विवरण/निविदा दस्तावेज को द.दि.न.नि. की वेबसाइट **http:www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDERS** से डाउनलोड किया जा सकता है या निविदा जमा करने की तारीख से पहले किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

-हस्ता/-

R.O. No.12/DPI/S/2019-20 अधिशासी अभियंता (डीईएमएस)/एनजीजेड

RAMNATH GOENKA EXCELLENCE IN JOURNALISM AWARDS

RAMNATH GOENKA MEMORIAL FOUNDATION

INDIAN EXPRESS GROUP

INDIA'S MOST PRESTIGIOUS AND COVETED JOURNALISM AWARDS

CALL FOR ENTRIES

Acknowledging accuracy, courage, credibility & fairness

2018

Award Categories

Print/Digital & Broadcast

- Reporting from Conflict States
- Hindi
- Regional Languages
- Environment, Science and Technology Reporting
- Uncovering India Invisible
- Business and Economic Journalism
- Reporting on Politics and Government
- Sports Journalism
- Investigative Reporting

Print/Digital

- Reporting on Arts, Culture and Entertainment
- Foreign Correspondent Covering India
- Editorial Commentary and Cartoons
- Books (Non-Fiction)
- Prakash Kardaley Memorial Award for Civic Journalism
- Photo Journalism
- Best Student–Run Newspaper, Magazine and Digital News Portal

LAST DATE FOR ENTRIES | JULY 15, 2019
Entries are invited for the year 2018 only.

Log on to **www.indianexpress.com/rngf** | Write to us at **rngf@expressindia.com**
Ramnath Goenka Memorial Foundation, Express Building, B-1/B, Sector-10, Noida-201 301, Uttar Pradesh, India.

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

कृषक यत्न रक्षणम्
www.aicofindia.com

पंजिकृत कार्यालय : प्लेट बी एवं सी, 5वी मंजिल, ब्लॉक 1, ईस्ट किदवई नगर , नईं दिल्ली 110 023 | पंजीकरण सं. 126 (REGISTRATION NO- 126) (आईआरडीए के साथ पंजीकरण की तिथि : अक्टूबर 30, 2003)
CIN-U74999DL2002PLC118123 | Toll Free Helpline : 1800-116-515

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष का वित्तीय लेखापरीक्षित परिणाम

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व खाता

क्रम सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 31.03.2019 (Rs. '000)	गत वर्ष 31.03.2018 (Rs. '000)
1	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1	16516572	17795232
2	निवेशों की बिक्री/प्रतिदान का लाभ/हानि		2999	39983
3	अन्य :-			
	निवेशों में छूट की अभिवृद्धि		191610	488557
4	ब्याज, लाभांश और किराया-सकल		3171956	3179343
	कुल (क)		**19883137**	**21503115**
1	उपगत दावे (निवल)	2	15236371	18192295
2	कमीशन	3	(2633318)	(5405100)
3	व्यय	4	2132482	1634097
4	प्रीमियम में कमी		0	0
5	बैंक ब्याज		16770	2725
6	निवेशों से संबंधित व्यय :			
	क) निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन		54721	42344
	ख) बैंक प्रभार		24	7
	ग)स्टॉक होल्डिंग प्रभार		2722	2716
	घ)अन्य व्यय		1	56
	कुल (ख)		**14809773**	**14469140**
	फसल बीमा व्यवसाय से परिचालन लाभ ग =(क -ख)		**5073364**	**7033975**
	विनियोग			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण		5073364	7033975
	आपदा संचय में अंतरण		0	0
	अन्य आरक्षणों में अंतरण		0	0
	कुल		**5073364**	**7033975**

31 मार्च, 2019 तक का तुलन पत्र

क्रम सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 31.03.2019 (Rs. '000)	गत वर्ष 31.03.2018 (Rs. '000)
क	निधियों के स्रोत			
1	शेयर पूंजी	5	2000000	2000000
2	आरक्षित एवं अधिशेष	6	37670953	33629301
3	उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
	(क) (शेयर धारक)		43458	55711
	(ख) (पॉलिसी धारक)		72832	128072
4	आस्थगित कर देयता (निवल)		0	0
5	उधार	7	0	0
	कुल		**39787243**	**35813084**
ख	निधियों का अनुप्रयोग			
1	निवेश			
	(क) निवेश (शेयर धारक)	8	26064327	23062712
	(ख) निवेश (पॉलिसी धारक)	8A	43681045	53018025
2	ऋण	9	120461	93899
3	स्थायी परिसंपत्तियाँ	10	2795603	2304149
4	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		49047	75732
5	चालू परिसंपत्तियाँ			
(क)	नकद और बैंक बकाया	11	24663556	26491277
(ख)	अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ	12	25193285	29293764
	कुल (क)		49856841	55785041
6	चालू देयताएं	13	74041038	88693161
7	प्रावधान	14	8739043	9833313
	कुल (ख)		82780081	98526474
	निवल चालू परिसंपत्तियाँ (ग) = (क) - (ख)		(32923240)	(42741433)
8	विविध व्यय	15	0	0
	(बट्टे या समयोग न करने पर)			
9	लाभ और हानि खाते में नामे शेष		0	0
	कुल		**39787243**	**35813084**

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

क्रम सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 31.03.2019 (Rs. '000)	गत वर्ष 31.03.2018 (Rs. '000)
1.	परिचालन लाभ/ (हानि)			
	फसल बीम व्यवसाय		5073364	7033975
2.	निवेशों से आय			
	क) ब्याज, लाभांश और किराया- सकल		1892694	1383010
	ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ		1790	18202
	घटाएं		0	(810)
	ग) निवेश में छूट में अभिवृद्धि		114333	212521
3.	अन्य आय			
	क) विविध प्राप्तियाँ		163971	85015
	ख) परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		0	286
	ग) पूर्व अवधि आय		0	10125
	कुल (क)		**7246152**	**8742324**
4.	प्रावधान (कराधान के अलावा)			
	क)निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		0	0
	ख) संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		150000	21242
	ग) मानव परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान		0	(180665)
	घ) गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान		400000	0
5.	अन्य व्यय			
	क) बीमा व्यवसाय के अलावा अन्य व्यय			
	i) निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन		32651	18419
	ii) स्टॉक होल्डर प्रभार		1624	1181
	iii) बैंक प्रभार- निवेश		14	3
	iv) निवेश से संबंधित अन्य व्यय		1	24
	ख) अप्राप्तीय ऋण बट्टे खाते		0	0
	ग)अन्य			
	i) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		130	0
	ii) अपलिखित आरंभिक व्यय		39	449
	iii) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व		112696	83210
	कुल (ख)		**697155**	**(56137)**
	कर पूर्व लाभ (ग =क -ख)		**6548997**	**8798461**
	कराधान का प्रावधान			
	क)आय कर (चालू वर्ष)		2120000	2936200
	ख) आय कर (विगत वर्ष)		(1006)	(18780)
	ग)आस्थगित कर		26685	(75647)
	कुल (घ)		**2145679**	**2841773**
	कर पश्चात लाभ (ड =ग -घ)		**4403318**	**5956688**
	विनियोग			
	क) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश		0	0
	ख) प्रस्तावित अंतिम लाभांश		300000	0
	ग) लाभांश वितरण कर		61666	0
	घ) सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण		4041652	5956688
	कुल		**4403318**	**5956688**
	कर और विनियोग के पश्चात लाभ		**0**	**0**
	योग : गत वर्ष के आगे लाये गए लाभ /(हानि) के शेष		0	0
	तुलनपत्र में आगे लाये गए शेष		**0**	**0**
	प्रति शेयर मूल आय (रुपये में)		22.02	29.78
	प्रति शेयर मिश्रित आय (रुपये में)		22.02	29.78
	इक्विटी शेयरों की संख्या (हजारों में)		200000	200000
	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपयों में)		10.00	10.00

प्रमुख विशलेषणत्मक अनुपात

क्र. सं.	विवरण	मार्च -19 प्रतिशत / अनुपात	मार्च - 18 प्रतिशत / अनुपात
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर	-12.57%	13.09%
2	निवल मूल्य अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम *	1.83	2.35
3	निवल मूल्य की वृद्धि दर	12.02%	21.53%
4	निवल प्रतिधारण अनुपात	22.57%	22.56%
5	निवल कमीशन अनुपात	-16.90%	-30.35%
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात के प्रबंधन स्तर पर व्यय	3.19%	2.18%
7	निवल लिखित प्रीमियम अनुपात के प्रबंधन पर व्यय	14.12%	9.66%
8	निवल अर्जित प्रीमियम के निवल उपगत दावे	92.25%	102.23%
9	संयुक्त अनुपात	89.04%	81.06%
10	निवल प्रीमियम अनुपात में तकनीकी आरक्षण	2.25	2.60
11	जोखिम अंकन का शेष अनुपात	0.11	0.19
12	परिचालन लाभ अनुपात	31.17%	39.80%
13	देयता अनुपात में नकद परिसंपत्तिया	1.60	1.34
14	निवल आय अनुपात	28.25%	33.44%
15	निवल मूल्य अनुपात प्रतिफल*	11.69%	17.71%
16	अपेक्षित ऋण शोधन सीमांत अनुपात पर उपलब्ध ऋण शोधन सीमांत	2.14	2.03
17	एनपीए अनुपात		
	सकल एनपीए अनुपात	0.79%	0.00
	निवल एनपीए अनुपात	0.00	0.00

* भारत सरकार को किया गया 200 करोड़ रु का तदर्थ भुगतान शामिल नहीं है |

नोट: यह सार्वजनिक प्रकटीकरण आईआरडीएआई परिपत्र सं आईआरडीए/एफ एंड आई/ सीआईआर/ एफ एंड ए/ 012/ 01/ 2010 दिनांक 28.11.2010 के अनुसार किया जाता है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2019

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

टि. एल. अलमेलू
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।

HO/19-20/1A/01

शिकायत निवारण के लिए कृप्या लोग ऑन करें http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grievance_Home.aspx

MORE THAN 15 YEARS IN FARMER SERVICE

भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी

25.43% मार्केट शेयर के साथ फसल बीमा में मार्केट लीडर

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान रु 6906.56 करोड़ के सकल प्रीमियम के मुकाबले रु 9649.81 करोड़ रुपए का दावा भुगतान किया गया, जिसमें 85 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ।

सम्पन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान